सप्तम माला, खंड 4, अंक 5, शुक्रवार, 13 जून, 1980/23 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(तीसरा सत्र)

(खंड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य । चार रुपये

विषय-सूची

अंक 5. शुक्रवार, 13 जून, 1980/23 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 86	...	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 87 से 101	...	19-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 617 से 696, 698 से 709, 711 से 725, 728 से 733, 735 से 743, 745 से 812, 814 से 815 और 816	...	27-150
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	150-159
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	159-175
देश के विभिन्न भागों में सूखे की गम्भीर स्थिति		
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	159-165
श्री वीरेन्द्रसिंह राव	...	165-175
श्री कृपासिंधु भोई	...	166-168
श्री पी. के. कोडियन	...	168-169
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	172
श्री चित्त बसु	...	172-175
सभा का कार्य	...	176-181
समिति के लिये निर्वाचन		
(एक) इलायची बोर्ड	...	181
(दो) काफी बोर्ड	...	181-182
(तीन) रबड़ बोर्ड	...	182
(चार) चाय बोर्ड	...	182
नियम 377 के अधीन मामले		

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(एक) त्रिपुरा में हुए जन-संहार का समाचार और अवाँछित तत्वों पर अंकुश लगाने में आसूचना विभाग की असफलता ... 182-188
श्री ज्योतिर्मय वसु ... 182-188
श्री जैल सिंह ... 183-188
(दो) चंडीगढ़ में एक मेहतर की पुत्री के साथ बलात्कार का समाचार ... 189
श्रीमती प्रमिला दंडवते ... 189
(तीन) व्यापारियों को सप्लाई की गई चीनी, चावल, गेहूँ, आदि की बोरियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा तोलने से मना किये जाने का समाचार ... 189
श्री चिन्तामणि जैना ... 189
(चार) दिल्ली में नेत्रहीनों के जलूस पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठी प्रहार के जाँच-प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखना ... 189-190
श्री अटल बिहारी वाजपेयी ... 190
(पाँच) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के भंडार की कमी ... 190
श्री पी० एम० सईद ... 190
(छः) हरदुआगंज बिजली घर में आग लगने का समाचार, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ... 190-191
श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 190-191
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ... 191-196
श्री आर० वेंकटरामन ... 191-193
श्री सतीश अग्रवाल ... 194
श्री रूपचन्द पाल ... 194
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति ... 194
पहला प्रतिवेदन ... 196
पुरः स्थापित किए गए विधेयक— ... 196-199
(1) धर्म स्वातंत्र्य (निर्बन्धन निवारण) विधेयक ... 196-199
श्री राम जेठलानी ... 196
(2) सीमा आयोग विधेयक ... 197
श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 179
(3) सीमावर्ती क्षेत्र (उत्तर प्रदेश पर्वतीय जिले) योजना तथा विकास विधेयक ... 197
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ... 197
(4) संविधान (संशोधन) विधेवक ... 197
श्री चित्त वसु ... 197

(5) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक ... 197
श्रीमती प्रमिला दण्डवते ... 197
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16 का आदि का अंत: स्थापन) ... 197
श्री के० लकप्पा ... 198
(7) छोटे किसान सहायता विधेयक ... 198
श्री के० लकप्पा ... 198
(8) जाति पद्धति उत्सादन विधेयक ... 198
श्री के० लकप्पा ... 198
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक ... 198
श्री के० लकप्पा ... 198
(10) भारतीय मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक ... 198
(धारा 3,4 आदि का संशोधन) ... 198
डा० वसंत कुमार पंडित ... 198
(11) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक ... 199
(धारा 53 आदि का संशोधन) ... 199
श्री जार्ज फर्नान्डीज ... 199
संविधान (संशोधन) विधेयक ... 199-222
(अष्टम अनुसूची का संशोधन)—वापिस लिया गया ... 199-222
विचार करने का प्रस्ताव ... 199-222
श्री चित्त बसु ... 199-221
श्री आनन्द पाठक ... 205-213
श्री पी० एम० सुब्बा ... 208-209
श्री रामावतार शास्त्री ... 209-219
श्री मूल चन्द डागा ... 205-216
श्री पी० वेंकटासुब्बैया ... 208-222
संविधान (संशोधन) विधेयक
(अष्टम अनुसूची का संशोधन) ... 222-229
विचार करने का प्रस्ताव
डा० कर्णसिंह ... 222-227
श्री सत्यगोपाल मिश्र ... 227-229

लोक सभा

शुक्रवार, 13 जून, 1980/2 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच विमान सेवा

*81. श्री ई. बालानन्दन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच एक सीधी विमान सेवा आरंभ करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) जी हाँ ।

(ख) से (घ) : मार्च, 1980 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था और उसकी इण्डियन एयरलाइन्स के परामर्श से जाँच की गयी थी। केरल सरकार को सूचित कर दिया गया था कि त्रिवेन्द्रम से नई दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बम्बई के मार्ग से प्रतिदिन तत्काल संयोजी उड़ानें (Immediate connection) उपलब्ध है। दिल्ली से त्रिवेन्द्रम की यात्रा के लिए, इस वर्ष इन्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में वृद्धि हो जाने पर समय सारणी में सुधार कर दिया जाएगा ।

श्री ई. बालानन्दन : जैसा कि आप जानते हैं बहुत-सी बातों में केरल की उपेक्षा हुई है। विमान सेवाओं के मामले में दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा न होकर के केवल मद्रास के लिए संयोजी विमान सेवा है यह सेवा भी सप्ताह में केवल तीन दिन चलाई जाती है। क्या मंत्री

महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे मद्रास के लिए सप्ताह के सातों दिनों विमान सेवा चलाई जाये।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : महोदय जून-जुलाई के महीने से इंडियन एयर लाइन्स अपने विमान-बेड़े में वृद्धि करेगा। मेरा अनुमान है कि उस वृद्धि से दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमान सेवा चलना संभव होगा।

श्री ई. बालानन्दन : केरल में केवल दो हवाई अड्डे हैं। बहुत पहले भारत सरकार ने वायदा किया था कि कालीकट में एक और हवाई अड्डा बनाया जायेगा। क्या सरकार कालीकट में भी हवाई अड्डा बनाने का कार्य आरम्भ करने के लिए शीघ्र कदम उठायेगी ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यद्यपि आपके इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सकता कि यह संभव होगा या नहीं।

श्री जेवियर अराकल : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए बम्बई होकर उड़ान सेवायें हैं। यही स्थिति कोचीन के बारे में भी है। क्या दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक सीधी विमान सेवा मंजूर न करने का यही कारण है। दिल्ली से त्रिवेन्द्रम को बहुत बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं और साथ ही माल यातायात भी बहुत अधिक होता है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह कहना सही नहीं है कि वहाँ जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। दरअसल देखा जाये तो यात्रियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है जिससे सीधी विमान सेवा चलाने का औचित्य हो। किन्तु फिर भी केरल के लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए और केरल सरकार के अनुरोध को देखते हुए हमने इस बात पर विचार किया है कि अगले महीने से विमान बेड़े में वृद्धि होने पर दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमान सेवा चलाई जा सकेगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमान सेवा चलाने का सरकार का निर्णय सरकार की उस नीति का अंग है जिसके अनुसार वह दिल्ली को राज्यों की राजधानियों से जोड़ना चाहती है। यदि ऐसा है तो भूतपूर्व मंत्री श्री जे. बी. पटनायक के उस आश्वासन का क्या हुआ जिसमें उन्होंने राज्यों की राजधानियों को सीधी विमान सेवाओं द्वारा दिल्ली से जोड़ने के बारे में कहा था। अभी तक दिल्ली सभी राज्यों की राजधानियों के साथ नहीं जुड़ी है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। विमान बेड़े में वृद्धि किये जाने पर हम यह प्रयास करेंगे कि सभी राजधानियों को न भी सही, अधिकांश राजधानियों को दिल्ली से सीधे जोड़ा जायेगा।

श्री मुंडाकल जार्ज जोसफ : हमें मद्रास या बंगलौर में काफी देर तक रुकना पड़ता है, क्या विमान की समय-सूची में इस तरह परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे हम वहां शाम को पहुँचे, इससे कम से कम सुबह जल्दी अपने घर पहुँच सकते हैं। अभी हमें मद्रास, बम्बई या बंगलौर में ठहरना पड़ता है। यदि समय में कुछ परिवर्तन किया जो हम कोचीन या त्रिवेन्द्रम सुबह जल्दी पहुँच सकते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, दिल्ली और त्रिवेन्द्रम तथा बम्बई और दिल्ली के बीच

उड़ान सेवाओं के समय में परिवर्तन करने के बाद माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी।

चट गांव पहाड़ी क्षेत्र पर फोकर-28 विमान की कथित उड़ान

*82. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मई, 1980 को अगरतला हवाई अड्डे से कलकत्ता जाने के लिए 39 यात्रियों सहित रवाना हुआ एक फोकर-28 विमान उड़ान भरने के बाद रास्ते में भटक गया और बाद में उसे बंगला देश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र पर उड़ते हुए देखा गया; और

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मशीनी खराबी थी, जिससे यह स्थिति पैदा हुई और उसके क्या कारण थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि अनुसूचित उड़ान सं. आई. सी.-238 का परिचालन करने वाला इन्डियन एयर लाइन्स का एफ-27 विमान वी. टी.-ई. बी. जे. अगरतला से 2100 बजे रवाना हुआ तथा खराब मौसम के कारण उसके सामन्य मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा और वह 8 मई, 1980 को 23·45 बजे कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरा।

नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा मामले की जाँच की जा रही है।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय कलकत्ता विमानपत्तन प्राधिकारियों के अनुसार 10 मई को एक एफ-27 विमान अगरतला विमानपत्तन से उड़ान भरने के पश्चात विमान-संचालन संबंधी खराबी के कारण भटक गया था। कलकत्ता आने वाले ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान को जब उड़ान सूचना-केन्द्र से सतर्कता संबंधी संदेश मिला तो उसने एफ-27 विमान से सम्पर्क स्थापित किया और उसे सुरक्षित कलकत्ता विमानपत्तन तक ले आया। स्टेट्समैन ने इस समाचार का स्रोत ब्रिटिस एयरवेज बताया और कहा कि ब्रिटिश एयरवेज से इस तरह का एक वक्तव्त दिया है। क्या सरकार इस वक्तव्य की एक प्रति मंगायेगी और यह मालूम करेगी कि क्या मंत्री महोदय ने जो विवरण यहाँ दिया है वह ठीक है या ब्रिटिश एयरवेज का वह विवरण जो स्टेव्समैन में प्रकाशित हुआ है। यदि ब्रिटिश एयरवेज का यह विवरण सही है कि विमान-संचालन संबंधी खराबी के कारण विमान भटक गया था तो क्या यह विमान के पुराने हो जाने के कारण हुआ और क्या यात्री तथा विमान कर्मियों की सुरक्षा को पर्याप्त महत्व देते हुए सरकार को इन विमानों के स्थान पर तत्काल नये विमान खरीदने का विचार है।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर : महोदय इस मामले की जांच की जा रही है। जाँच की रिपोर्ट मिलने पर ही यह पता लग सकता है कि ब्रिटिश विमान ने इण्डियन एयरलाइन्स के विमान चालक को कब सूचित किया था। किन्तु सच यह है कि वहाँ एक वायुगर्त्त (एयर पाकेट) में मौसम बहुत खराब था। वस्तुतः जब विमान चालक ने उड़ान भरी तो वह सामान्यतः मुख्य वायुमार्ग के बीच में आने वाले उस वायुगर्त्त (एयर पाकेट) से बच कर निकालना चाहता था ताकि वह समय पर कलकत्ता पहुँच जाये। किन्तु इस बीच उसके रास्ते में एक और वायुगर्त्त आ गया। इस कारण उसे देर हो गई। किन्तु महोदय, जाँच-रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही सही

तथ्यों का पता चलेगा। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि बाद में जब विमान की जाँच की गई तो यह पाया गया कि वह उड़ान-योग्य था। विमान में कोई खराबी नहीं थी।

श्री सुनील मैत्रा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन एफ–27 विमानों में फ्लाइट डेटा रिकार्डर' लगे होते हैं या नहीं। फ्लाइट डेटा रिकार्डर' से इन सब बातों का पता चल सकता है। दूसरी बात, यदि इनमें फ्लाइट डेटा रिकार्डर' नहीं होते तो सरकार उनमें इन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है। साथ ही क्या इन विमानों में वैकल्पिक प्रणाली की व्यवस्था है अर्थात् क्या इनमें ऐसी व्यवस्था है कि एक प्रणाली के खराब हो जाने पर दूसरी प्रणाली उसे संभाल सके ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : महोदय, हम जाँच-रिपोर्ट की प्रतिक्षा कर रहे हैं। प्रारम्भिक जांच से यह पता चलता हैं कि खराब मौसम से बचने के लिए विमान को अपना निश्चित मार्ग बदलना पड़ा। (व्यवधान) मैं जानता हूँ। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जब आप कह रहे हैं ठीक है, कलकत्ता का 'रेडार' विमान का मार्ग-दर्शन नहीं कर सका···।

श्री सुनील मैत्रा : मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह पूछा था कि विमान में फ्लाइट डेटा रिकार्डर' लगा हुआ था या नहीं। आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। इस उपकरण को संक्षेप में एफ.डी.आर. कहते हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : इसका पता तभी चलेगा जब इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मिल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनकी बात समझ गये हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : मेरा प्रश्न बहुत आसान है। क्या उस विमान में फ्लाइट डेटा रिकार्डर लगा हुआ था या नहीं ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : हम इसका पता करेंगे (व्यवधान) हम इसका ब्यौरा मालूम करने का प्रयास करेंगे,

एक माननीय सदस्य : पता करेंगे, कहने का क्या मतलब है ?

श्री सुनील मैत्रा : संभवतः उन्हें यह पता नहीं कि 'फ्लाइट डेटा रिकार्डर क्या होता है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : फ्लाइट डेटा रिकार्ड, उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। विस्तृत जाँच से इस बात का पता चल जायेगा।

श्री नारायण चौबे : वह कह रहे हैं कि 'फ्लाइट रिकार्ड उपलब्ध है, जबकि माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या यह उस विमान में लगा था या नहीं। उपलब्ध तो वह फ्रांस या इग्लैंड या कहीं और हो सकता है। वह एक दूसरी बात है। उनका प्रश्न तो यह था कि क्या वह उस विमान में लगा हुआ था या नहीं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यह विमान में उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बहुत साधारण है। वह यह जानना चाहते हैं क्या विमान में यह उपकरण लगा हुआ था या नहीं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : विमान में यह उपकरण लगा हुआ है।

श्री सुनील मैत्रा : ए-फ27 विमानों में यह उपकरण नहीं लगा होता। उन्हें अपने

अधिकारियों से यह मालूम कर लेना चाहिए। पहले वह इस बात को मालूम कर लें और फिर हमें बतायें।

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : महोदय, यहां इस बात का उल्लेख किया गया है कि कलकत्ता रेडार विमान का मार्ग दर्शन नहीं कर सका। महोदय, हमें यह मालूम हो गया है कि इन विमानों में रेडार लगे हुए हैं। किन्तु हम···

अध्यक्ष महोदय :रेडार नहीं। फ्लाइट रिकार्डर, ब्लाक बॉक्स जो कि उड़ान के बारे में जानकारी रिकार्ड करता है। क्या यह उपकरण उसमें था ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय यह उसमें लगा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अगला प्रश्न। श्री प्रधानी

कोयले का आयात

*83. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विदेशों से कोयला आयात करने का निर्णय लिया है, और

(ख) : यदि हां, तो कितना कोयला आयात किया जाएगा और इस वर्ष देश के सारे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की कोयले की आवश्यकता का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) यद्यपि सभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है तथापि वर्ष 1980-81 में इस्पातकारखानों की कोककर कोयलें की कुछ आवश्यकता आयत द्वारा पूरी करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

(ख) : इस्पात कारखानों (टिस्को भी शामिल है) की वर्ष 1980-81 की कोककर कोयले की कुल आवश्यकता नीचे दी गई है :

		मिलियन टन
(i) सेल के इस्पात कारखाने		14. 136
(ii) टिस्को		2. 890
	कुल	17. 026

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गतवर्ष के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 1979 तक इस्पात संयंत्रों को प्रतिदिन 10,000 मीटरी टन कोयला कम सप्लाई हुआ। यदि हां तो, कोयले की कम सप्लाई के कारण इस्पात का कितना कम उत्पादन हुआ।

श्री प्रणव मुखर्जी : इस्पात के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से दो कारणों से हुई। एक कारण तो कोककारी कोयले की कमी होना था। दूसरा विद्युत शक्ति की कमी किन्तु कोककारी कोयले की कमी के लिए हम कुछ कोककारी कोयले का आयात करके सप्लाई बढ़ा सकते हैं। और इससे देशी उत्पादन की कमी को पूरा किया जा सकता है। यह बताना संभव नहीं है कि किस कारण से कोककारी कोयला अथवा विद्युत शक्ति की अनुपलब्धता के कारण इस्पता का उत्पादन कम हुआ।

श्री के. प्रधानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आयात किया जाने वाला कोयला, अपेक्षाकृत अच्छी किस्म का है ? आयात किये जाने के लिए प्रस्तावित कोयले का सुपुर्दगी मूल्य क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हमारा उद्देश्य कम राख वाला कोककारी कोयला प्राप्त करना है। यह 8 से 10 प्रतिशत है। माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि देशी कोककारी कोयले में 21 से 26 प्रतिशत राख का तत्व होता है और जो हम आयात करेंगे उसमें 8 से 10 प्रतिशत राख का तत्व है। इस आयातित कोककारी कोयले को देशी कोककारी कोयले के साथ मिला दिया जाता है जिससे कि देशी कोककारी कोयले का समग्र राख तत्व कम हो जाये।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है इस वर्ष अभी तक हमने कोककारी कोयले के आयात के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, यह सरकार के विचाराधीन है। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि यह किस मूल्य पर उपलब्ध होगा। इसलिए बातचीत तथा अन्य बातें करनी होगी। गत वर्ष के मूल्य के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे सकता हूँ। हमने कनाडा से 688 रुपये प्रति मीटर टन तथा आस्ट्रेलिया से 592 रुपये प्रति मीटरी टन की दर पर कोककारी कोयला आयात किया था।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय कोयला हमारे देश के लिए ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ।

किन परिस्थितियों वश कोयले का आयात करना पड़ रहा है जबकि देश में 100 मिलियन मीटर टन का अनुमानित भण्डार है जिसको अभी निकाला जाना है। हमारे देश में इतनी अधिक मात्रा में कोयला है और यह मात्रा अपने यहाँ किये गये अनुसन्धान और अन्वेषण पर आधारीत है।

(ख) क्या आयात इसलिए किया जा रहा है कि— उत्पादन कम हुआ है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

(ग) क्या वितरण प्रणाली में इस समय जो अव्यवस्था है। विशेष रूप से रेल परिवहन की कठिनाइयों के कारण से इस स्थिति में क्या केवल आयात से ही देश वर्तमान संकट से उभर सकता है।

(घ) यदि नहीं तो सरकार द्वारा प्रमुख उपभोक्ताओं को जैसे इस्पात संयन्त्र मिलों ताप बिजली घरों को समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयले का रेल द्वारा परिवहन सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ 15,000 मिलियन मीटरी टन का भण्डार है और हमारा अवश्य ही यही प्रयास होगा कि हम देशी उत्पादन को बढ़ायें। किन्तु संभवत: माननीय सदस्य ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया है। कोककारी कोयले का भण्डार पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार इस्पात संयन्त्रों के विस्तार किए जाने पर कोककारी कोयले का भण्डार बहुत अधिक वर्ष नहीं चलेगा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह भण्डार केवल 30 वर्ष तक चलेगा।

दूसरी बात राख की मात्रा की समस्या है। यह अनुपलब्धता की समस्या नहीं है। बिजली की कमी के कारण धोवन शाला भी नहीं चल पाती है और यह सम्भव नहीं है कि देशी

उत्पादन को बढ़ाया जाये और कोयले को और अधिक बार धोकर राख तत्व को कम किया जाये। किन्तु मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूँ कि आयात वर्तमान संकट को पार करने के लिए केवल अल्पकालीन उपाय है और अन्ततः हमें अपना देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने होंगे और ऊर्जा और कोयला मंत्रालय में मेरे सहयोगी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : किन्तु इस बात पर बहुत अधिक समय लग रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगा है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं देश में कोयले के उत्पादन के भी कुछ आंकड़े दे सकता हूँ। 1975-76 में इसका उत्पादन 12·895 मिलियन मीटरी टन था तथा 1978-79 में यह 13·625 मिलियन मीटरी टन था। इस प्रकार उत्पादन भी बढ़ रहा है। और यह मैं इस्पात संयन्त्रों को देशी कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाईयां हैं। जब बिजली नहीं होती तो कोयले का उत्पादन भी नहीं होता और जब कोयला नहीं होता तो बिजली का उत्पादन भी नहीं होता क्योंकि रेलों द्वारा ताप बिजली घरों को तथा इस्पात संयन्त्रों को कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही, इसलिए बिजली का उत्पादन और इस्पात का उत्पादन कम होता जा रहा है। एक मंत्रिमण्डल समिति इस पहलू की जांच कर रही है। कुछ सीमा तक रेल परिवहन प्रणाली में सुधार हुआ है।···(व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों के साथ सहमत हूं कि हमें देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और इस वर्ष हमारी आवश्यकता देश में उत्पादन 17 मिलीयन मीटरी टन कोयले पर निर्भर कर रहे हैं और आयात की मात्रा बहुत थोड़ी है।

श्री आर० के० महालगी : कोककारी कोयले का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने पहले ही बताया है कि हम नई खानों का पता लगा कर, राख का तत्व कम करने के लिए धोवन शालाओं की क्षमता बढ़ा कर तथा उत्पादन क्षेत्र से खपत क्षेत्र तक परिवहन को सुव्यवस्थित करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मंत्री महोदय ने कहा है कि कोयले के प्रोडक्शन में शार्टफाल हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो शार्टफाल हुआ है उससे कितना घाटा हुआ है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जैसा मैंने पहले ही उल्लेख किया है हमारी अनुमानित मांग 17 मिलियन मीटर टन है तथा कोयला प्राधिकारियों के अनुसार वे हमें 15·8 मिलियन मीटरी टन देशी कोककारी कोयला उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए जहाँ तक इस्पात क्षेत्र को कमी होने का प्रश्न है वह 1·2 मिलियन मीटरी टन है।

देश की तुलना में पश्चिम बंगाल में बैंक औसत

*श्री समर मुकर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 20,000 लोगों के लिए एक बैंक होने का औसत है परन्तु पश्चिम बंगाल में उक्त औसत 35,000 व्यक्ति प्रति बैंक हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण तथा उप नगरीय शाखाओं में ऋण जमा राशि का अनुपात राष्ट्रीय औसत क्रमश: 35 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत की तुला में क्रमश: 24 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत था;

यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त और उद्योग मन्त्री (श्री आर० वेंकटारामन) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में, 22,000 व्यक्तियों के लिए एक बैंक शाखा का औसत है। इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत प्रति 17,000 लोगों के लिए एक बैंक शाखा का है। अलबत्ता, शहरी तथा महानगरीय स्थानों की शाखाओं तथा ऐसे स्थानों की जनसंख्या को छोड़कर पश्चिम बगाल में ग्रामीण/अर्ध नागरीय शाखा में उक्त औसत 35,000 व्यक्ति प्रति बैंक शाखा तथा पूरे देश में 22,000 व्यक्ति प्रति बैंक शाखा है।

बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व दिनों में ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों की भारी उपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार कार्यक्रम लागू करने के लिए बैंकों की सीमित क्षमता तथा पर्याप्त मूलभूत संरनात्मक सुविधाओं तथा अच्छी व्यापारिक क्षमता से युक्त उत्पादन केन्द्रों की सीमित उपलब्धता आदि कई ऐसी बातें हैं जिनके कारण पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बैंकिंग व्याप्ति काफी कम रही।

जून 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में ग्रामीण तथा अर्ध-नगरीय शाखाओं का ऋण: जमा अनुपात क्रमश: 34.7 प्रतिशत तथा 23.7 प्रतिशत था। इसकी तुलना में अखिल भारतीय अनुपात क्रमश: 54.4 प्रतिशत तथा 47.3 प्रतिशत था.

सरकार बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता तथा ग्रामीण एवं अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में ऋण प्रसार दोनों बातों को देखते हुए, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण तथा अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में अपर्याप्त बैंकिंग व्याप्ति के बारे में चिन्तित रही है। बैंकों से कहा गया है कि वे जनसंख्या व्याप्ति में सुधार के लिए तथा विशेषत: कम बैंक वाले ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय क्षेत्रों में, वर्ष 1979-81 के दौरान अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कमी वाले जिलों की बैंक रहित ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय स्थानों में शाखाएं खोलने पर मुख्य रूप से ध्यान दें ताकि 1981 तक यह सुनिश्चि किया जा सके कि 20,000 ग्रामीण/अर्ध नगरीय लोगों के लिए एक ग्रामीण/अर्ध-नगरीय शाखा हो जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों से कहा गया है कि वे पश्चिम बंगाल के कमी वाले जिलों के ग्रामीण/अर्ध नगरीय स्थानों में 785 नई शाखायें खोलें। भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों से परामर्श करके, बैंकों के इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सहयोग कर रहा है। बैंकों से इस बारे में विशेष ध्यान देने तथा प्रयास करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम लाभान्वितों को अधिक ऋण सहायता प्रदान की जाये तथा बैंकों से अपनी ग्रामीण तथा अर्ध नगरीय शाखाओं में ऋण जमा अनुमति को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए भी कहा गया है।

ज्यों ज्यों बटाईदारों का अधिकारों को रिकार्ड करने के कार्यक्रम में प्रगति होगी, बैंक भी कृषि में अपने ऋणों को बढ़ाने में कामयाब होंगे ।

मैंने इस बार वर्ष 5 अप्रैल को पश्चिम बगाल में धीमे बैंकिंग विकास की समस्या पर विचार करने तथा स्थिति में सुधार के उपायों पर विचार करने के वास्ते, पश्चिम बंगाल में कार्यरत बैंकों, भारतीय रिजव बैंक तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक विशेष रूप से कलकत्ता में बुलाई थी। बैंकों से कहा गया था कि वे पश्चिम बंगाल ऋण प्रसार में तेजी से वृद्धि लायें । तथा विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और उनमें भी समाज के गरीब वर्गों पर विशेष ध्यान दें । पश्चिम बंगाल में ऋण प्रसार की समस्या की निरन्तर समीक्षा करने के लिए एक स्थाई कार्यकारी दल की स्थापना करने का निर्णय भी किया गया था जिसका संयोजक भारतीय रिजर्व बैंक होगा और भारतीय स्टेट बैंक, राज्य के तीन लीड बैंकों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे । इस दल की स्थापना की जा चुकी है । इस दल की बैठकें नियमित रूप से होंगी तथा पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और 20 सूत्री कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वालों के लिए अपनी ऋण सहायता में वृद्धि किये जाने के लिए किये जा रहे उपायों की निगरानी करेगा ।

श्री समर मुकर्जी : वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि जनसंख्या के हिसाब से बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता तथा ऋण और जमाराशि के अनुपात में असमानता है वक्तव्य में कहा गया है कि :

> "अलबत्ता, शहरी तथा महानगरीय स्थानों की शाखाओं तथा ऐसे स्थानों की जन-संख्या को छोड़कर पश्चिम बंगाल में ग्रामीण/अर्द्ध नगरीय शाखा में उक्त औसत 35,000 व्यक्ति प्रति बैंक शाखा तथा पूरे देश में 22,000 व्यक्ति प्रति बैंक शाखा है ।"

यह कुल औसत से बहुत कम है । यह अच्छी बात है कि सरकार ने यह बात स्वीकार की है । किन्तु इस असामनता के लिए जो कारण उन्होंने बताये हैं उनमें से एक यह है :

> "···बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व के दिनों में ग्रामीण तथा अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों की भारी उपेक्षा···"

राष्ट्रीयकरण बहुत पहले हो चुका था । राष्ट्रीय करण के बाद की अवधि में अर्थात् 1969 से 1980 तक क्या हुआ है ? यह उपेक्षा अभी तक जारी है । इस बात को ईमानदारी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए । (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में भी ऋण जमाराशि का अनुपात औसत से बहुत कम है और मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी इस बात को स्वीकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री समर मुखर्जी : विवरण सभापटल पर रखा गया है । इसके बारे में सभी सदस्यों को जानकारी मिलनी चाहिए । यदि उन्होंने मौखिक उत्तर दिया होता तो सभी सदस्यों को ये तथ्य मालूम हो जाते । अतः मैं इसे पढ़ रहा हूँ । सामान्यतः लोगों की यह धारणा है कि पश्चिम बंगाल विकसित राज्य है ।

प्रो० मधु दण्डवते : राजनीतिक दृष्टि से ।

श्री समर मुखर्जी : विवरण में यह स्वीकार किया गया है कि :

"जून 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में ग्रामीण तथा अर्द्धनगरीय शाखाओं का ऋण-जमा अनुपात क्रमश: 34.7 प्रतिशत तथा 23.7 प्रतिशत था। इसकी तुलना में अखिल भारतीय अनुपात क्रमश: 54·4 प्रतिशत तथा 47·3 प्रतिशत था।"

लोगों की शिकायत यह है कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र की निरन्तर उपेक्षा होती रही है। अब सरकार ने कुछ उपाय सुझाये हैं। मैं उन उपायों का स्वागत करता हूँ। मंत्री महोदय ने स्वयं इस मामले में पहल की है। किन्तु उन्होंने कहा है :

"बैंकों से इस बारे में विशेष ध्यान देने तथा प्रयास करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को अधिक ऋण सहायता प्रदान की जाये तथा बैंकों से अपनी ग्रामीण तथा अर्द्धनगरीय शाखाओं में ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए भी कहा गया है। ज्यों-ज्यों बटाईदारों के अधिकारों को रिकार्ड करने के कार्यक्रम में प्रगति होगी.....।" (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप प्रश्न कीजिये। विवरण की प्रति हम सबको मिल चुकी है।

श्री समर मुखर्जी : सामान्यत: मंत्री मौखिक उत्तर देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपस में बहस मत कीजिए। व्यवस्था बनाये रखिये। मेरी बात सुनिये। मुझे कहने दीजिये। श्री मुखर्जी मैं आपके ध्यान में यह बात ला दूं कि केवल इसी विवरण की प्रति विशेष रूप से नहीं बाँटी गई है। यह सभा की सामान्य पद्धति है जिसका हमेशा पालन करते हैं। विवरण की प्रतियाँ प्रतिदिन सभापटल पर रखी जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूँ।

श्री समर मुखर्जी : मेरा सीधा प्रश्न यह है : मंत्री महोदय ने कहा है :

"ज्यों-ज्यों बटाईदारों के अधिकारों को रिकार्ड करने के कार्यक्रम में प्रगति होगी बैंक भी कृषि क्षेत्र में अपने ऋणों को बढ़ाने में कामयाब होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : बटाईदारों के अधिकारों को रिकार्ड करने का काम लगभग पूरा होने वाला है। दस लाख से अधिक रिकार्ड किया जा चुका है, मेरा प्रश्न यह है कि इन बटाईदारों को बैंकों से कितना धन दिया गया है। उत्तर में कहा गया है कि हम इस बारे में अनुदेश दे चुके हैं। जितनी जितनी रिकार्ड करने के कार्य में प्रगति होगी तनाउ अधिक ऋण दिया जायेगा। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जिन बटाईदारों के नाम रिकार्ड में दर्ज किये जा चुके हैं उनको कितना ऋण दिया जा चुका है। यह तो एक प्रश्न है।

श्री आरवेंकट रामन : यदि मैं राष्ट्रीयकरण से पहले के और अब की बैंक सेवाओं के आंकड़े दूँ तो उससे बंगाल में हुई प्रगति का पता चल जायेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय प्रति 87,000 लोगों के लिए केवल एक बैंक था। आज प्रति 22,000 लोगों के लिये एक बैंक

है। मैं चाहता हूँ कि सभा इस बात का निर्णय करे कि प्रगति हुई है या नहीं। दूसरी बात यह है कि बंगाल में अधिक मात्रा में ऋण क्यों नहीं दिये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्वामियों को और उन लोगों को ऋण दिया जाता है जिनका भूमि पर अधिकार है। जैसा कि मेरे माननीय मित्रों को पता है कि पश्चिम बंगाल में काश्तकारी की पद्धति में बटाईदारों के नाम पंजीकृत नहीं किये गये और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाल ही के वर्षों में उनके अधिकारों को रिकार्ड किया गया है इसीलिए वहां की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं बंगाल गया था। मैंने बैठक बुलाई थी।.....

श्री ज्योतिमय बसु : आप बंगाल नहीं, कलकत्ता गये थे। (व्यवधान)

श्री आर. वेंकटरामन : हमें समय-समय पर माननीय ज्योतिमय बसु की बुद्धिमत्ता का लाभ मिलता है और इससे अन्य लोग···(व्यवधान) मैं उनकी बुद्धिमत्ता के लाभ से वंचित हूँ।

कारण यह है कि बटाईदारों के अधिकारों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। इसलिए पहले उन्हें ऋण नहीं दिया गया। उनके अधिकारों का रिकार्ड पूरा हो जाने पर ग्रामीण जनता को विशेषकर जिन लोगों को काश्तकारी-अधिकार हैं उन्हें दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की जायेगी। मैं कुछ और आंकड़े देना चाहूँगा क्योंकि माननीय मित्र ने कहा कि पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की गई है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक विकास खण्ड में बैंक की एक शाखा है पूरे बंगाल में केवल 13 विकास खण्ड मुख्यालयों में बैंक नहीं हैं। मैंने अनुदेश दे दिये हैं कि 1980 के समाप्त होने से पहले उन सभी 13 विकास खण्डों में भी बैंक खोले जायें। इसके बाद मैं यह भी बताऊँगा कि इस सम्बन्ध में हमने पश्चिम बंगाल सरकार की मांग को कहां तक पूरा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया था कि वहाँ पर 732 शाखायें खोली जानी चाहिए। रिर्जव बैंक वाणिज्यिक बैंकों की 426 शाखायें खोलने के बारे में मंजूरी दे चु चुका है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 172 स्थानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जायेंगे। अत: जितने बैंकों की मांग की गई है उतनी ही संख्या में बैंक खोले जा रहे हैं। सभा के सूचनार्थ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पाश्चिम बंगाल सरकार ने जितनी मांग की है रिजर्व बैंक उससे कुछ अधिक ही करेगा।

श्री समर मुखर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि इस निर्णय के बाद कितना काम हुआ है ?

श्री आर. वेंकटरामन : इस बात का हमारे पास अलग से हिसाब नहीं है कि बटाईदारों को कितना ऋण दिया जा चुका है। हमारे पास केवल इस बात का हिसाब है कि ग्रामीण जनता को, लघु उद्योग क्षेत्र को और इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों को कितना ऋण दिया गया। केवल बटाईदारों को दिये गये ऋण की जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन है, बल्कि संभव नहीं है।

प्रो० रूपचन्द पाल : क्या मानसीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि पर्याप्त ऋण सुविधाओं के अभाव में पश्चिम बगाल में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग बन्द हो गये हैं जिससे बहुत से लोग बेकार हो गये हैं। क्या सरकार उन उद्योगों को पर्याप्त ऋण सुविधायें देने के लिए तत्काल कदम उठायेगी ताकि जो उद्योग ऋण सुविधा के अभाव में बन्द हो गए थे, उन्हें शीघ्र ही पुन: खोला जा सके ;

श्री आर. वेंकटरामन : सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऋण सुविधाओं के अभाव के काण ही लघु उद्योग बन्द हो गए हैं। यदि ऋण सुविधाओं की आवश्यकता होती है और बैंक से इसके लिए मांग की जाती है, तो प्रत्येक मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिमय बसु : रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गर्वनर ने, जो कि बैंकिंग विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं, यह स्वीकार किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं का विशेषकर प्रमुख नकदी फसलों जसे पटसन के लिए ऋण देने सम्बन्धी सुविधाओं का कमी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्या यह सच है या नहीं कि रिजर्व बैंक के प्राधिकारी जो कि नयी शाखायें खोलने के लिए अन्तिम प्राधिकारी हैं, इस कार्य में अड़चन डाल रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि ग्रामीण पटसन उत्पादक और अन्य किसान एकाधिकार वाले बड़े उद्योगपतियों के हाथों हमेशा ऋणग्रस्त रहें।

श्री आर. वेंकटरामन : इस प्रश्न के पहले भाग के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मुझे कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जितनी शाखायें खोले जाने की मांग की है उससे अधिक शाखायें खोलने की मंजूरी देने के लिए रिजर्व बैंक सहमत हो गया है।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष मसोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि बैंकों की नयी शाखायें जनसंख्या के आधार पर खोली जायेंगी या क्षेत्रफल के आधार पर। क्या इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि उन क्षेत्रों में शाखायें खोली जायें, जहाँ आदिवासी और पिछड़े हुए लोग ज्यादा रहते हैं ?

श्री आर. वेंकटरामन : यह प्रश्न पश्चिम बंगाल के बारे में है और यदि वह आदिवासियों के सम्बन्ध में अलग से प्रश्न करेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : एरिया क्या होगा ? जैसे राजस्थान में जैसलमेर है. बाड़मेर है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, तो उसमें कितनी एरिया में आप खोलेंगे ? एरिया आप कंसिडर करेंगे या क्या क्राइटीरिया होगा ?

श्री आर० वेंकटरामन : रिजर्व बैंक उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिनके आधार पर बैंक अपनी शाखाएं खोलते हैं। आम तौर पर बैंक किसी स्थान की जनसंख्या, उस स्थान की आवश्यकताओं, विभिन्न लघु उद्योग धंधों और अन्य बातों को ध्यान में रखते हैं। ऐसे चार पांच मापदण्ड होते हैं। यदि परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हों तो शाखा खोल दी जाती है। ये शर्तें पूरी हों या न हों, प्रत्येक ब्लाक में हम एक शाखा जरूर खोलते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल और खास तौर पर वहां के गांवों में बैंक सेवा अच्छी तरह नहीं पहुँची है। क्या वह यह जानते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक बैंक खोलने का प्रस्ताव भेजा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे पश्चिम बंगाल सरकार को अपना बैंक खोलने के लिए उपयुक्त आदेश देंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : बैंक खोलना रिजर्व बैंक का विशेषाधिकार है। लोगों को रिजर्व बैंक में आदेश करना होता है और फिर रिजर्व बैंक अनुमति दे सकता है या उन्हें अस्वीकृत कर सकता है। मैं यह जानकारी दे रहा हूँ कि सभा में क्या हुआ।

सोने की नीलामी सम्बन्धी समिति

* 85 **श्री के० मालन्ना** :

श्री अमरराय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1978 में की गई सोने की नीलामी के काम की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं और यह अपना प्रतिवेदन कब तक भेज देगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1978 में सरकारी खाते में रखे सोने की नीलामी के द्वारा बेचने से सम्बन्धित नीति तथा कार्य विधि के विभिन्न पलुओं की जाँच करने के लिए, भारत सरकार ने श्री के. आर. पुरी को नियुक्त किया है, जो अपनी जांच के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपनायी जाने वाली कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देंगे ।

निर्देश-पद निम्नानुसार हैं :—

(एक) इस बात की जांच करना कि तत्कालीन सरकार ने सरकारी खाते में रखे सोने के एक भाग को बेचने के लिए जो नीति सम्बन्धी निर्णय लिया था, वह सार्वजनिक हित में था अथवा नहीं और यह निर्णय ठोस आर्थिक तथ्यों पर आधारित था अथवा नहीं;

(दो) इस बात की जाँच करना कि सोने की बिक्री के लिए तैयार की गयी नीति/कार्य विधियाँ सार्वजनिक हित को पर्याप्त रूप में सुरक्षा प्रदान करती थीं अथवा नहीं और यह कि निर्धारित कार्य विधियों का विभिन्न चरणों में पालन किया गया था अथवा नहीं;

(तीन) इस सम्बन्ध में जांच करके सरकार को सलाह देना कि प्रथम-दृष्ट्या सोने की बिक्री में किसी अवस्था में कोई गलती हुई थी अथवा नहीं और यदि हुई थी, तो आगे के लिए इस सम्बन्ध में उपयुक्त समझी जाने वाली कार्य पद्धति की सिफारिश करना;

(चार) इस बात की जांच करके सरकार को सलाह देना कि क्या प्रथम दृष्ट्या कुछ हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा इस योजना का दुरुपयोग किये जाने का मामला बनता है और विशेष रूप से इस बात की जाँच करना कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों ने ही सोने को समेट कर रख लिया है और यदि ऐसा हो तो आगे की कार्रवाई के सम्बन्ध में सिफारिश करना; और

(पाँच) उपर्युक्त जांच के प्रयोजनार्थ यदि कोई अन्य संगत मामले हों तो उनकी भी जांच करना ।

श्री के० आर० पुरी से निवेदन किया गया है कि वे अपनी रिपोर्ट 1·9·1980 से पूर्व प्रस्तुत करें ।

श्री के० मालन्ना : मैंने यह विवरण-पत्र और विचारार्थ विषय देख लिए हैं । मेरे विचार से एक बहुत महत्वपूर्ण विचारार्थ विषय छोड़ दिया गया है : जनता सरकार ने कौन सा विशेष उद्देश्य सामने रखा था और क्या वह पूरा हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे इसे विचारार्थ विषयों में शामिल करेंगे ।

श्री आर० वेंकटरामन : बजट भाषण में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री एच. एम. पटेल ने बताया कि सोने की नीलामी का उद्देश्य सोने के मूल्य पर नियंत्रण लगाना और तस्करी को रोकना था। उन्होंने जब यह प्रस्ताव रखा था, मैंने उसी समय, विपक्ष की ओर से इसकी आलोचना की थी। मैंने कहा था कि यह विनाशकारी रीति साबित होगी। मैंने यहां तक कहा था कि मेरे माननीय मित्र श्री एच० एम० पटेल को आने वाली पीढ़ियां भारत का फिजूल खर्च बेटा कहेंगी। मेरे विचार में श्री एच० एम० पटेल ने सोना बेचने का जो उद्देश्य बताया था वह पूरा नहीं हो सका है।

श्री के० मालन्ना : जनता सरकार ने जिस उद्देश्य से सोना बेचा था वह पूरा हुआ कि नहीं ? क्या माननीय मंत्री महोदय इसे विचारार्थ विषयों में शामिल करेंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैंने वक्तव्य में कहा है :

"यह जांच करना कि क्या तत्कालीन सरकार की, सरकारी अधिकार में आने वाले सोने का एक भाग बिक्री करने की नीति, लोकहित में थी···"

यह विचारार्थ विषयों में एक है। वह शामिल है।

श्री के. मालन्ना : क्या मैं जान सकता हूँ कि श्री पुरी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है अथवा नहीं। यदि नहीं तो समय-सीमा निर्धारित करने में क्या अड़चन है ?

श्री आर. वेंकटरामन : समय-सीमा निर्धारित की गई हैं। यह सीमा 1 सितम्बर, 1980 निर्धारित की गई बताई गई है।

श्री जगदीश टाईटलर : इस सोने के कांड के बारे में हमने बहुत कुछ सुना रखा है और उसमें बहुत लोग शामिल हैं।

श्री ज्योतिमिय बसु : कौन सा सोने का कांड ?

श्री जगदीश टाइटलर : वही जो आपने किया है। जिसका आप अब पक्ष ले रहे हैं। हाल ही में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि सोने की नीलामी सही ढंग से की गई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि स्वर्ण-कांड की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। यदि समिति इस कांड के प्रतिकूल टिप्पणियां देती है तो सरकार का विचार उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है। ···(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : अगर वे दोषी साबित हुए तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि यह मामला सामने आने पर, मैं इस पर विचार करूंगा। जब भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम उस पर विचार करेंगे और उसके आधार पर समुचित कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : मेरे प्रश्न का भाग (क) यह था—तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि सोने की नीलामी ठीक ढंग से हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ ···

अध्यक्ष महोदय : अगर उस बारे में वह अपनी राय बनाएंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : नहीं । आपको अनुमति नहीं दी गई है ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ रिकार्ड न किया जाए ।···(व्यवधान)**

श्री मधु दंडवते : देश की प्रधान मंत्री ने लोक सभा चुनाव और नौ राज्यों के विधान-सभा चुनावों के दौरान बराबर यह चुनाव प्रचार किया कि जनता शासन के दौरान जो सोना नीलाम हुआ है, उसमें वह सोना नीलाम किया गया है जो 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान लोगों से प्राप्त हुआ था; उसे उड़ा दिया गया । मैं वित्त मंत्री से विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मुझे नहीं मालूम कि प्रधान मंत्री ने अपने चुनाव प्रचार में क्या कहा था । मैं दूसरा का जिम्मा नहीं ले सकता। मैं आपको यही सूचना दे सकता हूँ कि देश के अधिकार में आने वाला सोना तीन श्रेणियों में आता है :—

1. रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन रखा जाने वाला सोने का रक्षित भंडार ।
2. सोने के बंध-पत्रों का सोना ।
3. अतिरिक्त सोना जिसमें वह सोना आता है जिसका हम हट्टी खानों में उत्पादन कर रहे हैं और वह सोना जो हम जनता से जब्त करते हैं यानी तस्करों आदि से ।

इन तीनों श्रेणियों का सोना एक साथ रखा जाता है और उस भंडार में से सोना बेच दिया गया है । बाद में उन्होंने कहा कि उस भंडार में से जो सोना बेचा गया है उसे जब्त किए गए सोने से लिया हुआ माना जाएगा । मेरा सीधा-सा जवाब यह है कि वह चाहे जब्त किया गया सोना हो या हट्टी खान का सोना हो, वह सरकारी सोना है और सरकारी सोना गवाँ दिया गया है ।

प्रो. मधु दंडवते : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने बहुत सुनिश्चित और सुस्पष्ट प्रश्न पूछा है । दूसरे सदन में बहुत सीधा और सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है । मैं इस सदन में भी वही उत्तर चाहता हूँ । मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ । प्रधान मंत्री ने यह आरोप लगाया है कि 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान सरकार को जो सोना प्राप्त हुआ था, वही सोना नीलाम कर दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि वही सोना नीलाम कर दिया गया है या कि जब्त किया हुआ सोना नीलाम किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार का सोना है । वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं । वह पहले ही बता चुके हैं कि यह सरकार का सोना है । वह सरकार के अधिकार में है और वह सरकार का सोना है चाहे वह कहीं से भी आया हो ।

श्री आर. वेंकटरामन : वह सरकार का सोना है, वह चाहे हट्टी खान का सोना हो या जब्त किया गया सोना । वह सरकार का सोना है और वह सरकार का वही सोना बेच दिया गया है । मेरी राय में उसे उड़ा दिया गया । मुझे इतना ही कहना है ।

प्रो. मधु दंडवते : आप मेरा समर्थन क्यों नहीं करते ? वित्त मंत्री दोनों सभाओं में परस्पर विरोधी उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उत्तर काफी संगत है क्योंकि वे बता चुके हैं कि जो भी सोना सरकारी खजाने में आता है, वह सरकार का सोना है। आप इस सोने में भेद कैसे करेंगे।

प्रो. मधु दंडवते : आप राज्य सभा की कार्यवाही-वृत्तांत देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उत्तर काफी संगत है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

प्रो. मधु दंडवते : यही प्रश्न इन्हीं वित्त मंत्री से पूछा गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दे सकते कि यह उत्तर ठीक नहीं है और मैं उस पर विचार करूंगा। मेरे विचार में उत्तर काफी संगत है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

प्रो. मधु दंडवते : मैं यह मानकर चलता हूं कि दोनों सभाओं में वित्त मंत्री, सरकार के वित्त मंत्री के रूप मे सभा रूप से कार्य करता है और इसलिए उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वह एक जैसा उत्तर दें।

श्री रतनसिंह राजदा : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मेरी आज्ञा के बिना कुछ रिकार्ड नहीं किया जाएग।...(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : लोक सभा के पहले सत्र में जब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। सोने की नीलामी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था तब यही आरोप तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री मोरार जी देसाई और उनके पुत्र, श्री कांति देसाई के खिलाफ लगाए गए थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि इन आरोपों की जांच करने के लिए जो समिति गठित की गई है क्या उसके विचारार्थ विषयों में श्री मोरार जी देसाई और श्री कांती देसाई भी सामिल हैं ?

अध्यक्ष महोदय : विचारार्थ विषय आपके सामने हैं। आप उन्हें क्यों नहीं लेते ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वे नाम शामिल किये गए हैं या नहीं...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जितना सोना बेचा गया उसका दो तिहाई हिस्सा फर्जी नाम की बम्बई की किसी एक पार्टी ने खरीदा ..

अध्यक्ष महोदय . इन सब पहलुओं की जांच करने लिये समिति गठित की गई है।

श्री भगवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सोने के हार अंगूठियां और मंगलसूत्र जो सोने के भण्डार में जमा किये गए थे भी उसी भंडार में थे जिसे उठा दिया गया था उन्हें अलग रखा गया था ? अगर वे उसी भंडार में थे तो सरकार ने उन्हें जरूर बेच दिया होगा।

श्री आर० वेंकटरामन : भंडार एक है परन्तु लेखा तीन हैं। भंडार में सरकार का सारा सोना रहता है। एक लेखे में यह दिखाया जाता है कि हमारी खानों से कितना सोना आया। एक लेखे में यह दिखाया जाता है कि सोने के बेच पत्रों से कितना सोना प्राप्त हुआ। लेखा तीन हैं परन्तु भंडार एक ही है। मैंने बताया कि सोना उसी भंडार में से बेचा गया है

डा० सुब्रमणियम स्वामी : मैं मानता हूँ कि भंडार एक ही है अगर उसके लेखे अलग अलग रखे जाते हैं कितना सोना तस्करों से मिला और कितना सोना खान से आया आदि में यह जानना चाहता हूँ कि सोने की जितनी मात्रा नीलाम की गई वह तस्करों से पकड़े गए सोने से कम है या उससे ज्यादा है।

श्री आर वेंकटरामन : मैं आगे ब्यौरा देता हूँ। उन्होंने उसी भंडार में से सोना बेचा था जो उस समय था बाद में उन्होने इसे तस्करी से प्राप्त सोने के लेखे में नाम डाल दिया। मगर पहले उन्होंने भंडार में से ही बेचा था वस्तुतः श्री एच० एम० पटेल ने अपने मंत्रालय के द्वारा यह प्रस्ताव समाने रखा था कि सोना भंडार में से बेचा जाएगा और बिक्री के बाद, उन्होंने कहा कि उसे तस्करी से प्राप्त सोने के लेखे में नाम डाल दिया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए सुदृढ़ मामला तैयार कर लिया है।

पार्ले कम्पनी समूह

*86. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1980 के साप्ताहिक 'ब्लिटज' में पार्ले कम्पनी समूह की गतिविधियों सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार में उल्लिखित कुछ मामलों की जाँच कर रहा है। सम्बन्धित विभाग कुछ अन्य मामलों की छानबीन कर रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : इसी विषय पर मेरा प्रश्न है तथा मैंने आपको प्रश्न संख्या 99 को इस प्रश्न के साथ जोडने का अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मत्री महोदय, क्या आप प्रश्न संख्या 94 का या इसके साथ ही उत्तर देंगे ?

श्री वेंकटरामन : इससे सब गड़बड़ा जाएगा। मैं यह सब नहीं कहना चाहता।

श्री धर्म दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ (क) पार्ले ग्रुप के खिलाफ बदले छापे मारे गये थे जिन एक्साइज डियूटी का चोरी और लाखों रुपए के इन्कमटेक्स के घोटाले मामले समाने आये थे। माननीय मंत्री महोदय ने उस समय सदन को आश्वासन दिया था कि उनसे एक्साइज डयूटी भी चार्ज की जायेगी और टैक्स भी वसूल किया जायगा मैं जानना चाहता हूँ कि उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

(ख) इस तरह के घोटले करने वाले व्यक्ति जिसका इंटीग्रिटी डाउट फुल है और जो सिविलाइज स्मगलर भी है का मूवमेन्ट पर कोई बाच रखी गयी है मैं जानता हूँ कि यह व्यक्ति रमेश चौहान कहां है जो इस तरह घोटाला कर रहा है, देश को बेच रहा है और लाखों रूपये की सम्पत्ति दूसरे देशों में बचा कर रहा है ?

(ग) मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? इसके साथ केवरेरिज्म क्यों किया जा रहा है ? क्या आपके अधिकारियों पर किसी का दबाव है ? पुरानी सरकार पर तो दबाव था क्योंकि इनका एक डायरेक्टर कान्ति भाई देसाई था लेकिन आज कौन-सा दबाव है जो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री आर. वेंकटरामन : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद कार्यवाही की जायेगी। माननीय मित्रवर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच कार्य पूरा होने से ही कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं उनसे जाँच पूरी हो जाने तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करूंगा।

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि आज कल रमेश चौहान कहां है ? वह एक सिविलाइण्ड स्मगलर है, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, इसलिए उसकी मुवमैन्ट पर वाच होनी चाहिये, चाहे सी. बी. आई. मामले में जाँच कर रही है मैं जानना चाहता हूँ कि वह आजकल कहां है ?

श्री आर. वेंकटरामन : श्रीमन् मुझे नहीं पता कि अपराधी कहां है। मैं बहुत भला आदमी हूँ।

श्री के. लक्प्पा : श्रीमन्, पिछले सत्र में इस बात को लेकर पार्ले ग्रुप पर अनेक आरोप लगाये गये थे। यह भी बताया गया था कि वित्त मन्त्रालय ने कुछ कार्यवाही की है। इस प्रश्न के दौरान, माननीय मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया था कि कई आरोप लगाये गये हैं तथा कुछ आरोपों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैं एक खास प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो कितने आरोपों की जाँच कर रहा है तथा किन आरोपों के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने विशिष्ट जाँच के आदेश दिये हैं तथा अन्य लगाये गये आरोपों तथा बिल्टज में व्यापक रूप से प्रकाशित आरोपों के सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है।

यह भी आरोप लगाया गया था कि कम्पनी ने 50 लाख रुपये लूटकर सिंगापुर तथा न्यूयार्क में जमा कर रखा है तथा पार्ले ग्रुप के प्रबन्ध निदेशक मि० रमेश चौहान ने न्यूयार्क में पार्ले इन्टर नेशनल को शुरू करने के लिए सरकारी तौर पर 5 लाख रुपये न्यूयार्क भेज दिये हैं ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने कार्य को तेज करने के लिए उसे अनुमति मिल सके। यह भी आरोप लगाया गया था कि लेखाओं में इस तरीके से हेरा-फेरी की गयी है कि यहाँ की लेखा पुस्तकों में राशि रोक रखी गयी है लेकिन इटली को अपनी लेखा पुस्तकों में उस राशि को बड़े खाते में डाल दिया गया है। और मुझे विश्वासनीय रूप से पता चला है कि 3·15 लाख रुपये किस खाते में रखे गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच का आदेश देते समय इन आरोपों को भी शामिल किया है। पहले भी आरोप लगाये गये थे तथा छापे मारे गये थे परन्तु मैं नहीं जानता कि आरोप पत्र तैयार क्यों नहीं किया गया तथा कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कम्पनी में पाये गये कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज वित्त मंत्रालय में कार्य करने वाले निदेशक द्वारा नष्ट कर दिये गये हैं तथा क्या आरोपों में ये सभी बातें सम्मिलित की गयी हैं मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी तथा इन मामलों में जिन व्यक्तियों का हाथ है, उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जायेंगे क्योंकि पहले भी ऐसे आरोप लगे थे। ···(व्यवधान)

श्री वेंकटरामन : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कई बातें गडमड कर दी हैं।

श्री के. लकप्पा : मैंने कई बातें गडमड की है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये।

श्री आर. वेंकटरामन : वस्तुतः मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ।

श्री के. लकप्पा : धन्यवाद।

श्री आर. वेंकटरामन : कुछ आरोप 3·15 लाख रुपये के बारे में है। माननीय सदस्य ने लगभग 50 लाख रुपये से अधिक के आरोप लगाये हैं जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा और आगे जाँच के लिए आपकी टिप्पणी का सार भेजूंगा।

जहाँ तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, कुछ मामलों में किये गये दाण्डिक अपराधों पर कार्यवाही की गयी है। कुछ मामलों में विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस समय मेरे लिए इस बारे में और अधिक जानकारी देना कठिन है क्योंकि इससे संसद या देश को मदद मिलने के बजाय उन व्यक्तियों को अधिक मदद मिलेगी जो इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं। यदि माननीय सदस्य फिर भी आग्रह करेंगे तो मुझे सूचना देनी पड़ेगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इस सदन में यह आरोप लगाये गये हैं कि पार्ले समूह के निदेशक मि० रमेश चौहान ने 2 5 करोड़ रुपये के उत्पादन शुल्क तथा 70 से 80 लाख रुपए के आयकर का अपवचन किया परन्तु भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई का संरक्षण प्राप्त होने के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम जानते हैं कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच चल रही है लेकिन जो आरोप लगाया है और विशेष रूप से लगाया गया है। वह यह है कि प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारीगण इस सम्पूर्ण जाँच कार्य को ठप्प कराने में रुचि रखते हैं। अतः क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न का विशिष्ट रूप से उत्तर देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ये अधिकारी जाँच कार्य में हस्क्षेप न करने पायें ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? यह तो एक सुझाव है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न की जाँच करेंगे तथा पार्ले समूह के सिंगापुर और न्यायर्क के सम्बन्धों जैसे पहलू की जाँच करेंगे ?

श्री आर. वेंकटरामन : माननीय सदस्य ने मुझ से व्यक्तिगत रूप से मामले की जाँच करने के लिए कहा गया है। वह मैं करूंगा। रिपोर्ट आ जाने पर मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जाँच करूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निजी काजू प्रोसेस करने वालों को कच्चे काजू के आयात के लिए लाइसेंस जारी करना

*87. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** : निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ निजी तौर पर काजू प्रोसेस करने वालों को अफ्रीकी देशों से कच्चा काजू आयत करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कच्चा काजू आयात करने के लिए जिन व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक मामले में नए आयात की कुल कितनी मात्रा की अनुमति दी गई और अब तक कुल कितनी मात्रा आयात की जा चुकी है;

(घ) क्या कच्चे काजू के आयात को एक सूत्र में करने के पूर्ण उत्तरदायित्व के लिए भारतीय काजू निगम की स्थापना कर दी गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो वे क्या कारण थे जिनके कारण सरकार को निजी काजू प्रोसेस करने वालों को कच्चा काजू आयात करने की अनुमति देनी पड़ी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) से (ङ) जुलाई, 1979 में बनाई गयी एक योजना के अन्तर्गत पात्र विनिमति निर्यातकों को गैर परम्परागत स्रोतों से कच्चा काजू आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। तीन प्रोसेसकर्त्ता एककों अर्थात् सर्वश्री केशव कैश्यू कम्पनी, श्रीराम कैश्यू लि० और शानमुख विलास ट्रेडर्स को इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक को 1000 मि० टन कच्चा काजू आयात करने की अनुमति दी गई है परन्तु वास्तविक आयात अभी नहीं किया गया है।

2. प्रोसेसिंग तथा पुनर्निर्यात के लिए मैसर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज लि०, बंगलौर द्वारा 5013 मि० टन कच्चा काजू का सीधा आयात करने की अनुमति दी गई है और आयात वास्तव में हो चुके हैं।

3. कच्चे काजू का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से सरणीबद्ध रूप में चल रहा है। ऊपर उल्लिखित उदारीकरण अतिरिक्त रोजगार अवसरों तथा विदेशी मुद्रा आय के सृजन के हित में आयातित कच्चे काजू की सप्लाई बढ़ाने के लिए लागू किए गए।

ढलवाँ लोहे के पाइपों का निर्यात

*88. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे और पुराना ढलवां लोहे की भारी कमी के कारण देश से ढलवां लोहे के पाइपों के निर्यात को भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या 1979-80 के दौरान ढलवाँ लोहे के पाइपों के निर्यात का स्तर 35 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में केवल 20 करोड़ रुपये था;

(ग) क्या 1978-79 में प्राप्त 27 करोड़ रुपये के निर्यात की तुलना में यह बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस असंतोषजनक निर्यात के मुख्य कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद में उपलब्ध अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार ढलवां लोहे के पाइप तथा सेनिटरी कास्टिंग्स के अप्रैल 79-जनवरी 80 के दौरान 13.56 करोड़ रु० के निर्यात हुए जबकि 1978-79 की उसी अवधि में 21·22 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

(घ) कच्चा लोहा, स्क्रेप, कोयला, कोक, बिजली आदि जैसे महत्वपूर्ण अन्तर्निविष्ट

साधनों की कमी से निर्यात योग्य ढलवाँ लोहे के पाइपों के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा। इसके अलावा, बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़, कतिपय गन्तव्य स्थलों पर शिपिंग सुविधाओं की कमी आदि जैसी अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों से भी इस मद का निर्यात प्रतिबद्ध हुआ।

बंगाल में यूनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

*89. **श्री मुकन्द मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कलकत्ता शिक्षित बेरोजगार युवकों को छोटे पैमाने के उद्योग आरम्भ करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ऋण देने की योजना को उन्हें ऋण न देकर असफल बना रहा है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह-अयस्क के निर्यात में वृद्धि

*90 **श्री जय नारायण रौत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह-अयस्क के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979-80 में लौह-अयस्क के निर्यात में कितनी बढ़ौतरी हुई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) 1979-80 के दौरान भारत से लौह अयस्क के निर्यात 1978-79 के निर्यातों से 3.41 मिलियन मि. टन अधिक थे। मात्रा की दृष्टि से यह वृद्धि 15.89 प्रतिशत बनती है।

आयकर की बकाया राशि

*91. **श्री पी. एम. सईद** :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1980 तक आय-कर की कुल बकाया राशि 708.15 करोड़ रुपये थी;

(ख) यदि हाँ, तो 31 जनवरी, 1979 तक आयकर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ग) क्या हाल में हुए आयकर आयुक्तों के सम्मेलन में आयकर की बकाया राशियों की समस्या पर विस्तार से विचार किया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो वसूली में तीव्रता लाने के लिए क्या निर्णय लिये गये थे ; और

(ङ) लिए गये निर्णयों से स्थिति में कहाँ तक सुधार हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं। 708.15 करोड़ रुपये, 31 मार्च 1979 को आगे ले जायी गई बकाया माँग में से बाकी पड़ी रकम है। चालू माँग में से बकाया पड़ी रकम को जोड़ने के बाद, 31 जनवरी 1980 को कुल बकाया मांग 1017.21 करोड़ रुपये थी।

(ख) 31 जनवरी 1979 को बकाया पड़ी आयकर की कुल माँग 965.54 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी, हाँ।

(घ) अपेक्षित सूचना अनुबंध में दी गई है।

(ङ) आयुक्तों के सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को, कर की बकाया कम करने के मामले में, इतनी जल्दी कारगर हो सकना समीचीन नहीं है।

विवरण

मई 1980 में हुये आयुक्तो के सम्मेलन में, आयकर की बकाया की समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उक्त सम्मेलन के अनुसरण में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय ये है—

(i) वसूली/घटोती का लक्ष्य बकाया मांग में से 55 प्रतिशत तथा चालू मांग में से 85 प्रतिशत रखा गया है;

(ii) 1979-80 में जारी की गई मांग की बकाया प्रविष्टियों को 85 प्रतिशत तक कम कर दिया जायगा;

(iii) जनवरी 1981 के दूसरे पखवाड़े में "कर की बकाया तथा वापसी निपटान पखवाड़ा "मनाया जायगा;

(vi) आयकर आयुक्त अपने सम्बद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायलयों से निवेदन करेंगे कि वे ऐसी अपीलों/मामलों की बारी आये बिना ही सुनवाई करें जिनमें वसूल नहीं की गई आयकर की भारी मांगे अन्तर्ग्रस्त हों;

(v) जैसा कि गत वर्ष किया गया था, समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए जाएंगे जिनमें कर-निर्धारितियों से अनुरोध किया जायगा कि वे भूल-सुधार के लिए विचाराधीन पड़े दावों, आदि के ब्योरे भेजें। इस सूचना को उपयोगी बनाने तथा भूल-सुधार आदि यथाशीघ्र करने की व्ययस्था को भी मजबूत किया जाना है। कर-दाताओं द्वारा पहले की गई अदायगीओं का समायोजन करने के लिये भी एक अभियान चलाया जायगा।

(vi) आयकर की बकाया की वसूली के कठिन मामलों में अलग आयकर अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था की समीक्षा की जायगी और जहां कही उपयुक्त होगा उसे मजबुत किया जायगा;

(vii) इस दृष्टि से कि कर-निर्धारण बढ़ा चढ़ा कर न किये जायं तथा उसके परिणामस्वरुप निरर्थक कर की बकाया का जमाव न हो, आयकर अधिकारियों को, एक निश्चित सीमा से अधिक किसी एक-पक्षीय कर-निर्धारण को पूरा करने से पहले अपने निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 क के अधीन मार्ग दर्शन प्राप्त करना होगा; और

(viii) कुछ आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में अपीलों की भारी बकाया को समाप्त करने के लिये अपीलीय तन्त्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

विदेशी पूंजी निवेश अमंत्रित करने का प्रस्ताव

*92 श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकास को बढ़ाने एव उत्पादक निवेश को प्रोत्साहन देने के विचार

से उत्पादन में हिस्सेदारी के आधार पर विशेष रुप से तेल की विपुलता वाले देशों से विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पूंजी निवेश का उपयोग किन-किन क्षेत्रों के लिए किया जायेगा और इस दिशा में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) (क) और (ख) : यद्यपि सामान्यतः सरकार विदेशी निवेश के लिए प्रस्ताव आमन्त्रित नहीं करती तथापि विदेशी निवेश पर लागू होने वाली नीति को ध्यान में रखते हुए जब कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होता है तब उस पर विचार किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार विदेशी राष्ट्रिकों अथवा कम्पनियों को उच्च प्रौद्योगिक वाले और निर्यात-प्रधान क्षेत्रो में पूंजी लगाने की अनुमति है। इस नीति के ढांचे के अन्दर तेल उत्पादक देशों द्वारा पूंजी लगाये जाने की गुंजाइश हैं। उत्पादन में हिस्सा बांट करने अथवा अन्य किसी आधार पर जब कभी सरकार की स्वीकृति के लिए ऐसे कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं और हमारी घोषित नीति के मार्गनिर्देशों के अनुरुप होते हैं तब उन पर विचार किया जाता है।

हवाई अड्डों और पर्यटक स्थलों का विकास

*93. **श्री चित्त महाटा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हवाई अड्डों और पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए इस वर्ष अनुमानतया कितनी राशि व्यय होगी और राज्यों को कितनी राशि का आवंटन किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसान शर्मा): (क) : जी, हां।

(ख) : 1980-81 की वार्षिक योजना में विमान क्षेत्रों तथा पर्यटक विहार-स्थलों के विकास के लिए क्रमशः 19.58 करोड़ रुपए तथा 9.22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। ये सभी केन्द्रीय योजना की स्कीमें हैं और इनके लिये राज्य सरकारों को कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है।

पार्ले कम्पनियां समूह द्वारा स्विस बैंक को दी गई अदायगी

*94. **श्री के लक्कप्पा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पार्ले कम्पिनियां समूह ने एक गुप्त स्विस बैंक खाते में 3.15 लाख रु० की अदायगी की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोषी को पकड़ने के लिए कोई कार्यवाई की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने, प्रवतर्न निदेशालय से शिकायत मिलने पर, मैसर्स बिसलेरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और इस कम्पनी के दो निदेशकों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का कथित उल्लंघन करने और भारतीय दंड सहिता के अधीन धोखाधड़ी करने का एक मामला दर्ज किया है।

जांच-पड़ताल की जा रही है, इसलिए इस अवस्था में और ब्योरे देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

राज्यों की राजधानियों में आय-कर आयुक्तों के कार्यालय

*95 **श्री ए. नीलालोहित दासन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी राज्य की राजधानी ऐसी है जहाँ आयकर आयुक्त का कार्यालय नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो वह कौन सी राजधानी है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने राज्यों की ऐसी राजधानियों में आयकर आयुक्त का कार्यालय बनाने के बारे में कोई उपाय किये है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : जी, हां। आयकर आयुक्तों के कार्यालय, दिसपुर, कोहिमा, इम्फाल, अगरतल्ला, शिमला, चण्डीगढ़, श्रीनगर, और त्रिवेन्द्रम में नहीं हैं।

(ग) दो आयकर आयुक्तों में से एक के मुख्यालय को एर्नाकुलम से त्रिवेन्द्रम में स्थानान्तरित करने का निर्णय ले लिया गया है। बाकी राज्यों की राजधानियों में आयकर आयुक्त के कार्यालय खोलने का अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामान्य बीमा निगम के पास पड़ी लवारिस धनराशि

*96. **श्री सुभाषचन्द्र बोस लल्लूरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्य बीमा निगम के पास बहुत बड़ी लावारिस धनराशि पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) जब साधारण बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया तब केन्द्रीय सरकार ने साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण), अधिनियम 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में 38·05 करोड़ रुपए की राशि अदा की थी। यह राशि भूतपूर्व भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयरधारियों और अन्य बीमाकर्ताओं को उनके हितों का अन्तरण करने के बदले में वितरित किए जाने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम अब तक 37·32 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर चुका है। 73 लाख रुपये की शेष धनराशि मुकदमेबाजी या अधूरे रिकार्ड या दावेदारों को ढूंढने में कठिनाई के कारण अभी तक वितरित नहीं की जा सकी। 58 लाख रुपये की राशि भूतपूर्व बीमा कम्पनियों के शेयरधारियों को और लगभग 15 लाख रुपए की रकम भूतपूर्व पारस्परिक बीमा कर्त्ताओं को अदा की जानी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि की गलतियों को दूर करना

*97 **श्री चन्द्रमान मणि तिवारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बार बार जारी किये गये आदेशों के बावजूद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि में गलतियों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद भी दूर नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार के आदेशों का पालन करने में मन्त्रालयों/विभागों को क्या कठिनाईयाँ हो रही हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मन्त्रालयों/विभागों से उन कर्मचारियों की सूची तैयार करने का आदेश देने का है जिनकी सामान्य भविष्य निधि की गलतियों को दूर नहीं किया जा रहा है तथा उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) जिन मामलों में संतोषजनक सहवर्ती साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उनमें विसंगतियों का समायोजन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। लेकिन कुछ मामलों में जहाँ प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पर्याप्त नहीं था, वहाँ समायोजन किये जाने से पहले आहरण और सवितरण अधिकारियों से पूछ ताछ की जानी होती है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के अनुपालन के संबन्ध में किसी भी मन्त्रालय के लेखा नियंत्रण द्वारा वित्त मन्त्रालय के ध्यान में कोई कठिनाइयां नहीं लाई गई है।

(ग) जी नहीं, इस सम्बन्ध में अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि यदि अंशदाता सामान्य भविष्य निधि का वार्षिक विवरण प्राप्त करने पर यह पता है कि उसके नाम में दिखाई गयी जमा रकम उस रकम से कम है जो वास्तव में उसने जमा कराई है। वापस ली है या वह अन्यथा सही नहीं है तो उसे तुरन्त अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को एक अभ्यावेदन देना चाहिए और उसके बाद लेखा अधिकारी विसंगतियों (क्रेडिट और डेबिट दोनों) का पता लगाने के लिए कार्यवाही करेगा और इस संबंध में निर्धारित कार्याविधि के अनुसार अन्शदाता खाते में उसका समायोजन करेगा।

काजू के प्रोसेसिंग का राष्ट्रीयकरण

*98. **श्री वी० एस० विजय राघवन** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काजू के मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए काजू के निर्यात के प्रोसेसिंग का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई माँग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केरल राज्य में, जो एक प्रमुख काजू प्रोसेसिंग राज्य है, अपरिष्कृत काजू की अत्याधिक कमी महसूस की जा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय और नागरिक पूर्ति में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

काजू उद्योग सभग्र देश में कच्चे काजू की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करता रहा है। जबकि 4,50,000 मे० टन की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता है, घरेलू उत्पादन से

कच्चे काजू की कुल उपलब्धता करीब 1,10,000 मैं० टन है। चालू मौसम में भारतीय काजू निगम के माध्यम से होने वाले आयात सम्भवतः 8,000 मैं० से अधिक न हों। परम्परागत पूर्व अफ्रीकी स्रोतों से भारत में आयात के लिए कच्चे काजू की उपलब्धता में गिरावट को देखते हुए अन्य स्रोतों से काजू लेने की आवश्यकता महसूस की गई थी। जुलाई, 1979 में एक योजना बनाई गई थी जिसके अन्तर्गत काजू के पात्र विनिर्माता-निर्यातकों को भारतीय काजू निगम की समग्र निगरानी तथा नियंत्रण के अध्याधीन गैरपरम्परागत स्रोतों से कच्चा काजू आयात करने की अनुमति दी जा सकती है और वे आयातित कच्चे की आधी मात्रा भारतीय काजू निगम को विद्यमान नीति के अनुसार वितरित किये जाने के लिए सौंपेंगे।

ऐसी शर्तों के अध्याधीन जो प्रत्येक मामले में निर्धारित की जायें, पुनःनिर्यात के लिए भारत में साधित किये जाने के प्रायोजनार्थ गुणावगुण के आधार पर कच्चे काजू का सीधे आयात करने की भी अनुमति दी गई।

पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना

*99. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्समम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा जिनके कार्यक्षेत्र में 10 जिले आने हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों स्थापना के लिए अगस्त, 1979 में निम्न निम्नलिखित प्रस्ताव किये थे :—

(I) पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 24 परगना, हावड़ा, बर्दवान, हुगली और नदिया जिलों में से प्रत्येक के एक-एक बैंक।

(II) वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र से छः जिलों अर्थात् पुरुलिया, मिदनापुर पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मुर्शिदालाद को निकाल कर छः और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना।

2. इस विषय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने विचार किया था और यह निर्णय किया गया है कि 24 परगना, बर्दमान और नदिया जिलों को व्याप्त के लिए तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जायें। हुगली जिले को मयूराक्षी ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना है जिसकी व्याप्ति के अन्तर्गत इस समय केवल बीरभूमि जिला है। हावड़ा जिले के लिए जो बाकी बचा हुआ एकमात्र जिला है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के वास्ते रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से अतिरिक्त आँकड़े मांगे हैं।

पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी में सुधार

* 100. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी की अपर्याप्त लम्बाई

का पता है और क्या मौजूदा पट्टी में सुधार करने तथा उसकी लम्बाई में वृद्धि करने के बारे में भेजा गया कोई प्रस्ताव मन्त्रालय में अभी तक अनिर्णीत पड़ा हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्वीकृत न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर तक सप्ताह में तीन उड़ाने होने की मांग की गई है और यदि हां, तो सरकार उस बारे से क्या कार्यवाही करेगी ?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ। वर्तमान स्थल की भौतिक परिसीमाओं को दृष्टि में रखते हुए, मौजूदा हवाई अड्डे में सुधार करने के बजाय पोर्ट ब्लेयर के निकट एक दूसरे स्थान पर एक नया हवाई अड्डा बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस बीच, मौजूदा हवाई अड्डे पर यथासंभव अधिकतम सुविधायें प्रदान करने के लिए, 21.56 लाख रुपए की कुल अनुमानित्त लागत से एक "ओवर-रन" तथा पाइपड्रेन" की व्यवस्था की जा रही है। इन निर्माण कार्यों के शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस की कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर के लिये विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि जब कभी भी यातायात से इन सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने का औचित्य प्रतीत्त होगा, उस पर विचार किया जाएगा।

बोनस नीति में परिवर्तन

* 101. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन विभागों के नाम क्या हैं जहां बोनस दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार बोनस नीति में कुछ परिवर्तन करने का है।

(ग) क्या सरकार को गत कुछ महीनों में रेलवे अथवा रिजर्व बैंक या अन्य सरकारी उपक्रमों में बोनस की मांग से संबन्धित कुछ समस्यों का सामना करना पड़ा है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों ने भी बोनस की मांग की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) अब तक उत्पादक से सम्बन्धित बोनस रेलवे तथा डाक व तार बोर्डों के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों और आर्डिनेंस फैक्टरियों के सिविलियन कर्मचारियों को स्वीकार किया गया है।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस नीति का सम्बन्ध है उस नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। जहां तक बोनस अदायगी अधिनियम 1965 में संशोधन का सम्बन्ध है, श्रम मंत्रालय को विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी हाँ।

विदेशी ब्रान्ड नाम के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

617 **श्री जी. बाई. कृष्णन :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री रेजर ब्लेडों पर विदेशी ब्रांड नाम "ऐरास्मिक" का प्रयोग किये जाने के बारे में 14 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 644 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विस्तार के लाइसेंस प्रदान करते समय

सम्बन्धित सरकारी नीति के कार्यान्वयन के मामले में तकनीकी कठिनाईयों को दूर करने के लिए उन कम्पनियों द्वारा आन्तरिक बिक्री के वास्ते किये जा रहे विदेशी ब्रांड नाम के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का उन फर्मों के लाइसेंस भी तब तक रोके रखने का विचार है, जिनके मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं और न्यायालयों द्वारा विदेशी ब्रांड नाम के प्रश्न पर निर्णय नहीं दे दिया जाता;

(ग) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों को विदेशी ब्रांड नाम प्रयोग न करने की राष्ट्रीय नीति के अनुकूल बनाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है,

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार आन्तरिक बाजार में बिक्री हेतु नई वस्तुओं के मामले में आम तौर पर विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती है। मौजूदा वस्तुओं के मामले में भी, विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग को सक्रिय रुप से हतोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) व (ग) इस समय न्यायालयों में जो मामले अनिर्णित पड़े हैं वे मौजूदा वस्तुओं के विदेशी ब्रांड नामों के लगातार प्रयोग करने से सम्बन्धित हैं। कानून के अन्तर्गत इन फर्मों के लाइसेंसों को लम्बित रखना सम्भव नहीं है।

(घ) लाइसेंसों/आशय पत्रों की स्वीकृत शर्तों में यह निर्धारित किया गया है कि "आन्तरिक बिक्री के प्रयोजन के लिए विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी'। यह शर्त आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों को लागू की जा रही है।

विदेशी मुद्रा भंडार

618. **श्री भीखू भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में विदेशी मुद्रा का कितना भण्डार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : 6 जून, 1980 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और आहरण अधिकारों को छोड़कर) 4857·90 करोड़ रुपए का था।

पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों में रोजगार की क्षमताएं

619. **श्री गदाधर साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अगले तीन वर्ष के दौरान जिला-वार तथा बैंक की थाना-वार रोजगार की क्षमताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आज तक रोजगार पर लगाये गये व्यक्तिओं की जिला-वार तथा बैंक-वार संख्या कितनी कितनी है; और

(ग) राज्य में इन बैंकों में बैंक-वार तथा जिला-वार अधिक रोजगार की क्षमताओं को पैदा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) बैंकों से यथा उपलब्ध सूचना एकत्र करके, सदन के पटल पर रख दी जाएगी .

(ख) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक 28 हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इन बैंकों की शाखायें काफी संख्या में हैं। जिलावार सूचना एकत्र करने में काफी समय लगेगा तथा इस प्रक्रिया में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप परिणाम नहीं निकलेगा। अलबत्ता, सम्पूर्ण राज्य के बारे में बैंकवार सूचना एकत्र की जायेगी तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रखदी जाएगी।

(ग) व्यापार के बढने के साथ बैंक भी अब तक उपेक्षित बैंक रहित क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोल रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग उद्योग में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोला जाना

620. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई सेवाएं खोलने के लिए योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से प्रत्येक स्थान के, जिलावार, नाम क्या हैं जहां पर बैंक की शाखाएं खोलने का विचार है और सम्बन्धित बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति वर्ष 1979-81 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए है। इसके अनुसार कोशिश यह है कि इस अवधि में वाणिज्यिक बैंक, मुख्यत: बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कम बैंक वाले/कमी वाले जिलों के बैंक रहित ग्रामीण/अर्ध-नगरीय केन्द्रों में शाखाएं खोलने का प्रयास करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जहां, प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्ध-नगरीय लोगों के लिए कम से कम बैंक की एक शाखा हो जाय। परन्तु पहाड़ी, इलाकों को विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों के कमी वाले जिलों के निर्धारण के लिए जनसंख्या वाले सिद्धांत को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1978 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास 16 लाइसेंस/निकतन पत्र विचाराधीन थे। इनमें से दो को कार्यान्वित किया जा चुक है। इस विधेयक ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

पहली जनवरी, 1979 और 31 मई 1980 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने 36 केन्द्रों के सम्बन्ध में लाइसेंस जारी किये हैं। नियतन पत्र दिये हैं जिनमें से 8 को कार्यान्वित किया जा चुका है। ब्यौरा विवरण 11 में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बैंकों के कार्यालय खोलने के लिए 50 स्थानों की सिफारिशें की हैं। इनमें से 9 स्थानों के सम्बन्ध में या तो बैंकों के पास लाइसेंस विचाराधीन हैं अथवा वहां शाखाएं खोली जा चुकी हैं। शेष केन्द्रों के लिए नियतन करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

विवरण 1

31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने के लिए विचाराधीन लाइसेंस/नियतन पत्र ।

जिला का नाम	केन्द्र का नाम	वर्गीकरण	उस बैंक का नाम जिसके पास लाइसेंस/ नियतन पत्र हैं ।	वर्तमान स्थिति
चम्बा	पंगी	ग्रामीण	यूनियन बैंक आफ इन्डिया	
कांगड़ा	दोह	ग्रामीण	पंजाब नेशनल बैंक	24·1·79 को खोली गई
मंडी	मछियाल	ग्रामीण	हिमाचल ग्रामीण बैंक	
	सालपुर	,,	,,	
	सुन्दर नगर	,,	,,	
	करसोग	,,	,,	
	महादेव	,,	,,	
	मंडी	अर्ध-नगरीय	,,	
	अहजू	ग्रामीण	,,	
	रणधारा	,,	,,	
	डाडा	,,	,,	
	कतोला	,,	,,	
	बरोट	,,	,,	
	बाली चौक	,,	,,	
शिमला	शिमला-राम बाजार	अर्ध नगरीय	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	
सिरमौर	पाओंटा साहिब	ग्रामीण	स्टेट बैंक आफ पटियाला	27·7·79 को खोली गई ।

विवरण-2

हिमाचल प्रदेश में 1·1·1979 से 31·5·1980 तक दिये गये लाइसेंस/नियतन पत्र

जिला	केन्द्र का नाम	वर्गीकरण	उस बैंक का नाम जिसके पास लाइसेंस/नियतन पत्र है	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कांगड़ा	लंबगांव	ग्रामीण	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	20·3·79 को खोली गई
शिमला	कोटखाई	तदैव	तदैव	6·7·79 को खोली गई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चम्बा	बानीखेत	ग्रामीण	स्टेट बैंक आफ इन्डिया	—
तदैव	चौवाड़ी (ए.डी.बी.)	,,	तदैव	—
बिलास पुर	लिंडा कालोनी	,,	स्टेटबैंक आफ पटियाला	—
काँगड़ा	चडियार	,,	हिमाचल ग्रामीण बैंक	10·12·79 को खोली गई
	चाचियाँ	,,	तदैव	24·9·79 को
	लूंज	,,	,,	—
	दौलत पुर	,,	,,	—
	ठाकुरद्वारा	,,	,,	—
	रानीताल	,,	,,	—
	चडी	,,	,,	—
	घीरा	,,	,,	18·10·79 को खोली गई।
	वीड़	,,	,,	—
	चौंबीन	,,	,,	—
बिलासपुर	स्वरघाट	,,	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	3·12·79 को खोली गई
किन्नोर	कल्पा	,,	पंजाब नेशनल बैंक	
कुल्लू	गदसा	,,	हिमाचल ग्रामीण बैंक	—
तदैव	समसाइ	,,	तदैव	21·2·80 को खोली गई
सोलन	घूमर	,,	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1·2·80 को खोली गई
तदैव	सोलम	अर्धनगरीय बैंक सहित	स्टेट बैंक आप इन्डिया	—
मंडी	सिरी	तदैव	हिमाचल ग्रामीण बैंक	—
किन्नोर	सुंगरा	,,	स्टेट बैंक आफ इन्डिया	—
शिमला	बाघी	,,	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	—
मंडी	मोही	,,	हिमाचल ग्रामीण बैंक	—
	चुराग	,,	तदैव	1·2·80 को
	स्मइला	,,	,,	खोली गई
सोलन	परवान	,,	स्टेट बैंक आफ इन्डिया	,,
कुल्लू	हरिपुर दोमी	ग्रामीण	हिमाचल ग्रामीण बैंक	,,
	दोमी	तदैव	तदैव	,,
तदैव	भूट्टी	,,	,,	,,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कांगड़ा	आलमपुर	ग्रामीण	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	1-2-80 से खाली गई
मंडी	मवला	,,	,,	,,
कुल्लू	कुल्लू	,,	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	,,
कांगड़ा	धर्मशाला	अर्धनगरीय/बैंक सहित तदैव		,,
हमीरपुर	हमीरपुर	ग्रामीण	तदैव	,,

विवरण–3

हिमाचल प्रदेश में शाखा विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये स्थानों की सूची

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	केन्द्र का नाम जहाँ बैंकों की शाखा खोली जानी है।
1	2	3
चम्बा	तिस्सा	बैरागढ़
	मेहला	छतराड़ी
	मेहला	गेहरा
	सालूनी	किहार
मंडी	करसोश	कोटल
	सुन्दरनगर	मरारु
	बाल्ह (तहशील)	जय देवी
	सुन्दरनगर	बाली चौकी
	सिराज	(हिमाचल ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस विचाराधीन)
	सरकाघाट	भम्बला तदैव
सोलन	घर्मपुर	जौनाजी
	कुनीहार	डरलाघाट
	जगजीत नगर	पट्टा मेहलोग
	नालागढ़	रामशहर
	कुनीहार	बलेरा
किन्नोर	कल्पा	कल्पा (पंजाब नेशनल बैंक के पास लाइसेंस विचाराधीन)
	कल्पा	सांगला

1	2	
किनौर	निछार	सुंगरा (भारतीय स्टेट बैंक के पास लाइसेंस विचाराधीन)
लाहोल-स्पिति	लाहोल स्पिति	जलामान, सुमधु
हमीरपुर	नदौन	रंगस
	हमीरपुर	आबादेवी
	भोंरज	लदरौड़
कुल्लू	कुल्लू	गडसा (हिमाचल ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस विचाराधीन)
	नागर	फोजल
	बनजार	सैंज
	अन्नी	डलास
शिमला	थ्योगा	सैंज
	मथोबड़ा	डराल
	चौपाल	नेरवा
	रोड़	खडराला
	जुबल	मंधोल
कांगड़ा	भवारना	घीरा (हिमाचल ग्रामीण बैंक ने शाखा खोली है)
	लम्बा गांव	चडीहार
	डेहरा	खुंडिया
	भवारना	सुलह
	लम्बागांव	(हिमाचल ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस विचाराधीन)
	नूरपुर	भडवार
	रैत	चडी (हिमाचल ग्रामीण बैंक के पास लाइसेंस विचाराधीन)
उना	उना	हरोली
	अम्ब	नेहरियां
	दला	चुलथयानी
	वनगना	चौकी मनयार

1	2	3
बिलासपुर	सदर (बिलासपुर)	नामहोला
	घुमारविन	कुढेड़ा
	घुमारविन	हटवार
सिरमौर	सगराह	नौरा
	पछूंछड़	नाराग
	शिल्लाई	रोहात
	नाहन	कवलावाला हूड
	पौंटा	घोला कूंअन रामपुर

बम्बई के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा तस्करी की चांदी का जब्त किया जाना

621. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 5 और 6 अप्रैल 1980 को 'ए आई-नूरे' नामक घो से तस्करी की 771 सिलियाँ जब्त की थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तस्करी की इस घटना की जाँच पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस मामले में अब तक की जांच-पड़ताल से पता चलता है कि पकड़ी गई चाँदी उक्त जलयान से चोरी-छिपे दुबई ले जानी थी। इस मामले के सम्बन्ध में दस भारतीय राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया जो कर्मीदल के सदस्य थे। आगे जाँच-पड़ताल चल रही है।

रैंग स्कैंडल कोस्टिंग दि इंडस्ट्री डियर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

622. **श्री एस. एम. कृष्ण**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 मई, 1980 के 'इंडियन एक्सप्रैस' नई दिल्ली में 'रैग स्कैंडल कोस्टिग दि इंडस्ट्री डियर' शीर्षक स प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनका विचार पिछले काफी समय से चल रहे इस मामले को अन्तिम रूप से किस प्रकार निबटाने हेतु कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इण्डियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट का सम्बन्ध उन लगभग 8,5000 गाँठों से है जिनमें ऊनी चिथड़े होना कहा गया था और जिनका 1972-73 के वर्षों में आयात किया गया था। आयातित माल, चूंकि, ऐसी इस्तेमाल योग्य पोशाकें थीं जिनमें ऊन की मात्रा 50 प्रतिशत से कम थी, इसलिए आयात-लाइसेंसों के अन्तर्गत, जोकि ऊनी चिथड़ों के लिए थे, नहीं आने के कारण उन्हें जब्त कर लिया गया था। आयातकर्ताओं ने, समाहर्ता के निर्णय के खिलाफ, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष अपीलें दायर कर दीं। इसी दौरान बम्बई उच्च न्यायालय ने, एक आयातकर्ता द्वारा दायर की कई रिट याचिका पर, पार्टी

के पक्ष में निर्णय दे दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ, सरकार ने उसी उच्च न्यायालय की खंड-पीठ के समय अपील दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलय निर्णय किए जाने तक, आयातकर्ताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के समय दायर की गई अपीलों पर विचार नहीं किया जा सका। फिर भी, माल को खराब होने से बचाने और बम्बई गोदियों पर माल की भीड़-भाड़ कम करने के लिए भी, आयातकर्ताओं को यह विकल्प दिया गया था कि वे बोर्ड को दी गई अपीलें वापस ले कर माल को विकृत करने के बाद तथा इस आशय का एक वचन-बन्धपत्र भर के माल निकासित करवा सकते हैं कि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा उसके समक्ष अनिर्णीत पड़ी याचिका पर किये जाने वाले निर्णय के आधार पर यदि कोई सीमाशुल्क उदग्रहणीय पा गया तो वे (आयातकर्ता) उसकी अदायगी कर देंगे। इस आधार पर 2,5000 गाँठों से संबन्धित 18 मामलों में बोर्ड के समक्ष दायर की गई अपीलें वापस ले ली गई थीं। इनमें से, 1500 गाँठों से संबन्धित 14 मामलों में आयातकर्ताओं के अपेक्षित बंधपत्र पेश कर दिए और माल को विकृत करने के बाद छोड़ दिया गया था।

जिस मामले के संबन्ध में अपील बम्बई उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी थी, वह अन्ततोगत्वा सम्मति-शर्तों के आधार पर निपटाया गया और न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर कोई फैसला नहीं दिया गया। तदनुसार, 6000 गांठों से संबन्धित अपीलों पर, जो बोर्ड के समक्ष अनिर्णीत पड़ी थीं और जिनमें आयातकर्ताओं ने माल को विकृत करके और बंधपत्र निष्पादित करके माल निकासित करवाने के विकल्प का लाभ नहीं उठाया था, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों की बाकायदा जांच करके अभी निर्णय किया जाना है।

खेपों की हाल ही में की गई नमूना जांच से माल के इतना अधिक खराब होने का संकेत नहीं मिला, जैसा कि समाचार पत्र में कहा गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में दी गई सुविधाएं

623. **श्री आनन्द पाठक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में किन जिलों को पिछड़ा हुआ माना जाता है और उनके विकास के लिए राष्ट्रीयकृत लोगों द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन जिलों में वर्षवार, जिलेवार और बैंकवार क्या परिणाम हासिल हुए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत)। (क) पश्चिम बंगाल में 13 जिले, 'औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े' माने गए हैं। उनके नाम विवरण में दिये गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक, औद्योगित दृष्टि से पिछड़े हुए इस तरह के जिलों को जिस रूप में विशेष रियात देते हैं वह है कारीगरों, शिल्पियों और ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को दिये गये सार्वधिक ऋणों पर जिनकी अवधि 3 वर्षों से कम की न हो, और मिश्रित सावधिक ऋणों पर जो 25,000 रुपये से अधिक के न हो, रियायती ब्याज दर वसूल करना। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में इस प्रकार के ऋणों पर जो ब्याज लिया जाता है वह 9·5 प्रतिशत वार्षिक है जबकि अन्य जिलों में वह दर 11 प्रतिशत वार्षिक है।

(ख) किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास मुख्यतः परिवहन, विद्युत और संचार जैसी

आधारभूत सुविधाओं तथा कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की सुविधा और स्थानीय उद्यमकर्त्ताओं की निपुणता पर निर्भर होता है। ऋण सहायता की उपलब्धता और लागत औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में केवल सहायक भूमिका अदा करती है। परन्तु अनुबन्ध में दिये गए यथा उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि दिसम्बर, 1974 और दिसम्बर 1977 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पश्चिम बंगाल के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इन जिलों के छोटे पैमाने के अधिकाधिक उद्योगों को ऋण प्रदान किये हैं।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए ऋण की बकाया राशि।

(रकम हजार रुपये में)

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले	दिसम्बर, 1974		दिसम्बर, 1977	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
बांकुड़ा	344	2119	614	3714
वीरभूम	185	2973	727	11783
वर्दवान	748	67347	2256	52624
कूच बिहार	56	909	492	1850
दार्जिलिंग	296	15130	685	9045
हुगली	540	29342	1659	68846
जलपाइगुड़ी	125	16313	612	4120
मालदा	89	425	321	1716
मिदनापुर	515	9271	2140	19956
मुर्शिदाबाद	231	2294	2840	5984
नदिमा	910	16136	3649	24304
पुरुलिया	193	1225	601	9671
पश्चिम दिनाजपुर	675	2561	689	10851

पश्चिम बंगाल में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

624. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को अपने कुल ऋण का 33 प्रतिशत देने का निर्धारित लक्ष्य बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दिया गया है,

(ख) यदि हां तो पश्चिम बंगाल राज्य तथा शाखावार अद्यतन इस लक्ष्य को कार्यान्वित करने वाली बैंक शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इस बारे में कोई अद्यतन अध्यन किया गया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) :(क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे वर्ष 1985 तक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत तक पहुंचा दें। चूंकि यह एक समेकित अखिल भारतीय लक्ष्यों है, इसलिए बैंकों के वास्ते जिलावार/शाखावार लक्ष्यों का कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) हालां कि पश्चिम बंगाल में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए कोई शाखावार/जिलावार अध्यन नहीं किया गया है, फिर भी राज्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के स्तर से यह संकेत मिलता है कि राज्य में इन क्षेत्रों में ऋण प्रसार के लिए, बैंकों की ओर से संयुक्त रूप से कार्यवाई किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार बैंकों से कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के छोटे ऋण कत्ताओं की तथा विशेष रुप से 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभन्वितों की ऋण-आवश्यकताओं कोपूरा करने की ओर विशेष ध्यान दें तथा प्रयास करें। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा बैंकों द्वारा किये जा रहे उपायों की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में एक स्थायी कार्यकारी दल का गठन किया गया है जिसमें कि भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिम बंगाल के तीन लीड बैंकों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

पाकिस्तान के साथ लोह अयस्क का दीर्घावधि निर्यात समझौता

625. श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के साथ लोह अयस्क का दीर्घावधि आयात समझौता करने के लिए तीन सदस्यों वाले एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने मई, 1980 में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, और यदि हां तो मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) सितम्बर, 1980 से आरम्भ होकर मार्च 1987 तक 7 वर्षों की अवधि में 1.93 मिलियन मे० टन लौह अयस्क की सप्लाई के लिये पाकिस्तान स्टील मिल्स कारपोरेशन के साथ 21, मई 1980 को एक दीर्घावधि करार किया गया।

पश्चिम बंगाल के खड़गपुर नगर का दर्जा बढ़ाया जाना

626. श्री वसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर को बी 2 नगर के रुप में घोषति करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : किसी नगर में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता की मंजूरी के प्रयोजन के लिए 1971 की जनगणना के अनुसार, उस नगर का बी 2 श्रेणी के रूप में वर्गीकरण किये जाने के लिए उसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए। चूंकि 1971 की जनणना के अनुसार खड़गपुर की जनसंख्या केवल 61, 783 थी अतः यह बी-2 श्रेणी के नगर के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र नहीं है।

तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि ऐसे नगरों के मामले में जो जनसंख्या के मानदण्ड के आधार पर प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मंजूरी के लिए पात्र नहीं हैं लेकिन कुछ कारणों की वजह से असमान्य रूप से मंहगें हैं उनके मासले पर गुणावगुण के अधार पर प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की मजूरी के लिए विचार किया जाये। इस सिफारिश के अनुसार खड़गपुर के मामले पर भी विचार किया गया परन्तु राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) में कर्मचारी पक्ष से परामर्श करके अपनायी गयी शर्तों के अनुसार वह प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मंजूर किये जाने के लिए पात्र नहीं है।

पश्चिम बंगाल के जिलों में लीड बैंक

627. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के जिले के लीड बैंको के जिलेवार नाम क्या हैं;

(ख) लीड बैंकों द्वारा अब तक जिलेवार किये गये औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन लीड बैंकों द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के अधार पर इन जिलों में, जिलेवार लीड बैंकों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) : पश्चिम बंगाल के लीड बैंकों के नाम तथा उनमें से प्रत्येक बैंक को नियत किये गए जिलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

लीड बैंक का नाम	नियत किये गए जिलों के नाम
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1. कूच बिहार
	2. दार्जिलिंग
	3. जलपाईगुड़ी
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	1. बीरभूम
	2. बर्दवान
	3. हावड़ा
	4. हुगली
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1. कांकुड़ा
	2. मालदा
	3. मिदनापुर
	4. मुर्शिद बाद
	5. नादिया
	6. पुरुलिया
	7. 24 परगना (उत्तर)
	8. 24 परगना (दक्षिण
	9. पश्चिम दिनाजपुर

(ख) और (ग) हालां कि लीड बैंकों ने 1980-82 की अवधि के लिए जिला ऋण

आयोजनाएं तैयार करते समय अपने लीड जिलों का कोई विशिष्ट औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण नहीं किया है तथापि उन्होंने अपने लीड जिलों में कुल मिला कर आर्थिक, औद्योगिक और समाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक ऋण सहायता देने की संभावना का मूल्यांकन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में वर्ष 1980 के लिए कार्रवाई की योजनाएं तैयार की गई हैं और पश्चिम बगाल के सभी जिलों में उन्हें कार्यान्वित करने का काम हाथ में लिया गया है। इन आयोजनाओं से मोटे तौर पर विभिन्न योजनाओं क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि से संबंधित कार्यकलापों छोटे पैमाने के उद्योगों और तृतीयक (टथियरी) क्षेत्रों के लिए बैंकों के प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों का पता चलता है प्रत्येक जिले में कार्रवाई की इन आयोजनाओं को कार्यन्वयन के लिए विभिन्न सहभागी संस्थाओं को आवंटित कर दिया गया है।

बैंक की लाभप्रदता में कमी

628. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि भारत में बैंकों की लाभप्रदता में शनैः शनैः कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) हालांकि भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों सहित 22 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लाभ वर्ष 1975 में 30·71 करोड़ रुपये से बढ़कर 1978 में 38·55 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन कुल कार्यकारी निधियों की प्रतिशत के रुप में होने वाले लाभ में कुछ कमी आई है।

(ख) बैंकों की लाभार्जकता में होने वाली कमी के कारणों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक ऋण दिया जाना, अन्य सामाजिक आर्थिक दायित्वों का निभाना, ब्याज दर ढाचे पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियन्त्रण तथा कर्मचारियों तथा अधिकारियों के संघों (यूनियनों) के बीच समझौते के फलस्वरूप प्राशसनिक खर्चे में बढ़ोत्तरी आदि को माना जा सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों से लाभार्जकता के पहलुओं पर विचार विमर्श करता रहा है। बैंकों से अपने ऊपर के तथा प्रशासनिक खर्चे में अधिकतम कमी करके, परिचालन लागत पर नियंत्रण करने को कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा जा रहा है कि वे अपने कर्मचारियों के सभी स्तरों पर लागत के प्रति जागरुकता की भावना पैदा करें।

जनता और मध्यम श्रेणी के होटल खोलना

629. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :

श्री जर्नादन पुजारी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अन्य महानगरों तथा पर्यटक स्थलों में अशोक यात्री निवास जैसे और अधिक जनता होटल तथा राजधानी में खोले जाने वाले कनिष्क जैसे मध्यम श्रेणी के होटल खोलने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित होटलों का ब्योरा क्या है तथा उन्हें किन नगरों में बनाया जायेगा; और

(ग) उक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रस्तावित होटलों के पूरा होने तथा चालू होने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) दिल्ली परियोजना के 2-3 वर्षों के परिचालन के परिणामों से सरकार के संतुष्ट होने के पश्चात् ही अन्य स्थानों पर अशोक यात्री निवास की तरह की परियोजनाओं का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। जहां तक अन्य स्थानों पर कनिष्क जैसे होटलों का निर्माण करने का संबंध है, पंचवर्षीय योजना अवधि 1978-83 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का गोहाटी, चण्डीगढ़ बम्बई, गुलमर्ग, आगरा, भोपाल, गोआ, अहमदाबाद और पुरी में नये होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि धन राशि उपलब्ध हो।

उपर्युक्त परियोजनाएं भारत पर्यटन विकास निगम की होटल विस्तार योजना के अलावा होंगी।

जापान से आने वाले बौध यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु होटल कार्पोरेशन आफ इन्डिया का, जो एयर इन्डिया की एक सहायक संस्था है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में और बिहार में राजगीर में जापानी ढंग की सराएं स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें 3-स्टार स्टैण्डर्ड की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में मंजूर की गई धन राशि

630. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में लघु एककों के विकास तथा अन्य प्रयोजनों के लिए, प्रयोजन वार, कुल कितनी धन राशि दी गई है/मंजूर की गई हैं; और

(ख) उन एककों के नाम क्या हैं और उनको कितनी धन राशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) रिजर्व बैंक की सांख्यकीय रिर्पोटिंग प्रणाली द्वारा उस रूप में आकड़े प्राप्त नहीं होते जिस रूप में यह मांगे गए हैं। दिसम्बर, 1974 से दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान, बर्दवान जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग खुदरा व्यापार तथा सेवा (सर्विसेज) क्षेत्रों को, जो कि मोटे तौर पर लघु क्षेत्र ही माने जा सकते हैं, क्षेत्रवार, ऋण प्रसार की बकाया राशि के बारे में उपलब्ध आँकड़े विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि का क्षेत्रवार वितरण।

(हजार रुपयों में)

क्रम संख्या	मद	दिसम्बर, 1974	दिसम्बर, 1977
	कुल ऋण		
	जिसमें से	115929	1529461

1.	कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता	19445	47410
2.	कृषि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता	1487	4743
3.	छोटे पैमाने के उद्योग	67347	52624
4.	खुदरा व्यापार	9478	13705
5.	सेवाएं (सर्विसेज)	3327	4977

निर्यात आय

631. **श्री के. ए. राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 से 1976-77 में भारत की कुल कितनी निर्यात आय थी; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक बड़े भारतीय पत्तन से कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) गत चार वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों (जिसमें पुनर्निर्यात शामिल हैं) का मूल्य निम्नोक्त प्रकार है :

वर्ष	रु० (करोड़ में)
1976-77	5142·25
1977-78	5404·26
1978-79	5726·26
1979-80 (अनन्तिम)	5998·64*

*(अनन्तिम) और पूरक विवरणिका प्राप्त होने पर इसमें उर्ध्वमुखी संशोधन हो सकता है।

(ख) मुख्य मुद्री पत्तनों द्वारा किये गए निर्यातों का मूल्य

रु० (करोड़ में)

मुख्य समुद्री पत्तन	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80 (अनन्तिम)
बम्बई	1471	1388	1521	1906
कलकत्ता	762	975	727	634
मद्रास	394	388	415	404
कोचीन	434	556	428	552
मोरमूगांव	150	117	117	179
पारादीप	97	71	59	57
विशाखापत्तनम	196	162	211	181
कांडला	38	44	70	71

कर्नाटक में काजू उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की ओर से वित्तीय सहायता

632. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कर्नाटक में काजू उत्पादन के वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्याज तथा करार की अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हां। विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने पाँच वर्षों की अवधि में कर्नाटक तथा तीन अन्य राज्यों में काजू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 2.20 करोड़ डालर (18.2 करोड़ रुपए) की सहायता देने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त सहायता पर ब्याज नहीं पड़ता है तथा उस पर एक प्रतिशत के $\frac{3}{4}$ के हिसाब से केवल सेवा प्रभार देना पड़ता है तथा उसकी वापसी अदायगी दस वर्षों की आरम्भिक रियायती अवधि सहित 50 वर्षों के अन्दर-अन्दर की जाती है।

ऋण की राशि में से 1.37 करोड़ अमेरिकी डालर (11.34 करोड़ रुपए) की रकम कृषि पनुर्वित्त तथा विकास निगम को 9 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत पर तथा 9 से 15 वर्षों की अवधि के लिए 6.5 प्रतिशत की दर से उधार दे दी जाएगी। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम योजना में भाग लेने वाले बैंकों के जरिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा उड़ीसा राज्यों में काजू उत्पादकों को दिए जाने वाले ऋणों के पुनर्वित्त के लिए 70 लाख डालर (579 करोड़ रुपए) की राशि इन चार राज्यों में राज्यों के निगमों के माध्यम से और किसानों की आर्थिक सहायता के द्वारा काजू के बागवानों के संवर्धन के लिए है। इस रकम में संवितरित सहायता की 70 प्रतिशत राशि जो संबंधित राज्य सरकारों को द्वारा अपने-अपने बजट साधनों में से किए गए खर्चों के लिए थी, उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के सबंध में निर्धारित मानक प्रतिमानों के अनुसार दे दी जाएगी। शेष 13 लाख डालर (1.07 करोड़ रुपए) की राशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा काजू संबंधी अनुसंधान और अध्ययन के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

इस परियोजना का क्षेत्र 61000 हैक्टेयर होगा जिसमें नए बागान लगाना और मौजूदा बागानों का सुधार शामिल है। इस ऋण की अन्य शर्तों में कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा इस योजना में भाग लेने वाले बैंकों को तथा इन बैंकों द्वारा आगे अन्तिम ऋणकर्ताओं को ऋण देने की मानक शर्तें शामिल हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैं :

(i) एक समन्वय समिति की स्थापना जिसमें परियोजना वाले चार राज्यों की सरकारों कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा काजू निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे, यह समिति परियोजना के कार्यान्वयन का परिवीक्षण तथा समन्वय करने, वार्षिक कार्य को समेकित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को प्रगति रिपोर्ट भेजने का कार्य करेगी।

(ii) काजू उद्योग के संगठनात्मक ढांचे में सुधार करने के लिए अध्ययन करना;

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अनुसंधान कार्यक्रम को अन्तिम रूप देना;

(iv) किसानों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना जिसमें भारत सरकार तथा नए काजू बागान लगाने की परियोजना वाले राज्यों का बराबर-बराबर हिस्सा होगा। आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाकट राज्य भी काजू सुधार कार्यक्रम शुरू करने वाले किसानों को लागत के लगभग 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देंगे। परन्तु आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 900 रुपए या प्रति हैक्टेयर लागत का 25 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु एककों के विकास हेतु आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र के लिये दी गई धनराशि

633. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में, वर्षवार और श्रेणीवार, लघु एककों के विकास हेतु आसनसोल, दुर्गापुर क्षेत्र के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत : आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अग्रिमों के वितरण के सम्बन्ध में इस प्रकार क्षेत्रवार सूचना इकट्ठी करने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन, पश्चिम बंगाल में जून, 1979 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए अग्रिमों की बकाया राशि

निम्नलिखित अवधि के अंत में	एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
दिसम्बर, 1976	29345	100.10
दिसम्बर, 1977	37511	118.53
दिसम्बर, 1978	43591	152.13
जून, 1979	46488	174.24

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जिलावार अग्रिमों की दिसम्बर 1977 तक की सूचना भी उपलब्ध है। बर्दवान जिला में इन बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योग को दिसम्बर 1974 और दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति अर्थात तीन वर्षों की अवधि में दिये गए अग्रिमों के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

बर्दवान जिला में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गए अग्रिमों की बकाया राशियां

	खातों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपए)
दिसम्बर, 1974	748	673.5
दिसम्बर, 1977	2256	526.2

रबड़ आयात सम्बन्धी नीति

634. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार से रबड़ आयात सम्बन्धी अपनी नीति का पुनरीक्षण करने के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : रबड़ आयात सम्बन्धी वर्तमान नीति की समीक्षा के लिये रबड़ विनिर्माताओं की संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का विनिश्चय किया गया है।

विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल

635. **श्री चन्द्रपाल सैलानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जनवरी, 1980 से 31 मई, 1980 तक कितने प्रतिनिधि मंडल तथा शिष्टमंडल विदेश भेजे गए थे;

(ख) इन प्रतिनिधिमंडलों में सम्मिलित सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम क्या है ;

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल पर विदेशी मुद्रा और रुपयों के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल का, अलग अलग प्रयोजन क्या था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेलों का उत्पादन

636. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष (1980) की प्रथम तिमाही में खाद्य तेलों का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां तो इस अवधि के दौरान हुए उत्पादन का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मद का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

नागरिक पूर्ति मंत्री (विद्याचरण शुक्ल) : (क) व (ख) : यद्यपि, 1980 की प्रथम तिमाही के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, यह बात सही है कि वर्ष 1979-80 के दौरान तिलहनों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और मौजूदा अनुमान के अनुसार इसके पूर्वगत वर्ष के स्तर से 7.10 प्रतिशत कम होने की संभावना है। गत वर्ष इनका उत्पादन 90 लाख मीटरी टन से थोड़ा अधिक था। तदनुरुप, खाद्य तेलों के उत्पादन में भी कमी हुई है।

(ग) देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने खाद्य तिलहनों का

उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय किये हैं, जिनमें लिम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

1. सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में उन्नत प्रोद्योगिकी का तेजी से विस्तार करके प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना;

2. नयी सिंचाई परियोजनाओं के कमांड के अन्तर्गत उपलब्ध क्षमता उपयोग करके इन फसलों के अन्तर्गत अधिक सिंचित क्षेत्र लाना ;

3. अन्तर्वर्ती फसल और मध्यवर्ती फसल के माध्यम से अल्पावधि किस्म की फसलों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना ;

4. प्रमाणित बीजों की सप्लाई बढ़ाकर बीज-उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत बनाना;

5. बहुत बड़े क्षेत्रों में पांच संरक्षण उपायों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना;

6. प्रमाणित बीजों की लागत और पौध संरक्षण उपायों के आर्थिक सहायता प्रदान करना;

7. अनुसंधान प्रयोसों में तेजी लाना;

8. सूरजमुखी, सोयाबीन और आयल पाम जैसे गैर-पारम्परिक तिलहनों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना;

9. समर्थन मूल्य नियत करना और समर्थन मूल्य के स्तरों से मूल्य नीचे गिरने की दशा में उस उत्पाद की खरीद करने की व्यवस्था करना।

1980–81 के चालू वर्ष के दौरान तिलहनों के उत्पादन में विशेष वृद्धि लाने के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यवाही-योजना कार्यान्वित की जा रही है।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में 'निर्यात' की परिभाषा को उदार बनाने का प्रस्ताव

637. **श्रीमती गीता मुखर्जी** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में 'निर्यात' की परिभाषा को उदार बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पर्यटन स्थलों/केन्द्रों का प्रचार

638. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में पर्यटन स्थलों के प्रचार पर कितनी धनराशि व्यय की जाती है :

(ख) किन-किन पर्यटन केन्द्रों के संबंध में विदेशों में अधिक प्रचार किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि प्रचार के संबंध में पश्चिम बंगाल के पर्यटन केन्द्रों की उपेक्षा

की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल स्थित केन्द्रों का विदेशों में समुचित प्रचार करने के लिये कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पर्यटन विभाग ने 1979-80 के दौरान विदेशों में स्थित अपने कार्यालयों द्वारा विश्व-भर में किए गये प्रचार तथा संवर्धन कार्य पर 168.54 लाख रुपये खर्च किए। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग ने भारत में प्रचार एवं प्रकाशन कार्यक्रम पर कुल 77.83 लाख रुपये खर्च किए। इनमें प्रचार साहित्य का प्रकाशन, फिल्में, फोटोग्राफ तथा पारदर्शी चित्र, मेले तथा प्रदर्शनियां, प्रदर्शन आदि शामिल हैं।

(ख) पर्यटन विभाग के प्रचार अभियान भारत को उसकी समग्रता के साथ एक बड़े पर्यटन गन्तव्य के रूप में चित्रित करते हैं। इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों का प्रचार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण एकक

639. **श्री डी. पी. जदेजा :**

श्री अमरसिंह वी. राठवा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण एककों के नाम क्या है;

(ख) उनके रुग्ण होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्यम को रुग्ण एकक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। सभा पटल पर रखी गई सरकारी उद्यम कार्यालय की पिछली रिपोर्ट में उल्लिखित 156 चालू उद्यमों में से 90 उद्यमों ने लाभ कमाया है या वे न लाभ न हानि की स्थिति में हैं। किन्तु कुछ उद्यमों में घाटा रहा है। पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से घाटा उठाने वाले उद्यमों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन घाटा उठाने वाले कुछ उद्यमों, जैसे ब्रेथवेट एन्ड कम्पनी, बर्न स्टेन्डर्ड बीको लारी, नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम टेनरी एन्ड फुटवियर कोरपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड आदि को निजी क्षेत्र से अधिग्रहीत किया गया था उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। कुछ उद्यम, जैसे कोल इन्डिया लि० भारत गोल्ड माइन्स लि० और दिल्ली परिवहन निगम आदि सरकार द्वारा एक निश्चित स्तर पर उनके मूल्य जो कि अलाभकर हैं, कोलित किए जाने सबन्धी प्रबुद्ध निर्णय के कारण घाटा उठा रहे हैं। क्षमता का कम उपयोग अवस्थापना सम्बन्धी समस्याएं, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, आर्डरों की कमी आदि कुछ ऐसी अन्य बातें हैं जिनके कारण सूची में उल्लिखित अन्य उद्यमों को घाटा उठाना पड़ रहा है।

(ग) प्रशासनिक मन्त्रालयों और सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा इन उद्योगों के कार्या निष्पादन का निरन्तर परवीक्षण किया जा रहा है, ताकि घाटे के कारणों का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर करने के सदुपाय किये जा सकें। घाटा उठा रहे इन एककों में से एक एक कारखाने का अध्यन करने तथा उनकी समस्याओं पर काबू पाने सम्बन्धी उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

गत पांच वर्ष से घाटा उठाने वाले उद्यमों की सूची

क्रम सं०	उद्यम का नाम
1.	भारत अल्यूमिनियम कं० लि०।
2.	भारत गोल्ड माइन्स लि०।
3-	भारत रिफ्रेक्टरोज लि०।
4.	फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि०।
5.	भारतीय उर्वरक निगम लि०।
6.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०।
7.	भारत हैवी प्लेटस एन्ड वैसल्स लि०।
8.	ब्रेथवेट एन्ड कम्पनी (इन्डिया) लि०।
9.	बर्न स्टेण्डर्ड लि०।
10.	भारत पम्पस् एन्ड कम्प्रेसर्स लि०।
11.	बीको लारी लि०।
12.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम।
13.	स्कूटर्स इन्डिया लि०।
14·	भारत आपथामिल्क ग्लास लि.
15.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.।
16.	टेनरी एन्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि.
17.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
18.	कोल इन्डिया लि.।
19.	दिल्ली परिवहन निगम।
20.	नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा

640. श्री रतीलाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामान्यतया घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या गैर सरकारी क्षेत्र में बिरला और टाटा की बड़ी कम्पनियाँ प्रति वर्ष मुनाफा कमा रही हैं; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं जबकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कार्यरत व्यक्ति विशेषज्ञ और कुशल नहीं हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) यह सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सामान्यता घाटे में चल रहे हैं। 1978-79 के दौरान 195 चालू उद्यमों में से 90 उद्यमी को लाभ कमाया है या न लाभ न हानि की स्थिति में रहे हैं, जैसाकि सरकारी उद्यम सर्वेक्षण 1978-79 में सूचित किया गया है जिसे दिनांक 12 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) यह सच नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की सभी कम्पनियां हर वर्ष लाभ अर्जित करती है। उनमें से कई कम्पनियों ने हाल ही में घाटा उठाया है हाल ही में घाटा उठाने वाली कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है इनमें टाटा और बिरला समूह की कम्पनियां भी शामिल हैं

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विवरण

हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र को घाटा उठाने वाली कम्पनियों की सूची।

1. चौगुले स्टमशिप्स लि.
2. कोहिनूर मिल्स लि.
3. ई. आइ. डी. पेरो
4. बिन्नी लि.
5. रोहतास इण्डस्ट्रीज
6. अपोली टायर्स लि·
7. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लि.

टाटा समूह

8. इण्डियन कं. लि.

बिरला समूह

9. बेली जूट कं. लि.
10. नेशनल पाइप्स एन्ड ट्यूब्स क लि.
11. नेशलन रोलिंग एन्ड स्टील रोप्स लि
12. न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि.
13. रामेश्वर जूट मिल्स लि.
14. सीमा प्लम्बिग फिक्सचर्स लि.

निजी व्यापारियों द्वारा कच्चे काजू का आयत

641. श्री ई० बालानन्दन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी व्यापारियों को विदेशों से कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मानदन्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस अनुमति को वापस लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत में प्रोसेसिंग के लिए तथा पुनर्निर्यात के लिए कच्चे काजू की सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसी शर्तों पर जो प्रत्येक मामले में निर्धारित की जायें, गुणावगुण के आधार पर सीमित मात्रा में कच्चे काजू के सीधे आयात की अनुमति दी गई है।

(ग) तथा (घ) जी हां। केरल सरकार के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उस राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि कच्चे काजू की अतिरिक्त उपलब्धता से रोजगार की स्थिति में सुधार होगा, प्रोसेसिंग क्षमता का अधिक उपयोग होगा तथा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

सरकारी क्षेत्र एककों का प्रबन्ध गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा संभाला जाना

642. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष ने यह कहा है कि गैर सरकारी क्षेत्र उन सरकारी क्षेत्र के एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने को तैयार है जिनका प्रबन्ध दोषपूर्ण है; और

(ख) यदि हाँ, तो संघ द्वारा दिए गए सुझाव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय जनवरी, 1980 में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्डल संघ के अध्यक्ष द्वारा प्रकाशित "अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी न्यूनतम कार्यक्रम (ए मिनिमम प्रोग्राम आफ इकोनोमिक एक्शन)" के अन्तर्गत की गई टिप्पणी से है। किसी सरकारी क्षेत्र के उद्यम का प्रबन्ध गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा संभाले जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं रखा गया है।

(ख) बहरहाल सरकारी क्षेत्र के एककों का प्रबन्ध किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम के प्रबन्ध में संकटग्रस्त कपड़ा एककों को अपने नियंत्रण में लेने का महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया जाना

643. **श्री आर० के० महालगी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित और संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दी जाए, यदि हां तो कब;

(ख) राज्य सरकार ने अपनी मांग के समर्थन में क्या तर्क दिये थे;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) भारत सरकार को 3 मिलों अर्थात पुलगांव काटन मिल्स, वेस्टर्न इन्डिया स्पिनिंग एन्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० और विजय मैन्युफैक्चरिंग कं० का राज्य सरकार के पक्ष में राष्ट्रीयकरण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने इन मिलों के राष्ट्रीयकरण का आग्रह इस आधार पर किया है कि राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम द्वारा इन मिलों को नियंत्रण में लेने के बाद पुनः चालू करने तथा पुनः सुदृढ़ स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त निवेश किए गये हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि इस स्तर पर एकक के स्वामित्व में परिवर्तन किया गया तो इससे राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निविष्ट पूँजी तथा उपक्रम के भविष्य की सुरक्षा के बारे में परिहार्य अनिश्चतता उत्पन्न होगी।

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर रुग्ण वस्त्र एककों को नियंत्रण में लिये जाने तथा उनके राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित समग्र नीति के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा राज्य में जनता होटल

644. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में और अधिक जनता होटलों का निर्माण करने संबन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पयटन और नागर विमानन मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, इस तरह के होटलों को स्थापित करने सम्बन्धी संपूर्ण नीति पर सरकार विचार कर रही है।

अनुसूचित बैंकों के ऋणों में विस्तार

645. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पिछले वर्ष की सीमा में ऋण का विस्तार करने संबन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने के बावजूद पिछले साढ़े छह महीनों से ऋणों का अत्याधिक विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इन तथ्यों की तुलना करते समय सरकार का इस सम्बन्ध में अनुसूचित बैंकों के व्यवहार पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि ऋणों के इस विस्तार से औद्योगिक एककों को व्यापार में अर्जित करने में सहायता मिली है; और

(च) क्या इसी अवधि में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि हुई है; इसका ब्यौरा क्या है ;

वित्त मत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) : रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 16 नवम्बर, 1979 से 23 मई, 1980 की अवधि के दौरान, कुल शुद्ध बैंक

ऋण की वृद्धि में गिरावट आयी है क्योंकि पिछले वर्ष 1862 करोड़ रुपये (11·1 प्रतिशत) के प्रसार की तुलना में, उक्त अवधि में प्रसार 1424 करोड़ रुपये (7 प्रतिशत) का ही रहा।

(ग) बैंकों से कहा गया है वे उन व्यापारियों तथा निर्माताओं को जो कि महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ माल काम में लाते हैं, दिये जाने वाले ऋणों पर कड़ा अंकुश लगायें ताकि जमाखोरों तथा मुनाफाखोरी को रोका जा सके।

(घ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋणों के बारे में मार्च, 1980 के अंत तक की सूचना उपलब्ध है। मार्च, 1980 को समाप्त होने वाली 5 महीने की अवधि के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों में 673 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसमें कि कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों में 265 करोड़ रुपये, छोटे पैमाने के क्षेत्र को दिए गए 265 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए 143 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है।

पीअरलैस इन्सोरेन्स एण्ड इन्वेस्टमैन्ट कम्पनी लिमिटेड

646. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पीयरलैस इन्सोरेन्स एण्ड इन्वेस्मैन्ट कम्पनी लिमिटेड ने राष्ट्रीयकृत बैंकों/रिजर्व बैंक में अपनी दायिता की 80 प्रतिशत धनराशि जमा की है;

(ख) इस कम्पनी से व्यक्तिओं द्वारा कितनी पालिसियां ली गई हैं;

(ग) क्या सरकार इन बहुत सारे लोगों के हित का ध्यान रख रही है और क्या इन लोगों द्वारा जमा करवाया गया धन सुरक्षित है; और

(घ) इस कम्पनी पर सरकार का किस प्रकार का नियन्त्रण है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पीयरलैस इन्सोरैन्स एण्ड इनवैस्मैंट कम्पनी लिमिटेड कोई कम्पनी नहीं है। सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय पीयरलैस जनरल फाइनैंस एण्ड इनवैस्मेंट कम्पनी लिमिटेड से है। इस कम्पनी के प्रकाशित तुलन पत्र के मुताबिक 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों, यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीकृत बैंकों के पास सावंधिक जमा राशियों में इसका निवेश 44·45 करोड़ रुपये का है जबकि इसकी प्रकट की गई देनदारियां 42·08 करोड़ रुपये की हैं। वर्ष 1979 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा इस कम्पनी से लिए गए प्रमाण पत्रों की कुल संख्या लगभग 49·12 लाख बताई गई है।

(ग) और (घ) इस कम्पनी द्वारा स्वीकृत की गई जमा राशियां प्रतिभूति रहित हैं और जमा कर्त्ता अन्य प्रतिभूति रहित ऋणदाताओं के समकक्ष ठहरते हैं। इनामी चिटें और धन परिचालन योजनायें (प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 के बनने से पूर्व वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों की जमाराशियां स्वीकृत करने की गतिविधियों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों द्वारा शासित किया जाता था। अन्य बातों के साथ साथ, इन निदेशों में यह प्रावधान है कि कोई कम्पनी अधिक से अधिक कितनी जमाराशि स्वीकार कर सकती है और जमाराशियां मांगने के लिए किस ढंग से विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक

अपने निदेशों का उल्लघंन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है लेकिन सरकार को या रिजर्व बैंक को जमाराशियों को वापस करने और/अथवा उन पर ब्याज की अदायगी करने के लिए बाकीदार कम्पनियों को मजबूर करने का कोई सांविधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जमाराशियों की स्वीकृत जमाकर्त्ताओं और सम्बन्ध कम्पनियों के बीच एक करार है और करार तोड़ने के मामले में आवश्यक निराकरण को न्यायालय से प्राप्त किया जा सकता है।

इनामी चिटें और धन परिचालन योजनायें (प्रतिषेध) अधिनियम, 1976 के बनने से, राज्य सरकारों को इस अधिनियम को प्रशासित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तगत, इनामी चिटों वाली कम्पनियों के प्रवर्तकों को अपनी चालू योजनायें बन्द करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया था। इस प्रयोजन के लिए, प्रवर्त्तकों को ब्यौरे और योजनओं को बन्द करने के विवरण सम्बन्द्ध राज्य सरकारों को अनुमति के लिए प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये निमयों के अनुसार पश्चिम बगाल सरकार ने इस कम्पनी को 10 सितम्बर 1979 को एक नोटिस दिया है कि कंपनी ने दावा किया कि इसका कारोबार इस अधिनियम के अधीन नहीं आता और उसने कलकत्ता उच्चन्यायालय में संघ सरकार, राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के विरुद्ध याचिका दायर कर दी और स्थगन आदेश (स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया। यह मामला अभी तक न्यायाधीन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में "थर्ड लेवल एयर सर्विस

647. **श्री पी. ए. संगमा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में "थर्ड लेवल एयर सर्विसिज" शुरू करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस प्रस्तावित व्यवस्था में "वैस्ट गारो हिल्स" के जिला मुख्यालय शुरू को सम्मिलित करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उत्तर-पूर्वी तथा अन्य क्षेत्रों में तीसरी वायु सेवाए चालू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तुरा को प्रस्तावित तीसरी वायु सेवा के मार्ग-तन्त्र में सम्मिलित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम दरों में कमी

648. **श्री के पी. सिंह देव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि : (क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने दावा किया है कि प्रीमियम की दरों को 8 से 23 प्रतिशत कम कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन निगम के एजेन्टस फेडरेशन ने इसका खंडन किया है और दावा किया है कि वस्तुतः कुछ मामलों में प्रीमियम की दर 4.5 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ पालिसियाँ वापस ले ली गई हैं जो पालिसीधारियों के लाभ में थीं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या है और क्या सरकार उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में बताये गए तर्क को स्वीकार करती है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) : भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रीमियमों में संशोधन के परिणाम स्वरूप पहली अप्रैल 1980 से प्रीमियम की दरों में जो कटौती/वृद्धि की है, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	योजना	कटौती	वृद्धि
	लाभ सहित		
(I)	आजीवन और आजीवन सीमित अदायगी	8% से 31%	—
(II)	बंदोबस्त	9% से 17%	—
	लाभ सहित		
(I)	आजीवन और आजीवन सीमित अदायगी	23% तक	—
(II)	बंदोबस्त	5% तक	—
(III)	मनी बैंक	—	5.80% तक

जीवन बीमा निगम ने इस समीक्षा से लाभ उठाते हुए कुछ योजनाएं बन्द भी कर दी। अत्यन्त सीमित बिक्री को देखते हुए गृहलक्ष्मी पालिसी और शताब्दी पालिसी बन्द कर दी गई और प्रत्याशि बन्दोबस्त पालिसी भी बन्द कर दी गई ताकि मनी बैंक प्लान के साथ इसकी व्यर्थ होड़ से बचा जा सके।

पारादीप में पत्तन पर आधारित इस्पात संयंत्र

649. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या इस्पात और खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप में पत्तन पर आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्र का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : इस्पात उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने के लिए समय विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में सरकार बन्दरगाह पर इस्पात का एक नया कारखाना, जिसकी अन्ततः क्षमता 30 लाख टन वार्षिक होगी, लगाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इस बारे में जिन सम्भाव्य स्थानों पर विचार किया जा रहा है उनमें पारादीप भी एक है। विदेशी पार्टियों के साथ, जिन्होंने इस बारे में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता की पेशकश की है, हुई बातचीत के फलस्वरूप दो ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

त्रिपुरा के छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा लिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालना

650. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा भिन्न भिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक से लिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिये सरकार का कोई निर्णय है;

(ख) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय सरकार के पास उठाया है और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत : (क) से (ग) : जी नहीं। वाणिज्यिक बैंकों की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके अन्तर्गत ऋणों पर देय ब्याज से छूट दी जाय या ऋणों को बट्टे खाते डाला जाये, क्यों कि इससे बैंकों की लाभर्जकता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है तथा यह बैंकों के जमाक्ताओं के हितों के विरुद्ध है। अलबत्ता, वर्ष 1979 में उन क्षेत्रों में जहाँ पर सूखा पड़ जाने के कारण फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुँचाहै, छोटे/सीमांतिक किसानों और कृषक मजदूरों को दिये गये खरीफ ऋणों पर देय ब्याज से छूट देने के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है बैंकों द्वारा, इस प्रयोजन के लिए किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा की जायेगी। प्रतिकूल रुप से यदि ऋणकर्त्ताओं की वापसी अदायगी की क्षमता बाढ़ सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होती है, तो बैंक वापसी अदायगी अवधि बढ़ाने/ अल्पकालिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में परिवर्तित करने की इजाजत देते हैं .

ऐसे बाकीदारों के बारे में जिन्होंने जानबूझ कर बाकीदार नहीं की है एक और जिन पर सहकारी ऋण बकाया है उन्हें छूट देने के लिए सरकार को फरवरी, 1980 में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अधीन कृषि परिचालनों के लिए, सरकारी समितियों द्वारा अपने ऋणकर्त्ता सदस्यों को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डाला जा सके।

"इण्डियन एयरलाइन्स" और "एयर इन्डिया" में निदेशक मण्डल का न होना

651. **श्री नवीन रवाणी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1980 में पुराने बोर्डो के समाप्त होने के बाद से "इन्डियन एयरलाइन्स" और "एयर इन्डिया" में ठीक ठीक किसी अवधि तक (तारीख वार) निदेशक मण्डल नहीं रहे;

(ख) इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण थे;

(ग) हवाई सेवा के कार्य क्षेत्र में "एयर इन्डियन" के नए नियुक्त (चेयर मैन) का अनुभव क्या है इसी प्रकार "इन्डियन एयरलाइन्स" के नए नियुक्त "चेयरमैन" श्री ए. एच. मेहता तीन वर्ष पहले "इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन" से किन परिस्थितियों में सेवा निवृत्त हुए थे ; और

(घ) इन बोर्डो में सदस्यों की नियुक्त के लिए क्या मानक अपनाए जाते हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया विचाराधीन अवधि के दौरान कभी भी निदेशक मंडल के बगैर नहीं रहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एयर इंडिया के नव नियुक्त अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक का प्रबंध के क्षेत्र में जिसमें वित्तीय प्रशासन भी सम्मिलित है, काफी अनुभव है । इंडियन एयरलाइन्स वर्तमान अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक सामान्यत: 1976 में अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेते परन्तु उनकी सेवावधि बढ़ाने के बाद वे अंतत: 11.6.77 को सेवा निवृत्त हुए ।

(ग) वायु निगम अधिनियम 1953 में दोनों कारपोरेशनों के निदेशक मंडलों के सदस्यों को नियुक्ति के बारे कोई कसौटी निर्धारित नहीं की गयी है तथापि, सरकार एयर इंडिया तथा अथवा इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल में किसी विशेष सदस्य को सम्मिलित करने का निर्णय करने से पहले उसके अनुभव तथा उपयुक्तता सहित कई पहलुओं पर विचार करती है।

राज्य व्यापार निगम की औषधियों तथा रसायनों की खेपों की चोरी

652. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम की औषधियों तथा रसायनों की खेपों को गोदी-चोरों द्वारा हाल में चुराया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार चुरायी गयी खेपों का पूरा ब्यौरा क्या है और इससे अनुमानत: कितनी हानि हुई ; और

(ग) ऐसी हानि को पुन: न होने देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम के एक अनुषंगी भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम द्वारा आयातित औषधियाँ निकासी अधीन जहाजी मालघाट क्षेत्र में पत्तन न्यास भण्डारगारों में होने के दौरान उनकी कभी कभी चोरियाँ हुई जैसे कि नीचे उल्लिखित है :

	मात्रा (मे० टन)
विट बी6	3. 520
क्लोरमफेनिकाल पाल्मीटेट	0. 250
टैट्रासाइकलीन एच. सी. एल, बेस	4. 700
कैलसियम डी पैन्टोथिनेट	0. 110
सल्फामैथाक्साजाल	4. 750
स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट	1. 250

उपरोक्त मात्राओं का कुल मूल्य अनुमानत: 44. 14 लाख रू० लगाया है । सभी आयातित खेपें विभिन्न जोखिमों, जिनमें मार्ग चोरी भी शामिल हैं, के लिये बीमाकृत होती हैं । निगम इस प्रकार की हानियों की राशि बीमा कम्पनियों से वसूल करेगा ।

(ग) निगम ने इस प्रकार की हानियों को न्यूनतम करने के लिये विभिन्न निवारण उपाय किये हैं । पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी सतर्कता को सुदृढ़ बनाए तथा विशेषत: निकासी के आधीन जहाजी मालघाट क्षेत्र में होने के दौरान उच्च मूल्य वाली तथा कम सप्लाई वाली बल्क औषधियों पर कड़ी निगरानी रखें जहाँ तक सम्भव है, पूर्तिकर्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे औषधियों की खेपें कन्टेनरों में भेजें ताकि चोरियां कम से कम हों । पत्तन

प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे रसायन तथा भेषज निगम के अपने भाण्डागारों में डिस्टर्फिग के लिये निमित कन्टेनर्रा वाली आयात खेपों के निबधिन की अनुमति दें और समान को जहाजी मालघाट क्षेत्र में निकासी अधीन होने के समय बन्द तालों में रखें। विश्वसनीय क्लीयरिंग एजेटों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ क्लीयरिंगएजेटोंके के चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया गया है आयात खेपों के निर्बाधन के लिये उत्तरदायी राज्य व्यापार निगम के पत्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे जहाजी मालघाट क्षेत्र में खेपों के रखे जाने की अवधि को न्यूनतम करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक तेजी से निर्बाधन सुनिश्चित करें।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

653. **श्री झारखंडे राय :**

श्री हरिनाथ मिश्र :

श्री पीयूष तिरकी :

डा० फारुख अब्दुल्ला :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री आर. पी. यादव :

श्री डी. पी. जदेला :

श्री सी. चिन्ना स्वामी :

श्री एस. आर. ए. एस. अय्याला नायडू : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक स्थिर रहे हैं अथवा उनमें कमी हुई है 12.1.1980 और 24.5.1980 को समाप्त सप्ताहों के चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक विवरण में दिये गये हैं।

सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए पिछले छः महीनों में कई उपाय किए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए केन्द्रीय पूल से अनाज, खुले बाजार की चीनी और आयातित खाद्य तेलों की हर मास दी जाने वाली मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की गई है। खाद्य तेलों का आयात करना जारी रखा जा रहा है और चीनी की सीमित मात्रा आयात करने का निर्णय किया गया है । गुड़ का वायदा व्यापार स्थगित कर दिया गया है और गुड़ तथा खाँडसारी के प्रति बैंक अग्रिमों पर मार्जिन बढ़ा दिया गया है। उचित दर की दुकानों की संख्या में विशेषकर, सूखे से प्रभावित राज्यों में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भेड़-बकरी के मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाई गई है। रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं।

राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को लागू किया जा रहा है।

विवरण

चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1970-71=100)

वस्तु	सूचकांक	
	12.1.1980	24.5.1980
चावल	191·9	197·6
गेहूँ	170·0	163·8
ज्वार	179·9	177.7
बाजारा	188·5	195-6
मक्का	193·8	208·4
रागी	154·8	155·2
चना	239·9	278·3
अरहर	236·7	224·9
मूंग	307·9	334·2
मसूर	227·1	291·1
उड़द	226·4	235·8
आलू	88·7	195·9
प्याज	621·5	136·5
दूध	163·7	178·4
अण्डे	181·0	120·0
मछली	259·3	271·5
गोश्त	293·2	311·8
लाल मिर्च	121·2	114·0
हल्दी	132·5	96.0
चाय	245·0	236·9
काफी	132·0	123·7
मिट्टी का तेल	272·8	272·8
बिस्कुट	174·2	183·3
ब्रेड	160·0	168·3
चीनी	190·8	209·0
गुड़	276·0	382·9

1	2	3
खाण्डसारी	251·4	334·0
वनस्पति	198·8	206·6
मूंगफली का तेल	189·5	200·9
सरसों का तेल	209·4	236·3
नारियल का तेल	188·4	201·2
जिजली का तेल	198·5	293·1
करड़ी का तेल	212·3	206·1
बिनौले का तेल	167·7	185·9
सूती कपड़ा (मिल का)	199·3	202·5
खादी कपड़ा	160·0	179·2
कागज	240·7	240·7
जूते	235·3	253·7
टायर	225·8	227·3
ट्यूबें	254·0	254·2
रबड़ तथा प्लास्टिक के जूते	150·2	158·4
कास्टिक सोडा	330·4	362·0
सोडा राख	296·8	296·8
साबुन	213·5	229·4
कृत्रिम अपमार्जक	254·2	254·2
औषध तथा दवाइयां	135·4	135·7
टूथ पाउटर	222·2	222·2
टूथ पेस्ट	171·8	171·8
दियासलाइयां	135·8	133·6
सीमेंट	234·1	233·4
शुष्क सैल	184·4	188·6
रेजर ब्लेड	119·9	119·9
नमक	267·4	223·7
हरिकेन लालटेनें	191·6	196·8
बीड़ी	195·8	195·8
सिगरेट	211·9	215·9
साइकिलें	182·5	184·3

प्राइवेट पार्टियों के लिए विमानों का आयात

654. **श्री अजित कुमार मेहता** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट पार्टियों के लिए 'थर्ड लेवल' विमान सेवायें चलाने के लिए विमान

बड़े व्यापार गृहों द्वारा उपयोग के लिए एक्जीक्यूटिव विमान तथा प्राइवेट एअर-टैक्सी सेवाओं के लिए छोटे 6 सीटर आयात करने की अनुमति देने के बारे में योजनायें उसके मंत्रालय में तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें आरम्भ करके सरकार को क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स को अपनी आय में भारी घाटा होगा; और यदि हां, तो प्राइवेट एअर-टैक्सी सेवायें आरम्भ करने का कारण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ये मसले सरकार के विचाराधीन हैं; और इन पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

(ख) तसरी वायु सेवाओं तथा एयर टैक्सी सेवाओं से दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में राष्ट्रीय तादात्म्य तथा एकता की भावना का विकास करने, देश की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के यातायात की गति को तीव्रता प्रदान करने तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने इत्यादि में सहायता मिलेगी।

(ग) जी, नहीं।

पाली जिला (राजस्थान) में धनकर और आयकर के निर्धारिती

655. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाली जिले (राजस्थान) में गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन व्यक्तितों पर धन कर का निर्धारण किया गया;

(ख) इस प्रयोजन हेतु उनकी कुल कितने मूल्य की आस्तियां घोषित की गई और उन पर कितना धन कर लगाया गया;

(ग) पाली जिले के ऐसे आयकर निर्धारितियों के नाम क्या है जिनकी और 31 मार्च, 1980 को समाप्त हुए वर्ष में आय-कर अथवा अन्य केन्द्रीय करों की 100000 रुपये से अधिक की राशि बकाया थी; और

(घ) उन कर-निर्धारितियों के मामले में, जिनकी ओर से आयकर के रूप में 1 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है कुल कितनी राशि बकाया है और यह बकाया राशि किस अवधि की है तथा इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप राज्यमंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) जिला पाली (राजस्थान) में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान जिन 470 व्यक्तियों पर धन-कर निर्धारण किया गया था, उनके नाम दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी.-882/80) उनकी घोषित परिसम्पतियों के कुल मूल्य और उन पर लगाए गए धनकर की रकम से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने में काफी समय और श्रम लगेगा। तथापि, उपर्युक्त 470 व्यक्तितों में से न तो किसी व्यक्ति ने तीन कर-निर्धारण वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 अथवा 1979-80 में से किसी एक के संबन्ध में भी कोई विवरणी ही भरी है और न ही उसके पांच लाख रुपये से अधिक कुल मूल्य के शुद्ध धन का निर्धारण ही किया गया।

(ग) तथा (घ) 30 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार जिला पाली का कोई ऐसा कर-निर्धारिती नहीं था जिसकी ओर एक लाख रुपये से अधिक कर की रकमें बकाया हों। तथापि एक कर निर्धारिती, मैसर्स वेंकटेश एन्टरप्राइजेज, पाली था, जिसकी ओर 31·3·1980 से पहले 1,48 180 रुपये की आयकर की सकल मांग जारी की गई । यह मांग 5·5·1980 को अदायगी के लिए देय बनी। चूंकि इसका कर निर्धारण केवल संरक्षी उपाय के रूप में ही पूरा किया गया है, इसलिए इस मांग की वसूली देय तिथि की समाप्ति के बाद भी नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा उपेक्षित क्षेत्र को दिये गये ऋण

656. **श्री निरेश घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा उपेक्षित क्षेत्र को दिया गया ऋण अपने कुल ऋण का केवल 40 प्रतिशत है जब कि उसकी राष्ट्रीय औसत 33 प्रतिशत है :

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उपेक्षित क्षेत्र को ऋण देने की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) : दिसम्बर 1979 के अन्त के अनन्तिम आंकड़े प्रकट करते हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण इस राज्य में दिये गये कुल ऋणों का 22.4 प्रतिशत बैठते हैं जबकि अखिल भारतीय औसत 34.1 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों विशेषत: पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में अपने ऋणों की गति बढ़ाने के लिये बैंकों की ओर से और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता सर्वमान्य है। बैंकों से कहा गया है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को और विशेष रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को अपने ऋण प्रसार में वृद्धि करने की दिशा में विशेष ध्यान दें और प्रयास करें। सभी बैंकों द्वारा, पश्चिम बगाल में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किये गये उपायों की निगरानी के लिये एक स्थायी कार्यकारी दल का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिम बंगाल में लीड दायित्व वाले तीन बैंकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं।

कर वसूली

657. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979-80 में कर वसूली में कमी पायी गयी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 की आयकर (निगम कर सहित), धनकर सम्पदा शुल्क और दान कर के रूप में वसूल की गई रकम, वर्ष 1978-79 में वसूल की गयी रकम से अधिक थी। लेकिन, वर्ष 1979-80 में आयकर की वसूली (2702.92 रु०), उस वर्ष के स्वीकृत बजट अनुमान (2776.60 रु०) से कम थी। यह कमी निम्नलिखित कारणों से हुई :—

(1) बिजली की अत्यधिक विषम स्थिति और अभूतपूर्व दुर्भिक्ष के कारण इस वर्ष कारोबार ढीला रहा; और

(2) उद्योग के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की दर अपेक्षाकृत निम्न रही।

वर्ष 1979-80 से सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की वास्तविक वसूली के अन्तिम आंकड़े अब भी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों (जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और अन्य विभागों द्वारा लगाये जाने वाले उपकर भी शामिल हैं) के मामले में वर्ष 1979-80 का संशोधित बजट अनुमान, जिसके वसूल हो जाने की आशा है, वर्ष 1978-79 की वसूलियों से अधिक है, हालांकि 1979-80 के 6008.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों में कमी आई है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त हुए राजस्व में बजट अनुमानों के मुकाबले कमी निम्नलिखित मुख्य कारणों से आई :—

(क) 18-7-79 से कोयले पर से शुल्क हटाना;

(ख) कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर 17-8-79 से और फिर 10-9-79 से शुल्क घटाना।

वर्ष 1979-80 के सीमा शुल्क सम्बन्धी संशोधित बजट अनुमान 2814 करोड़ रुपये हैं, जबकि वर्ष 1978-79 की वास्तविक वसूली 2423.51 करोड़ रुपये थी।

मुद्रा स्फीति को रोकना

658. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुद्रा स्फीति की बढ़ती हुई दर को रोकने के लिए अनेक उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) मुद्रा-स्फीति पर काबू पाने के कार्य को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार की मुद्रास्फीति की रोक-थाम की नीति इन उपायों पर आधारित है अर्थात् : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, कम उपलब्ध वस्तुओं का आयात करके घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करना, समाज-विरोधी गतिविधियों को समाप्त करना और मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण के अनुचित विस्तार पर अंकुश लगाना। इसी नीति के अन्तर्गत, जिसकी रूप-रेखा ऊपर दी गई है, बहुत से उपाय पहले से ही किए जा चुके हैं। अग्रेतर उपायों की घोषणा 1980-81 का नियमित बजट पेश किए जाने के समय और उसके बाद उभरने वाली प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए की जाएगी।

सोने की नीलामी के लिये प्रक्रिया/नियम

659. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977-79 में जनता शासन के दौरान सोने की नीलामी के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रक्रिया तथा नियम निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सोने की नीलामी के सम्बन्ध में इन नियमों का पालन किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) : जी हां। सरकार ने 1978 में सोने की नीलामी के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्थायें भी थीं :—

(1) बोली देने की अर्हता;

(2) बोली देने तथा उसे स्वीकार करने के लिए सोने की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा :

(3) प्राप्त टेण्डरों को खोलने और उनकी जांच करने; आरक्षित कीमत निर्धारित करने, बोलियों को स्वीकार करने, आदि के लिए टेण्डर समिति का गठन;

(4) मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समय-समय पर समीक्षा करना जिससे सुधारात्मक उपाय, आदि अपनाना सुविधाजनक हो सके।

(ग) तथा (घ) : सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री के. आर. पुरी को इन मामलों की जांच करके उन पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया है।

अर्ध-परिष्कृत चमड़ा निर्यात के कोटे में कटौती

660. **श्री के राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-परिष्कृत चमड़ा निर्यात के कोटे में और अधिक कटौती की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : चमड़ा क्षेत्र में निर्यात नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि मूल्यवर्धित मदों के निर्यात के जरिए अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त, देश में सुस्थापित तैयार क्षमता के लिये कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अर्ध-साधित खालों तथा चमड़ियों के निर्यातों को कोटे के अधीन अनुमति है जिन्हें वर्ष प्रति वर्ष उतरोतर कम किया जाता है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लोह अयस्क का पता लगाया जाना

661. **श्री निहाल सिंह** : क्या **इस्पात और खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने विशाखापत्तनम इस्पात की परियोजना को सप्लाई किये जाने वाले लोह अयस्क के स्रोत का पता लगाने के लिए व्यापक खोज कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) : यदि हां तो उपरोक्त खोज कार्य के परिणामस्वरूप कितने लोह अयस्क निक्षेपों का पता चला है तथा उस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के विचार में निर्यात के वर्तमान वायदों को देखते हुए विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की लौह अयस्क की आवश्यकता की पूर्ति बैलाडिला क्षेत्र की वर्तमान खानों से की जाएगी। यदि किसी समय राष्ट्रीय खनिज विकास के निर्यात वायदों में वृद्धि हो जाती है तो उसका विचार है कि बैलाडिला क्षेत्र में एक नई खाद्य का विकास कर लिया जाएगा, जिसका

समन्वेषण कार्य आरम्भ किया जा चुका है और परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार नई खान की खोज पर लगभग 135 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

भलाई, दुर्गापुर तथा बोकारो इस्पात कारखानों के कच्चे लोहे का उत्पादन

662. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात और खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो इस्पात कारखानों में तथा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की यूनिट में इस समय कच्चे लोहे तथा इस्पात का कितना उत्पादन हो रहा है,

(ख) क्या इन सेक्टरों में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो कितना और कब तक ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात कारखानों तथा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अप्रैल और मई, 1980 का कच्चे लोहे का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(हजार टन)

कारखाना	उत्पादन	
	अप्रैल, 1980	मई, 1980
भिलाइ	52.6	47.6
दुर्गापुर	8.2	17.8
बोकारो	44.7	69.1
इस्को	12.0	8.7
कुल :—	117.5	143.2

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 में लगभग 14 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन करने की योजना है, जो वर्ष 1979-80 के उत्पादन से लगभग 43 प्रतिशत अधिक है।

ब्रिटेन के साथ आर्थिक और औद्योगिक सहयोग के बारे में मंत्री स्तर पर बात चीत

663. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक और औद्योगिक सहयोग के बारे में मंत्री स्तर पर बात-चीत करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और क्या जून में ब्रिटेन जाने का उनका कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो वहां बात-चीत के मुद्दे क्या होंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) ब्रिटेन सरकार के व्यापार विभाग में स्थायी सचिव श्री केनीथ कलूकस ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान वाणिज्य मंत्री को, भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग के बारे में बात-चीत करने के लिए जहां तक हो सके इस वर्ष जून के पहले फखवाड़े में ब्रिटेन आने का निमंत्रण किया। निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया गया था लेकिन यह यात्रा जून, 1980 में सम्भव नहीं हो सकेगी।

बी. शिवरामन समिति की सिफारिशें

664. **श्री के टी. कोसलराम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी. शिवरामन समिति की सिफारिशें क्या हैं जिसने ग्रामीण ऋण के लिए संस्थागत प्रबन्धों का अध्ययन किया था; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) इस समिति ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत ऋण प्रबन्ध विषयक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें उसने यह सिफारिश की है एक "कृषि और ग्रामीण विकास विषेयक राष्ट्रीय बैंक" की स्थापना की जाय ।

(ख) : सरकार उक्त बैंक की स्थापना करने के लिए सिद्धान्ततः राजी हो गई है । इस प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

अमरीका को भारतीय कपड़ों की बिक्री बढ़ाया जाना

665. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को वस्त्रों के निर्यात के सम्बन्ध में भारत को गम्भीर खतरे का सामाना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और अमरीका में भारत की वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य विभाग की उस अधिसूचना से, जिसमें यह घोषणा की गई है कि भारत से संयुक्त राज्य अमरीका को वस्त्रों के निर्यातों के खिलाफ प्रतिकारी शुल्क की जांच शुरू की जानी है, संयुक्त राज्य अमरीका को किये जाने वाले भारतीय वस्त्रों के निर्यातों के सम्बन्ध में कुछ आशंका हो सकती है । इस कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया है ।

काजू के आयात के बारे में नीति

666. **श्री के. कुन्हम्बु :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी काजू प्रोसेसरों को अन्य देशों से कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल मात्रा कितनी है;

(ग) क्या उन्हीं गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा आयातित काजू की सम्पूर्ण मात्रा प्रोसेस की जाएगी;

(घ) क्या यह सच है कि कच्चे काजू की कमी के कारण केरल में अनेक काजू कारखाने बन्द हो गये हैं;

(ङ) क्या काजू के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(च) यदि नहीं, तो वह कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य और नागरिक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) काजू साधित करने वाले तीन एककों ने नाइजीरिया से एक-एक हजार मे० टन कच्चा काजू आयात करने की अनुमति के लिये आवेदन दिया था और प्रस्ताव की जांच करने के बाद भारतीय काजू निगम ने मांगी गई अनुमति मंजूर कर दी। इस योजना में आयात किये गये कच्चे काजू का 50 प्रतिशत भाग काजू निगम को सौंपने तथा बाकी मात्रा उन एककों द्वारा, जो आयात की व्यवस्था करते हैं, साधित किये जाने की व्यवस्था है।

(घ) कच्चे काजू की कमी की वजह से देश में स्थित प्रोसेसिंग एकक वर्ष में केवल कुछ कार्य कर पाते हैं।

(ङ) तथा (च) कच्चे काजू का आयात भारतीय काजू निगम के माध्यम से ही सरणी-बद्ध है। जुलाई, 1979 में आरम्भ की गई एक योजना के अन्तर्गत, विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा भारतीय काजू निगम की पूरी देख रेख और निय्यत्रण के अधीन सीधे आयात की अनुमति है। आयात्ति काजू की सप्लाई बढ़ाने के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाए, समाधित करने तथा पुनर्नियंत करने के लिये गुणावगुण के आधार पर सीमित मात्रा में आयात करने करने की भी अनुमति दी जाती है।

त्रिपुरा में राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के लिए केन्द्रीय सहायता

667. **श्री बजुबन रियान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर महगाई भत्ता मंजूर करने के लिए धन राशि हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर मंहगाई भत्ता मंजूर करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कमचारियों के बीच मंहगाई भत्ते की असमानता दूर करने तथा इस प्रयोजन हेतु त्रिपुरा सरकार को अधिक धन राशि मंजूर करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) त्रिपुरा सरकार ने अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दरों के आधार पर मंहगाई भत्ता देने के लिए मार्च, 1979 में भारत सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार की त्रिपुरा सरकार के संसाधनों पर पड़ रहे दबाव का पता है। फिर भी केन्द्रीय सरकार की लगातार नीति यही रहा है कि राज्य सरकारें अपने संसाधनों की स्थिति विकास संबंधी परिव्यय की आवश्यकताओं तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते पर स्वयं निर्णय लें। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती। सातवें वित्त आयोग के द्वारा भी मामले की जांच की गई। आयोग ने यह अभिमत व्यक्त किया है। कि वह मूल सिद्धान्त के रूप में यह सुझाव नहीं दे सकता कि राज्य तथा केन्द्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली परिलब्धियों के बीच समानता होनी चाहिए। आयोग ने आगे यह भी मत व्यक्त किया है कि स्पष्ट कारण यह है कि

राज्यों को, स्वायत निकायों की तरह प्रत्येक राज्य में विद्यमान परिस्थितियों, अर्थात् राज्य की वित्तीय स्थिति जीवन निर्वाह की लागत तथा पड़ोसी राज्यों में कर्मचारियों की तुलनात्मक स्थिति और संसाधनों की स्थिति, विकास आयोजनाओं के लिए संसाधनों की माँग तथा कर्मचारियों के साथ सौह र्दपूर्ण सबध बनाए रखने की आवश्यकता, जैसी बातों के अनुसार अपने कर्मचारियों की परिलब्धियों के संबंध में बनाए रखने की आवश्यकता, जैसी बातों के अनुसार अपने कर्मचारियों की परिलब्धियों के संबंध में मामलों का निर्धारण करना होगा। भारत सरकार की नीति सातवें वित्त आयोग के अभिमतों के अनुरूप है।

अमृतसर, पटना और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाया जाना

668. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अमृतसर, पटना और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों का दर्जा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) यद्यपि राज्य सरकारों तथा निजी संगठनों से अमृतसर व त्रिवेन्द्रम के विमान क्षेत्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संभाल सकें, पटना के संबंध में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

फिलहाल त्रिवेन्द्रम तथा अमृतसर से कुछ अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन हो रहा है। त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र का नियमित आधार पर ऐसी उड़ानों के परिचालन के लिए विकास किया जा रहा है। बोइंग 747 विमानों से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें आरम्भ करने के लिए अमृतसर विमान क्षेत्र का विकास करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

नाप और तोल निदेशालय के अधीन बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सम्पर्क अधिकारियों के रिक्त पद

669. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाप और तोल निदेशालय के अधीन बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में कुछ वर्षों से सम्पर्क अधिकारियों के पद रिक्त पडे हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि नाप और तोल के बम्बई कार्यालय में पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से केवल एक अपर श्रेणी लिपिक ही कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) कलकत्ता और मद्रास में सम्पर्क अधिकारियों के पद रिक्त नहीं हैं। बम्बई में सम्पर्क कधिकारी का पद 1.5.1979 को पिछले पदाधारी के निवर्तन आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होने के परिणाम स्वरूप खाली हुआ था। वरिष्ठ अन्वेषक को तैनात करके सम्पर्क कार्यालय के कार्य को देखने का प्रबन्ध किया गया था, जो अक्तूबर 1979 तक वहाँ रहे। सहायक सचिव, वायदा बाजार आयोग, बम्बई, को बम्बई सम्पर्क कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बम्बई

में सम्पर्क अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

बम्बई को जाने वाली इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस का अपहरण करने का प्रयास

670. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय के छात्र राकेश सिंघाई द्वारा 9 अप्रैल, 1980 को बम्बई को जाने वाली इन्डियन एयरलाइन्स की एयर बस का अपहरण करने के प्रयास को दिल्ली हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मचारियों ने विफल कर दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) 8 अप्रैल, 1980 को दिल्ली हवाई अड्डे पर दिल्ली से बम्बई की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा जाँच करने के दौरान एक मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक श्री राकेश सिंहल को तीन भरे हुए कारतूसों तथा एक बेकार कारतूस सहित एक देसी रिवाल्वर को अपने घुटने के पीछे नी-कैप में छिपाकर ले जाते हुए पाया गया। श्री सिंहल को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दिल्ली विमान क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 40, दिनांक 9-4-1980 के तहत शस्त्र अधिनियम की धारा 22/27/54/59 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 393/365/511 के के अधीन रजिस्टर किया गया। छानबीन से पता चला कि वह विमान का अपहरण केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की कुन्ठाओं से प्रभावित होकर करना चाहता था तथा इसके लिए उसने प्रेरणा समाचार-पत्रों में छपी विमानों की अपहरण रिपोर्टों से प्राप्त की थी। इस सम्य वह जमानत पर है।

स्टेनलैस स्टील का आयात नीति का पुनरीक्षण

671. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्टेनलैस स्टील आयात नीति का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई निर्यात नीति

672. **श्री एन० आई होरो** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई निर्यात नीति बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अप्रैल, 1980 मार्च 1981 के लिए नई निर्यात नीति की घोषणा पहली अप्रैल, 1980 को की जा चुकी

है, और निर्यात नीति पुस्तक को 15 अप्रैल. 1980 को जनता के लिए जारी कर दिया गया था। निर्यात नीति पुस्तक संसद पुस्तकालय में पहले ही उपलब्ध करा दी गई है ।

काला धन तथा कर अपवंचन की बुराइयों को रोकने का प्रस्ताव

673. **श्री आर. पी. यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काला धन और अपवंचन की बुराइयों जो कि चिन्ताजनक रूप से बढ़ गई हैं, को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्यवाही की जाने का विचार है उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंतालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) सरकार का इरादा, कर सम्बन्धी कानूनों को अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू करके कर अपवंचन तथा काले धन को रोकने का है । सरकार कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रही है, जिनके सम्बन्ध में इस अवस्था में तफसील से नहीं बताया जा सकता ।

बेरोजगार पायलटों द्वारा हड़ताल

674. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व बेरोजगार पायलटों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस समस्या का कहां तक हल करने का विचार है; और

(ग) उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणवर्ती विभिन्न संगठनों से कहा गया था कि वे बेरोजगार विमानचालकों को अन्य उपयुक्त नौकरियों में नियुक्त करने की सभावना का पता लगाएं । इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है ।

जहां तक विमानचालकों के रूप में उनकी भर्ती का संबंध है, इंडियन एयरलाइंस ने 25 अप्रेंटिस पायलट पहले ही भर्ती कर लिए हैं तथा चयन सूची में से 7 और को इस वर्ष प्रशिक्षण के लिए बुलाने की संभावना है । वर्ष 1981-82 के दौरान 25 और विमानचालकों की आवश्यकता पड़ेगी और इंडियन एयरलाइंस ने इन पदों का 2 जून, 1980 को विज्ञापन निकाल दिया है ।

विजय नगर इस्पात संयंत्र का आरम्भ किया जाना

675. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रधान मंत्री ने विजयनगर इस्पात संयंत्र (हो स्पेट बल्लरी जिला, कर्नाटक) को अविलम्ब आरम्भ करने का आश्वासन दिया था, और

(ख) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क, बिजली और सस्ते श्रम आदि की उपलब्धता का पूरा लाभ उठाने के लिए कर्नाटक की प्रबल मांग को पूरा करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने

का है जिससे सामान्य रूप से देश की तथा विशेष रूप से कर्नाटक राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) : जनवरी, 1980 में कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने विजयनगर इस्पात संयंत्र परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। प्रधानमंत्री इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गई थी।

"सेल" द्वारा विजय नगर इस्पात संयंत्र परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है और यह मामला "सेल" के निदेशक-मण्डल के सामने रखा गया था। निदेशक मण्डल ने परियोजना प्रतिवेदन तथा अनुमानों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और "सेल" के निदेशक-मण्डल द्वारा उस पर विचार कर लेने के पश्चात् ही अगली कार्यवाही की जाएगी। इस बीच, संयंत्र के लिए भूमि-अर्जन, भूमि की जाँच, कच्चे माल का परीक्षण आदि जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिये गये हैं।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि/कमी

676. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1979 से 20 जनवरी, 1980 की अवधि के दौरान तथा 20 जनवरी, 1980 से 15 मई, 1980 की अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि अथवा कमी की क्या क्या दरें रहीं; और

(ख) व्यावहारिक रूप में सरकार के मूल्य वृद्धि रोकने संबधी अभियान का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) 31 मार्च, 1979 तथा 19 जनवरी, 1980 के बीच अवधि में, थोक कीमतों के सूचक अंक की वृद्धि की दर 18.0 प्रतिशत और 19 जनवरी, 1980 तथा 17 मई, 1980 के बीच की अवधि की यही दर 6.1 प्रतिशत बैठती है।

(ख) मौजूदा सरकार द्वारा मुद्रास्फीति की रोकथाम के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप थोक कीमतों की वृद्धि की दर कम हो गई है। 12-1-1980 और 24-5-1980 की अवधि के बीच वृद्धि की यह दर 5.2 प्रतिशत थी। जबकि इसकी तुलना में 1979 की इसी अवधि में यह दर 7.2 प्रतिशत थी।

तस्करी गतिविधियों में दूतावास के कर्मचारियों का कथित अंतर्ग्रस्त होना

677. **श्री चिरंजी लाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राजनायिकों की पत्नियाँ तथा अन्य दूतावास कर्मचारी विशेषकर सोना, चांदी और घड़ियों आदि की तस्करी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रलय में उपमन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ। सीमाशुल्क

अधिकारियों ने सोना, चान्दी, घड़ियों आदि की तस्करी के ऐसे अनेक मामलों का पता लगाया है जिनमें राजनायिक पारपत्र धारक व्यक्ति ग्रस्त हैं।

(ख) सरकार ने सम्बन्धित कार्यवाही की सरकारों के सहयोग से समुचित कार्यवाही की है और वह इस प्रकार के दुरुपयोगों की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से इन सरकारों के साथ गोपनीय तौर पर सम्पर्क बनाए रखती है। सम्बन्धित देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और उनके सतत् सहयोग को ध्यान में रखते हुए ब्यौरे जाहिर करना उचित नहीं होगा।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में सुरक्षा प्रबन्ध

678. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में गत दो वर्षों से (एक) चांदी के बर्तनों, (दो) उपभोक्तव्यों की वस्तुओं, (तीन) लिनन, (चार) अन्य वस्तुओं आदि की उठाईगीरी, चोरी आदि के कारण कितनी हानि हुई;

(ख) प्रत्येक होटल में "वाच एण्ड वार्ड" पारी के क्या-क्या प्रबन्ध हैं; और

(घ) क्या सरकार ने "सुरक्षा सेवाओं" अथवा परामर्श-प्रबन्ध करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर) : (क) होटलों जैसे सेवा उद्योग में अत्याधिक उपयोग के परिणाम स्वरूप घिसावट, टूट-फूट, कमी, आदि सामान्य बातें हैं। कुल बिक्री की तुलना में क्राकरी, छुरी-कांटों, रसोई-घर के बर्तनों, आदि को बट्टे-खाते डालने और उनकी टूट-फूट की प्रतिशतता 1977-78 में 1.1 प्रतिशत से गिर कर 1978-79 में 1.0 प्रतिशत रह गई। इस प्रकार, कुल बिक्री की तुलना में लिनन और कम्बलों की खपत की प्रतिशतता 1977-78 में 1.8 प्रतिशत से गिरकर 1978-79 में 1.0 प्रतिशत रह गयी। इस आधार पर, उठाईगीरी, चोरी आदि से हुई हानि को मामूली समझा जा सकता है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में सुरक्षा कर्मचारी नियोजित किये जाते हैं जिनमें अधिकतर भूतपूर्व सैनिक शामिल होते हैं। प्रवेश तथा विकास के सभी स्थानों और प्रमुख प्रतिष्ठापनों की पर्याप्त रखवाली की जाती है।

(ग) होटलों के निजी सुरक्षा विभाग होते हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए, बाहर से सुरक्षा सेवाओं को नियुक्त करना या परामर्श-प्रबन्ध करना आवश्यक नहीं समझा गया। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) की सेवाओं के प्रयोग सम्बन्धी प्रस्ताव को किफायती और व्यवहार्य नहीं समझा गया। इसके अतिरिक्त, उनकी ऐसे सभी स्थानों पर स्थापनाएं नहीं हैं, जहां भारत पर्यटन विकास निगम के यूनिट अवस्थित हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

679. **श्री ए. नीललोहितदासन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक भारत से कुल कितने मूल्य की मछली उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) अमरीका, जापान, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, सोवियत संघ तथा फ्रांस को इसका कितना कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) 1976-77 से 1978-79 के वर्षों में भारत से मछली उत्पादों के निर्यातों का कुल मूल्य निम्नांकित प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1976-77	66750	189.12
1977-78	65967	180.95
1978-79	86894	234.62

(ख) उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान निर्यातों में संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, जर्मनी संघीय गणराज्य, सोवियत संघ और फ्रांस का भाग निम्नांकित प्रकार है :

मात्रा : मात्रा मे० टनों में

मूल्य : मूल्य लाख रु० में

देश	1976-77	1977-78	1978-79
सं० रा० अमरीका			
मात्रा	21502 (32.2 प्र० श०)	22033 (33.4 प्र० श०)	14034 (16.2 प्र० श०)
मूल्य	4884 (25.8 प्र०श०)	4794 (26.5 प्र० श०)	3351 (14.3 प्र० श०)
जापान			
मात्रा	29653 (40.4 प्र० श०)	28731 (43.6 प्र० श०)	37763 (43.5 प्र० श०
मूल्य	11967 (63.3 प्र० श०)	11077 (61.2 प्र० श०)	16330 (69.6 प्र० श०)
जर्मनी संघीय गणराज्य			
मात्रा	2 (0.3 प्र० श०)	161 (0.2 प्र० श०)	177 (0.1 प्र० श०)
मूल्य	12 (0.1 प्र० श०)	33 (0.2 प्र० श०)	46 (0.2 प्र० श०)
सोवियत संघ			
मात्रा	3558 (5.3 प्र० श०)	2602 (3.9 प्र० श०)	5993 (6.9 प्र० श०)
मूल्य	816 (4.3 प्र०श०)	615 (3.4 प्र०श०)	1221 (5.2 प्र० श०)

आयकर अधिकारियों की मांगें

680. **श्री रामावतार शास्त्री क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर अधिकारी अपनी मांगों के सम्बन्ध में आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) कुछ आयकर अधिकारियों और आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के अनेक संगठनों से एक ही जैसे प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रमुख मांगे उठाई गई है :—

1. आयकर अधिकारी समूह 'क' कनिष्ठ वेतनमान के ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई पदोन्नतियों को नियमित किया जाए।

2. समूह 'क' के आयकर अधिकारियों से संबन्धित 1973 के वरिष्ठता नियमों को संशोधित किया जाए और सहायक आयकर आयुक्त के ग्रेड में पदोन्नति संबन्धी पात्रता-नियम को भी, कुल राजपत्रित सेवा को हिसाब में लेकर, संशोधित किया जाए।

3. समूह 'क' के लिए पदोन्नति हेतु पात्रता की तारीख से वरिष्ठ वेतन मान सीधे मंजूर कर दिया जाय और पदोन्नति हो जाने पर वेतन, अनुक्रमाणिका सारणी के आधर पर नियुक्त किया जाए।

4. समूह 'क' में सीधी भरती रोक दी जानी चाहिए।

5. आयकर अधिकारियों की सेवाओं में जो श्रेणी भेद है उसे दूर किया जाए और समूह 'क' के आयकर अधिकारियों का, एकीकृत वेतनमान के साथ, केवल एक ही संवर्ग कायम किया जाए।

6. समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों के संवर्ग में जो प्रगतिरोध आ गया है उसे दूर किया जाए।

7. समूह 'क' में पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों की प्रगति की संभावनाओं में सुधार किया जाए।

(ग) विगत में इन मांगों पर सावधानी-पूर्वक विचार किया गया परन्तु उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं हो सका। तथापि, राजपत्रित अधिकारियों की प्रगति की संभावनाओं के प्रश्न की सतत समीक्षा की जाती रहती है और जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

सामान्य जनता हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय

681. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियायती रेल यात्रा और तीर्थ स्थानों तथा अन्य पर्यटन रुचि के स्थानों पर सस्ते आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करके सामान्य जनता के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कोई उपाय किए हैं;

(ख) इस प्रयोजन से किए गए उपायों की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई उपाय नहीं किए गए हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं जुटाने के लिए, एक समिति सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन रजिस्टर करायी गई है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों, धार्मिक/खैराती न्यासों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से अनुदान/दान प्राप्त करेगी। इस

प्रकार से एकत्र की गई धन-राशि में से समिति तीर्थ केन्द्रों पर धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिर-खानों के रख-रखाव/सुधार/विस्तार के लिए अनुदान/ऋण प्रदान करेगी। समिति इस प्रकार की संस्थापनाओं का निर्माण भी करेगी। केन्द्रीय सरकार ने समिति को वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान 5 लाख रुपए का तदर्थ सहायता अनुदान भी दिया है।

स्वदेशी पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार उनके लिए उपयुक्त सुविधाएं जुटाने पर बल दे रही है। दिल्ली में 1250 बैड वाला एक यात्री निवास निर्माणाधीन है। यहां सस्ती दरों पर आवास और भोजन उपलब्ध होगा।

केन्द्रीय सेक्टर में विभिन्न योजना अवधियों के दौरान, पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों के रूप में आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए स्कीमें शुरू की गई थीं। पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान प्लान कार्यक्रम में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय पर्यटन विभाग का स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विकास हेतु प्रमुख पर्यटक मार्गों के साथ-साथ पर्यटक ग्राम काम्पलैक्सों और रास्ते पर उपलब्ध अन्य सुविधाओं के विकास का भी प्रस्ताव है, बशर्ते कि धन-राशि उपलब्ध हो।

राज्य सरकारों ने भी पर्यटक बंगलों और यात्री ग्रहों आदि का निर्माण किया है जिनमें सस्ता आवास उपलब्ध है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न पर्यटन विकास निगमें मितव्ययी पर्यटकों के लिए किफायती दरों पर एकमुश्त/संचालित यात्राओं की व्यवस्था करती है।

भारतीय रेलवे पहले से ही स्वदेशी पर्यटकों के लिए रियायती दरों पर 'सर्कुलर' ट्रेन्स की व्यवस्था करती है। विभिन्न स्कूलों, कालिजों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित शैक्षणिक यात्राओं के लिए भी रियात दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में जीवन बीमा निगम की शाखा का खोला जाना

682. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को अनुरोध प्राप्त हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में जीवन बीमा निगम की शाखा खोली जाये;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो किस तारीख तक निर्णय लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम ने हमीरपुर में शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय कर लिया है और इस निर्णय को चालू वर्ष में ही क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाही की जा रही है।

शिमला में हवाई अड्डे का निर्माण

683. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में शिमला में अथवा किसी अन्य स्थान में एक हवाई अड्डा बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि वित्त निगम लिमिटेड और कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम को मिलाकर एक करना

184. **प्रो० मधु दन्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकिंग आयोग और कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की थी कि कृषि क्षेत्र को ऋण और अन्य आधारभूत सुविधाएं देने के लिए कृषि वित्त आयोग लिमिटेड और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को मिलाकर एक कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एकीकरण को कार्यरूप देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण प्रबन्ध की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित एक समिति भी अन्य बातों के साथ-साथ कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम और साथ ही कृषि वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली परामर्शदात्री सेवाओं के ढांचों और परिचालनों की समीक्षा कर रही है ताकि इस सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें की जा सके ।

पश्चिम बंगाल में बैंक शाखाओं का खोला जाना

685. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में वर्षवार, जिलावार और बैंकवार बैंक शाखाएं खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, जिलावार और बैंकवार पश्चिम बंगाल में खोली गई बैंक शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

विदेशों से ऋण

686. **श्री ए. नीलालोहिथादसन** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जिन देशों से ऋण लिए हुए हैं उनमें से प्रत्येक को इस समय कितनी धनराशि (रुपयों में) देनी हैं;

(ख) भारत ने विदेशों से ऋण की कुल कितनी राशि (रुपयों में) ले रखी है;

(ग) जनता पार्टी शासन के दौरान कुल कितना ऋण लिया गया और मूलधन के रूप में कितनी धनराशि लौटाई गई है; और

(घ) उपरोक्त अवधि में भारत सरकार द्वारा यदि ब्याज का कोई भुगतान किया गया है तो कुल कितना ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) तथा (ख) भारत सरकार ने 31 मार्च, 1980 तक विदेशों/संस्थाओं से कुल मिलाकर 15,351·23 करोड़ रुपये के ऋण लिये। जिन देशों तथा संस्थाओं से भारत सरकार ने ऋण लिए, उनके प्रति सरकार की बाकाया देनदारी 31 मार्च, 1980 को 12,178·42 करोड़ रुपये की थी। देश/संस्था-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) पहली अप्रैल, 1977 से लेकर 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि की जानकारी इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(1) लिए गए ऋणों की कुल राशि (अर्थात् ली गई राशि	2,394·13
(2) मूलधन के तौर पर वापस अदा की गई कुल राशि	1,065·68
(3) ब्याज के तौर पर दी गई कुल राशि	649·96

विवरण

सरकारी खाते के ऋणों के संबंध में विदेशी ऋणों संबंधी देशवार विवरण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था	बकाया ऋण (31.3.80 को विनिमय की दैनिक दरों पर
1. संयुक्त राज्य अमेरिका	2,633·29
2. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	186·21
3. यूनाइटेड किंगडम	881·70
4. जापान	820·42
5. फ्रांस	329·78
6. जर्मन संघीय गणराज्य	1,363·78
7. आस्ट्रिया	27·65
8. बेलजियम	72·08
9. कनाडा	376·86
10. डेनमार्क	24·95
11. इटली	24·43
12. नीदरलैण्ड	425·58
13. स्विटजरलैण्ड	21·71
14. यूनाइटेड अरब अमीरात	58·10
15. कुवैतनिधि	45·54
16. आबू धाबी निधि	12·31
17. सउदी अरब	44·25
18. इराक	116·22

19. ईरान	788·46
20. चेकोस्लोवाकिया	29·08
21. हंगरी	10·51
22. पोलेण्ड	7·48
23. यूगोस्लाविया	0·01
24. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	301·00
25 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3,524·52
26. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (विशेष कार्य ऋण)	22·69
27. पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन निधि	29·71
	12,178·42

भारत सरकार द्वारा केरल में परियोजनाओं में लगाई गई धनराशि

687. **श्री ए० नीलालोहिथादसन** : क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारत सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली योजनाओं में एक मार्च, 1980 तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई थी;

(ख) औद्योगिक प्रयोजनाओं के लिए अन्य राज्यों में लगाई कुल धनराशि का केरल में भारत सरकार द्वारा ऐसी पूंजी निवेश का प्रतिशत कितना है; और

(ग) 1 मार्च, 1980 को ऐसे उद्योगों में, जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत सरकार के नहीं हैं भारत सरकार और इसके वित्तीय संगठनों का प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कुल कितना था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को औद्योगिक एवं वाणिज्यक परियोजनाओं में लगी पूंजी से है। मार्च, 1979 के अन्त में देश के केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में 16,667.93 करोड़ रुपये की कुल लगी पूंजी (सकल परिसम्पत्ति) में से 382.74 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश (सकल परिसम्पत्ति) केरल में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में किया गया था तथा इस प्रकार यह 2.30 प्रतिशत बनता है।

(ग) भारत सरकार के वित्तीयन संगठनों द्वारा किए गये पूँजी निवेश सम्बन्धी/यथासुलभ जानकारी मंगाई जायेगी और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशी ऋणों का चुकता करना

688. **श्री ए० नीलालोहिथादसन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने वर्ष 1976-80 में से किसी वर्ष में विदेशी ऋणों अथवा उन पर ब्याज को चुकता करने में चूक की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विदेशों/संस्थाओं के साथ किये गए उधार/ऋण करारों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी

अदायगी और ब्याज की अदायगी हमेशा उसी प्रकार की गई है जैसी कि उन करारों में व्यवस्था की गई थी। 1976-80 में इन अदायगियों में कोई चूक नहीं की गई है।

भारत में निर्मित मूल औषधियों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट दिया जाना

689- **श्री चन्द्रभान मणि तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में निर्मित मूल औषधियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विलकुल नहीं लगता;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय की कोई अधि सूचना जारी की गई है;

(ग) क्या देश में मूल औषधियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह छूट दी गई है; और

(घ) इससे सरकार को कुल कितने राजस्व का घाटा होता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली और अन्यत्र अविनिर्दिष्ट सभी औषधियों, दवाइयों, भेषजक और औषधि-मध्यवर्ती माल को दिनांक 1 मार्च, 1978 से उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

(ख) अधिसूचना सं० 55/75-के० ड० शु० दिनांक 1 मार्च, 1975 की संशोधनकारी अधिसूचना सं० 62/78 के ड. शु., दिनांक 1 मार्च, 1978, अन्यत्र अविनिर्दिष्ट सभी औषधियो, दवाइयों भेषजक और औषधि-मध्यवर्ती माल को उत्पादन शुल्क से छूट देने हेतु वर्ष 1978 के बजट के अंग के रूप में जारी की गई थी।

(ग) इस माल को, महत्वपूर्ण श्रेणी का माल होने के कारण, शुल्क से छूट दी गई है।

(घ) वर्ष 1978-79 के लिए इस शुल्क-छूट में लगभग छः करोड़ रुपये की राजस्व-हानि ग्रस्त थी।

690. **श्री समर मुखर्जी** ; क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में बैंकों की बैंकवार, कितनी-कितनी शखायें खोली गई; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य में बैंकों की बैंकवार, कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तत्काल जो और जितनी सूचना उपलब्ध है अनुबन्ध में दे दी गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-883/80)

(ख) क्योंकि, भारतीय रिजर्व बैंक किसी विशिष्ट अवधि में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार के सम्बन्ध में कुल संख्या के बारे में बैंकों को मोटे तौर से निर्देश दे देता है इसलिए शाखा विस्तार के वास्ते राज्यवार/वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता।

दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के बाजार मूल्यों में वृद्धि

691 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में चीनी, खाद्य तेल, दालों खाद्यान्न, साबुन, बाल आहार तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) गत बीस माह के दौरान प्रत्येक माह के अन्त में, देश के मुख्य-मुख्य बाजारों में उक्त वस्तुओं के बाजार-भाव क्या थे; और

(ग) मूल्य में इस असाधारण वृद्धि के अन्य कारण क्या हैं और इस बारे में क्या कारगर कदम उठाये गये हैं जिससे की समाज विरोधी व्यापारियों द्वारा वस्तुओं की जमाखोरी न की जा सके तथा मूल्यों को उचित स्तर तक नीचे लाया जा सके;

नागरिक पूर्ति और मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आम वृद्धि हुई है, जिनमें प्रश्न में विशिष्ट रूप से उल्लिखित वस्तुएं भी शामिल है।

(ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल. टी. 884/80)

(ग) मूल्यों में यह वृद्धि कई बातों के सामूहिक प्रभाव के कारण हुई है, जैसे वित्तीय तथा आर्थिक नीतियां, अभूतपूर्व सूखा, कई वस्तुओं के निर्देशित मूल्यों में वृद्धि करना और कच्चे पैट्रोल, पैट्रोलियम उत्पाद और सीमेंट सहित कई वस्तुओं के आयात मूल्यों में वृद्धि होना। परिवहन और बिजली के क्षेत्र में आई भारी कठिनाइयों के कारण स्थिति और भी गम्भीर हो गई है, जिससे आश्वयक वस्तुओं के, उत्पादन और उनके संचालन पर प्रभाव पड़ा है।

सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए पिछले छः महीनों में कई उपाय किए गये हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए केन्द्रीय पूल से अनाज, खुले बाजार की चीनी और आयातित खाद्य तेलों की हर मास दी जाने वाली मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की गई है। खाद्य तेलों का आयात करना जारी रखा जा रहा है और चीनी की सीमित मात्रा आयात करने का निर्णय किया गया है। गुड़ का वायदा व्यापार स्थगित कर दिया गया है और गुड़ और खांडसारी के प्रति बैंक अग्रिमों पर मार्जिन बढ़ा दिया गया है। उचित दर की दुकानों की संख्या में विशेषकर, सूखे से प्रभावित राज्यों में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भेड़ बकरी के मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ाई गई है। रेलवे द्वारा आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं।

राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गए आदेशों और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को लागू किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान जिले में औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

692 .श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वित्त मंत्री .यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार और उद्योगवार, पश्चिम बंगाल के वर्दवान जिले में औद्योगिक विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया है;

(ख) उपरोक्त अवधि में, वर्षवार, इन बैंकों ने रिक्शा चलाने वालों, कृषि श्रमिकों, बटाईदार लघु एककों आदि के लिए कुल कितनी धनराशि दी, और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक की सांख्यकीय सूचना प्रणाली द्वारा उस रूप में आंकड़े प्राप्त नहीं होते जिस रूप में यह मांगे गये हैं। दिसम्बर, 1974 और दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान, बर्दमान जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रवार ऋण प्रसार की बकाया राशि के बारे में उपलब्ध आँकड़े विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के क्षेत्रवार ऋण प्रसार की बकाया

(हजार रुपये में)

क्रम सख्या	मद	दिसम्बर, 1974	दिसम्बर, 1977
1.	कृषि	20932	52153
	(क) प्रत्यक्ष	19445	47410
	(ख) अप्रत्यक्ष	1487	4743
2.	उद्योग	1092525	1365172
	जिसमें से		
	खाद्य के निर्माण के लिए	5140	5388
	(ख) खपड़ा/वस्त्र	12750	19436
	(ग) रसायन	15206	29749
	(घ) धातु	521708	702209
	(ङ) इंजीनियरिंग	250616	193098
	(च) अन्य	287105	415292
3.	परिवहन चालक	5938	42986
4.	व्यापार	13227	19227
5.	सेवायें (सर्विसेज)	3327	4977
6.	अन्य	23280	44946
7.	कुल ऋण	1159229	1529461
	जिसमें से छोटे पैमाने के उद्योगों को	67347	52624

आम का निर्यात

693. **श्री भीखाभाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी मात्रा में आम का निर्यात किया जायेगा ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको आम का निर्यात किया जायेगा और निर्यात के लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिवाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1980-81 के दौरान लगभग 4000 मे0 टन आम निर्यात किये जाने की सम्भावना हैं। तथापि, निर्यात पर मात्रा सम्बन्धी कोई रोक नहीं है।

(ख) भारतीय आमों के प्रमुख आयातक दुबई, कुवैत, बहरीन, ब्रिटेन, कतार, सऊदी अरब हैं। ताजे फलों के सम्बन्ध में देशवार निर्यात नहीं किए हैं।

मूल्य वृद्धि रोकने के लिए खाद्य तेलों की अधिक मात्रा में सप्लाई

694. **श्री गुलाम रसूल कोचक** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के विचार से खाद्य तेल अधिक मात्रा में रिलीज करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो खाद्य तेलों की कुल कितनी मात्रा रिलीज की गई है ;

(ग) क्या इस रिलीज के बावजूद तेल के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो बढ़ते ही जा रहे हैं ;

(घ) क्या अब भी खाद्य तेलों के मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मार्किट में इस वस्तु की कमी भी है ; और

(ङ) यदि हां तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने की विचार है।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) व (ख) विभिन्न राज्यों में खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये, मई 1980 के दौरान 22,000 मीटर टन के लगभग आयातित तेलों का अतिरिक्त तदर्थ आवंटन किया गया था। इससे चालू तेल वर्ष (जो पहली नवम्बर, 1979 से शुरु हुआ है) के पहले 7 महीने के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कुल मात्रा 2.42 लाख मी. टन से अधिक बन जाती है। इनमें से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसी अवधि के दौरान इन तेलों की लगभग 1.58 लाख मी. टन मात्रा सार्वजनिक वितरण के लिये उठाई गयी।

(ग) से (ङ) देश में गत महीनों में खाद्य तेलों के मूल्यों में कई कारणों से वृद्धि हुई है, जिनमें व्यापक सूखे की वजह से देश में इनके उत्पादन में कमी होना भी शामिल है, सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये कई एक उपाय किए हैं, जिसमें एक उपाय उचित मूल्यों पर सार्वजिनिक वितरण के लिये आयातित खाद्य तेलों की अधिक मात्रा निर्मुक्त करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेलों की कुल उपलभ्यता में वृद्धि हुई है। हाल के सप्ताहों में खाद्य तेलों के मूल्यों का झुकाव स्थिरता की ओर हुआ है और हाल की बाजार रिर्पोटों से पता चलता है कि तिल के तेल जैसे कुछ तेलों के मूल्यों में कमी हुई हैं। देश में तेलों की मांग तथा उनकी देशीय उपलभ्यता के बीच के अन्तर को पाटने के लिये सरकार का खाद्य तेलों के आयात को जारी रखने का इरादा है। जो अन्य उपाय किये गये हैं उनमें ये शामिल हैं : सार्वजनिक वितरण प्राणाली को पुर्नजीवित करने के उपाय, चालू वर्ष के दौरान देशीय तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये "कार्यवाही योजना" कार्यन्वित करना, वनस्पति जैसे लोकप्रिय तेलों का उत्पादन बढ़ाना और स्टाक को बाहर निकालने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिल कर आवश्यक वस्तु अधिनियम

तथा उसके तहत जारी किये गये आदेशों को कड़ाई से लागू करने के लिये कार्यवाही करना। इसी प्रकार राज्य सरकारों को चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 को लागू करने के लिये भी कहा गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी

695. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

श्री जी. वाई. कृष्णन :

श्री एफ. रामगोपाल रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंहगाई भत्ते की दो किस्ते केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अदायगी के लिए देय हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किस्तें किस मास से देय हैं;

(ग) क्या इन किस्तों की अदायगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन किस्तों के मजूर किए जाने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और अदायगी के आदेश कब तक जारी किए जाएंगे जिससे कि निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों की दिक्कतें दर हो सकें ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) जनवरी, 1980 के अन्त तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत 352 अंकों तक पहुँच जाने के परिणाम-स्वरूप सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-2-1980 से मंहगाई भत्ते की एक और किस्त देने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में आदेश शीघ्र जारी होने की सम्भावना है।

अभी हाल ही में प्राप्त हुए अप्रैल, 1980 के सूचकांक के अनुसार अप्रैल, 1980 के अन्त तक सूचकांक औसत 360 अंकों से पार हो गया है। तद्नुसार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-5-1980 में मंहगाई भत्ते की अगली किस्त मंजूर करने का प्रश्न विचार करने योग्य हो गया है।

वस्त्र समिति के मार्किट अनुसंधान विंग द्वारा विभिन्न कपड़ों के आयोग के सम्बन्ध में अध्ययन

696. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र समिति के मार्किट अनुसंधान विंग ने देश में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के उपयोग के सम्बन्ध में हाल ही में एक अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन टिप्पणियों के आधार पर वस्त्र नीति का पुनरीक्षण करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) माँग अनुमानों के सम्बन्ध में, एक समयावधि के दौरान वस्त्रों की घरेलू खपत के एक नमूना अध्ययन पर आधारित प्रतिवेदन के अन्तर्गत मंहगी क्वालिटियों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती क्वालिटियों में, स्थिर कीमतों पर एक नाममात्र की वृद्धि दर का संकेत किया गया। प्रतिवेदन के अन्तर्गत इस मुद्दे का और अधिक अध्ययन करने की सिफारिश की गई है क्योंकि उत्पादन स्वरुप के सम्बन्ध में इसकी नीति सम्बन्धी दूरगामी विवक्षाएं हैं।

(ग) इस समय पंचवर्षीय योजना 1980-85 के लिए मांग के अनुमानों का आँकलन किया जा रहा है; वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए आयोजना नीति इस प्रक्रिया के आधार पर तैयार की जाएगी।

इस्पात आयात

698. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि वास्तविक प्रयोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्पात का आयात कर सकते हैं,

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में अपनाये गये मानदण्ड क्या हैं, और

(ग) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं। आयात, वर्ष 1980-81 की आयात नीति के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है, जिसकी तीन सूचियाँ हैं :

(1) **निषेध सूची** : वे मदें जिनके आयात पर रोक लगा दी गई है।

(2) **प्रतिबन्धित सूची** : वे मदें जिनका वास्तविक उपयोक्ता निर्धारित मात्रा में स्वमेव आयात कर सकता है।

(3) **माध्यम सूची** : वे मदें जिनका आयात केवल माध्यम अभिकरणों की मार्फत ही किया जा सकता है।

वे मदें, जो इन सूचियों के अन्तर्गत नहीं आती हैं, वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) उनका आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कर सकते हैं।

थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में वृद्धि

699. **श्री प्रमिला दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में थोक बिक्री मूल्यों (सूचकांक) में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) इस भारी वृद्धि के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या मूल्यों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) में 24 मई, 1980 को समाप्ति तीन महीने की अवधि में 3·2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मासिक अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) की उपलब्धि में लगभग छः सप्ताह के समय का अन्तर हो जाने के कारण इस अवधि के सम्बन्ध में उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु मार्च, 1980 में उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक दिसम्बर, 1979 के मुकाबले 0·3 प्रतिशत कम था।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में मूल्यों की प्रवृत्तियाँ 1979-80 के दौरान प्रवर्तमान मुद्रा-स्फीति

के दबावों का ही एक सिलसिला है। इन दबावों के पीछे जो कारण हैं वे इस प्रकार हैं अर्थात् सूखे के कारण उत्पादन की कमी, कतिपय वस्तुओं के प्रशासित मूल्यों में वृद्धिगत समायोजन और तेल की कीमतों में वृद्धि।

(घ) कीमतों की स्थिति पर सरकार सावधानी से नजर रख रही है। कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं : अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, कम उपलब्ध वस्तुओं का आयात करके उन वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करना, मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण के अनुचित विस्तार पर अंकुश लगाना तथा आधार भूत ढांचे में सुधार करके उत्पादन बढ़ाना।

भारतीय जूट निगम की गतिविधियों पर रोक

700. **श्री के. ए. राजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जूट निगम की गतिविधियों पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके मन्त्रालय ने भारतीय जूट निगम को बन्द करने का कोई सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय पटसन निगम के कार्यचालन की सरकार बराबर समीक्षा करती रहती है। विगत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए गए कच्चे पटसन के भारी मात्रा में स्टाक एकत्र हो जाने की वजह से चालू वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों की ध्यानपूर्वक निगरानी की गई।

भारतीय पटसन निगम को, घरेलू तथा विदेशी बाजार में स्टाक बेचने के लिए उसकी क्षमता के अनुसार खरीद सम्बन्धी वाणिज्यिक नीतियां तैयार करनी पड़ेंगी।

तथापि, भारतीय पटसन निगम कीमत समर्थन सम्बन्धी अपेक्षित कार्य करने में बराबर अपनी भूमिका निभाता रहा।

(ग) तथा (घ) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में ढलाई घरों को कच्चे लोहे की सप्लाई

701. **श्री आनन्द पाठक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में ढलाई घरों को "क्लब रेक सिस्टम" के अन्तर्गत इस्पात संयन्त्रों से कच्चे लोहे की सप्लाई फरवरी, 1980 से बन्द कर दी गई है,

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि केवल पूर्वी क्षेत्र से इस सुविधा को हटाना भेद भावपूर्ण है क्योंकि उत्तरी और अन्य क्षेत्र से इस सुविधा को पा रहे हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल में ढलाई घरों को रेल के स्लीपर बनाने तथा इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद

द्वारा किए गए आवंटनों पर फरवरी, 1980 के बाद भी क्लब रेकों का प्रेषण किया गया है। लेकिन इंडियन फाउण्ड्री एसोशिएशन, कलकत्ता को फरवरी, 1980 से माल की पूरी गाड़ी की सप्लाई बन्द कर दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस वर्ष इस प्रकार की संस्थाओं को की जाने वाली सप्लाई में सामानता बनी रही। जून, 1980 से वितरण के लिए बनाए गए नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ढलाई घरों को कच्चे लोहे की सप्लाई स्टाकयार्डों अथवा लघु उद्योग नियमों की मार्फत की जा रही है। और फाउण्ड्री एसोशिएशनों की मार्फत सप्लाई करनी बन्द कर दी गई है ।

सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण के बारे में अध्ययन

702. **श्री अहमद एम. पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक एकक के कार्यकरण के बारे में आदेश दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या तत्संबंधी परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरामन : (क) खास तौर से सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्यमों तथा भारी घाटा उठाने वाले उद्यमों के बारे में अध्ययन शुरू करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सूती कपड़े के क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना

703. **श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव :** क्या वाणिज्य मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान गतिरोध को देखते हुए औद्योगिक उत्पादन और विशेष रूप से सूती कपड़े के क्षेत्र में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के दौरान मुख्यत: बिजली सप्लाई उपलब्ध न होने के कारण वस्त्रों के उत्पादन में कुछ मामूली गिरावट आई। तथापि, यार्न के उत्पादन को विभिन्न उपायों जैसे कि निकाले गए तकुओं का प्रयोग करने के लिए उद्योग को दी गई अनुमित और 40 काउन्ट्स तक की भी कताई के लिए वेस्ट कताई एककों को दी गई रियायत के माध्यम से सुरक्षित रखा गया है। बिजली कटौतियों के कारण संगठित क्षेत्र में विनिर्मित फैब्रिक्स में कमी के प्रभाव को हथकरघों के उत्पादन द्वारा कुछ हद तक कम किया गया है। बिजली सप्लाई स्थिति में सुधार होने तथा आधुनिकिकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन होने से वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

इस्पात का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाना

704. **श्री वी. किशोर चद्र एस. देव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान गतिरोध को देखते हुए औद्योगिक उत्पादन और विशेष रूप से इस्पात के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं जैसे बिजली और कोयले की आपूर्ति पर सतत् निगरानी रखी जा रही है, कानून और व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रभावी सम्पर्क रखा जा रहा है, रक्षित बिजली संयन्त्रों से अधिक बिजली पैदा की जा रही है तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा है इन उपायों से इस्पात पर आधारित उद्योगों की आधारभूत कच्चे माल की उपलब्धि की दिक्कतें दूर हो जायेंगी और उनका उत्पादन बढ़ेगा।

भारत-नेपाल व्यापार

705. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन-नेपाल व्यापार करार का भारत-नेपाल व्यापार पर कुछ प्रभाव है ;

(ख) क्या चीन द्वारा तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिये हिमालय पर्वत से अधिक मार्ग बनाये जाने से भारत-नेपाल व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : चीन जनवादी गणराज्य के साथ नेपाल की व्यापारिक व्यवस्थाओं के फलस्वरूप भारत-नेपाल व्यापार पर किसी नकारात्मक प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ है अथवा न उसकी संभावना है। अपनी ओर से सरकार नेपाल के साथ घनिष्ठ द्विपक्षीय वाणिज्यिक तथा आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने का बराबर प्रयत्न कर रही है।

दिल्ली में शुल्क पत्तन

706. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शुष्क पतन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : सरकार ने, भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक ड्राई पोर्ट स्थापित करने के लिए 1974 में सिद्धान्त रूप में विनिश्चय किया था। तथापि, जुलाई 1977 में सरकार ने यह विनिश्चय किया कि इस परियोजना पर तत्काल कार्यान्वयन आरम्भ न किया जाए। प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले यह विचार किया गया था कि एक संशोधित योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें निर्यातकों को ड्राई पोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा कन्टैनर व्यवस्था के लाभ प्रदान किए जाएंगे। तदनुसार, संशोधित योजना तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवस्था में कोई ब्योरा देना कठिन है।

विद्युत की कमी के कारण इस्पात संयंत्रों में हानि

707. **श्री के. प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इस्पात प्राधिकरण लि० के अधीन इस्पात संयंत्रों को विद्युत की कमी के कारण उत्पादन की हानि 1977-78 और 1978-79 की दो लाख मी० टन की तुलना में 1979-80 में बिक्री योग्य इस्पात की हानि दस लाख मी० टन से भी अधिक होने की आशा है; और

(ख) यदि हाँ, तो संयंत्रों को विद्युत की उपलब्धता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों को विद्युत की निरन्तर और नियमित सप्लाई के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1977-78 से 1978-80 के वर्षों में कोयले तथा बिजली की कमी के कारण स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के कारखानों में बिक्रेय कच्चे लोहे तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हुई हानि नीचे दिखाई गई है :—

(कोयले और बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि)

(हजार टन)

वर्ष	विक्रेय कच्चा लोहा	विक्रेय इस्पात
1977-78	329	286
1978-79	54	501
1979-90	650	1032

यह कहना कठिन है कि केवल बिजली की कमी के कारणउत्पादन की कितनी हानि हुई है।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अधीन इस्पात कारखानों को बिजली की आपूर्ति पर लगे प्रतिबन्धों और इन प्रतिबन्धों की अवधि तथा इसकी तुलना में अनुबन्धों के अनुसार इन कारखानों की बिजली की माँग के आँकड़े नीचे दिए गए हैं :

कारखाना	आपूर्ति का स्रोत	अनुबन्ध के अनुसार मांग	आपूर्ति पर लगे प्रतिबन्ध		
			रेंज	अवधि	केलेन्डर घंटों
		(एम.वी.ए.)	(एम.वी.ए.)	घंटे	का प्रतिशत
भिलाई	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	90	30-80	3578	40.7
राउरकेला	उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	110	0.70	4919	56.0
दुर्गापुर	दामोदर घाटी निगम	50	0.40	7738	88.1
बोकारो	दामोदर घाटी निगम	145	0.110	7823	89.1
इंडिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	दामोदर घाटी निगम	25	0.17	7016	79.9

इस्पात कारखानों को बिजली की उपलब्धि में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) बोकारो इस्पात कारखाने की 122 मेघावाट की वर्तमान रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता में 180 मेघावाट क्षमता की वृद्धि करने का निर्णय ले लिया गया है।

(2) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की 20 मेघावाट की वर्तमान रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता में 120 मेघावाट क्षमता की वृद्धि करने का निर्णय ले लिया गया है।

(3) राउरकेला इस्पात कारखाने की 128 मेघावाट की वर्तमान रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता में 120 मेगावाट क्षमता की वृद्धि करने का मामला विचाराधीन हैं।

(4) इस्पात कारखानों को बिजली की उपलब्धि में सुधार करने के लिए विद्युत तथा जन सुविधा विभाग के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है। बिजली की स्थिति की अन्त: मंत्रालय स्तर पर साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

जनता होटलों का निर्माण

708. **श्री के. प्रधानी :**

श्री जी. वाई. कृष्णन: क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :

(क) इस समय निर्माणाधीन जनता होटलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन होटलों में सस्ती दरों पर सुविधाएं प्रदान करने का सरकार ने वायदा किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित प्रति कमरे के किराए, भोजन, भोज्य सामग्री और अन्य प्रभारों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत दिल्ली में 1250 बैड वाले एक यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : जी, हां। बोर्डिंग और लार्जिंग की प्रस्तावित दरें फिलहाल निम्नलिखित हैं :—

लार्जिंग :

एक डबल रुम में प्रति बैड 15/-रुपए।

2-बैड वाले कमरे के लिए 30/-रुपए।

4-बैड वाले कमरे में एक बैड के लिए 10/-रुपए।

बोर्डिंग :

लंच और डिनर (शाकाहार स्टैंडर्ड थाली)	..	4.50 रुपए
मांसाहार लंच और डिनर	..	6.00 रुपए
चाय	..	0.50 रुपए
कलेवा (ब्रेकफास्ट)	..	2.00 रुपए

709. **श्री के० मालन्ना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृषि वस्तुएं जिसके कारण मार्च 1979 और मार्च 1980 के बीच मूल्य में वृद्धि हुई थी चावल, फल और सब्जियां, चीनी, खंडसारी और गुड़ तथा खाद्य तेल हैं,

(ख) क्या यह सच है कि गैर कृषि वस्तुओं जैसे पैट्रोलियम, अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल कोयला खनन, लोहा और इस्पात तथा लोह मिश्र धातु की सप्लाई की बिगड़ती स्थिति के अतिरिक्त मूल्य वृद्धि के लिये कुछ अन्य कारण भी हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के बारे में ब्यौरा क्या है और उनके मूल्यों में स्थिरता लाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ग) : मार्च 1979 तथा मार्च 1980 के बीच थोक कीमतों में कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई है उसमें विभिन्न वस्तुओं ने जो सापेक्षिक योगदान दिया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है।

	मार्च 1979 तथा मार्च 1980 के बीच थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71 =100) में प्रतिशत घटबढ़	कुल मिलाकर वृद्धि में योगदान प्रतिशत
1. चावल	20.5	4.0
2. फल और सब्जियां	15.0	3.4
3. चीनी, खांडसारी तथा गुड़	98.6	25.3
4. खाद्य तेल	33.8	4.8
5. पट्रोलियम, कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस	98.2	11.9
6. खनिज तेल	15.4	6.8
7. खनिज कोयला	54.8	3·2
8. लोहा, इस्पात तथा लोह मिश्र धातुएं	19.4	3.6

इसके अलावा, जिन दूसरी वस्तुओं ने मुख्य रुप से मूल्य वृद्धि में योग दान दिया उनमें तेलहन (+33.8 प्रतिशत), मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर (+ 15.0 प्रतिशत) सूती वस्त्र (+7.8 प्रतिशत) तथा जूट कविनिर्मित वस्तुयें (+29.0 प्रतिशत) शामिल हैं।

(ख) सरकार ने मूल्य की वृद्धि को रोकने की दृढ़ निश्चय किया है। मुद्रास्फीति की रोक थाम के लिए जो सामूहिक उपाय किये जा रहे हैं, उनमें सार्वजनिक वितरण प्राणाली को सुदृढ़ बनाने कम उपलब्ध वस्तुओं को उनका आयात करके उनकी घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने, काला बाजारी मुनफाखोरी तथा जमाखोरी जैसी समान विरोधी प्रतिविधियों को काबू करके और मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण के अनुचित विस्तार पर अंकुश लगाने तथा आधारभूत ढांचे का और ज्यादा कुशल प्रबंध करके उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय शामिल हैं। अग्रेतर कार्यवाई आवश्यकतानुसार की जाएगी।

रबड़ की खेती

711. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड 60, 000 हेक्टर अतिरिक्त भूमि को रबड़ की खेती के अन्तर्गत लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने रबड़ की खेती का विस्तार महाराष्ट्र में कनकन तथा उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे उपजाऊ क्षेत्रों में करने की कोई योजना बनायी है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : रबड़ बोर्ड ने वह रबड़ बागान विकास योजना प्रस्तुत कर दी है जिसका उद्देश्य 1980-81 से 1984-85 के दौरान देश में नवीन रोपण । पुनर्रोपण के अन्तर्गत 60 000 हेक्टार का कुल क्षेत्र लाना है इसमें कनिकन तथा उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों में 13,500 हेक्टार में रबड़ का नवीन रोपण शामिल है । इस योजना में ये व्यवस्थाएं की गई हैं : जिन उपजकर्ताओं के पास 20 हेक्टार और जिनके पास 20 हेक्टार से अधिक रबड़ बागान हैं ? अलग अलग दरों पर पूंजी उपदान जिनके पास 20 हेक्टार तक रबड़ बागान हैं, उन्हें ब्याज उपदान, जिनके पास 6 हेक्टर से अनधिक भूमि है, उन्हें अंतर्निविष्ट साधन उपदान तथा मुफ्त सलाह व विस्तार सहायता ।

'ग्वायूल' पौधों से प्राकृतिक रबड़ निकालना

712. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात का पता चला है कि ग्वायूलो पौधे से जो कि एक रेगिस्तानी झाड़ी है प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) यदि हां तो क्या इस पौधे को राजस्थान, गुजरात तथा अन्य राज्यों के रेगिस्तानी इलाकों में तथा इसके आस पास लाभकारी ढंग से उगाया जा सकता है ;और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसके अच्छे उत्पादन की सम्भावना है । लाभ का जायजा केवल खेती के बाद ही लगाया जा सकता है ।

(ग) रबड़ बोर्ड द्वारा इस पौधे पर प्रारम्भिक जांच शुरु की जा चुकी है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का कोटा प्रणाली में हथकरघा वस्त्रों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव

713. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कोटा प्रणाली में हथकरघा वस्त्रों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो हमारे हथकरघा वस्त्रों के निर्यात व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कोककर कोयल का आयात

741. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने सरकार से पाँच लाख टन कोककर कोयला तत्काल आयात करने और बाद में विश्वव्यापी टेंडरों पर इतनी ही मात्रा का और आयात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया के अधीन इस्पात संयंत्रों को चलाने के लिये 12 लाख टन कोककर कोयले की लगभग समूची वर्तमान लक्षित मात्रा भारत में पहुंच चुकी है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध आयातित कोयले की वर्तमान शेष मात्रा और आस्ट्रेलिया से आने वाला कोयला विभिन्न इस्पात संयंत्रों को सप्लाई करने के लिए केवल 15 जून तक पर्याप्त होगा;

(ङ) क्या इस्पात प्राधिकारियों ने प्राप्त कोयले की मात्रा में भारी कमी, विशेषकर देशी साधनों से प्राप्त होने वाले प्राइम कोकक़र कोयले की कमी की स्थिति पर काबू पाने के लिए कोककर कोयले का आयात जारी रखने की आवश्यकता के बारे में सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) आयातित कोककर कोयले के स्टाक के जून, 1980 तक चलने की संभावना है।

(ङ) जी, हाँ।

(च) अभी इस मामले पर अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाना है।

1980-81 के दौरान व्यापार की संभावनाएं

715. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीकार किया है कि 1980-81 के दौरान व्यापार की संभावनाएं बहुत धूमिल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो व्यापार की इस धूमिल संभावना के क्या मुख्य कारण हैं;

(ग) क्या व्यापार में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो नये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं तथा व्यापार संभावनाओं में सुधार की दिशा में यह योजना कहां तक सहायक होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) विश्व अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से औद्योगिक देशों में निरन्तर मंदी की स्थिति को ध्यान में रखते

हुए 1980-81 की व्यापार संभाव्यताएं कठिन समझी जाती हैं। इसके अतिरिक्त बिजली, कोयले तथा कतिपय मूल कच्चे माल, परिवहन की कमी तथा जहाजरानी सम्बन्धी कठिनाइयों जैसी घरेलू बाधाएं हैं।

(ग) तथा (घ) सरकार निर्यात उत्पादन तथा अवस्थापना सुविधाओं में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिए संभव उपाय कर रही है ताकि निर्यातों को बढ़ाया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए 7100 करोड़ रु० (अनन्तिम) का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए आयात नीति, जिसकी 15 अप्रैल 1980 को घोषणा की गई थी, निर्यात अभिमुख बनाई गई है। निर्यातों की सहायता के लिए इस नीति में निम्नोक्त मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं :—

1. विनिर्माता निर्यातिकों के समक्ष, उनकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर मदों के आयात करने के लिए पहले से अधिक विकल्प है।

2. शुल्क सम्बन्धी छूट के लाभ सहित अग्रिम लाइसेंस देने की योजना को कार्यक्षेत्र की दृष्टि से पहले से अधिक व्यापक बना दिया गया है।

3. प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर शुल्क मुक्त आयात करने के लिए एक योजना आरम्भ की गई है। आरम्भ में यह योजना केवल कुछ निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में लागू होती है।

4. निर्यात सदनों के सम्बन्ध में आयात नीति को उदार बना दिया गया है ताकि निर्यात सदन आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई में अपने सहायक विनिर्माताओं की ओर अधिक मदद कर सकें।

5. ऐसे विनिर्माता निर्यातक जो अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या उससे अधिक भाग निर्यात करते हैं उन्हें वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में उनकी वास्तविक खपत की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक मूल्य का कच्चा माल तथा संघटक आयात करने के लिये आटोमेटिक लाइसेंस दिये जाएंगे।

अशोधित तेल के आयात के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिया जाना

716. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अशोधित तेल का बड़े पैमाने पर आयात करने के लिये वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया इस सम्बन्ध में ऋण देने पर सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां तो इन ऋणों की ब्याज दरें क्या होंगी ?

वित्तीय मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) वर्ष 1979 के अन्तिम भाग में कच्चे तेल की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाने के कारण उत्पन्न अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों ने विशिष्ट अवधियों के लिए जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से 12 प्रतिशत ब्याज की दर पर वित्त प्रबन्ध के लिए बातचीत की है।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की समीक्षा रिपोर्ट

717. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसंधान परिषद् ने वर्ष 1980 और 1981 में मूल्यों में निरन्तर वृद्धि और आयात में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के भडार में कमी होने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी समीक्षा रिपोर्ट में परिषद् द्वारा उल्लिखित अन्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विचार से सरकार किस सीमा तक सहमत है और इस प्रवृति को रोकने और वर्ष 1980-81 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसंधान परिषद् ने अपनी त्रैमासिक पत्रिका मार्जिन में 'भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख में कृषि और औद्योगिक उत्पादन, कीमतों और विदेश व्यापार आदि के रुखों की समीक्षा की है। रुखों के आधार पर घोषणा की गई है कि 1880-81 में व्यापार घाटा बढ़ेगा और कीमतों में लगातार वृद्धि के आसार हैं।

(ग) उत्पादन बढ़ाने, कीमतों को स्थिर करने और निर्यात आय को बढ़ाने के लिए जनवरी 1980 से अनेक कदम उठाये गए हैं। वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सरकार का आने वाला बजट और आगे उपाय बताएगा। स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और जब कमी आवश्यक होगा उचित उपाय किए जाएंगे।

यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, कलकत्ता के प्रबंधक के बारे में शिकायतें

718. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में फेडरेशन आफ काटेज एण्ड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज (कुटीर तथा लघु उद्योग संघ) नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल से कोई शिकायत मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत : (क) और (ख) कुटीर तथा लघु उद्योग संघ (फेडरेशन आफ काटेज एण्ड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज) नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल द्वारा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत दिनांक 17 अप्रैल, 1980 के ज्ञापन की एक छपी हुई प्रति मई, 1979 में सरकार को मिली थी जिसमें उन्होंने यूनाइटेड कामर्शियल बैंक द्वारा की गई वसूली सम्बन्धी कार्यवाहियों के बारे में अपनी शिकायत की है। बैंक ने अपनी शाखा के खिलाफ लगाये गए आरोपों की जाँच करने के लिए अपने मुख्य कार्यालय के अधिकारियों में से दो को तैनात किया था। जाँच करने पर यह पाया गया कि आरोप निराधार थे।

बम्बई में आयकर के छापे

719. **श्री जयनारायण रौत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान बम्बई में कार्मियों तथा फर्मों के कार्यालय स्थानों और आवासीय स्थानों पर आयकर के कितने छापे मारे गए;

(ख) उन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या हैं तथा इन छापों में कितनी राशि तथा बहुमूल्य वस्तुएं जब्त की गई; और

(ग) क्या उक्त व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) वर्ष 1979 के दौरान बम्बई में 701 व्यापारिक और रिहाइशी परिसरों की तलाशी ली गई जिनमें 539 मामले अन्तर्गत थे ।

(ख) इन तलाशियों में लगभग 1·60 करोड़ रुपये मूल्य की नकदी, जवाहरात, सोना-चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं पकड़ी गयीं ।

प्रत्येक तलाशी के मामले से सम्बन्धित नाम और पकड़ी गई वस्तुओं का ब्योरा देने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा । परन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी विशेष के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह दे दी जायगी ।

(ग) ये तलाशियां छिपाई गई संदिग्ध आय और/अथवा परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए ली गयीं थी । इन मामलों में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

गांवों में ग्रामीण लोगों को ऋण सुविधाएं

720. **श्री जयनारायण रौत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं कि गांवों में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने की दृष्टि से गांवों के लोगों को ऋण सुविधाएं दी जायें ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विकास और कार्य इस प्रकार हो कि वे ग्रामीण इलाकों में किसानों, कारीगरों, दस्तकारों और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों तथा छोटे स्वनियोजन उद्यमों में लगे हुए लोगों के अर्थक्षम उद्योगों को वृद्धिगत ऋण सहायता के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सहायक हो सकें । आवेदन पत्रों और ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से अधिकाधिक ऋण प्रसार और समग्र लक्ष्यों के निर्धारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एस. एफ. डी. ए., डी. पी. ए. पी, आई. आर. डी. आदि जैसे विकास कार्यक्रमों में बैंकों की भागीदारी को और बढ़ाकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिकाधिक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए हैं । वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर जोर देने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण लोगों को अपनी अर्थक्षम गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त हो जायेंगे ।

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

721. **श्री जयनाराण रौत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में छठी योजना अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी नई शाखाएं खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान लासेंसिंग नीति, वर्ष 1979-80 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए है जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि इस अवधि में वाणिज्यिक बैंक, बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण और अर्धनगरीय केन्द्रों में बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने की दिशा में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का प्रयास करें जहाँ व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/अर्धनगरीय लोगों के लिए एक शाखा से कम हो।

इस नीति के अनुसरण में वर्ष 1979-81 के दौरान राजस्थान के कमी वाले जिलों में 193 शाखाएं खोली जानी हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्थान सरकार के परामर्श से इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है।

मूल्यों में वृद्धि

722. श्री पी. एम. सईद :

श्री एन. ई. होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान वस्तुओं के थोक मूल्यों में गत वर्ष की इसी अवधि में शून्य प्रतिशत की तुलना में 16.78 प्रतिशत वृद्धि रिकार्ड की गई;

(ख) क्या सरकार अध्ययन के अनुसार मार्च 1977-78 की समाप्ति पर थोक मूल्य सूचकांक 185.8 और मार्च 1978-79 की समाप्ति पर 185.8 की तुलना में मार्च 1980 की समाप्ति पर 216.8 तक पहुँच गया था;

(ग) यदि हां, तो इस अभूतपूर्व वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) उन पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार क्या उपाय करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री (श्री मगनभाई बारोत): (क) सूचक अंक में 1979-80 के दौरान 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी की तुलना में 1978-79 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ख) ये आंकड़े क्रमशः 1979-80, 1978-79 तथा 1977-78 के वित्तीय वर्षों के महीनों के औसत अकों से सम्बन्धित हैं, न कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक की अवधि से।

(ग) 1979-80 में कीमतों में तेजी से जो वृद्धि हुई है, उसके मुख्य कारण ये हैं अर्थात् देश में पड़ा व्यापक सूखा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पादन में कमी आई है, लोहा और इस्पात, कोयला, अलौह धातुओं जैसा कतिपय वस्तुओं के प्रशासित मूल्यों में वृद्धिगत समायोजन, तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था में नगदी बाहुल्य की मौजूदगी।

(घ) कीमतों पर युक्तिसंगत काबू पाने के लिए बहुत से उपाय पहले से ही किए जा चुके हैं। अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, कम उपलब्ध वस्तुओं का आयात करके घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना, समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त करना, आधारभूत ढांचे का और ज्यादा कुशल प्रबंध करके उत्पादन में वृद्धि करना तथा मुद्रा उपलब्धि और बैंक ऋण के अनुचित विस्तार को रोकना। अग्रेतर उपाय भी आवश्यकतानुसार किए जाएंगे।

राष्ट्रीय धन का वितरण

723. **श्री पी. एम. सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि देश के सबसे ऊंचे एक प्रतिशत घरानों के पास 14 प्रतिशत रास्ट्रीय धन है जबकि नीचे के 15 प्रतिशत घराने 7 प्रतिशत राष्ट्रीय धन से भी कम के लिये उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने यह भी बताया है कि नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न परिणाम में अत्यधिक धन जमा है;

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कड़े उपाय करने पर विचार कर रही हैं कि सबसे ऊँचे 1 प्रतिशत घरानों के हाथों में राष्ट्रीय धन जमा होने के बजाय निम्न श्रेणी के लोगों में इसका वितरण हों; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस अन्तराल को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने अपने घरेलू आय और उनका व्यय "(हाउस होल्ड इन्कम ऐण्ड इट्स डिस्पोजिशन") नामक अध्ययन में यह कहा है कि देश के एक प्रतिशत शीर्षस्थ घरानों के पास 14 प्रतिशत राष्ट्रीय सम्पत्ति है जबकि नीचे के 50 प्रतिशत घरानों के पास 7 प्रतिशत से भी कम रास्ट्रीय सम्पति है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) यह अध्ययन कृषि वर्ष जुलाई 1975 से जून 1976 के लिए एकत्रित सामग्री के आधार पर किया गया था। विश्लेषण के लिए आँकड़े वैज्ञानिक रूप से चुने हुए 5,125 घरानों के नमूनों से एकत्रित किए गए थे जो देश के ग्रामीण और नगरीय भागों में फैले हुए थे। इनमें से 3015 ग्रामीण घराने 237 ग्रामों से चुने गए थे और 2110 नगरीय घराने 150 शहरों/कस्बों से चुने गए थे। इस अध्ययन में देश के घरेलू क्षेत्र की आय, निवेश, सम्पत्ति और बचत के बितरण के समग्र स्वरूप तथा प्रभाव डालने वाले सामाजिक आर्थिक और जनसंख्या संबंधी तत्वों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार का लगातार यह प्रयत्न रहता है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति कुछ ही हाथों में केन्द्रित होने के बजाए उसका अधिक समुचित वितरण हो। आय और सम्पत्ति में असमानताओं को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें उत्पादक का रोजगार के अवसरों का निर्माण करके निर्धनों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए किए गए सामाजिक आर्थिक उपाय जिनके साथ सरकारी खर्च के माध्यम से उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है और भूमि सुधार; उच्च आय वर्ग की व्यय-योग्य आय में कमी करने के लिए प्रगामी कराधान और राजकोषीय उपाय; एकाधिकारी और निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के माध्यम से एकाधिकारों का नियंत्रण या उनमें कमी करना; संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र में वेतनों और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कुछ

और दीर्घकालीन तथा तात्कालिक उपाय करने का विचार है। पुनर्गठित योजना आयोग इस समय छठी आयोजना के पुनर्निर्माण का कार्य कर रहा है। सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति के बेहतर वितरण की दिशा में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और इसलिए वह इस कार्यक्रम को विकास आयोजना में संयोजित करना चाहेगी।

"इण्डियन एयरलाईन्स" की उड़ानों में देरी के विरुद्ध शिकायतें

724. **पी. एम. सईद : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इण्डियन एयरलाइन्स" की उड़ानों में देरी के विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या "एयर-इण्डिया" और "इंडियन एयरलाइन्स दोनों ने अपनी सेवा में कोई सुधार नहीं किया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार "एयर-इंडिया" और "इंडियन एयरलाइन्स" दोनों के वर्तमान बेड़े का विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो ये दोनों एयरलाइने प्रत्येक इच्छुक यात्री को कब तक सीट देने में समर्थ हो जाएगी और उड़ानों की देरी पर काबू पा लेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) : जी हाँ। इस विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) : उड़ान में सभी देरियों की विभिन्न स्तरों पर जाँच की जाती है और उपचारी कार्यवाही की जाती है। दोनों कारपोरेशनों तथा सरकार का निरन्तर यह प्रयत्न रहता है कि जहां उड़ान-सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित किया जाय वहाँ उसके साथ-साथ उड़ानों के समय-पालन को भी बनाए रखा जाए।

(ग) और (घ) : चालू वर्ष में इंडियन एयरलाइन्स दो एयरबस तथा चार बोइंग-737 विमान खरीदने जा रही है। 1981 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में चार और बोइंग-737 विमानों की वृद्धि की जायेगी। एयर-इंडिया ने तीन बोइंग 747 विमानों की खरीद का आशय-पत्र दे दिया है। ऐसी आशा है कि दोनों एयरलाइनों के विमान-बेड़ों के विस्तार के पश्चात् सीटों की उपलब्धता तथा उड़ानों के समय-पालन में काफी सुधार हो जाएगा।

प्रचलित मूल्यों में वृद्धि के कारण स्टैनलेस स्टील एककों का बन्द होना

725. **श्री पी. एम. सईद : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र में 70 से अधिक स्टैनलैस स्टील निर्माता एकक बहुत से आयातित कच्चे माल में भारी वृद्धि हो जाने के कारण तत्काल बन्द होने की स्थिति में हैं।

(ख) : यदि हाँ, तो क्या निर्माताओं ने प्रचलित मूल्य में वृद्धि के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम से स्टैनलेस स्टील की चादरें नहीं उठाई हैं;

(ग) : यदि हाँ, तो क्या उन्होंने बताया है कि उक्त धातु के मूल्य में आयात-शुल्क को 22 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कम करके प्रति मी. टन 57,000 तक कमी की जा सकती है; और

(घ) : यदि हाँ, तो उन्होंने और क्या-क्या तर्क और सुझाव दिये हैं तथा क्या सरकार उनके सुझावों पर विचार कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन स्टैनलेस एककों को बन्द होने का खतरा न हो ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1. बिजली की कटौती के कारण उत्पादन में कमी होने (2) क्रेडिट सूक्वीज के कारण वित्तीय कठिनाई होने और (3) अन्ततः उत्पादों की माँग में काफी कमी हो जाने से वर्ष 1979-80 के उत्तरार्द्ध में खनिज में तथा धातु व्यापार निगम से वेदाग इस्पात की खरीद कम हुई थी।

(ग) और (घ) वर्तन निर्माताओं ने आयात-शुल्क को 220 प्रतिशत से घटाकर 120 प्रतिशत करने तथा एस. एम. टी. सी. के बिक्री मूल्यों में कमी के लिये अभ्यावेदन दिए हैं। इसके विपरीत देश की पुनर्वेलन इकाइयों तथा विभिन्न उत्पादकों, विशेष रूप से लघु इस्पात संयंत्रों ने आयात-शुल्क में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिए हैं, जिससे बाजार में देश में उत्पादित वेदाग इस्पात की बिक्री बढ़ सके। सरकार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बीच का मार्ग अपनाने का प्रयत्न कर रही है।

फ्रांस सरकार से प्रस्ताव

728. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस सरकार ने भारत सरकार को कार्यकुशल औद्योगिक इंजन देने का प्रस्ताव किया है, जिनमें कम तेल और पेट्रोल की खपत होती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भूटान के साथ विमान-सेवा

729. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के साथ विमान-सेवा सम्पर्क के बारे में इंडियन एयरलाइन्स से बातचीत करने के लिए मई, 1980 में एक भूटानी दल भारत आया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा फार्म क्षेत्र को ऋण देने की दर में वृद्धि किया जाना

730. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों को फार्म क्षेत्र को ऋण देने की दर में वृद्धि करने के अनुदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण

731. **श्रीसोमनाथ चटर्जी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ताकि कुल ऋण का हिस्सा 20 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 40 प्रतिशत के प्रस्तावित राष्ट्रीय औसत तक किया जा सके; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) 1985 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल ऋण का 40 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उपलब्ध किया जाने लगे यह लक्ष्य अखिल भारतीय समग्र लक्ष्य के रूप में बैंकों को सूचित किया गया है लेकिन पश्चिम बंगाल में विशेषकर ग्रामीण और अर्ध नगरीय इलाकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता सर्वमान्य है। इसलिए बैंकों से कहा गया है कि वे, खासकर उन जिलों में जहां ऋण जमा अनुपात कम है, अपनी शाखाओं के कार्यकरण की जांच करें और ग्रामीण तथा अर्धनगरीय शाखाओं में पर्याप्त क्षेत्र कर्मचारियों व्यवस्था करें की तथा कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों, कारीगरों, शिल्पियों तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों को उत्तरोत्तर अधिक सहायता देने के लिए बनाये गये कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करें।

इस बात पर निगाह रखने के लिए कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, खासकर पश्चिम बंगाल में 20 सूत्री कार्यक्रम से लाभान्वित होने वालों को बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए उनके द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं, एक स्थायी कार्यकारी दल स्थापित कर दिया गया है जिसका भारतीय रिजर्व बैंक सयोजक है और जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिम बंगाल के तीन लीड बैंकों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र के लिए बैंकों द्वारा धन दिया जाना।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बैंकों द्वारा पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र के लिए आवश्यक धन नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल में लघु क्षेत्र के विकास के लिए बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि दी गई/ मंजूर की है ;

(घ) उन एक्कों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को (राज्यवार) कितने धन का आवंटन किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) : संभवत: माननीय सदस्य 'लघु क्षेत्र' के द्वारा प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रों अर्थात कृषि, लघु उद्योग, सड़क और जल

परिवहन चालकों, खुदरा व्यापार और छोटे कारवार, व्यावसायिक और स्वनियोजित लोगों और शिक्षा की ओर संकेत कर रहे हैं जो मोटे तौर पर छोटे उद्यमों में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों को दिये गए अग्रिमों को देखने से यह पता चलता है कि अग्रिम देने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से देखा जा सकता है

पश्चिम बंगाल में सरकार क्षेत्र के बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गए अग्रिम

निम्नलिखित महीनों के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	बकाया राशि (लाख रुपये)
दिसम्बर, 1976	193, 27.33
दिसम्बर, 1977	239, 94.97
दिसम्बर, 1978	319, 71.19

(घ) : छोटे ऋणों के संबन्ध में इस प्रकार की सूचना इकट्ठी नहीं की जाती है । इसके अलावा बैंकरों के बीच प्रचलित प्रथाओं और रिवाजों तथा बैंकारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम की धारा 13 (1) के उपबन्धों के अनुसार भी बैंकों को अपने अलग अलग ग्राहकों से संबन्धित सूचना प्रकट करने की मनाही है।

(ङ) : दिसम्बर, 1976, 1977 और 1978 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की दिये गए अग्रिमों की बकाया राशियों के राज्यवार वितरण के आंकड़े विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

(लाख रुपये)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1976	1977	1978
आंध्र प्रदेश	23745.89	29215.06	38106.62
असम	2427.35	2975.35	3686.90
बिहार	12634.55	16224.57	21268.04
गुजरात	25031.68	29129.53	36676.33
हरियाणा	9321.59	12970.95	18036.49
हिमाचल प्रदेश	868.16	1242.43	1897.02
जम्मू व कश्मीर	1134.11	1489.11	2011.83
कर्नाटक	28153.97	32177.79	37748.92
केरल	12580.42	13716.40	20082.32
मध्य प्रदेश	12744.02	15931.49	20165.08
महाराष्ट्र	53915.15	63008.79	75761.50
मणिपुर	164.54	256.38	307.74
मेघालय	186.56	240.03	315.95
नागालैंड	74.73	83.45	122.33

उड़ीसा	3496.37	5148.89	7292.45
पजाब	16518.37	22235.81	30232.94
राजस्थान	8253.81	10636.01	15206.77
तमिलनाडु	30866.92	34479.76	42958.57
त्रिपुरा	267.02	356.04	557.34
उत्तर प्रदेश	28273.67	35839.62	48445.79
पश्चिम बंगाल	19327.33	23994.97	31971.19
सिक्किम	—	4.44	6.34
संघ शासित क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45.25	47.57	85.47
अरुणाचल प्रदेश	8.32	24.36	27.05
चण्डीगढ़	1443.25	2052.56	2316.19
दादर और नागर हवेली	30.11	52.79	42.58
दिल्ली	8415.34	12565.63	16969.55
गोआ, दमण और दीव	1812.04	2198.24	2442.27
लक्षद्वीप	2.28	1.92	1.75
मिजोरम	8.02	9.65	41.15
पांडिचेरी	885.90	966.70	1145.06
जोड़	303636.73	369277.18	475929.52

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण तथा उपनगरीय शाखाओं ऋण का जमाराशि अनुपात

733. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण तथा उपनगरीय शाखाओं का ऋण जमा राशि अनुपात इस समय कितना है;

(ख) यदि वह अभी तक 60 प्रतिशत तक नहीं पहुँचा है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इन बैंकों के कुल ग्रामीण ऋणों में से कितनी राशि का उपयोग विकास के लिए बड़े उद्योगों द्वारा किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जून 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं का ऋण जमा अनुपात क्रमश: 54.4 और 47.3 प्रतिशत बैठता है।

(ख) बैंकों से कहा गया है कि वे कृषि के क्षेत्र तथा साथ ही साथ ग्रामीण कारीगरों दस्तकारों और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को भी अपने ऋणों के प्रसार में वृद्धि करें। ऋण कर्त्ताओं के इन वर्गों के लिए आवेदन पत्रों तथा ऋण प्रदान की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया

गया है। बैंकों से कहा गया है कि वे विकास सम्बन्धी ऋण प्रदान करने के लिए अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में पर्याप्त संख्या में क्षेत्र-कर्मचारी उपलब्ध करायें। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों जैसे मध्यस्थों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि खेती करने वाले समुदायों की प्रभावी व्याप्ति में सुधार लाया जा सके। बैंक एस. एफ. डी. ए., डी. पी. ए. पी., आई. आर. डी. आदि जैसे कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और अपनी ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं के माध्यम से कृषि और सम्बन्ध गतिविधियों के लिए अधिकाधिक राशि प्रदान कर रहे हैं।

(ग) इस बारे में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं से आशा की जाती है कि वे ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करें तथा तथा उनके परिचालन क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए यह आशा की जाती है कि उनके अधिकांश ऋण, कृषि, कारीगरों और दस्तकारों, सहित छोटे उद्योगों तथा व्यापारियों और अन्य स्वनियोजित उद्यमियों को दिये जायेंगे।

फर्मों और व्यक्तियों के अपने हेलिकाप्टर

735. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति और फर्में आदि हैं, जिनके अपने हेलिकाप्टर हैं;

(ख) क्या हेलिकाप्टर खरीदने के लिए सरकार द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : शर्त केवल यह है कि आवेदनकर्ता को अभीष्ट खरीद औचित्य के बारे में सरकार को सन्तुष्ट करना पड़ता है।

विवरण

उन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम तथा पते जिनके अपने हेलिकाप्टर हैं

1. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, बम्बई एण्ड एविडिया (पी.) लि. बम्बई।
2. काम्बोटा एविएशन (पी.) लि., 42, क्वीन्ज रोड, बम्बई-400001.
3. एच. एस. सोमा सिंह (पी.) लि. हैंगर नं. 2, जूहू एयरोड्राम एण्ड बैंक आफ बड़ौदा पो. ओ. बाक्स 347, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई।
4. मैसर्स मानेकजी एविएशन (पी.) लि., मोहता हाउस, अपोलो स्ट्रीट, बम्बई।
5. भारत कामर्सएण्ड इंडस्ट्रीज, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गान्धी मार्ग, नई दिल्ली।
6. भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि., 9, फारसी चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता।
7. मैसर्स, भारत एयर, प्रोपराइटर्स भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली।
8. खेमका एविएशन (पी.) लि. स्पीड बर्ड हाउस, "एम ब्लाक", कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
9. मैसर्स एग्रीकल्चरल एविएशन (पी.), लि० हैंगर। जूहू एयरोड्राम, बम्बई।

10. सांघी एविएशन, मैसर्स सांघी ब्रादर्स (इन्दौर), लि. नई दिल्ली।
11. सांघी एविएशन, 7-ई झन्डेवालान, नई दिल्ली तथा स्टेट बैंक आफ इन्दौर।
12. मैसर्स पुष्पक एविशन (पी.), लि. बम्बई।
13. मैसर्स पुष्पक एविएशन (पी), लि., मद्रास एण्ड सिंडीकेट बैंक, बम्बई।
14. बैंक आफ बड़ौदा. मद्रास एण्ड साउथ्र्न एविएशन (पी), लि., 68, साम्बूदारा स्ट्रीट, मद्रास।
15. मैसर्स भारत एग्रो एविएशन, 5, हनूमान रोड, नई दिल्ली।
16. पंजाब स्टेट को-आपरेटिव सप्लाई एण्ड मार्केटिंग फेडरेशन, चण्डीगढ़।
17. फिलमैन एयरक्राफ्ट क., बम्बई-400001.
18. यूनाइटेड स्प्रे सर्विसेज (पी), लि., एण्ड सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली।
19. मैसर्स हैगड़े एविएशन, जूहू एयरोड्राम, बम्बई।
20. हेलिकाप्टर सर्विसेज लि., बम्बई।

चीनी का आयत करने से पूर्व परामर्श

736. **श्री छीतूभाई गामित** क्या वाणिज्य मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय ने इस वर्ष मई में लगभग दो लाख टन चीनी का आयात करने के पूर्व कृषि मन्त्रालय से परामर्श किया था; और

(ख) यदि हां. तो उक्त प्रस्ताव अर्थात 20 वर्ष तक सन्तोषजनक स्थिति रहने के पश्चात चीनी का आयात करने के लिए किस आधार पर सहमति दी गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने घरेलू बाजारों में चीनी की निरन्तर कमी को पूरा करने और इस वर्ष चीनी के उत्पादन में अधिक कमी होने से बढ़ते हुए कीमत के रुख को देखते हुए चीनी का आयात करने का निर्णय लिया है।

इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के शासीबोर्ड के सदस्य

737. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स के शासी बोर्डों में कुछ प्रमुख होटल मालिकों और उद्योगपतियों को शामिल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ तो इसमें शामिल किये जाने वाले प्रास्तावित ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इसका प्रयोजन क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) एयर इडिया तथा इन्डियन एयरलाइंस के निदेशक मंडलों के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

भारत और चीन के बीच विमान सेवा

738. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ माह पहले एयर इन्डिया के कुछ वरिष्ठ अधिकारी चीन सरकार के निमत्रण पर चीन गए थे ?

(ख) यदि हां तो उससे दोनों देशो के बीच विमान सेवा शुरू होने की सम्भावना कहाँ तक बढ़ी है ?

(ग) क्या चोन के उक्त दौरे से दोमों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार होने की दिशा में भी कुछ प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हाँ तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कनाडा के साथ रण सम्बन्धी करार

739. **श्री लक्ष्मण मलिक** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और कनाडा की सरकारों ने हाल ही में विकास सहायता ऋण करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी हां। भारत सरकार तथा कनाडा के बीच दिनाँक 15 मार्च, 1980 को 2.5 करोड़ कनाडी डालर (17.45 करोड़ रुपए) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गये थे।

(ख) इस ऋण की राशि का उपयोग कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम के लघु सिंचाई, कृषि सेवा केन्द्र, पशुपालन, वन पालन, छोटे मछुओं के कल्याण के लिए अन्तर्देशीय मीन उद्योग, समुद्री मीन उद्योग और गोबर गैस संयंत्र आदि जैसे कुछ चालू कार्यक्रमों के वितपोषण के लिए किया गया था।

यह ऋण ब्याज, वचनबद्धता तथा सेवा प्रभार से मुक्त है। दस वर्ष की रियायती अवधि सहित इस ऋण की वापसी अदायगी की अवधि 50 वर्ष है।

वर्ष 1980-81 के लिए आयात नीति की मुख्य मुख्य बातें

704. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए हाल ही में घोषित आयात नीति की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1980-81 की आयात नीति की मुख्य रूपरेखा

सामान्य

समुचित प्रतिबन्ध लगाये गये गए हैं ताकि संभव सीमा तक आयातों पर निर्भरता को कम किया जा सके और स्वदेशी उद्योग को वांछित संरक्षण प्रदान किया जा सके।

2. निर्यात प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए कतिपय उपबन्ध लागू किए गए हैं।

3. नई आयात नीति का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले

से ही निष्पादन अधीन लाइसैंसों अथवा पिछले दावों के आधार पर जारी किए गये नये लाइसैंसों के उपयोग के लिए संक्रमण-कालीन प्रबन्ध किए गये हैं।

वास्तविकत प्रयोक्ता (औद्योगिक)

4. वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) ऐसे कच्चे माल तथा संघटकों का, जो निषिद्ध प्रतिबन्धित अथवा सरणीबद्ध नहीं हैं, खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत आयात करने के लिए पात्र बने रहेंगे।

5. स्वदेशी तौर पर उपलब्धता का ध्यान रखते हुए खुले सामान्य लाइसैंस के क्षेत्र से अनेक मदें निकाल ली गई हैं। इन मदों में शामिल हैं, क्रोमिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट बेसिक क्रोमियम सल्फेट, तथा चमड़े की रगाई तथा शोधन में प्रयोग होने वाले वैट्टल निस्सारण, कैलसाइन्ड पैट्रोलियम कोक, गम रोजिन, एसिटोलीन ब्लैक, सिसल यार्न, प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणों के संघटक तथा प्रिसिजन मापन उपकरण और औषधियों व औषध मध्य वर्तियों की कतिपय मदें।

6. स्वदेशी उत्पादन के कारण निषेध सूची में अनेक मदें शामिल की गई हैं। इन मदों में शामिल हैं, गैर-भेषजीय ग्रेड के मैनोलीन एनीहाइड्रस, ए. बी. सी. माडलिंग पाउडर, कैफीन तथा इसके साल्ट, कार्क उत्पाद, घड़ी के डायल, औद्योगिक ज्वैलर्स, विटामिन बी-12, विटामिन सी., पोलिप्रोपिलीन फाइबर-ग्लास फाइबर यार्न/फैब्रिक्स उनसे बनी वस्तुएं, और बैटा-नेपशाल।

7. औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त जो उपभोज्य वस्तुएं निषेध, प्रतिबंधित अथवा सारणीबद्ध सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी वास्तविक प्रयोगताओं (औद्योगिक) द्वारा खुले लाइसैंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति दी गई है।

8. कच्चे माल, संघटन तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए आटोमैटिक लाइसैंस जारी करने की प्रणाली 1979-80 के तरह जारी रहेगी परन्तु पिछले दो वर्षों में से किसी में भी प्रमाणित वास्तविक खपत के अलावा अतिरिक्त 10% जिसके अधार पर आटोमैटिक लाइसैंस का मूल्य निर्धारित किया जाता है, केवल उन्हीं वास्तविक प्रयोक्ताओं को उपलब्ध होगा। जिन्होंने चुनिन्दा उत्पादों के अपने वास्तविक उत्पादन का कम से कम 10% का निर्यात किया।

9. ऐसे लघु उद्योग एककों को, जो 50,000 रुपये से अनधिक राशि के लाइसैंस प्राप्त करते हैं, "रिपीट" लाइसैंस जारी करने की प्रणाली पिछली अवधि की तरह जारी रहेगी।

10. भेषजीय उद्योग में औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत अनुमोदित "ऋण लाइसैंसधारी" उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के आयात के लिए अपने निजी नाम में वास्तविक प्रयोक्ता लाइसैंस प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसे ऋण लाइसैंसधारी अनुमत कच्चे माल की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत करने के भी पात्र होंगे।

11. निषेध मदों के आयात के लिए एक आटोमैटिक लाइसैंस के अंश का उपयोग करने के लिए 1979-80 में प्रदान की गई सुविधा जारी रहेगी। अनुपूरक लाइसैंस जारी करने की प्रणाली भी जारी रहेगी।

12. नये एकक अपने प्रायोजित प्राधिकारियों की सिफारिशों पर कच्चे माल और

संघटकों के लिए आरम्भिक लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र बने रहेंगे। ये व्यवस्था की गई है कि असाधारण मामलों में ऐसे कारखानों को अनुपूरक लाइसेंस दिये जाने के लिए प्रार्थनापत्र भी लिये जा सकते हैं।

13. सरकारी क्षेत्र में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की सुविधा विभागीय रूप से चलने वाले उपक्रमों और रेलवे को दी गई है। सरकार द्वारा उनको रिलीज की गई विदेशी मुद्रा के आधार पर और आयात किये जाने वाली मदों के सम्बन्ध में तकनीकी प्राधिकारियों से स्वदेशी दृष्टिकोण से अनुमति प्राप्त होने के आधार पर उन्हें खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कच्चा माल, संघटक, काम में आने वाली चीजें और अतिरिक्त पुर्जे आयात करने की अनुमति होगी। यही सुविधा अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए सरकारी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों/परियोजनाओं, उपक्रमों को भी दी गई है।

14. खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की मानिटरिंग अधिक कारगर बनाने के लिए आटोमेटिक और अनुपूरक लाइसेंसों को आवेदन देने वाले वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपने आयात आवेदनपत्रों के साथ एक ऐसा घोषणापत्र प्रस्तुत करेंगे जिसमें वर्ष 1979-80 के दौरान खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उनके द्वारा आयातित कच्चे माल/संघटकों और अतिरिक्त पुर्जों का विवरण उन चीजों के सी. आई. एफ. मूल्य के साथ दिया गया है।

पंजीकृत निर्यात

15. पंजीकृत निर्यातकों को संबंधित निषिद्ध या सारणीबद्ध मदों और पैक करने के सामान के आयात के लिए निर्यात के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा मिलती रहेगी। आर. ई. पी. लाइसेंस उस समय तक मुक्त रूप से हस्तांतरणीय भी बने रहेंगे जब तक वे निर्यात सदनों के पास नहीं होते और उनका इस्तेमाल वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसेंस वाली मदों का आयात करने के लिए नहीं किया जाता।

16. आर. ई. पी. लाइसेंसों के आधार पर सारणीबद्ध मदों के सीधे आयात के लिए भी पहले की तरह अनुमति दी जाती रहेगी।

17. विनिर्माता-निर्यातकों को अपने कारखानों में इस्तेमाल किए जाने के लिए कच्चे माल, संघटकों, काम में आने वाली चीजों या पैक करने की चीजों के आयात के लिए उन्हें आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसो का उपयोग करने में अधिक लोचशीलता प्रदान की गई है।

18. सीमाशुल्क छूट के लाभ वाले अग्रिम लाइसेंसों की योजना में और संशोधन करके उसे अधिक व्यापक बनाया गया है ताकि योजना निर्यातकों की आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बन सके।

19. चयनात्मक आधार पर आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के बदले में कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने वाली एक योजना आरम्भ की गई है।

20. अग्रदाय लाइसेंस (शुल्क की छूट के बिना) भी उपयुक्त निर्यात दायित्व सहित सभी निर्यात उत्पादों के लिए उपलब्ध होंगे।

21. निर्यात सदनों को निर्यात सदन प्रमाणपत्र जारी करने के मानदंडों को सुव्यवस्थित

विया गया है। छोटे कारखानों के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य की दृष्टि से उनके निर्यात का स्तर एक करोड़ रु० की सीमा को पार कर गया है, निर्यात सदन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए 20 प्रतिशत की निर्धारित वृद्धि दर को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। निर्यात सदनों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस की मदों के आयात किये जाने और उन्हें अतिरिक्त लाइसेंस देने की नीति उदार बनाई गई है । जिन निर्यात सदनों का निर्यात के रूप में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु० से कम नहीं है उन्हें यह अनुमति होगी कि वे वास्तविक प्रयोक्ताओं के पास वैध आयात लाइसेंस के आधार पर हाजिर माल के रूप में कच्चा माल और संघटक की सप्लाई करके ऐसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।

अतिरिक्त पुर्जों का आयात

22. अतिरिक्त पुर्जों के आयात की नीति को और उदार बनाया गया है। परिसंपत्तियों के उचित रखरखाव के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ताओं को उपलब्ध उदार सुविधाओं के आलावा स्टाक और बिक्री के लिए तथा मशीनरी, यंत्रों और गाड़ियों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता रखने वाली वर्कशापों के लिए अतिरिक्त पुर्जों के आयात लाइसेंस देने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं।

सरणी करण

23. वास्तविक प्रयोक्ताओं को कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए कच्चे माल के आयात के मामले में सरकारी क्षेत्र के अभिकरण प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे। आयात के सरणीकरण की योजना में अन्तर्निहित उद्देश्यों को देखते हुए सरणीबद्ध मदों की सूची का पुनरीक्षण किया गया है। सूची में से कुछ मदें निकाल ली गई हैं जबकि अन्य मदें उसमें शामिल कर दी गई हैं :

अनिवासी भारतीयों को सुविधायें

24. उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से देश में बसने के लिए वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों को आयात नीति में विशेष सुविधाएं दी जाती रहेंगी। तथापि, देशी उद्योग के वैध हितों की रक्षा करने के लिए उनके मामले में सामान्यतः निषिद्ध प्रकार की मशीनों के आयात की अनुमति नहीं होगी। योजना में अनेक प्रक्रिया सम्बन्धी सुधार भी किये गये हैं।

पूंजीगत माल

25. खुले सामान्य लालसेंस के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयात के लिए स्वीकृत पूंजीगत माल की सूची व्यापक पूंजीगत माल की सूची व्यापक बनाई गई है। सूची में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग की आवश्यकता वाली कई मशीनरी मदों को शामिल किया गया है।

26. विशेष सूची में से पूंजीगत माल की कुछ मदों को निकाल लिया गया है चूंकि देश में उनका उत्पादन पूरी मांग की पूर्ति नहीं कर सका। अब इनके आयात पर देशी दृष्टिकोण से अनुमति के अध्यधीन गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

27. आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर पूंजीगत माल के आयात की नीति सुव्यवस्थित की गई है।

स्टाक और बिक्री के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात

28. स्टाक और बिक्री के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात किये जाने के लिए स्वीकृत मदों की सूची में नई मदें जोड़ी गई हैं।

29. खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत विना प्रभार के आयात करने, व्यापार सूचियों और परिपत्रों, व्यापार नमूनों और विज्ञापन की सामग्री की सुविधा जारी रहेगी। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत ऐसे माल के आयात की भी सुविधा जारी रहेगी जो उस माल के बदले में मंगाया जा रहा हो जो पहले आयात किया गया हो किन्तु प्रयोग में लाने के लिए दोषपूर्ण या अन्यथा अनुपयुक्त पाया गया हो अथवा आयात करने के बाद वह खो गया हो/अतिग्रस्त हो गया हो।

पूर्वी तट के वॉक्साइट निक्षेपों के विदोहन के लिए फ्रांस के साथ एक मुश्त सौदा

741. **श्री लक्ष्मण मलिक** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी तट पर वॉक्साइट के निक्षेपों का विदोहन करने के लिए हाल ही में फ्रांस सरकार के साथ एक-मुश्त सौदा किया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) पूर्वी घाट बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजना के बारे में हाल ही में भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार फ्रांस सरकार से व्यापक वित्तीय व्यवस्था हेतु एक-मुश्त सौदा शीघ्र ही किए जाने की आशा है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग की शर्तों के बारे में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी फ्रांस की मैसर्स एल्यूमिनियम पैशीने के साथ बातचीत कर रही है।

कर-चोरी करने वालों द्वारा सरकारी बैंक सेवा का प्रयोग

742. **श्री आर. के. महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर की चोरी करने वाले, काला बाजार करने वाले अपने कदाचारों को छिपाने के लिए सरकारी बैंक सेवा का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या बम्बई में, हाल ही में आयकर अधिकारियों को ऐसे मामले देखने को मिले हैं ;

इस पद्धति को शीघ्र रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा उसका क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) आय-कर अधिकारियों द्वारा पकड़े गए मामलों से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ख) बम्बई में आयकर अधिकारियों को कुछ ऐसे मामले अवश्य देखने को मिले थे जिनमें देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक काले धन को भेजने में सरकारी बैंक सेवा का प्रयोग किया जा रहा था।

(ग) सरकार अनेक उपायों पर विचार कर रही है, लेकिन उन्हें प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

(घ) जाँच चल रही है तथा इन मामलों में कानून के अनुसार यथा-अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

743. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न होने के कारण कुछ नागरीय क्षेत्रों में अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन दो सेक्टरों में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं; और

(ग) क्या इन क्षेत्रों में जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई है;

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय की स्थापना किया जाना

745. **श्री पी. ए. संगमा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्किल मुख्यालय की स्थापना करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक की पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित शाखाओं के प्रशासन हेतु अलग से स्थानीय मुख्यालय की भारी आवश्यकता को स्वीकार करती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस विषय पर भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

फर्मों द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गये कर की राशि जमा कराया जाना

746, **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1976-77 के लिए कर्मचारियों के वेतन से मूल स्थान पर काटी गई कर की राशि जमा नहीं कराई है;

(ख) क्या इन कम्पनियों के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) इस मंत्रालय के पास जो सूचना उपलब्ध है वह उन मामलों के सम्बन्ब में है जो आयर आयुक्तों ने, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2`6 ख के अधीन नियोजकों द्वारा वेतन स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं किये जाने अथवा कटौती करके उसे निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किये जाने के कारण इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए भेजे हैं। वे चूकों के सम्बन्ध में हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 1976-77 में हुई चूकें भी शामिल हैं और जो इस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 1979-80 तक भेजे गये उक्त मामलों से सम्बद्ध फर्मों के नाम नीचे दिये अनुसार हैं :—

1. मैसर्स चितराम एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड ।
2. प्लास्टिफोय प्राइवेट लिमिटेड ।
3. मैसर्स खण्डेलवाल हरमन्न इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ।
4. ,, सनवेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ।
5. ,, केमिडा (आई) प्रा० लि० ।
6. ,, पेण्टामान इंजीनियरिंग प्रा० लि० ।
7. ,, दरब दुवाश प्रा० लि० ।
8. ,, इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड ।
9. ,, श्री इण्डस्ट्रियल रबर वर्क्स प्रा० लि० ।
10. ,, स्पनपाइप एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं० आफ इण्डिया प्रा० लि० ।
11. ,, विठल पुरुषोत्तम एण्ड संस प्रा० लि० ।
12. ,, सित्वानिया एण्ड लक्ष्मण प्रा० लि० ।

ऐसे कुछ दूसरे मामले हो सकते हैं जिनमें आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज अथवा अर्थ-दन्ड लगाया गया हो अथवा जिन्हें अभी तक इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए नहीं भेजा गया हो । इस प्रकार के मामलों की सूचना इस मंत्रालय में तत्तकाल उपलब्ध नहीं हैं । इसके एकत्र किये जाने में काफी समय तथा श्रम लगेगा । यदि माननीय सदस्य किसी मामले विशेष के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों तो ऐसी सूचना एकत्र करके प्रस्तुत कर दी जायगी ।

(ख) तथा (ग) मैसर्स सनवेज इण्डिया प्रा० लि० को छोड़ कर, जिसे के मामले में कि अपराध माफ किया जा चुका है, उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित सभी कम्पनियों के विरुद्ध इस्तेगासे की कार्यवाही आरम्भ करने की मंजूरी दी जा चुकी है ।

पटसन मिल मालिकों द्वारा भारतीय पटसन निगम से भंडार की डिलवरी को स्वीकार करने से इन्कार किया जाना

747. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिल मालिक भारतीय पटसन निगम से भंडार की डिलीवरी लेने से इन्कार करके भारतीय पटसन निगम के कार्यकरण में रुकावट डाल रहे हैं हालांकि सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली से उन्हें इस प्रयोजन के लिए रियायती दरों पर अग्रिम प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पटसन मिल मालिकों के उक्त प्रयासों को असफल करने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि भारतीय पटसन निगम अपने पास जमा भंडार का निपटान करने में असफल रहता है तो वह भावी पटसन फसल के दौरान दिये जाने वाले न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव पर किस प्रकार चल सकेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग प्रणाली भारतीय पटसन निगम से पटसन की खरीद के लिए ब्याज की

इमदादी दर पर पेशगियां नहीं देते । मिलें इस स्तर पर भारतीय पटसन निगम से खरीद की अनिच्छ हैं क्योंकि स्वयं उनके पास रेशे का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है । इसके बावजूद भी निगम 21 मिलों को पुरानी पटसन की 1 45 लाख गाठें बेच सका और उन्हें और अधिक स्टाक बेचने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं इसके अलावा, सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई पांच मिलों को 2·92 लाख गांठों की बिक्री की गई है ।

(ग) भारतीय पटसन निगम संचित स्टाक का निपटान करने और साथ ही स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त गोदाम स्थान प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है ।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों से सम्बन्धित समिति

748. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की दरों और सम्बद्ध का विषय का अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) यदि नहीं तो वह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी;

(ग) यदि उसे प्रस्तुत कर दिया गया है तो उस प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और

(घ) जीवन बीमा निगम ने उस पर क्या निर्णय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (घ) जीवन बीमा निगम को प्रीमियम दरों की जाँच करने के लिए निगम द्वारा नियुक्त की गई बीमांकिकों की समिति का मुख्य निष्कर्ष और सिफारिश यह थी कि निगम की वर्तमान प्रीमियम दरों के आधार में मूलभूत परिवर्तन हो चुका है इसलिए यह आवश्यक है कि प्रीमियम की दरें संशोधित आधार पर आँकी जाएं । जीवन बीमा निगम ने बीमांकिकों की समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और पहली अप्रैल, 1980 से प्रीमियम की दरों में संशोधन कर दिया है । बीमांकिकों की समिति की एक और मुख्य सिफारिश यह थी कि अधिशेष का और अधिक साम्यापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा निगम को इस समय अदा किये जाने वाले प्रतिरूप बोनस के अलावा पालिसी होल्डरों को टर्मिनल बोनस भी अदा करना चाहिए । जीवन बीमा निगम ने इस सिफारिश को भी मंजूर कर लिया है और अन्तिम (अतिरिक्त) बोनस के नाम से टर्मिनल बोनस अदा करने के अपने निर्णय की घोषणा भी कर दी है । यह बोनस पहली जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के दौरान मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण पालिसियों के दावों का रूप धारण कर लेने पर दिया जाएगा बेशर्ते कि ये पालिसियां कम से कम 15 वर्ष तक निगम की पुस्तकों में चालू रही हों ।

पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा ऋण पर जमानत की मांग

749. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बैंकों द्वारा 2500/-रु० के कम के ऋण पर भी जमानत की माँग की जारी रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्यों;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में बैंकों को इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया है कि बेरोजगार युवाओं से 2500/-रु० तक के ऋण पर कोई जमानत न मांगी जाए;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सामान्यत: 2500 रुपये से कम ऋणों के लिए, जो फसल ऋणों के रूप में अथवा चल परिसम्पत्ति के निर्माण/खरीद के लिए ऋणों के रूप में मंजूर किये जाते हैं, सरकारी क्षेत्र के बैंक ऋणकत्ता से वैयक्तिक जमानत तथा ऋण राशि से निर्मित फसल चल परिसम्पत्ति के दृष्टिबंधन (हाईपोथिकेशन) के अलावा कोई जमानत नहीं मांगते। पश्चिम बंगाल में कार्यरत बैंक के बारे में इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में हुई राज्यों के मुख्य सचिवों गृह सचिवों, तथा राज्यों की पुलिस चीफ की बैठक

750. **श्री झारखंडे राय** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों, गृह सचिवों तथा पुलिस के चीफ, जिनकी बैठक दिल्ली में 3 अप्रैल, 1980 को हुई थी, ने दुकानदारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मूल्य लिखकर पुन: टाँके जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही/निर्णय किया गया है।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किये गये मूल्य प्रदर्शन आदेश सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पहले से ही लागू हैं। मुख्य सचिवों. गृह सचिवों तथा पुलिस महानिरीक्षकों के गत अप्रैल में हुये सम्मेलन में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इन प्रदर्शन आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

किराना, प्रशाधन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

751. **श्री अजीत कुमार मेहता :**

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 1978 और 1979 की तुलना में पिछले 2-3 महीनों के दौरान साबुन, शैम्पू, टूथ पेस्ट, डेटर्जेन्ट, तेल, दालें, और मिल्क फूड जैसी किराना और प्रसाधन सामग्री के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ इस वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ग) मूल्य वृद्धि की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि इन्हें गरीब आदमी भी खरीद सके।

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गत तीन महीनों (मार्च-मई, 1980) के दौरान, कृत्रिम अपमार्जकों, टूथ पेस्ट और संसाधित दूध के थोक मूल्य सूचकांक सामान्यत: स्थिर रहे हैं, जबकि गत वर्षों में इनके सूचकांक या तो स्थिर रहे हैं, या उनमें वृद्धि

हुई है। तथापि इसी अवधि के दौरान खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में 1·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1979 में इसी अवधि के दौरान हुई 11·5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम है, परन्तु वर्ष 1978 में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है। 1977 में संदर्भाधीन अवधि के दौरान, खाद्य तेलों के सूचकांकों में सीमान्त गिरावट आई थी। दालों के मामले में 'चालू वर्ष के गत तीन महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांकों में जो वृद्धि (8·5%) हुई है वह गत वर्षों के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है।

साबुन के सूचकांक में गत तीन महीनों के दौरान 7·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्षों के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है।

देश में खाद्य तेलों का उत्पादन संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों की बहुत सी यूनिटों द्वारा किया जाता है और कुल उत्पादन में बहुराष्ट्रीय निगमों का अंश बहुत थोड़ा ही होगा। साबुन का उत्पादन बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने, दोनों ही क्षेत्रों में हो रहा है। साबुन के मूल्यों में हुई वृद्धि में बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका की जाँच की जाएगी। शेन्पूओं का थोक मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं है।

(ग) तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। खाद्य तेलों के आयात को जारी रखा जा रहा है और चालू तेल वर्ष (नवम्बर 1979-मई, 1980) के पहले सात महीनों के दौरान राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु आयातित खाद्य तेलों की 1·60 लाख मीटरी टन मात्रा निर्मुक्त की गई है। दालों का आयात खुले आम लाइसेंस के तहत जारी है।

राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके तहत जारी किए गए आदेशों, जिसमें दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियन्त्रण) आदेश, 1977 भी शामिल है, को सख्ती से लागू करें। इसी प्रकार उनसे चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 को लागू करने के लिए भी कहा गया है।

उचित दर दुकानों पर आवश्यक पदार्थों की सप्लाई

752. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर आवश्यक पदार्थों की ठीक समय पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(क) यदि इस प्रकार की कोई योजना तैयार नहीं की गई है तो इसके कब तक तैयार किए जाने की आशा है और सरकार कब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मुहय्या करवाने की स्थिति में होगी।

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस देश में लगभग तीन दशकों से कार्य कर रही है। इस प्रणाली की, राज्य सरकारों, सम्बन्धित मंत्रालयों और भारत सरकार के अभिकरणों के परामर्श से निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। इस प्रणाली का उद्देश्य, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों को अपने अन्तर्गत लाने का है। देश में, इस समय विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शहरी

और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति 2,47,470 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम तौर पर खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेलों, नियन्त्रित कपड़ों तथा मिट्टी के तेल का वितरण किया जाता है। सरकार देश में इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा इसे पुनर्जीवित करने के लिये सभी प्रयास कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माल खरीदने के लिए विदेशी ऋण

753. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत को इस शर्त पर ऋण देते हैं कि वह इस ऋण से उस देश से माल खरीदेगा :

(ख) क्या इन वस्तुओं की उस समय विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से डेढ़ अथवा दो गुने मूल्यों पर माल खरीदा जाता है;

(ग) क्या ऐसा इस कारण से है कि सार्वजनिक उपक्रमों में पूंजी निवेश तथा सामान्य लागत अपेक्षाकृत अधिक है जिसमें उनमें घाटा होता है; और

(घ) यदि हाँ तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस कारण घाटा न होकर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) जो देश इस शर्त से बंधे हुए ऋण देते हैं कि वस्तुएं तत्सम्बन्धी देशों से मंगानी होंगी वे देश आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस इटली और सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की दशा में ऐसा प्रतिबन्ध थोड़े स मामलों में ही लगाया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उपस्थिति नहीं होते।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा चांदी का जब्त किया जाना

754. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा गत 6 महीनों में भारत से बाहर तस्करी की जा रही कितनी चाँदी जब्त की और उसका मूल्य क्या है;

(ख) चाँदी की भारत से बाहर तस्करी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) चाँदी के बदले में भारत में तस्करी से लाई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान, सीमा शुल्क अधिकारियों ने भारत से तस्कर निर्यात की जा रही लगभग 1·27 करोड रु० मूल्य की कुल लगभग 22·57 मीट्रिक टन चांदी पकड़ी।

(ख) भारत से चाँदी का तस्कर-निर्यात रोकने के लिए तस्करी के लिए सुगम सभी क्षेत्रों में, जिनमें हवाई अड्डे, भारत का पश्चिमी समुद्र तट और भू-सीमाएं शामिल हैं, तस्करी निवारक कार्यवाहियाँ तेज कर दी गई हैं।सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय (iv)-ख के उपबन्धों में निहित, चाँदी रखने, लाने ले जाने और बेचने सम्बन्धी नियामक उपबन्धों को जो पश्चिमी समुद्र-तट और तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी के समुद्र-तट के साथ-साथ 50 किलोमीटर की

पट्टी पर पहले ही लागू थे। अब 27 मार्च 1980 से भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमाओं के साथ-साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर भी लागू कर दिया गया है।

(ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, देश में चोरी-छिपे लायी जाने वाली मुख्य मदें ये हैं : कलाई घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र और इलैक्ट्रानकीय माल।

विदेशी ऋण

755. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 को; भारत को विभिन्न देशों को कुल कितना विदेशी ऋण चुकता करना था और इसमें से कितने ऋण का भुगतान भारतीय रुपये में करना था;

(ख) रुपये में भुगतान की जाने वाली धनराशि पर प्रति वर्ष कितना ब्याज जुड़ जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं कि सम्बन्धित देशों द्वारा इस धनराशि का उपयोग देश के नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाये;

(ग) क्या सरकार ने इन आरोपो की जांच की है कि सम्बन्धित देशों द्वारा इस धनराशि का प्रयोग राजनैतिक प्रयोजनों पर किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का उन देशों के लिए यह अनिवार्य कर देने का विचार है कि वे फालतु धन को यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया जैसी सरकारी एजेन्सियों में लगाएं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) 31 दिसम्बर, 1979 से विभिन्न देशों के प्रति, भारत की विदेशी ऋण संबन्धी कुल देनदारी 8, 425.76 करोड़ रूपए की थी, जिसमें से 229.47 करोड़ रुपए की राशि भारतीय रूपयों में, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों, अर्थात चेकोस्लोवाकया, हंगरी पोलैण्ड तथा यूगोस्लाविया को, वापस अदा की जानी है।

(ख) 1980-81 के दौरान, वापस अदा किये जाने वाले ऋणों के संबन्ध में अदा किये जाने वाले ब्याज की राशि कुल मिलाकर अनुमानत: 5.84 करोड़ रूपये बैठती है।

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ तथा यूरोप के देशों से लिए ऋणों के संबन्ध में वापस अदा की गई राशियों तथा उन पर उत्पन्न ब्याज की अदा की गई राशियों को, सम्बद्ध देश द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में खोले गये विशेष खातों या सेन्ट्रल खातों में जमा करा दिया जाता है और इन धनराशियों को, इन देशों तथा भारत के बीच प्रवृत्त व्यापार तथा शोधन करार के अनुसार ही उपयोग में लाया जाता है।

(ग) हाल के वर्षों में सरकार का ध्यान इस प्रकार के आरोपों की ओर नहीं दिलाया गया है।

(घ) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ तथा दूसरे पूर्वी यूरोप के देशों के साथ निष्पन्न व्यापार तथा शोधन करारो में सामन्य रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत में इन देशों द्वारा खोले गये रुपया खातों में कोई भी अधिशेष राशि, भारत सरकार को जमा के रुप में अन्तरित की जा सकेगी अथवा उसे भारत सरकार की राजकोष हुण्डियों में लगाया जा सकेगा। इन देशों द्वारा अपनी अधिशेष राशि को भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे सार्वजनिक अभिकरणों में लगाने के सबंध में कोई प्रस्ताव नही हैं।

आयकर अधिनियम के संशोधन का प्रस्ताव

756. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** क्या : वित्त मिंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर अधिकारियों को भव्य रिहायशी परिसरों में प्रवेश करने तथा उनका सर्वेक्षण करने का अधिकार देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन्) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

उदार ऋण योजना के संबन्ध में पटसन उद्योग की अनुत्साही प्रतिक्रिया

757. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा पेशकश की गई उदार ऋण योजना के सम्बन्ध में पटसन उद्योग की प्रतिक्रिया अनुत्साही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके रवैये के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : यह सही है कि पटसन मिलों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण हेतु उदार ऋण योजना का उपयोग वांछित स्तर तक नहीं है ।

47 पटसन मिलों ने उदार ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन किया था उनमें से 11 ने अपने आवेदन वापस ले लिए । शेष में से 20 एककों को 39.19 करोड़ रू० के ऋण मंजूर किये गये । शेष 16 के संबंध में मामले उनसे कतिपय जानकारी प्राप्त न होने के कारण लम्बित हैं ।

इस सुविधा का लाभ उठाने में उद्योग के सामने जो कठिनाइयां आती हैं उनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है । आशा की जाती है कि पटसन उद्योग इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं का अधिक उपयोग करेगा ।

पर्वतीय राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों को प्रतिपूर्ति भत्ता

758. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकर को केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों में व्याप्त रोष के बारे में जानकारी है जिन्हें हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर पर्याप्त प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका संबंध संबन्धित स्थान की ऊँचाई से है न कि इसकी दूरी अथवा मंहगाई से है !

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों अथवा अन्य व्यक्तियों/एसोसियेशनों से उनको राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता देने के लिए कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और किस तारीख तक निर्णय किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगनभाई बारोत) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पर्वतीय प्रतिपूर्ति भत्ता या विशेष (दूरवर्ती क्षेत्र) प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया जाता है। पहला भत्ता क्षेत्र की ऊंचाई के संदर्भ में दिया जाता है तथा दूसरा भत्ता क्षेत्र की दूरी के आधार पर दिया जाता है। इन भत्तों की दरें राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियो को दिये जाने वाले समस्त भत्तों की दरों से भिन्न हैं। हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें उक्त भत्ते उन्हीं दरों के आधार पर दिये जाएं जो दरें राज्य सरकर के कर्मचारियों पर लागू हैं। चूंकि केन्द्रीय सरकार के वेतन तथा भत्तों का अपना एक ढांचा है इसलिए कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

अभ्रक व्यापार निगम गिरिढोह में आग लगना

759. रौतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार निगम के गिरिठीह स्टोर में 1979 में आग लग गई थी और आग में 15 लाख रुपये का अभ्रक नष्ठ हो गया था;

(ख) क्या मरम्मत के नाम पर हजारों रुपये का दो बार दुर्विनियोग किया गया है;

(ग) क्या अभ्रक असाध्य खनिज है; और

(घ) यदि उपरोक्त घटना के बारे में कोई जांच नहीं की गयी है तो क्या सरकार का विचार दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए एक उच्च स्तरीय जाँच कराने का है ताकि निगम भविष्य में ऐसे घोटालों से बच सकें ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां अभ्रक व्यापार निगम के गिरिडीह स्थित गोदामों में से एक में 29/30 जनवरी, 1979 की रात को आग लगी और लगभग 22 लाख रु० मूल्य के 7·491 मी० टन अभ्रक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह केवल 600 डिग्री सैंटीग्रेट के तापमान तक ही असाध्य खनिज है। इसके अलावा, आग से निश्चय ही क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके फलस्वरूप अभ्रक के वास्तविक मूल्य मे काफी हानि होती है।

(घ) गिरढीह के उपयुक्त तथा पुलिस अधीक्षक और साथ ही धनबाद स्थित अग्नि शमन विभाग और कलकत्ता स्थित न्यू इन्डिया एस्यूरैंस कम्पनी द्वारा जाँच-पड़ताल की गई। सर्वसम्मित से यह निष्कर्ष निकाला गया कि आग लगने का सर्वाधिक संभावित कारण बिजली शार्ट सर्किट होना था। बीमा कम्पनी ने क्षतिग्रस्त अभ्रक के सम्बन्ध में पूर्ण रूप में दावे का निपटान कर दिया है।

डिब्बा-बन्द श्रिम्पों के निर्यात में गिरावट

760. श्री के० ए० राजन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्ब बन्द भारतीय श्रिम्पों का व्यापार यूरोप के बाजार से लगभग समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान डिब्बा बन्द श्रिम्पों के निर्यात से हुई वार्षिक निर्यात आय का ब्योरा क्या है तथा कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या डिब्बा बन्द श्रिम्पों के कम निर्यात का कारण अप्रातयोगी मूल्य रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो अधिक मूल्य वसूल किये जाने के क्या कारण है तथा मूल्व कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) तथा (ख) जी नहीं ।

विगत तीन वर्षों के दौरान भार से सभी गंव्तय स्थानों को डिब्बा बन्द श्रिम्प के निर्यात तथा यूरोपीय बाजारों को कियेग ये निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	कुल निर्यात		यूरोपीय बाजारों को निर्यात	
	मात्रा (मे. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा	मूल्य
1977-78	129	56.70	108	49.01
1878-79	197	87.85	179	80.78
1979-80	231	113.05	218	105.57

(ग) भारत डिब्बा बन्द श्रिम्पों के सम्बन्व में यूरोपीय बाजारों में मलेशिया तथा पाकिस्तान से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है । इसके अलावा, बर्फ में जमाई हुई श्रिम्पों के लिए अच्छी मांग तथा आकर्षक कीमतों को देखते हुए श्रिम्पों को अधिकतर फ्रीज करने के लिए व्यवपर्तित किया जा रहा है ।

(घ) डिब्बा बन्द श्रिम्पों की ऊंची लागत के महत्वपूर्ण कारणों में एक कारण देश में डिब्वों की ऊँची लागत का होना है । विश्व बाजार में इस उत्पाद को अधिक प्रतियोगी बनाने के दृष्टि से सरकार उत्तर/दक्षिण अमरीका तथा कैरीबीयन देशों के लिए एफ. ओ. बी. मूल्य के 7.5 प्रतिशत तथा अन्य गंतव्य स्थानों के मामले में एफ. ओ. बी. मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से डिब्वा बन्द श्रिम्प के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देती है । इसके अलावा, डिब्बा बन्द श्रिम्पों के निर्यात के बदले टिन प्लेट प्राइम ओ. टी. एस. क्वालिटी ओ. टी. एस. डिब्बों के आयात के लिए 10 प्रतिशत की दर से आयात प्रतिपूर्ति भी दी जाती है ।

हथकरघा वस्त्रों के लिए विकास निगम

761. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या हथकरघा वस्त्रों के लिए एक विकास निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित निगम का ब्यौरा क्या है और उसके कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिथेटिक रबड़ का आयात

762. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिथेटिक रवड़ के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इससे केरल में छोटे रबड़ उत्पादकों को हानि पहुँचेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) 1980-81 की आयात नीति के अनुसार सिथेटिक रबड़, सिवाय बुटाइल रबड़, नियोप्रीन/कलोरोप्रीन, वी. पी. लेटेक्स, हाइपालोन विटोन, पी. टी. एफ. ई. तथा ई. पी. डी. एम. के. प्रतिबंधित मदों की सूची में शामिल है। सिथेटिक रबड़ की छोड़ी गई मदों का आयात निर्धारित शर्तों के अधीन खुले सामान्य लाइसैंस के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा किये जाने की अनुमति है। सिथेटिक रबड़ के लिए आयात नीति तैयार करते समय माँग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच अन्तराल को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) रबड़ माल उद्योग द्वारा उत्पादित बहुत सी मदों के लिए सिथेटिक रबड़ की जगह प्राकृतिक रबड़ प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती। अतः, सिथेटिक रबड़ के आयात से केरल के लघु रबड़ उत्पादकों को हानि नहीं पहुँचेगी।

धन की सप्लाई पर नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

763. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त ऋण नियंत्रण के द्वारा धन की सप्लाई पर नियंत्रण लगाने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत इस बीच बना लिये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) ऋण प्रसार पर रोक लगाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। मार्च, 1980 में, बैंको से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि जून, 1980 में समाप्त होने वाली 15 माह की अवधि के दौरान उनका गैर-खाद्यान्न ऋणों का प्रसार जून 1979 को समाप्त होने वाली 15 माह की समतुल्य अवधि के दौरान इसी प्रकार के कुल ऋण प्रसार से अधिक न हो। ऋण प्रसार पर रोक लगाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये अन्य कदमों में दिसम्बर 1978 में ससंविधिक नकद अनुपात को बढ़ाना, बैंकों को उपलब्ध पुनर्वित्त सुविधाओं में क्रमिक रूप से कटौती, भागीदारी प्रमाण पत्रों का सहारा लेने पर रोक, बड़े ऋणकर्त्ताओं के लिये यह शर्त लगाना कि उनकी आहरण शक्ति पिछले दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा किये गये आहरण के उच्चतम स्तर के 80 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, तथा ऋणकर्त्ताओं द्वारा उधार ली गई राशियों के बेहतर प्रबन्ध को प्रोत्साहित करने के लिये अधिक ऊंची ब्याज दर की शर्त लगाना, शामिल हैं।

पटशन नीति का तैयार किया जाना

764. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक पटसन नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नीति के सम्बन्ध में संकेत बताने की स्थिति में है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) इस विषय पर इतनी जल्दी कुछ कहना संभव नहीं है।

स्टेटिसटिक्स आफ आर.बी.आई. आउट डेटिड

765. **श्री ई. वी. विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 मई, 1980 के "इकानामिक टाइम्स" (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित "स्टेटिसटिक्स आफ आर बी.आई. आउट डेटिड" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के अर्धवार्षिक बैंकिंग स्टेटिसटिक्स को विलम्ब करके 15 मार्च, 1980 को प्रकाशित किये जाने के कारणों के संबंध में कोई जांच कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रकाशन के मुद्रण में विलम्ब किन कारणों से हुआ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कार्यवाही की गई है कि ये प्रकाशन समय पर मुद्रित हों तथा क्या बैंकिंग स्टेटिसटिक्स के 1978 तथा 1979 के बाद के अर्धवार्षिक अंकों को बिना और विलम्ब किये प्रकाशित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकिंग सांख्यकीय आंकड़ों के प्रकाशन में विलम्ब होने का मुख्य कारण, 30,000 से भी अधिक शाखाओं से, जिनसे कि यह विवरण मांगाये जाते हैं, इन विवरणों का देर से प्राप्त होना है। प्रर्याप्त व्याप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी व्यतिक्रम करने वाली शाखाओं से अलग अलग सम्पर्क करना पड़ता है जिसमें काफी समय तथा श्रम लगता है। इतनी अधिक मात्रा में आँकड़ों की जाँच, सम्पादन तथा विधायन में और पुस्तिकाओं की छपाई में भी काफी समय लगता है। अलबत्ता, रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में बैंक में आंकड़ों की जाँच तथा विधायन में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए कदम उठाये गये है। शाखाओं द्वारा इन विवरणों के प्रस्तुत किये जाने में लगने वाले समय को भी घटाने के लिए उपाय किये गये हैं। आशा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून, 1978 तथा दिसम्बर, 1978 के बारे में, सांख्यकीय आंकड़े, अगले 3-4 महीनों में प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

परम्परागत और गैर परम्परागत मदों के आयात के लिये सिंगापुर की फर्म द्वारा पक्का वचन दिया जाना

766. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंगापुर की फर्म से अनेक प्रकार की परम्परागत और गैर परम्परागत मदों का आयात करने के लिए पक्का वचन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समान और असमान "एंगलों" और "चैनलों" के उत्पादन में कमी

767. **श्री के. राममूर्ति :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग द्वारा समान और असमान एंगलों और चैनलों के उत्पादन किये जाने के कारण रेल वैगन बनाने में बाधा पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इन मदों का अधिकतम उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आवश्यक आदानों की उपलब्धि में कठिनाइयों के कारण मुख्य इस्पात संयंत्रों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है। इसके बावजूद वर्ष 1979-80 के दौरान रेल वर्कशापों तथा रेल के डिब्बे बनाने वालों को 66,800 टन स्ट्रक्चरल (ऐंगल तथा चैनल भी शामिल हैं) सप्लाई किए गए थे, जबकि वर्ष 1978-79 में उन्हें 50,000 टन स्ट्रक्चरल सप्लाई किए गए थे। 67,300 टन स्ट्रक्चरल सप्लाई करने के वायदे किए गए थे। इन वायदों को देखते हुए सप्लाई की स्थिति ठीक ही है।

पिछले वर्ष के मुकाबले में वर्ष 1980-81 में समान तथा असमान दोनों किस्म के एंगलों के उत्पादन में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि बिजली तथा कोयला जैसे आवश्यक अदान मिल जाएं।

दुर्गापुर में मिश्र इस्पात संयंत्रों का बन्द होना

768. **श्री के. राममूर्ति :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपये के स्टेनलैस स्टील के भारी अभाव के परिणाम स्वरूप दुर्गापुर में मिश्र इस्पात संयंत्र बन्द हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और जान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स नलीकूल प्राइवेट लि०, कलकत्ता

769. **श्री निहाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री मैसर्स नलीकूल प्राइवेट लि०, हुगली, कलकत्ता पर मारे गये छापे के बारे में 30 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5518 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में मांगी गई अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौर क्या है और जाँच कार्य पूरा करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ख) मैसर्स नलीकूल प्राइवेट लिमिटेड, हुगली पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी राशि बकाया है और यह राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जांच को पूरा करने में कोई

अड़चन नहीं आ रही है। कर निर्धारण वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित मामला समझौता आयोग के पास निर्णय के लिए विचाराधीन है।

(ख) मैसर्स नलीकूल प्रा० लि०, कलकत्ता की तरफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कोई रकम बकाया नहीं है।

आयातित खाद्य तेल की पश्चिम बंगाल राज्य को दी गई मात्रा

770. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा भावी त्यौहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल राज्य को आयातित खाद्य तेलों की कितनी मात्रा दी गई है;

(ख) क्या सभी राज्यों को भारतीय राज्य व्यापार निगम ने डिलीवरी लेने को कहा गया है

(ग) यदि हाँ, तो यह बाजार में उपभोक्ताओं को कब मिलेगा; और

(घ) क्या इन आयातित खाद्य तेलों की कीमतें भारत में निर्मित अन्य खाद्य तेलों की अपेक्षा कम होगी

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सूचित की गई आयातित खाद्य तेलों की माँग के संदर्भ में इस समय पश्चिम बंगाल को हर महीने 5000 मी. टन परिष्कृत रेपसीड तेल तथा 2000 मी. टन आर. बी. डी. ताड़ के तेल की मात्रा आबंटित की जा रही है। यह आबंटन आगामी त्यौहार के महीनों में भी जारी रखा जायेगा। सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्य तेलों का आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस. टी. सी.) द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार सार्वजनिक वितरण के लिए इन तेलों को उठाने वाले विभिन्न राज्यों को अपनी-अपनी मात्रा की सुपुर्दगी राज्य व्यापार निगम से लेनी होती है। विभिन्न राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को देने के लिए हर माह उन्हें आबंटित की जाने वाली आयातित खाद्य तेलों की मात्रा राज्य व्यापार निगम के पास से उठायें और यह निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले आयातित तेलों के निर्गम मूल्यों का संबंध हैं, वे उचित तथा मुनासिब स्तर पर नियत किये जाते हैं और इस समय ये मूल्य देश में उत्पादित खाद्य तेलों के मूल्यों से कम है।

समाचार पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई

771. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों की राज्य व्यापार निगम द्वारा कागज(अखबारी कागज) की पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल रही हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा समाचार पत्रों को अखबारी कागज की पूरी सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य व्यापार निगम, समाचार पत्रों के पंजीकार द्वारा लगाये गये माँग के अनुमान के आधार पर अखबारी

कागज आयात करने का प्रबन्ध करता है। अभी तक आयात मांग को पूरा करने में पर्याप्त रहा है।

(ख) और (ग) : किन्तु वर्ष 1979 में सभी मुख्य भारतीय पत्तनों पर भीड़ भाड़ थी जिसके फलस्वरूप नेशनल लाइन्स सहित शिपिंग लाइन्स ने भारत के लिए अखबारी कागज को लाने में अनिच्छा व्यक्त की थी। कभी-कभी जहाजों के आने के बाद भी 30-40 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। संभरणकर्ता मिलों में से एक मिल हड़ताल होने के कारण बन्द हो गयी और हड़ताल 7 महीने तक चलती रही। इन तथ्यों को देखते हुए यह संभव है कि कुछ मामलों में अखबारी कागज के आने में कुछ विलम्ब रहा हो। किन्तु ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम के पास समीकरण भंडार हैं जिनमें से समाचार पत्र अपनी हकदारी के अनुसार अपनी आकश्यकताओं के मुताबिक अखबारी कागज ले सकते हैं।

आल इण्डिया एल्यूमिनियम वर्कस फेडरेशन से ज्ञापन

772. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया एल्यूमिनियम वर्कर्स फेडरेशन ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित बातें हैं :—

(1) सरकार द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के एल्यूमिनियम उत्पादकों को ग्रहीत बिजली-घरों की स्थापना की अनुमति दे दी जाए। नए एल्यूमिनियम कारखानों की योजना बनाते समय ग्रहीत बिजली उत्पादन का प्रावधान किया जाए।

(2) गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान एल्यूमिनियम कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तथा समूचा एल्यूमिनियम उद्योग सरकारी क्षेत्र में हो। सरकारी क्षेत्र के कारखानों के प्रबंध को लोकतांत्रिक बनाया जाये ताकि उनके प्रबन्ध में कामगार भी पूरी तरह भागीदार हो सकें।

(3) एल्यूमिनियम की दोहरी मूल्य-निर्धारण नीति समाप्त की जाये।

(4) एल्यूमिनियम उद्योग के मजूरी ढाँचे में सुधार किया जाये और उसे इस्पात उद्योग के अनुरूप बनाया जाये। इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई जाये।

(5) बिजली सप्लाई की कटौती के कारण उत्पादन में कमी होने पर कामगारों को प्रोत्साहनों सहित पूरी मजूरी की गारन्टी दी जाये।

सरकार की क्रम-वार प्रतिक्रिया इस प्रकार है :—

(1) सरकार ने हिंडालको के ग्रहीत बिजली घर के विस्तार की मंजूरी दे दी है। अन्य एल्यूमिनियम उत्पादकों से ग्रहीत बिजली-घरों की स्थापना हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की योजना में एक ग्रहीत बिजली घर का प्रावधान है।

(2) परिस्थितियोंवश जरूरत होने पर एल्यूमिनियम कारखानों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जाएगा। कारखाना-प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में सरकार द्वारा किये गये नीति सम्बन्धी निर्णय को एल्यूमिनियम उद्योग पर भी लागू किया जाएगा।

(3) एल्यूमिनियम की दोहरी मूल्य नीति अक्तूबर, 1978 से समाप्त कर दी गई है।

(4) और (5) चूंकि यह उद्योग सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में है और अधिकतर उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होता है तथा कम्पनियां, भिन्न-भिन्न वित्तीय क्षमताओं सहित, काफी भिन्न हालातों में काम करती हैं, इसलिए इन सुझावों को स्वीकार करना या कार्यान्वित करना संभव नहीं है।

वर्तमान कर प्रणाली का पुनरीक्षण

773. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्तमान कर प्रणाली का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) सरकार, कर पद्धति की सतत समीक्षा करती रहती है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

भारत के साथ उद्योग और व्यापार सहयोग के विस्तार के लिए पैकेज कार्यक्रम के संबंध में फ्रांस का प्रस्ताव

774. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने भारत के साथ उद्योग और व्यापार सहयोग के विस्तार के लिये पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार इस कार्यक्रम के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) फ्रांसीसी सरकार ने औद्योगिक और व्यापार सहयोग के लिये निम्नलिखित प्रस्तावों की पेशकश की है। सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग इन प्रस्तावों की जांच कर रहे हैं/उन पर विचार कर रहे हैं :—

1. फ्रांसीसी सरकार की सहायता से उड़ीसा में अल्मीनियम काम्पलेक्स की स्थापना। फ्रांसीसी सरकार ने भारत सरकार को व्यापक वित्तीय सुविधाएं देने की पेशकश की है। खान विभाग/आर्थिक विभाग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

2. फ्रांस की सहायता से नन्दीरा और गीडी-ए खानों के विकास के लिये फ्रांस ने विशिष्ट प्रस्ताव की पेशकश की है। कोल इण्डिया लिमिटेड और कोयला विभाग उस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जिसमें विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्टों का तैयार किया जाना और परियोजना के लिए वित्तीय सुविधाओं को अन्तिम रूप दिया जाना शामिल है।

3. कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, जिसमें राजस्थान नहर, बुन्देलखंड, केरल के बायें किनारे से संबंधित एकीकृत विकास परियोजनाएं शामिल हैं, सहयोग के लिए फ्रांस के प्रस्ताव पर कृषि मंत्रालय फ्रांस की और आगे प्रतिक्रिया के बारे में प्रतीक्षा कर रहा है।

4. फ्रांस ने इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग के क्षेत्र में सहयोग के प्रस्तावों की पेशकश की और हाल ही में उसने 5,00,000 लाइनों के कारखाने की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव की पेशकश की है। संचार मंत्रालय उन पर विचार कर रहा है।

5. टेलीटैक्स सिस्टम एन्टीओप के और भारतीय टी. बी. व्यवस्था को रंगीन बनाने की सम्भाव्यता के लिये एस. ई. सी. ए. एम. प्रणाली के भारत में प्रदर्शन के लिए फ्रांस के प्रस्ताव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय विचार कर रहा है।

6. फ्रांस ने बल्ब टाइप जल विद्युत एककों के क्षेत्र में सहयोग का प्रस्ताव किया। हाल ही में ज्वार बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में फ्रांस की सहायता को सहयोग के एक सम्भाव्य क्षेत्र के रूप में अभिज्ञान किया गया है।

7. नवीकरण योग्य ऊर्जा के क्षेत्र में खास तौर से सौ पम्प टवडियों जैसे उपस्कर के तथा सौर तापीय प्रयोग के लिये सहायक उपस्करों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में फ्रांस के प्रस्ताव के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ।

8. भारी उद्योग विभाग को फ्रांस से मोटर गाड़ियों के क्षेत्र में सहयोग के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं इसका पुनरीक्षण उस विभाग द्वारा किया जायेगा। हाल ही में मैसर्ज महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा की जीपों में लगाये जाने के लिये डीजल इंजनों के उत्पादन के लिये उस फर्म को फ्रांस के मैसर्ज पिगोट के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गई है।

भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग का विकास

775. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके तथा बुल्गारिया के मंत्री के बीच हाल ही की बातचीत में भारत और बुल्गारिया के बीच दीर्घावधि आधार पर व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विकास के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मूख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) 22 अप्रैल, 1980 को बल्गारिया विदेश व्यापार के प्रथम उप मंत्री से दीर्घावधि आधार पर भारत-बल्गारिया व्यापार तथा वाणिज्यक सम्बन्धों के विस्तार तथा विविधीकरण के बारे में सामान्य बातचीत की। उन्होंने, विशेषरूप से भारत अर्थ मूवर्स द्वारा उत्पादित अर्थ मूविंग उपस्कर तथा भारत से लोह अयस्क की पर्याप्त मात्रा में खरीदारी करने में अपने देश की तीव्र रुचि दर्शाई। यह बात भी उसके ध्यान में लाई गई कि चूंकि भारत से एक व्यापक औद्योगिक आधार विकसित कर लिया है इसलिये यह बल्गारिया को मशीनी औजार, मेटल वर्किंग मशीने, इलैक्ट्रानिक संघटक तथा उपस्कर और अन्य विभिन्न इंजीनियरी मदों जैसे जटिल उत्पाद भी सप्लाई कर सकता है।

1979-80 के दौरान निर्यात में गिरावट

776. **श्री के० टी० कोसल राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 के पहले सात महीनों के दौरान निर्यात में 25 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के कारण यह कमी ज्यादा हुई;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हमारे देश का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) तथा (ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 1979 के दौरान भारत के समग्र निर्यात 3371·70 करोड़ रु० मूल्य के रहे। विगत वर्ष 1978 के उन्हीं सात महीनों के 2970·72 करोड़ रु० के अनन्तिम आंकड़ों तथा 3217·20 करोड़ के संशोधित आंकड़ों की तुलना में यह अधिक थे।

(ग) सरकार निर्यात उत्पादन में आने वाले कठिनाइयों का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिये सम्भव उपाय कर रही है, ताकि निर्यातों को बढ़ाया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए आयात नीति, जिसकी 15 अप्रैल, 1980 को घोषणा की गई थी, निर्यात अभिमुख बताई गई है। निर्यातों की सहायता के लिये इस नीति में निम्नोक्त मुख्य-मुख्य बातें दी गई हैं :

(1) विनिर्माता निर्यातकों के समक्ष, उनकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर मदों के आयात करने के लिये पहले से अधिक विकल्प है।

(2) शुल्क सम्बन्धी छूट के लाभ सहित अग्रिम लाइसेंस देने की योजना को कार्यक्षेत्र की दृष्टि से पहले से अधिक व्यापक बना दिया गया है।

(3) प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर शुल्क मुक्त आयात करने के लिये एक योजना आरम्भ की गई है। आरम्भ में यह योजना केवल कुछ निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में लागू होती हैं।

(4) निर्यात सदनों के सम्बन्ध में आयात नीति को उदार बना दिया गया है ताकि निर्यात सदन आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई में अपने सहायक विनिर्माताओं की और अधिक मदद कर सकें।

(5) ऐसे विनिर्माता निर्यातक, जो अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या उससे अधिक भाग निर्यात करते हैं उन्हें वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में उनकी वास्तविक खपत की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक मूल्य का कच्चा माल तथा संघटक आयात करने के लिए आटोमेटिक लाइसेंस दिये जाएंगे।

निर्यात-आयात बैंक

777. **श्री के० टी० कोशल राम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत से पूंजीगत माल के समक्ष क्रेताओं तथा 'टर्न-की' परियोजनाओं की अनुमति तथा सापेक्षतया दीर्घकालीन ऋण देने हेतु निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यह प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की धारा 30 से स्वर्णकारों की छूट

778. **श्री के० टी० कोशल राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः 'बिल एण्ड वाउचर' में सोने की शुद्धता सम्बन्धी मोहर लगाने तथा इसे पिघलाने के बारे में स्वर्ण नियत्रण अधिनियम की धारा 30 और नियम 13 (ई) को लागू करने से स्वर्णकारों को छूट दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे लाइसेंस प्राप्त जौहरियों को भी, जो आभूषण नहीं बनाते, लेकिन जिनसे सोने की शुद्धता के बारे में गारन्टी देने को कहा जाता है, उपरोक्त उपबन्धों से छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 30, जिसके अनुसार प्रत्येक लाइसेंस शुदा स्वर्ण व्यापारी द्वारा सोने की प्रत्येक वस्तु अथवा आभूषण पर, उसमें लगे सोने की शुद्धता को प्रमाणित करने वाली मोहर लगानी आवश्यक होती है और स्वर्ण नियंत्रण (फार्म, शुल्क तथा विविध मामले) नियम, 1968 का नियम 13 प्रमाणित स्वर्णकारों पर लागू नहीं होते ।

(ख) लाइसंस शुदा व्यापारियों के किसी भी वर्ग को उपरिलिखित उपबन्धों से छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पदार्थों के मूल्य पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष

779. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय पदार्थों के मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हां । अप्रैल, 1980 के अन्त से एक केन्द्रीय कंट्रोल रूम कार्यरत है ।

(ख) केन्द्रीय कंट्रोल रूम, गेहूँ, चावल, चीनी, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, डीजल, नमक, साफ्ट कोक जैसी कुछ चुनी वस्तुओं की उपलब्धि तथा उनके मूल्यों की प्रवृत्तियों से संबधित तथ्य और आंकड़े इकट्ठे करता है और उन आँकड़ों को निरीक्षण तथा परिष्करणार्थ (मानीटरिंग) के लिये समेकित करने के कार्य में सहायता देता है । यह कक्ष, राज्य सरकारों तथा सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों से भी, जो कि उपलब्धि तथा मूल्यों के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करने के लिये उत्तरदायी हैं, सम्पर्क रखता है ।

पश्चिम बंगाल को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आबंटित कोटे में कटौती

780. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार को आवटित चीनी, डीजल, सीमेंट, मिट्टी के तेल के कोटे में जनवरी, 1980 से कटौती कर दी गई है जिसके फलस्वरूप पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हाँ तो स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) व (ख) सम्बन्धित विभागों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अधिक कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण योजना के अन्तर्गत लाना

781. **श्री बाजू बन रिपान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि अधिक कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण योजना के अन्तर्गत लाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या योजनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) समाज के सभी कमजोर वर्ग, पहले से ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण परिचालन योजना के दायरे के अन्तर्गत आते हैं। फिर भी बैंकों से कहा गया है कि वे वर्ष 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों को बढ़ाकर अपने कुल ऋणों के 40 प्रतिशत के स्तर तक ले आयें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन परिवर्द्धित ऋणों का एक महत्वपूर्ण भाग, 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को प्राप्त हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के उपयुक्त विशेष योजनाएं तैयार करेंगे जो लक्ष्य-समूहों के प्रति उन्मुख हो तथा उनके संयुक्त कार्यान्वयन के लिए उन्हें जिला ऋण योजनाओं में शामिल करेंगे।

स्टेनलैस स्टील की मांग

782. **श्री अहमद एम. पटेल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष स्टेनलैस स्टील की कुल कितनी माँग है,

(ख) निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में कुल वार्षिक उत्पादन कितना है, और

(ग) यदि माँग की तुलना में उत्पादन कम है तो इसकी माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) इस्पात विभाग द्वारा मिश्र तथा विशेष इस्पात के बारे में नियुक्त की गई कार्य-समिति ने दिनांक 15 फरवरी, 1979 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 1980-81 में अनुमानित माँग 49,000 टन होगी और अनुमानित उत्पादन 25,000 टन होगा। पुनर्बेलकों के, जिनमें से ज्यादातर लघु क्षेत्र में हैं, उत्पादन के ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं है। आयात नीति के अन्तर्गत बेदाग इस्पात का आयात माध्यम अभिकरणों नामत: स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड तथा भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम और बेदाग इस्पात के ब्लेडों का उत्पादन करने वाले वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा किया जाता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित रबड़ के भण्डार का रोका जाना तथा रबड़ का समुचित वितरण

783. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एशोसियेशन ने राज्य व्यापार निगम पर आयातित रबड़ के भण्डार को रोक रखने और रबड़ के वितरण में कुप्रबन्ध का दोष लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। किन्तु एसोसिएशन ने अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों के बारे में अभ्यावेदन किया था : राज्य व्यापार निगम द्वारा आयत के लिए समय निर्धारण, भार में कमी, वितरण केन्द्र पर अपर्याप्त सुविधाएं और माल ले जाने तथा अन्य प्रासंगिक मामलों में राज्य व्यापार निगम द्वारा ली जाने वाली ऊंची लागतें।

इण्डियन एयरलाइन्स के वरिष्ठ संचालक कर्मचारियों (आपरेशनल स्टाफ) में असंतोष

784. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स के वरिष्ठ संचालक कर्मचारियों (आपरेशनल स्टाफ) में गम्भीर असन्तोष व्याप्त है;

(ख) क्या वहां कई वरिष्ठ कर्मचारियों को पदावनत (रिवर्ट) किया गया है; और

(ग) पदावनति और अधिलंगन के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इन्डियन एयरलाइन्स में केवल एक मामला ऐसा हुआ है जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रोबेशन को समाप्त कर दिया गया था और उसे परिवीक्षाकल के दौरान उसका कार्य असन्तोषजनक पाये जाने के कारण उसके मूल पद पर पदावनत कर दिया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए समिति

785. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिये समिति नियुक्त करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सहकारी समितियों, महिला संगठनों और अन्य लोगों का सहयोग मांगा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गये हैं;

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) सहकारी समितियों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए व्यापक रुप में किया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न स्तरों पर सलाहकार समितियों को गठित करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण करने के लिए उनमें उपभोक्ता तथा महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

(ग) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से सम्बन्धित विभागों और अभिकरणों की सलाह से निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। इन पुनरीक्षाओं के फलस्रूप राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में काफी सुधार किया गया है। राज्य सरकारों ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार तथा उसे पुनर्जीवित करने के लिए आधार ढांचे को मजबूत करने हेतु आवश्यक कदम उठाये हैं।

मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये अधिक ऋण न देने के मामले में और सख्ती बरतना

786. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुद्रा स्फीति की वर्तमान प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अधिक ऋण देने के मामले में और अधिक सख्ती बरतने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक जैसे अन्य वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा क्या विभिन्न उपाय किये गये हैं;

(ख) ये उपाय मुद्रास्फीति को रोकने में कहाँ तक सफल हुए हैं; और

(ग) मुद्रास्फीति की इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए और कौन से उपाय सरकार के ध्यान में हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे ऋण नियन्त्रण उपाय करता रहा है जिनका उद्देश्य उत्पादन के स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव डाले बिना अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबावों को काबू में रखना है। इन उपायों में सांविधिक नकदी आरक्षित निधि अनुपात, वर्द्धमान ऋण-जमा अनुपात, पुनर्वित्त सुविधा, चयनात्मक ऋण नियन्त्रण, ब्याज दर और निधियों का प्रबन्ध शामिल है। उसने नकदी ऋण और अन्तर्देशीय हुण्डी खाते के अन्तर्गत बड़े ऋण कर्ताओं की रकमों की निकासी करने की प्रभावकारी शक्ति को सीमित कर दिया है तथा वाणिज्यिक बैंकों के खाद्य-भिन्न ऋण विस्तार पर प्रभावकारी नियन्त्रण को कम कर दिया है। भागीदारी प्रमाण-पत्रों को भी सांविधिक नकदी अनुपात और नकदी प्राराक्षित राशि अनुपात की अपेक्षाओं के अन्तर्गत लाया गया है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप 1979-80 (28 मार्च 1980 तक) के दौरान मुद्रा उपलब्धि में 2265 करोड़ रुपए (10·3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1978-79 के दौरान हुई 3437 करोड़ रुपए (18·7 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में की थी। इसी प्रकार वाणिज्यिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंक ऋण (सकल) की वृद्धि की दर, 1978-79 के 19·7 प्रतिशत की तुलना में, 1979-80 में 17·7 प्रतिशत तक रखी गई थी। मुद्रा स्फीतिकारी संभावना के होते हुए ऋण विस्तार को रोक रखने के लिए किए गए विस्तृत उपाय 1979-80 की 'आर्थिक समीक्षा' में बताए गए हैं जो आज संसद में प्रस्तुत की जा रही है। स्थिति पर सावधानी से नजर रखी जा रही है और जैसी स्थिति सामने आयेगी उसके अनुरुप और उपाय किए जाएंगे।

भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग

787. **श्री एस० एम० कृष्ण** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रेसीडेन्ट श्री राय जेकिन्स ने हाल ही में राजधानी के अपने दौरे के समय भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग के बारे में बात-चीत की थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई करार होगा। यदि हाँ, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या है और इसे भारत को किस प्रकार लाभ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त करार के कब तक हो जाने की आशा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ। यूरोपीय समुदायों के आयोग के अध्यक्ष श्री राय जेकिन्स के साथ हुई बात-चीत में विभिन्न बहुपक्षीय

क्षीय और द्विपक्षीय मामले शामिल थे, जैसे भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच नया वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग करार।

(ख) तथा (ग) बात-चीत आपसी विचार विमर्श के रुप में थीं और किसी करार को अन्तिम रुप नहीं दिया गया।

मूल्य वृद्धि

788. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एन. ई. होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महसूस करती है कि आगामी फसल के दौरान मूल्यों के मामले में कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है और इससे मूल्य स्थिति में सुधार होने की सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने नोट किया है कि गत वर्ष की मुद्रा स्फीति में गैर-कृषि मदों का महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए मुद्रा स्फीति के गैर-कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कारणों पर निरन्तर ध्यान रखना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) कीमतों पर 197 -80 के शुरू से ही भारी दबाव पड़ रहा है और देश व्यापक सूखे की स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से यह दबाव और भी उग्र हो गया है। मार्च, 1979 से लेकर 1980 के बीच की अवधि में कृषि भिन्न उत्पादों की कीमतों में 26·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कृषि उत्पादों में 13·3 प्रतिशत वृद्धि हुई। यद्यपि हाल के महीनों में वृद्धि की गति कुछ धीमी हुई है, फिर भी सम्भावना यही है कि मौसमी हालत के कारण कीमतों पर सितम्बर के मध्य तक दबाव पड़ता ही रहेगा। किन्तु अनुसूचित रुप से निराशवादी होना ठीक नहीं है। मौनसून की प्रगति के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली आरम्भिक सूचनाएं काफी उत्साहवर्धक हैं और निस्सदेह वर्ष में वर्षा होने से कीमतों की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार होगा।

(ग) सरकार को कीमतों पर पड़ने वाले वृद्धिगत दबावों की पूरी जानकारी है और वह कीमतों की स्थिति पर सावधानी से नजर रख रही है। कीमतों पर उचित रुप से काबू पाने के लिए बहुत से उपाय किए जा चुके हैं और अग्रेतर उपाय इस दिशा में आवश्यकतानुसार किए जाएंगे।

भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में अधीनस्थ स्टाफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

789. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली स्थानीय मुख्यालय ने दिल्ली/नई दिल्ली की अपनी विभिन्न शाखाओं के लिए अधीनस्थ स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जून 1979 पैनल/परीक्षा सूची तैयार की थी;

(ख) यदि हां तो जून 1979 में साक्षात्कार के शीघ्र बाद कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए और पैनल/प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति रखे गये;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 में तैयार किये गये पैनल की मात्र उपेक्षा करने के बाद में अधीनस्थ स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के पदों पर "अस्थाई आधार पर" का बहाना करते हुए बहुत से बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं; और उसके क्या कारण है; और

(ङ) क्या इन बाहर के व्यक्तियों के स्थान पर पैनल/प्रतीक्षासूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नियुक्ति किए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) दिल्ली और नई दिल्ली मरती क्षेत्रों के लिए स्थाई रिक्त पदों के सम्बन्ध में कर्मचारियों (चौथी श्रेणी के कर्मचारी) के चयन के लिए जून, 1979 के महीने में साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। उक्त साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप अब तक 70 उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव दिये गये हैं और 148 उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार प्रतीक्षा सूचियां, उस सूची में से की गई पहली नियुक्ति के एक वर्ष की समाप्ति तक अथवा अगला साक्षात्कार होने तक, इनमें से जो पहले हो तब तक प्रभावी रहती है।

(ग) से (ङ) वर्तमान गर्मी के मौसम में नई दिल्ली स्थित भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उक्त कार्यालय में दैनिक मजदूरी के आधार पर 11 पानी पिलाने वाले इन व्यक्तियों (वाटर बायज) नियुक्ति किये गए हैं। पानी पिलाने वाले इन व्यक्तियों की नियुक्ति विरूद्ध रूप से मैमितिक किस्म की है और इससे स्थाई रिक्त पदों पर, प्रतीक्षा सूची में दर्ज उम्मीदवारों की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं पहुचेगी।

स्टेट बैंक आफ इंडिया 'नई दिल्ली में क्लर्क ग्रेड से अधिकारी-II में पदोन्नति

790. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय स्टेट बैंक आप इण्डिया द्वारा 1969 में क्लर्क ग्रेड से अधिकारी ग्रेड-II के संवर्ग में पदोन्नति की कोई प्रतीक्षा सूची अथवा पैनल बन गया है;

(ख) क्या ऐसी प्रतीक्षा सूची/पैनल तैयार करना बैंक की एक पद्धति है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी/पैनल तैयार करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिकारी ग्रेड-II के संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऐसी प्रतीक्षा सूची/पेलन के गठन के बारे में अग्रिम सूचना दी गई थी;

(ङ) क्या यह सच है कि ऐसी प्रतीक्षा सूची/पैलन से अनुसूचित जातियों जनजातियों के बहुत से उम्मीदवारों की, जो वर्ष 1980 में होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए एक पात्र बन चुके हैं; पदोन्नति के आगे अवसरों में बाधा पहुँचेगी; और

(च) इस प्रतीक्षा सूची पैलन को रद्द करने और केवल अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए ही परीक्षा तथा विशेष परीक्षा आयोजित करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक के नई दिल्ली स्थिति स्थानीय प्रधान कार्यालय में 133 कर्मचारी ऐसे हैं जो 19 अगस्त, 1979 में हुई लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर लिपिक वर्ग से अधिकारी ग्रेड-II में पदोन्नति

की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज है, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी संघ और प्रबन्धकों के बीच हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप पहली बार बनाई गई है।

(घ) बैंक ने यह भी बताया है कि उन रिक्तियों की कुल संख्या को जिसे बैंक भरना चाहता है, परीक्षा का आयोजन करते समय उम्मीदवारों/शाखाओं को परिचालित/अधिसूचित नहीं किया जाता है।

(ङ) बैंक ने बताया है कि यह प्रतीक्षा-सूची अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों को कम करने की नीयत से नहीं बनाई गई है जो भावी पदोन्नति परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

(च) क्योंकि यह प्रतीक्षा सूची भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ और प्रबन्धकों के बीच हुए करार के अनुसार बनाई गई है, इसलिए इस प्रतीक्षा सूची को रद्द करना बैंक के लिए संभव नहीं है। बैंक से कहा जायेगा कि वह इस बात की जाँच करें कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये बिलकुल अलग से कोई परीक्षा आयोजित करने का औचित्य है।

एयर इन्डिया के संचालन व्यय में कटौती करना तथा इसकी मार्ग-पद्धति का पुनर्गठन

791. **श्री एन. ई. होरो :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया ने गत वर्षों के दौरान ईंधन के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए अपने संचालन व्यय में कटौती करने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मार्ग पद्धति के पुनर्गठन सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ताकि अलाभकारी उड़ानों को बन्द किया जा सके लाभकारी उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हाँ।

(ख) एयर इन्डिया ने अपनी भारत/यू. एस. ए. उड़ानों पर यूरोप के स्थानों पर रुकना बन्द कर दिया है। भारत/गल्फ के अधिक लाभप्रद मार्ग पर, एयर इन्डिया ने और अधिक 747 उड़ानों का परिचालन करके धारिता में वृद्धि कर दी है। और अधिक यात्री एवं कार्गो भार अनुपात (higher load factor) को सुनिश्चत करने की दृष्टि से, गल्फ स्टेशनों के लिए मल्टी सैक्टर उड़ानों में भी वृद्धि कर दी गई है।

बड़े बड़े उद्योग गृहों की ओर करों की बकाया राशि

792. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे मालूम है कि बड़े बड़े उद्योग गृहों की ओर निगम-कर तथा आय-कर की भारी राशियाँ बकाया पड़ी हैं;

(ख) 31 मार्च, 1979 तथा 31 मार्च 1 80 को प्रत्येक श्रेणी में कर की कितनी कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) उक्त बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कड़े उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) एकाधिकार

तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा (26) 2 के अधीन पंजीकृत ऐसे उपक्रम, जो उक्त अधिनियम की धारा 20 (क) (I) तथा 20 (क) (II) के अन्तर्गत आते हैं, बड़े औद्योगिक घराने माने जाते हैं, सरकार यह जानती है कि बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कर- निर्धारितियों की ओर थी कर की मांगें बकाया पड़ी हैं। इस प्रश्न के भाग (ख) में मांगी गई पूरी सूचना, इस तरह के सभी कर-निर्धारितियों के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं है। तथापि यह सूचना, उन कर-निर्धारितियों के बारे में उपलब्ध है जिनकी तरफ प्रत्येक तिमाही के अन्त में आयकर की सकल बकाया 10 लाख रुपये से अधिक रही है। 31 मार्च 1979 और 31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार औद्योगिक घरानेवार सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मांगे, अपीलों के विचाराधीन होने, न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने, सरकार द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था को अपने हाथ में लिये जाने, भूल सुधार और पुनरीक्षण विचाराधीन होने आदि जैसे विभिन्न कारणों से पड़ी रहती है। जहां कहीं मांगों के बारे में विवाद उठाया जाता है और अपीलें विचाराधीन होती हैं, वहां सम्बन्धित अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों का निपटान शीघ्रता से करने के लिए उपाय किये गये हैं। अन्य मामलों में, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, सम्बन्धित आय-कर अधिकारियों द्वारा समय समय पर आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार बकाया करों की वसूली के लिए उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

विवरण

(रकमें लाख रुपयों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	31 मार्च 1979 की स्थिति के अनुसार मांग			31 मार्च 1980 की स्थिति के अनुसार मांग		
		बकाया कर	देय नहीं बना कर	सकल जोड़	बकाया कर	देय नहीं बना कर	सकल जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बांगुड़						
	महाराजा श्री उमेद मिल्स लि०	—	18 07	18.07	10 लाख रुपये से कम हो गया	10 लाख रुपये से कम हो गया	10 लाख रुपये से कम हो गया
2.	श्री मधुसूदन मिल्स लि०	—	16.70	16.70	—	17.91	17.91
		—	34.77	34.77	—	17.91	17.91

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बिड़ला						
3. ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु-फैक्चरिंग कं० लि०	—	115.45	115.45	—	178.04	178.04
4. इण्डिया स्टीमशिप कं० लि०	—	35.62	35.62	—	42.93	42.93
5. ज़ियाजीराव काटनमिल्स लि०	—	33.63	33.63	29.94	213.95	243.89
6. नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०	17.30	—	17.30	—	23.34	23.34
7. टेक्समेको लि०	21.53	—	21.53	29.06	3.66	32.72
8. मैसर्स मैसूर सीमेण्ट लि०	—	—	—	20.00	—	20.00
9. मैसर्स जयश्री टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	—	—	—	—	1.64	1.64
10. मैसर्स सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	—	—	—	52.80	—	52.80
	38.83	184.70	223.53	131.80	463.56	595.36
भिवण्डीवाला						
11. ए० एच० भिवण्डीवाला	—	—	—	9.68	—	9.68
	—	—	—	9.68	—	9.68
चोगुले						
12. मैसर्स चोगुले ब्रादर्स	—	—	—	13.72	—	13.72
	—	—	—	13.72	—	13.72
जे० के० सिंघानिया						
13. जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	—	153.27	153.27	237.04	136.70	373.74
14. जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०	24.85	60.98	85.83	—	70.08	70.08
15. स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०	—	64.06	64.06	64.06	—	64.06
	24.85	278.31	303.16	301.10	206.78	507.88
जयपुरिया						
16. स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि०	0.43	84.67	85.10	—	78.50	78.50
17. मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	—	—	—	—	27.05	27.05
	0.43	84.67	85.10	—	105.55	105.55

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	आई० सी० आई०						
18.	दी एल्काली कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	—	—	—	23.37	—	23.37
19.	मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लि०	—	—	—	—	322.42	322.42
		—	—	—	23.37	322.42	345.79
	कमानी						
20.	जयपुर मेटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल लि०	15.38	—	15.38	—	17.23	17.23
21.	कमानी इजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	—	21.00	21.00	—	—	—
22	कमानी मेटलिक आक्साइड्स लि०	12.61	—	12.61	11.90	1.51	13.41
23.	कमानी मेटल एण्ड एलायज लि०	97.39	—	97.39	12.20	1.46	13.66
24.	कमानीब्रादर्स प्रा० लि०	—	—	—	13.00	0.96	13.96
		125.38	21.00	146.38	37.10	21.16	58.26
	कापड़िया किल्लिक						
25.	मगनलाल छगनलाल प्रा० लि०	67.73	41.96	109.69	70.45	2.47	72.92
26.	नवजीवन मिल्स लि०	—	—	—	—	21.18	21.18
		67.93	41.96	109.69	70.45	23.65	94.10
	कस्तूरभाई लालभाई						
27.	अतुल प्राडक्ट्स लि०	—	26.45	26.45	दस लाख रुपये से कम		
		—	26.45	26.45	दस लाख रुपये से कम		
	किलाचन्द						
28.	सिथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि०	—	—	—	—	23.44	23.44
		—	—	—	—	23.44	23.44
	किर्लोस्कर						
29.	किर्लोस्कर आयल इजिन्स लि०	—	10.61	10.61	10 लाख रुपये से कम		
		—	10.61	10.61	10 लाख रुपये से कम		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	कोठारी						
30.	मेसर्स कोठारी (मद्रास) लि०	—	—	—	—	41.32	41.32
					—	41.32	41.32
	मफत लाल						
31.	होचस्ट डाइज एण्ड केमिकल्स लि०	—	11.49	11.49	10 लाख रुपये से कम		
		—	11.46	11.49			
	मोदी						
32.	मोदी पीन लि०	5.00	393.11	398.11	38.01	303.12	341.13
33.	मोदी इण्डस्ट्रीज लि०	19.15	37.15	56.30	5.38	62.99	68.37
		24.15	430.26	454.41	43.39	366.11	409.50
	एम० एस० ओबेराय						
34.	ईस्ट इण्डिया होटल लि०	—	12.48	12.48	—	20.97	20.97
		—	12.48	12.48	—	20.97	20.97
	नायडू जी० बी०						
35.	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०	—	20.11	20.11	10 लाख रुपये से कम		
36.	साउथ इण्डिया विस्कोज लि०	97.71	104.46	202.17	35.26	284.07	319.33
		97 71	124.57	222.28	35.26	2 4.07	319.33
	आर० एन० गोयन्का						
37.	एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (प्रा०) लि०	17.58	—	17.58	43.35	—	43.35
38.	इण्डियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (बम्बई) प्रा० लि०	—	56.49	56.49	—	107.40	107.40
		17.58	56.49	74.07	43.35	107.40	150.75
	रौनक सिंह						
39.	भारत स्टील ट्यूब्स लि०	234.51	169.70	404.21	—	648.31	648.31
40.	मैसर्स रौनक एण्ड कं० प्रा० लि०	—	—	—	—	33.86	33.86
		234.51	169.70	404.21	—	682.17	682.17
	साराभाई						
41.	सुहृद गेगी लि०	—	11.78	11.78	10 लाख रुपये से कम		
		—	11.78	11.78	10 लाख रुपये से कम		
	श्रीराम						
42.	जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	2.06	24.98	27:04	10 लाख रुपये से कम		

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43. श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि०	—	11.00	11.00	10 लाख रुपये से कम		
	2.06	35.98	38 04			
श्रेयांस प्रसाद जैन						
44. घगधा केमिकल्स वर्क्स लि०	20.69	—	20.69	11.33	—	11.33
	20.69	—	20.69	11.33	—	11.33
सूरजमल नागरमल्ल						
45. ब्रिटिस इण्डिया कार्पोरेशन लि०	—	250.80	250.80	243.31	84.07	327.38
46. कानपुर शूगर वर्क्स लि०	—	64.61	64.61	—	32.56	32.56
47. एलीगिन मिल्स कं० लि०	—	20.67	20.67	10 लाख रुपये से कम		
	—	336.08	336.08	243.31	116.63	359.94
टी० वी० एस० अयंगर						
48. ब्रेक्स इण्डिया लि०	2.40	8.86	11.26	10 लाख रुपये से कम		
49. सुन्दरम क्लेटन लि०	20.28	9.65	29.93	10 लाख रुपये से कम		
50. व्हील्स इण्डिया लि०	3.00	19.86	22.89	10 लाख रुपये से कम		
51. सिंगर स्यूइंग मशीन कं० लि०	—	—	—	1.77	28.52	30.29
	25.68	38.40	64.08	1.77	28.52	30.29
त्यागराज						
52. ईस्ट इण्डिया कारपोरेशन लि०	—	11.05	11.05	—	—	—
53. सरोजा मिल्स लि०	—	11.64	11.64	—	—	—
54. राजेन्द्र मिल्स लि०	15.39	0.26	15.65	14.39	0.81	15.20
	15.39	22.95	38.34	14.39	0.81	15.20
टाटा						
55. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव लि०	—	—	—	—	27.32	27.32
				—	27.32	27.32
आयल इण्डिया						
56. मैसर्स केस्ट्रोल लि०	—	—	—	—	20.12	20.12
				—	20.12	20.12
यूनाइटिड ब्रेवरीज						
57. केरो एण्ड कं० लि०	16.15	—	16.15	16.15	—	16.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
58.	हाचेस्ट एण्ड क लि०	—	30.26	30.26	10 लाख रुपये से कम		
		16.15	30.26	46.41	16.15	—	16.15
	यूनियन कारबाइड						
59.	यूनियन कारबाइड इंडिया लि०	—	49.69	49.69	—	—	—
		—	49.69	49.69			
	वी० एस० डेम्पो						
60.	वी० एस० डेम्पो एण्ड कं० लि०	—	—	—	28.17	—	28.17
					28.17	—	28.17
	धिया						
61.	मैसर्स इण्डियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०	—	—	—	84.89	—	84.89
					84.89	—	84.89
	महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा						
62.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि०	—	—	—	18.27	—	18.27
					18.27	—	18.27
	20 करोड़ अथवा इससे अधिक की परिसम्पत्तियां रखने वाले अन्य एकमात्र बड़े उपक्रम						
63.	मैसर्स गुड इयर इण्डिया लि०	—	—	—	45.03	—	45.03
64.	मैसर्स निरलोन सिंथेटिक्स फाइबर्स एण्ड केमिकल्स लि०	—	—	—	—	121.73	121.73
65.	इण्डिया सीमेंट लि०	—	—	—	—	51.39	51.39
66.	मद्रास रबड़ फैक्टरी	—	—	—	31.20	—	31.20
					76.23	173.12	249.35

टिप्पणी : इस विवरण पत्र में, एकाधिका तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 20 (ख) के अन्तर्गत पंजीकृत तीन प्रमुख उपक्रमों के बारे में सूचना शामिल नहीं है ।

स्टेनलैस स्टील का आयात

793. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) उन श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत स्टेनलैस स्टील का आयात किया जा रहा, है,

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया, और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या नियंत्रण है कि प्रत्येक श्रेणी में आयात किये गए स्टेनलैस स्टील का केवल उसी श्रेणी में उपयोग किया जाये ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) : मोटे तौर पर दो प्रकार के बेदाग इस्पात का आयात किया जाता है (1) सपाट उत्पाद और (2) पुनर्वेलन योग्य इस्पात जिसमें तार छड़ भी शामिल हैं।

(ख) यहा निदेशक, वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकीय (डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०) के पास केवल अगस्त, 1978 तक किए गए कुल आयात आंकड़े के उपलब्ध हैं। माध्यम अभिकरणों नामत: स्ट्रील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में किये गए बेदाग इस्पात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं

वर्ष	पुनर्वेलन योग्य इस्पात (तार-छड़ भी शामिल है) (मीटरी टन)	सपाट उत्पाद (मीटरी टन)
1977-78	106	16043
1978-79	10636	22978
1979-80	1522	34400

माध्यम अभिकरणों के अलावा कुछ अन्य वास्तविक उपयोक्ता तथा पंजीकृत निर्यातक भी इस्पात सामग्री का आयात करते हैं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक उपयोक्ता तथा पंजीकृत निर्यातक आयातित सामग्री का उचित उपयोग करते हैं, आयात व्यापार निर्णय अधिकारी, राज्यों के उपयोग निदेशकों तथा अन्य प्रयोजक प्राधिकारियों से परामर्श करके अचानक तथा इच्छानुसार आवश्यक जांच पड़ताल करते हैं और यह देखते हैं कि वास्तविक उपयोक्ता ने किस हद तक तथा किस तरीके से आयात की गई सामग्री का उपयोग किया किया है। इसके अलावा सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी इस बात की भी जांच करते हैं कि क्या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयातित सामग्री का उचित रूप से इस्तेमाल किया गया है और क्या उन्होंने विहित प्रपत्र तथा तरीके से आयात और खपत का सही हिसाब किताब रखा है। वे ऐसे समाले, जिनमें वास्तविक उपयोक्तओं ने उन शर्तों का उल्लंघन किया हो, जिनके अधीन उसको समाग्री का आयात करने की अनुमति दी गई थी अथवा माध्यम अभिकरण द्वारा सामग्री का आवंटन किया था अथवा अन्यथा सामग्री अन्तरित की गई थी/उधार दी गई थी, सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारियों के ध्यान में लाते हैं। तत्पश्चात् सम्बन्धित आयात नियंत्रण कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

पर्यटकों को पर्यटक केन्द्रों पर कठिनाई

794 **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अनेक पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटकों को (1) आवास (2) भोजन और (3) भिखारियों सहित असामाजिक तत्वों के कारण बहुत कठिनाई हो रही ; और

(ख) सरकार का विशेषरुप से विदेशी पर्यटकों को अपेक्षित सुविधाएं तथा आराम उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर(क) और (ख) : जी हां इस प्रकार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं । आवास की कमी को पूरा करने की दृष्टि से निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के नए होटलों का निर्माण करने और वर्तमान होटलों का विस्तार करने के कार्य को प्रोत्साहित करने से संबंधित योजनओं पर सरकार विचार कर रही है । यद्यपि, भिखारियों तथा आसामाजिक तत्वों के उत्पीड़न से पर्यटकों को संरक्षण प्रदान करने की ससस्या राज्य सरकार की पुलिस फोर्सेज का कार्य है, तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता रहा है कि वे भिखारियों, टाउट्स आदि के उत्पादन से पर्यटकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कारगर उपाय करने की जरुरत पर ध्यान दें ।

भारतीय पटसन निगम के पास कच्चे पटसन का बिना निपटाया भंडार

795. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम के पास कच्चे पटसन का कितना भंडार बिना निपटान के पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या उसका निर्यात करने का कोई विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस भंडार का भावी मौसम के दौरान कच्चे पटसन की कीमत पर कोई कुप्रभाव पड़ेगा जिससे उत्पादकों को और अधिक चिन्ता हो जायेगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) से (ग) : भारतीय पटसन निगम ने सूचित किया है कि 7-6-1980 को निगम के भडारों में कच्चे पटसन की 12.56 लाख गांठे पड़ी हुई हैं । निबटान के विभिन्न तरीकों पर विचार किया जा रहा है जिसमें निर्यात भी शामिल हैं ।

व्यापार में घाटा

796. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979-80 में भारत के व्यापार में घाटा 1978-79 की अपेक्षा लगभग 25 प्रतिशत अधिक हुआ है;

(ख) क्या उक्त घाटा मुख्यतया आयातित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं की बढ़ती हुई लागत के कारण हुआ है; और

(ग) क्या कम होते हुए विदेशी मुद्रा के भंडार को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान उदार आयात नीति में संशोधन करने की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अनन्तिम आधार पर 1979-80 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 2232.68 करोड़ रु० मूल्य का रहा जो कि

विगत वर्ष 1978-79 में हुए 1088.04 करोड़ रु० (संशोधित) के घाटे की तुलना में दो गुने से भी अधिक था।

(ख) जी हाँ।

(ग) सरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिए संभव उपाय कर रही है ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके। निर्यात उत्पादन तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए आयात नीति, जिसकी 15 अप्रैल, 1980 को घोषणा की गई थी, निर्यात अभिमुख बनाई गई हैं। निर्यातों की सहायता के लिये इन नीति में निम्नोक्त मुख्य मुख्य बातें दी गई हैं;

1. विनिर्माता निर्यातकों के समक्ष, उनकी प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर मदों के आयात करने के लिये पहले से अधिक विकल्प है।

2. शुल्क सम्बन्धी छूट के लाभ सहित अग्रिम लाइसेंस देने की योजना को कार्यक्षेत्र की दृष्टि से पहले से अधिक व्यापक बना दिया गया है।

3. प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर शुल्क मुक्त आयात करने के लिये एक योजना आरम्भ की गई है। आरम्भ में यह योजना केवल कुछ निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में लागू होती हैं।

4. निर्यात सदनों के सम्बन्ध के आयात नीति को उदार बना दिया गया है ताकि निर्यात सदन आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों की सप्लाई में अपने सहायक विनिर्माताओं की और अधिक मदद कर सकें।

5. ऐसे विनिर्माता निर्यातक जो अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत या उससे अधिक माग निर्यात करते हैं उन्हें वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में उनकी वास्तविक खपत की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक मूल्य का कच्चा माल तथा संघटक आयात करने के लिये आटोमेटिक लाइसेंस दिये जाएंगे।

मुद्रा-स्फीति की दर

797. श्री वी. किशोरचन्द्र एस. देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों के दौरान मुद्रा स्फीति की दर बहुत अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है; और

(ग) गत तीन वर्षों की समान अवधि के दौरान मुद्रा-स्फीति की दर क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) तथा (ग) : 26.1.1980 से लेकर 24.5.1980 तक की अवधि में थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) के द्वारा आंकी गई मुद्रास्फीति की दर 5.6 प्रतिशत बैठती है, जबकि इसकी तुलना में 1979 की इसी अवधि में यह दर 7.6 प्रतिशत थी ; 1977 और 1978 की इन्हीं अवधियों में यह दर क्रमशः 4.6 प्रतिशत तथा (-) 0.1 प्रतिशत थी।

(ख) : सरकार वर्तमान मूल्य प्रवृत्तियों से चिन्तित है और सरकार ने बहुत से उपाय करके कीमतों की स्थिति को सुधारने का दृढ़ निश्चय किया है। इन उपायों में सार्वजनिक

वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, कम उपलब्ध वस्तुओं का आयात करके उनकी घरेलू उपलब्धता बढ़ाने, समाज-विरोधी गति-विधियां को समाप्त करने, उत्पादन में वृद्धि करने तथा अधार-भूत ढाँचे का अधिक अच्छा प्रबन्ध करने और मुद्रा उपलब्धि तथा बैंक ऋण के अनुचित विस्तार पर अंकुश लगाने के उपाय शामिल है।

मेघालय के गारो हिल्स जिलों में आवश्यक पदार्थों की कमी

798. **श्री पी. ए. संगमा** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेघालय के गारो हिल्स जिले में चावल, चीनी, ईन्धन आदि जैसे आवश्यक पदार्थों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं;

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) असम में चले आ रहे आन्दोलन की वजह से पैदा हुई संचलन संबधी बाधाओं के कारण उत्तर-पूर्वी राज्यों में, जिनमें मेघालय भी शामिल है, कुछ आवश्यक वस्तुओं की उपलब्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गोहाटी और डिग्बोई के तेलशोधन कारखानों में यद्यपि रुक-रुक कर काम हो रहा है तथापि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के तेल आदि की समग्र उपलब्यता में काफी कमी आई है।

राज्यों की खाद्य तेलों की माँग, उनका नियतन और वास्तविक सप्लाई

799: **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मई, 1980 तक प्रत्येक राज्य की खाद्य तेलों की मास-वार माँग क्या थी;

(ख) जनवरी से मई, 1980 तक प्रत्येक राज्य को प्रत्येक महीनों में कितना नियतन किया गया और कितनी सप्लाई की गई हैं; और

(ग) खाद्य तेलों का राज्यवार कोटा किस आधार पर निर्धारित किया जाता है;

नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों के आधार पर, जनवरी, 1980 से मई, 1980 तक की अवधि की मांग बताने वाला एक विवरण सलग्न है। (अनुबन्धI) (ग्रंथालय में रखा गया) देखिये संख्या एल टी 885/80)

(ख) वांछित जानकारी बताने वाले विवरण) अनुबंध II तथा III (क) से (ङ) (संलग्न है। (ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी—885/80

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को आयातित खाद्य तेलों का मासिक आवंटन, उनकी अनुमानित माँग के आधार पर और गत महीनों के आवंटन की तुलना में उनके द्वारा उठाई गई मात्रा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

800. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1979 से 31 जुलाई, 1979 की अवधि के दौरान तथा 1 अगस्त, 1979 से 31 जनवरी, 1980 की अवधि के दौरान थोक-मूल्य सूचकांकों में कितनी-कितनी (प्रतिशत में) वृद्धि हुई थी;

(ख) फरवरी, 1980 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान महीनेवार थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इन्हीं अवधियों के दौरान जिन्सों, खाद्यान्नों, ईंधन, दियाशलाई, साबुन सहित प्रसाधन सामग्री और सूती कपड़े के थोक मूल्य सूचकांकों में कितनी-कीतनी (प्रतिशत) वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) थोक कीमतों के सामान्य सूचक अंक (1970-71=100) में 3.3.1979 से लेकर 28.7.1979 तक 14.3 प्रतिशत और 28.7.1979 से 26.1.80 तक 5.8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) थोक कीमतों के सूचक अंक में वृद्धि संबंधी उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100)

प्रतिशत घटवढ़

	28.7.79	26.1.80	फरवरी, 80	मार्च,80	अप्रैल,80	मई, 80
	3.3.79	28.7.79	जन, 80	फर., 80	मार्च, 80	अप्रैल, 80
समस्त वस्तुएं	14.3	5.8	1.8	कोई परिवर्तन नहीं	0.6	2.6
खाद्यान्न	8.1	5.6	0.2	0.1	1.2	0.1
अनाज	8.3	7.7	0.1	0.3	1.4	2.0
इंधन	8.2	12.2	1.3	2.4	2.0	9.0
माचिसें	कोई परिवर्तन नहीं	5.3	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	1.6
प्रसाधन सामग्री, साबुन और डेटरजेन्ट	0.5	15.9	1.2	1.3	0.1	1.2
सूती वस्त्र	2.8	3.8	1.2	नगण्य	1.6	1.5

*मई, 1980 के प्रथम चार सप्ताहों का पूर्ववर्ती महीने की तुलना में औसत।

टिप्पणी : मार्च, अप्रैल और मई, 1980 के आंकड़े अन्तिम हैं।

लघु इस्पात संयंत्र तथा अधिष्ठापित क्षमता/उत्पादन

801. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में लघु इस्पात संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है और उनकी कुल अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है तथा लघु संयंत्रों का वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक वर्ष-वार वास्तविक उत्पादन कितना रहा ?

(ख) उन पर वर्ष 1979-80 के अन्त तक कुल कितनी पूंजी लगी थी;

(ग) उनमें से अब कितने संयंत्र वास्तव में कार्य कर रहे हैं; और

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान उनमें से कुल कितने श्रमिकों को रोजगार से निकाला गया है या उनकी जबरन छुट्टी की गई ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) इस समय देश में 146 लघु इस्पात कारखाने हैं और उनकी स्थापित वार्षिक क्षमता लगभग 32 लाख टन है।

वर्ष 1975-76 से 1979-80 की अवधि में लघु इस्पात संयंत्रों का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1975-76	7,82,800
1976-77	9 95,000
1977-78	11,34,828
1978-79	16,57,472
1979-80	15,83,898

(ख) इन संयंत्रों में लगी कुल पूंजी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इन संयंत्रों द्वारा लोहा और इस्पात नियत्रक को भेजी गई उत्पादन रिपोर्टों के अनुसार उत्पादन रत संयंत्रों की संख्या हर महीने बदलती रहती है। वर्ष 1979-80 में उत्पादन की रिपोर्ट भेजने वाले संयत्रों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रकार थी जो नवम्बर, 1979 में 90 से लेकर जनवरी, 1980 में 110 थी।

(घ) सरकार के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एसोसियेटेड जर्नल्स के खिलाफ मामले का बन्द किया जाना

802. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा 10 लाख रुपये के अनियमित ओवरड्राफ्ट देने के मामले में एसोसियेटेड जर्नल्स, जो नेशनल हेराल्ड का मालिक है, के खिलाफ मामले को बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमगनभाई बारोत) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यौरो ने यह सूचित किया है कि मैसर्स एसोशियेटेड जर्नल्स लिमिटेड के खिलाफ कोई मामला नहीं था। अलबत्ता, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था चूंकि आरोप साबित नहीं हुये इसलिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 31 मार्च, 1980 को मामला समाप्त कर दिया।

बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेना

803. **श्री चिरजी लाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या और अधिक बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय साइकलों की मांग

804. श्री सी. चिन्नास्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय साइकलों की भारी मांग है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें इस समय साइकलों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) इसके फलस्वरूप गत दो वर्षों में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) साइकलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। भारतीय साइकिलों तथा साइकिल के पूर्जों की विदेशों में काफी मांग है।

(ख) भारतीय साइकिलों तथा साइकिल के पुर्जे विश्व के लगभग 50 देशों को निर्यात किये जाते हैं जिनमें ये भी शामिल हैं मिस्र, ईरान, इराक, इटली, कीनिया, मलयेशिया, मारीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया आदि।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान साइकिलों तथा साइकिल-पुर्जों की बिक्री से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	विदेशी मुद्रा अर्जित (करोड़ रु० में)
1978-79	29·49

(घ) इस उद्योग को निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता; आयात प्रतिपूर्ति तथा उत्पादन के लिये खरीदे गये माल पर शुल्क वापसी जैसे सामान्य निर्यात लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् निर्यात संवर्धन के विभिन्न उपाय करती है जैसे विदेशों में व्यापार मेलों में भाग लेना, विदेशों में प्रतिनिधि मंडल तथा सर्वेक्षण-दल भेजना, प्रचार करना, तथा इसके सदस्यों को बाजार जानकारी देने की व्यवस्था करना आदि। परिषद् निर्यातों के लिए साइकिलों तथा साइकिल पुर्जों के उत्पादन के लिये आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधन प्राप्त करने में भी निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है।

बेरोजगार स्नातकों को बैंक ऋण

805. श्री सी. चिन्नास्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बेरोजगार स्नातकों को अपना का शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) और (ख) स्वनियोजन उद्यमों को प्रोत्साहित करने की सरकार की समग्र नीति के ढांचे के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के

बैंक आर्थिक दृष्टि से सक्षम उद्यमों को, विशेषकर शिक्षित बेरोजगारों सहित अन्य बेरोजगारों द्वारों प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र द्वारा हाथ में लिये गये उद्यमों को ऋण सहायता दे रहे हैं। दि० 1979 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 7 लाख व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को दिये गये अग्रिमों की लगभग 164 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सरणीकृत आयात सुविधा का दुरुपयोग

806. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोम्बे फैरस एण्ड नान-फैरस मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन ने यह शिकायत की है कि स्टैनलैस स्टील की चादरों के आयात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सरणीकृत आयात सुविधाओं और रियायतों का भारी दुरुपयोग किया जाता है;

(ख) स्टैनलैस चादरों के आयात के लाइसेंसों का दुरुपयोग किये जाने के लिये कितने मामलों का पता लगा है तथा फर्मों के नाम क्या हैं और आयतित माल की मात्रा क्या है; और

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सरणीकृत आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बोम्बे फैरस एण्ड नान-फैरस मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को स्टैनलैस स्टील मदों से सम्बन्धित केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति में विचार-विमर्श के लिये कुछ मुद्दे भेजे हैं। उसमें उल्लिखित एक मुद्दा यह था कि निर्यात सदन अच्छी क्वालिटी की सीटों का आयात करते हैं और उसे त्रुटिपूर्ण क्वालिटी को घोषित करके उन्हें आयात शुल्क की रियायती दरों पर क्लीयर करवा लेते हैं। इस प्रकार आयात की गई मूल सामग्री की पूरी मात्रा खनिज तथा धातु व्यापार निगम की बिक्री कीमत से बहुत कम कीमत पर बेच दी जाती है। अतः यह सुझाव दिया गया है कि स्टैनलैस स्टील की सीटों का आयात केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम तक ही सीमित किया जाये और निर्यात सदनों की मार्फत किये जाने वाले आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाये।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या तथा उनके ब्यौरों से सम्बन्धित जानकारी सीमाशुल्क प्राधिकारियों से एकत्र की जा रही है।

(ग) इस सरणीकरण अभिकरण द्वारा किये गये आयातों के सम्बन्ध में इस प्रकार के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है।

प्राचीन वस्तुओं की तस्करी रोकने के उपाय

807. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 मई, 1980 के 'सण्डे स्टेण्डर्ड' नई दिल्ली में 'एंटीक स्मग्लर्स वाइपास ला' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्राचीन वस्तुओं की तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं तथा राजधानी में एक फार्महाउस में हाल में बड़े पैमाने पर, प्राचीन वस्तुएं पकड़ी गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो विभिन्न प्रकार की मूल्यवान प्राचीन वस्तुओं के अवैध व्यापार कब्जे और तस्करी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई वारोत) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी का आयात

808. **श्री भोखा भाई :**

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री चित्त बसु :

श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या देश में चीनी की बढ़ती हुई कमी को ध्यान में रखते हुये उसका आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी चीनी का आयात करने का विचार है और उस पर कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) सरकार द्वारा गन्ने का उत्पादन इस हद तक सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रोत्साहन देने के बारे में कार्यवाही की जा रही है कि चीनी का आयात करने की आवश्यकता न पड़े बल्कि घरेलू माँग की पूर्ति करने के बाद चीनी के निर्यात में विदेशी मुद्रा भी अर्पित की जा सके ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने 200,000 मी० टन परिष्कृत चीनी आयात करने के लिए सविदा की है जिस पर लगभग 120 34 करोड़ रु० के आयात व्यय का अनुमान है ।

(ग) भारत सरकार ने 1979-80 में गन्ने की 30 रु० प्रति क्विंटल की दर से उच्चतर न्यूनतम कानूनी कीमत निर्धारित की जो वर्ष 1978-79 में निर्धारित की गई कीमत से 2.50 रु० प्रति क्विंटल अधिक थी । कुछ राज्य सरकारें उपजकर्ताओं को कीटनाशक दवाइयों, बीज तथा पौध संरक्षण कार्यों की लागत पर उपदान तथा ब्याज मुक्त ऋण देकर और उपजकर्ताओं के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करके प्रोत्साहन दे रही हैं । भारत सरकार ने गन्ने की फसल पर पौध संरक्षण उपाय करने के लिए 2 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था करने का निश्चय किया है । ऐसे चीनी कारखानों को उपयुक्त प्रोत्सोहन देने के बारे में सोचा जा रहा है जो अक्तुबर-नवम्बर 1980 में जल्दी पिराई का काम शुरू कर दें ताकि किसान गन्ने की बेहतर कीमतें प्राप्त कर सकें और उसके परिणाम स्वरूप गन्ने का बेहतर उत्पादन हो सके ।

विदेशों से चीनी

809. **श्री एम. ई. होरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को चीनी का कोटा सप्लाई करने के लिये क्या मानदण्ड अपना रखा है;

(ख) क्या भारत ने लन्दन के जिन्स दलालों के माध्यम से कुछ परिष्कृत चीनी खरीदी है; और

(ग) क्या कुछ देशों से कुछ परिष्कृत चीनी की अभी भी प्रक्रिया की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आयातित चीनी को, राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रों में अधिकांश उपभोक्ताओं की चीनी की मांग को पूरा करने के लिये आबंटित करने की योजना बनाई गई है । राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताएं बताने के लिए कहा गया है । राज्य व्यापार निगम राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं से उनकी अपनी राज्य स्तर की संस्थाओं द्वारा चीनी बेचे जाने के लिए उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी सम्पर्क स्थापित करेगी ।

(ख) तथा (ग) जी हाँ । राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में 200,000 मी० टन परिष्कृत चीनी के आयात के लिए एक संविदा की गई है ।

बिहार में जमाखोरी रोकने के लिए किए गए उपाय

810. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सरकार द्वारा जमाखोरी रोकने के लिये किये गये उपाय प्रभावहीन सिद्ध हुए है और सरसों के तेल, कपड़े धोने का साबुन, चीनी, हार्लिक्स, वैशाला, कापियाँ आदि के मूल्य में न केवल वृद्धि हुई है अपितु इनकी कमी अत्याधिक हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे और यदि यहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) व (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त हो जाने पर उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

एक साफ्ट ड्रिंक फर्म द्वारा एफ. ई. आर. ए. का कथित उल्लंघन

811. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का कथित उल्लंघन करने तथा फर्म और उसके निदेशकों द्वारा धोखा दिए जाने के आरोप में एक साफ्ट ड्रिंक फर्म के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त फर्म का नाम क्या है और उससे सम्बन्धित विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) तथा (ख) सम्भवत: माननीय सदस्या का संकेत उस मामले की ओर है जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने मद्य रहित पेय (सोफ्ट ड्रिंक्स) बनाने वाली कम्पनी, मैसर्स बिस्लेरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कथित अपराधों के लिये 5-4-80 को मामला दर्ज किया है ।

मामला, उपर्युक्त कम्पनी तथा उसके दो निदेशकों, श्री रमेश जे० चौहान और श्री एच० एम० गोलवाला के विरुद्ध दर्ज किया गया है । उनके विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने झूठे विवरण देकर और तथ्यों को छिपाकर 14336 पौंड भारत से बाहर भेजने की भारतीय रिजर्व

बैंक से अनुमति ली । जांच के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 7-4-80 और 8-4-80 को, मैसर्स बिस्लेरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और कुछ अन्य सम्बन्धित परिसरों की तलाशी ली और बहुत से दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया । आगे जाँच की जा रही है ।

लन्दन से चीनी आयात

812. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी की कमी दूर करने के लिए हाल में लन्दन से इसका आयात किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है और इसकी प्रति टन दर क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हाँ । राज्य व्यापार निगम ने संविदा पर हस्ताक्षर करने के समय उपलब्ध सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर 2 लाख मे० टन परिष्कृत चीनी के आयात के लिए एक संविदा की है ।

नाप तोल निदेशक के रिक्त स्थान को भरना

814. **श्री सी. चिन्नास्वामी :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि नाप तोल के निदेशक के सेवा निवृत्त हुए एक वर्ष से भी अधिक हो गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न मंत्रालयों से प्रति नियुक्ति के लिए नाम मांगे गये हैं परन्तु बारह मास का समय बीत जाने के बावजूद कोई चयन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो यह रिक्त पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) निदेशक (बाट तथा माप) के पद के अन्तिम पदधारी 31-8-1979 को सेवा निवृत्त हुए थे । निदेशक (बाट तथा माप) के पद के लिए बनाये गये भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने की प्रत्याशा में, जुलाई के महीने में सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्य संस्थाओं को एक परिपत्र भेजा गया था, जिसमें उपयुक्त अर्हता प्राप्त अधिकारियों से आवेदन मांगे गये थे । निदेशक (बाट तथा माप) के पद के भर्ती नियमों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है और उन्हें अधिसूचित किया जा रहा है । 1979 के जुलाई मास में जारी किए गये परिपत्र के उत्तर में मिले आवेदन संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं । भारत के राजपत्र में भर्ती नियमों के अधिसूचित किये जाते ही आयोग द्वारा निदेशक (बाट तथा माप) के पद के लिए उम्मीदवार का अन्तिम चुनाव किया जायेगा ।

कर्मचारियों के वेतन से कर की कटौती राशि का मैसर्स सिल्वेनिया एण्ड लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा किया जाना

815. **श्री नारायण चौबे :**

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि मैसर्स सिल्वेनिया एण्ड लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 1976-77 के लिए स्रोत से कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई कर राशि को आयकर विभाग आय कर विभाग के पास जमा नहीं की;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) कम्पनी के चेयरमैन और संयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(घ) उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, नहीं । तथापि, कर्मचारियों के वेतन से काटा गया आयकर निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया गया ।

(ख) अगस्त तथा सितम्बर, 1976 के महीनों को छोड़कर वर्ष 1976-77 के दौरान कर्मचारियों के वेतन से काटे गये आयकर की कुल 98,1 6 रुपये की रकम विलम्ब से जमा की गई और यह विलम्ब एक महीने से लेकर सोलह महीने तक का था । अगस्त तथा सितम्बर, 1976 के वेतन से की गई आयकर की कटौती एक महीने के भीतर जमा कर दी गई थी और यह विलम्ब माफ कर दिया गया था ।

(ग) इस्तगासे की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

(घ) (1) अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक—श्री लक्ष्मण एस. अग्रवाल, और

(2) संयुक्त निदेशक—श्रीमती एस. के. अग्रवाल ।

जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की मांग

816. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पुरजोर मांग के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उचित मांगों को मानने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जीवन बीमा निगम ने तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की यूनियनों और पहली श्रेणी के अधिकारियों के फैडरेशन के साथ वेतनमानों के संशोधन आदि के संबंध में बातचीत आरम्भ कर दी है तथा उनकी उचित मांगों को पूरा करने के लिए ठोस प्रस्ताव रखे हैं ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय राज्य व्यापार लिमिटेड के वर्ष 1978-79 की वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का वर्ष 1978.79 का प्रतिवेदन और समीक्षा, भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन और समीक्षा, मैंगनीज अस्यक (भारत) लिमिटेड नागपुर का वर्ष 1978-79 प्रतिवेदन और समीक्षा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, लिमिटेड हैदराबाद की वर्ष 1978-79 को प्रतिदेवन समीक्षा

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जैड. आर. अंसारी) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (क) के अन्तर्गत निम्न लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) एक भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 842/80

(ख) (एक) भारतीय जूट निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय जूट निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 843/80

(ग) (एक) भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 844/80

(घ) (एक) मैंगनीज अयस्क (भारत) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज अयस्क (भारत) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिपप्पणियां। ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 845/80

(ङ) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.846/80

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा ग्रेंग्रजी संस्करण)

(3) व्यापार विकास प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 863/80

(4) भारत के विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 847/80

(5) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत

वैद्य मारमानिकी नियम, 1980 (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 अप्रैल, 1980 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 194 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 848/80

(6) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयात और निर्यात नियंत्रण (दस्तावेजों का प्रमाणीकरण) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 7 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा. आ. 149 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। ग्रन्थालय में रखा गया गथा देखिए संख्या एल. टी. 849/80

(7) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरिक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) नहाने के साबुन का निर्णय (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 1016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 19 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां आ. 1019 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम जो दिनाँक 19 अप्रैल 1980 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 1020 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) संश्लिष्टों डिटरजेन्टों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरिक्षण) नियम, 1980 जो दिनाँक 19 अप्रैल 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ. 1023 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) बासमती चावल का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनाँक 19 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां. आ. 1026 में प्रकाशित हुये थे।

(छः) मछली भोजन का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1980, जो दिनाँक 26 अप्रैल 1980 के (भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. आ 1150 में प्रकाशित हुए थे। ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 850/80

"आर्थिक सर्वेक्षण, 1979-80"

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटारामन) : मैं "आर्थिक सर्वेक्षण, 1979'80" हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। (ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल. टी. 851/80)

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन नियम तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : मैं तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के धारा 32वीं की उपरारा 3 के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड (संशोधन)

नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सा. नि. 192 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूँ। ग्रंथायल में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 852/80

सम्पदा शुल्क अधिनियम, आयकर, अधिनियम, कम्पनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटारामन) : मैं श्री मगनभाई बारोत निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूँ।

(1) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 85 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क (सशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कर) की एक प्रति जो दिनांक 25 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. आ. 273 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 853/80

(2) विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 33 (2) के अन्तर्गत सम्पत्ति को सम्पदा शुल्क से छूट के बारे में सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 33 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 5/13 हिन्दी (तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 854/80

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सां. आ. 1410 से 1415 जो दिनांक 24 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (चार) के अन्तर्गत कतिपय संगठनों और निधियों को छूट देने के बारे में हैं।

(दो) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 26 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां आ 351 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 855/80)

(4) कम्पनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 की धारा 24क और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 90 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां सा. नि. 223 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी मस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो संचालित वायुयानों के उद्यमों को दोहरे काराधान सेवचाने के लिये भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के बीच हुए समझौते के बारे में है। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 856/80)

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 549 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1980, जो 23 मई, 1980 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 276 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 857/80)

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के आधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति।

(एक) सा० सां० नि० 168 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकिशत हुई थी तथा शिशुओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिला रही माताओं को मुफ्त बांटे जाने वाले "तैयार खाद्य पदार्थों" को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 199 (ङ) और 200 (ङ) जो दिनांक 5 अप्रैल 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा विस्तारण प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाली सूती फेब्रिक को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा. सां. नि. 235 (ङ) से 237 (ङ), जो दिनांक 24 अप्रैल 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा अपशिष्ट से बनाये गये तंतुओं और टाप्सों को जिनके निर्माण में कोई रासयानिक अथवा सुधारात्मक प्रक्रिया ग्रस्त नहीं है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा. सां. नि. 238 (ङ), जो दिनांक 25 अप्रैल 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा चाय के निर्यात पर उत्पाद शुल्क से छूट का दावा करने के प्रयोजनार्थ पैकेज चाय' की परिभाषा से चाय थैलों को बाहर रखने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा. सां. नि. 245 (ङ), जो दिनांक 29 अप्रैल 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। तथा मेथाइल क्लोराइड संबंधी टिकाऊ पैकिंग आदि की लागत को शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य से छूट देने संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा. सां. नि. 257 (ङ), 259 (ङ) जो दिनांक 13 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा विद्युत भट्ठी सहायता से और लोहे अथवा इस्पात तथा लोहे अथवा इस्पात के उत्पादों से निर्मित कतिपय विशष्ट सामग्री से बनाये गये विशिष्ट इस्पात डलों और लोहे अथवा इस्पात के उत्पादों पर रियायती उत्पाद शुल्क के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा. सां. नि. 269 (ङ) जो दिनांक 20 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी तथा उच्च घनत्व पोलिथिलीन टेपों को यदि उनका इस्तेमाल उच्च घनत्व पोलिथिलीन के थैलों को सिलाई के लिये किया जाता है, उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा. सां. नि 270 (ङ) और 271 (ङ) जो दिनांक 20 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा शक्ति की सहायता से जल निष्कासन प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिकों को उत्पाद शुल्क से छूट संबंध व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा. सां. नि. 274 (ङ), जो दिनांक 22 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा लोहे के स्क्रेप को (जिसमें फासफोरस तत्व जितनी भी मात्रा में हों) उत्पाद शुल्क से पूरी छूट संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दश) सा. सां. नि. 282 (ङ), जो दिनांक 31 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुई थी तथा खुली बिक्री की चीनी पर मूल उत्पाद शुल्क मूल्यानुसार 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा. सां. नि. 479, जो दिनांक 3 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के लिये अधिकारियों प्रत्यायोजित शक्तियों संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा. सां. नि. 514 और 515, जो दिनॉक 10 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा घी के निर्माण के लिये मक्खन को चाय व पास्चुरीकृत हो अथवा नहीं उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा. सां. नि. 162 (ङ) और 163. (ङ), जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुई थी तथा कतिपय विद्युत मोटरों पर आंशिक उत्पाद शुल्क से छूट की अविध बढ़ाने संबंध व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा. सां. नि. 196 (ङ), जो दिनांक 2 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा देश में उत्पादित एक्रिलिक तन्तु पर उत्पाद शुल्क संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन

(पन्द्रह) सा. सां. नि. 226 (ङ) से 229 (ङ) जो दिनांक 23 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा केप्रोलेक्टम पर उद्ग्रहणीय उत्पादशुल्क की दरों में पुनः परिवर्तन संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा. सां. नि. 279 (ङ) और 280 (ङ) जो दिनांक 28 मई, 1980 के भारत के राजपत्र; प्रकाशित हुई थी तथा इलेक्ट्रिकल ग्रेड एलयूमिनियम से निर्मित तार की छड़ों तार की शलाकाओं और बिलेटों को उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा. सां नि. 294 (ङ) से 296 (ङ) जो दिनांक 7 जून 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एमोनियम सल्फेट और कैलशियम एमोनियम नाईट्रेट से भिन्न सभी उर्वरकों उत्पाद शुल्क से छूट संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन

(अठारह) सा. सां. नि. 183 (ङ) और 184 (ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा तांबे और तांबा मिश्रत धातु को वर्तमान मूल उत्पाद शुल्कों से छूट संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा. सां. नि. 253 (ङ) और 254 (ङ) जो दिनांक 9 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सादे और निक्षारित अथवा निर्मित एल्यूमीनियम फायलों पर सीमा शुल्क संबन्धीव याख्यात्मक ज्ञापन । (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 858/80)

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति

(एक) सा. सां. नि. 230 (ङ) से 232 (ङ) जो दिनांक 23 अप्रैल, 1980 के भारत के राज पत्र में प्रकाशिक हुई थी तथा केपरोलेक्टम पर लागू सीमा शुल्क की दरों के पुर्निधारण संबन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा. सां. नि. 164 (ङ), जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में हुई थी

तथा सीमेंट और पैराफीन पर आयत शुल्क से वर्तमान छूट को 31 मार्च, 1981 तक बढ़ाने संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा. स.ां नि. 181 (ङ) और 182 (ङ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा बिना पिटे तांबे पर सीमा शुल्क कम करने संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा. सां. नि. 249 (ङ) से 252 से (ङ), जो दिनांक 9 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सादे निक्षारित या निर्मित एल्युमीनियम फायलों पर सीमा शुल्क संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा. सां. नि. 112 (ङ), जो दिनांक 25 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सात विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को सात विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए संशोधित विनिमय दर संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छ) सा. सां. नि. 113 (ङ), जो दिनांक 25 मार्च 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पी० वी० सी० पर सीमा शुल्क से छूट बढ़ाने संबन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा. सां. नि. 169 (ङ) और 170 (ङ), जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के में प्रकाशित हुई थी तथा मेल्टिंग स्क्रेप पर शुल्क से वर्तमान छूट और स्पंज लोहे पर सीमा राजपत्र शुल्क से पूरी छूट की विधिमान्यता के विस्तारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन । (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 859/80)

(आठ) सा. सां नि. 171 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिग्स, कप मेन मेटल फलोट ब्रिज का निर्माण के सम्बन्ध में पुर्जों के निर्माण के लिए फिक्वस पर सीमा-शुल्क से वर्तमान छूट की विधिमान्यता के विस्तारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा. सा. नि. 172 (ङ) और, 173 (ङ) जो 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा सोडा एश पर सीमा शुल्क से वर्तमान आंशिक छूट की विधि-मान्यता के विस्तार सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा. सां. नि. 174 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सादे और लेमिनेटिव एल्युमिनियम फायल पर सीमा-शुल्क सेवर्तमान छूट की विधिमान्यता के विस्तारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सां सा. नि. 175 (ङ) और 176 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा मोटरयानों के निर्माण के लिए पुर्जों पर सीमा-शुल्क से वर्तमान छूट की विधिमान्यता के विस्तारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सां. सा. नि. 178 (ङ) और 179 (ङ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 25 मार्च, 1978 की अधिसूचना सख्या 74-सीयूएस और दिनांक 25 मार्च, 1980 की संशोधन करने वाली अधिसूचना को रद्द करने सम्बंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा. सां. नि. 186 (ङ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सात विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में बदलने और भारतीय मुद्रा को

सात विदेशी मुद्राओं में बदलने में सम्बन्धी विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा. सां. नि. 188 (ङ) और 189 (ङ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम और अमरीका की कोआपरेटिव लीग के बीच समझौते के अन्तर्गत अमरीका से आयातित खाद्य तेलों को समूचे सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा. सां. नि. 190 (ङ) और 191 (ङ), जो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा खेलकूद के सामान के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाले विशिष्ट कच्चे माल को समूचे मूल तथा सहायक सीमा-शुल्कों से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा. सां. नि. 197 (ङ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में बदलने या भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा. सां. नि. 198 (ङ), जो 3 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 2 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 197 (ङ) के अधिलंगन में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की सशोधित विनिमय दर के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा. सां. नि. 201 (ङ), जो दिनांक 5 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा रूसी रुबल को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को रुसी रुबल में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्यख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा. सां. नि. 205 (ङ) जो दिनांक 14 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 3 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 198 (ङ) के अधिलंगन में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में बदलने या भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा. सां. नि. 206 (ङ) और 207 (ङ), जो दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन जारी किये गये आर. ई. पी. लाइसेंस के अनुसार आयात शुल्क से मुक्त सामग्री सम्बन्धी ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा. सां. नि. 208 (ङ) जो दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस के अनुसार शुल्क मुक्त आयातित सामग्री की सूची में संशोधन और उनके विस्तारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा. सां. नि. 209 (ङ) और 210 (ङ), जो दिनांक 17 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के भीतर निर्यात के लिए बनाये जाने वाले सामान के लिए आयातित माल को सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा. सां. नि. 212 (ङ) जो दिनांक 18 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 14 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 205 (ङ) के अधि-

लंघन में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की संशोधित विनिमय कर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा. सां. नि. 213 (ङ) और 214 (ङ) जो दिनांक 18 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एल्यूमीनियम तार की छड़ों या एल्यूनियम डलों को सीमा-शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा. सां. नि. 215 (ङ) और 216 (ङ) जो दिनांक 18 अप्रैल' 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एल्यूमिनियम स्क्रैप को मूल शुल्क से आंशिक रुप में और सहायक तथा अतिरिक्त शुल्क से समूची छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा. सां. नि. 217 (ङ) और 218 (ङ) जो दिनांक 19 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा बिजली के लैम्प के निर्माण के लिए ग्लास शैल को 10 प्रतिशत यथामूल्य से अधिक मूल शुल्क से और समूचे सहायक शुल्क से छूट सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा. सां. नि. 233 (ङ) और 234 (ङ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा लाओस से आयातित विशिष्ट वस्तुओं पर सीमा-शुल्क की विशिष्ट टैरिफ दरों सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठाईस) सा. सां. नि. 239 (ङ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा दिनांक 18 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 212 (ङ) के अधिलंघन में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनत्तीस) सा. सां. नि. 480 जो दिनांक 3 मई 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा भारतीय नौसेना के जहाजों के निर्माण के लिए या उनमें लगाने के लिए अपेक्षित वस्तुओं पर सीमा-शुल्क से छूट के विस्तारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा. सां. नि. 260 (ङ) जो दिनांक 13 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी निर्मित चमड़े की पहचान के लिए भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा सम्बन्ध व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्तीस) सा. सां. नि. 264 (ङ) जो दिनांक 15 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्मित औद्योगिक चेनों में अपशिष्ट/स्क्रैप के प्रतिशत के निर्धारण सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा. सां. नि. 268 (ङ) जो दिनांक 24 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा राज्यों के उद्योगों के आयुक्त को रियायती दरों पर सीमा-शुल्क के लिए आयातकों को प्रयोग प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार भी देना ।

(तैंतीस) सा. सां. नि. 263 (ङ) जो दिनांक 14 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा स्विस फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में और भारतीय को स्विस फ्रैंक में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा. सां. नि. 265 (ङ) जो दिनांक 16 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 25 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 239 (ङ)

के अधिलंगन में पौंड स्टर्लिग को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को पौड स्टर्लिग में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा. सॉ. नि. 268 (ङ) जो दिनाँक 20 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जापानी येन को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को जापानी येन में बदलने की संशोधित विनिमय दर, सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा. सां. नि. 276 (ङ) जो दिनांक 23 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनाँक 16 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 265 (ङ) के अधिलंगन में पौंड स्टर्लिग को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को पौड स्टर्लिग में बदलने की संशोधित विनिमय दर सम्बन्धी व्याख्यात्मक विनिमय दर।

(सैंतीस) सा. सां. नि. 282 (ङ) जो दिनाँक 28 मई, 1980 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 23 मई, 1980 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 276 (ङ) के अतिक्रमण में पौड्स स्टर्लिग को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को पौंड्स स्टर्लिग में बदलने की पुनरीक्षित दर संबंधी एक व्यख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तीस) सा. सां. नि. 297 (ङ) और 298 (ङ) जो दिनाँक 7 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पोटाशियम सल्फेट जिसमें भार के 52 प्रतिशत से अधिक यूरिया न हो कम्पोजिट उर्वरकों, डि. अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रोफोस्फेट अमोनियम फास्फेट और पोटाश और कैनाइट साल्टों के यूरिएट को सहायक सीमा शुल्क से छूट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 859/80)

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11ज और 11ट के अन्तर्गत क्रमशः जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.सां. नि. 132 (ङ) और 133 (ङ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनाँक 27 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमाओं के बीच चांदी बुलियन और सिक्कों की तस्करी वाले क्षेत्रों संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी 860/80)

(9) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम के 31 मार्च, 1979 को बारहवें मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति । (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 861/80)

अविलम्बनिय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में सूखे की गम्भीर स्थिति

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"देश के विभिन्न भागो में सूखे की गम्भीर स्थिति" ।

वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव :) मैंने 17 मार्च, 1980 को देश के एक बड़े भाग में पिछले वर्ष से ही चल रही सूखे की स्थिति के बारे में इस सदन में कुछ ब्योरा दिया था। पिछले वर्ष मानसून आने में लगभग एक पखवाड़े का विलम्ब हुआ था और अगस्त, 1979 के अन्त तक 4 से 9 सप्ताह तक की अवधि में लगातार सूखे की स्थिति बनी रही। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन 11 राज्यों पर सूखे का विशेषरूप से असर पड़ा। वास्तव में इन सभी राज्यों में अक्तूबर, 1979 से मई, 1980 तक अपर्याप्त अथवा बहुत कम वर्षा हुई। यहां तक कि आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और गुजरात राज्यों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी केन्द्रीय सहायता माँगी। पूर्व उल्लिखित 11 राज्यों में 2200 लाख व्यक्ति और 386 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ था। बारहवें राज्य, गुजरात ने 60 लाख व्यक्तियों तथा 11 लाख हैक्टर सस्यगत क्षेत्र के सूखे से प्रभावित होने की सूचना दी है।

2. जैसाकि मैंने इस वर्ष मार्च में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा था, केन्द्रीय दलों तथा राहत सम्बन्धी उच्च-स्तरिय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1979-80 के दौरान सूखे से प्रभावित 11 राज्यों को केन्द्रीय सहायता के तौर पर कुल 156.95 करोड़ रुपये के अधिकतम खर्च की स्वीकृति दी थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन आठ राज्यों ने और अधिक केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। उनके अनुरोध पर तत्काल विचार किया गया। केन्द्रीय दलों ने इन राज्यों का दुबारा दौरा किया और इन केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर इनमें से छः राज्यों के लिए 177.37 करोड़ रु० के और खर्च की मंजूरी दी गई। शेष हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अभी तक मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता में ये शामिल हैं—कृषि आदानों के लिए छोटे और सीमांत किसानों को राजसहायता के लिए 22.39 करोड़ रुपये पेय जल की योजनाओं के लिए 59.87 करोड़ रु०, रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 179.50 करोड़ रु० तथा निःशुल्क राहत, चारा और पानी के परिवहन आदि के लिए 65.11 करोड़ रु०।

3. उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने सूखे से प्रभावित राज्यों को पिछले वर्ष के खरीफ मौसम से कुल 163.10 करोड़ रु० का अल्पावधि कृषि ऋण भी दिया।

4. आर्थिक सहायता के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों को 1979-80 के दौरान कुल 27.20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त किया तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 9.17 लाख मीटरी टन और खाद्यान्न आवंटित किया। स्कूल न जाने वाले शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं, वृद्ध, अशक्त तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न तथा 2500 मीटरी टन खाद्य तेल और 1500 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण भी मुहैय्या कराया गया था।

5. लघु और सीमान्त कृषकों के लिए एक फसली क्षेत्र में जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों सहित बीजों, कीटनाशियों और उर्वरकों के लिए राज सहायता देने की योजना भी इस वर्ष सितम्बर तक बढ़ा दी गयी थी। फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्रों में चालू ऋणों पर ब्याज की देयता को भी कुछ शर्तों के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया था।

6. मैंने सूखाग्रस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों को स्वयं पत्र लिखा कि वे कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दें ताकि कृषि के लिए डीजल की मांग की पूर्ति पूर्णतः की जा सके। हमने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी थी कि कम से कम 50 से 60 प्रतिशत तक विद्युत शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो आर्क-फरनासेस, इस्पात की रोलिंग मिलें जैसे अधिक खपत करने वालों के लिए बिजली में कटौती की जाय।

7. ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई। लगभग 50,000 ग्रामों में पेयजल की अत्याधिक कमी महसूस हुई है। प्रधान मंत्री इस समस्या के बारे में अत्याधिक चिन्तित हैं। उनके कहने पर तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने सख्त चट्टानी क्षेत्रों में पेयजल के कुओं की बोरिंग करने के लिए अपने क्रयू के साथ रिगें भेज करके सूखा ग्रस्त राज्यों को बड़े पैमाने पर सहायता दी। इस समय प्रभावित राज्यों में 72 ऐसी रिगें बहु-पारी के आधार पर कार्य कर रही हैं। इस वर्ष अप्रैल में मंत्रिमण्डल सूखे से प्रभावित राज्यों को सप्लाई करने के लिए 98 देसी रिगों की खरीद के लिए 11 करोड़ रुपए तथा 10 स्वेडिश रिगों की खरीद के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए सहमत हो गया। इस समय सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुल मिलाकर तेज गति की लगभग 300 आधुनिक रिगें तथा मन्द गति की 1000 रिगें कार्यरत हैं जिनकी मासिक क्षमता 4000 वेधन की है। दूरस्थ ग्रामों में जल पहुँचाने के लिए राज्यों को थल सेना और रेलवे की सहायता उदारतापूर्वक उपलब्ध करवाई की गयी है।

8. प्रधान मन्त्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में दूर-दराज के रेगिस्तानी, आदिवासी और सूखे से प्रभावित अन्य क्षेत्रों का स्वयं दौरा कर रही हैं। राज्यों के लिए सूखे की व्यावस्था के बारे में एक 12 सूत्री कार्यक्रम की सिफारिश की गयी और केन्द्रीय मंत्रालयों से अनुरोध किया गया कि वे राज्यों की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। सूखा प्रबन्ध कार्यक्रम में पूर्णकालिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्रोवोधन सेलों की स्थापना, खाद्यान्न, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़करण, अभाव की स्थिति से लाभ उठाने वाले समाज विरोधी तत्वों को समाप्तकरना, काम को चालू रखने तथा नियमित रूप से भुगतान का सुनिश्चय करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करना, बन रोपण का व्यापक कार्यक्रम चलाना, प्रभावित ग्रामों को जल की सप्लाई करने तथा पशु और राहत शिवरों की स्थापना के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करना शामिल है। प्रधान मन्त्री के निर्देश पर मैंने भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा के सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा किया जबकि मेरे साथियों ने गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

9. कृषि विभाग का कृषक दल तथा खाद्य विभाग का प्रबोधन दल, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा रेलवे व दिल्ली स्थित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से खाद्यान्नों की ढुलाई, डीजल के आबंटन, पेय जल के लिए रिगों के उपयोग करने आदि का नियमित रूप से प्रबोधन कर रहे हैं।

10. मेरे मन्त्रालय में मौसम की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए पिछले वर्ष से एक मौसम निगरानी दल कार्य कर रहा है जो कृषकों तथा राज्य सरकारों को सलाह देता है।

11. कहा जाता है कि इस शताब्दी में इतने गम्भीर रूप से और इतने दूर-दूर तक कभी सूखा नहीं पड़ा। किन्तु हम सभी के लिए यह बड़े गर्व की बात है कि हमने किसी देश से खाने के लिए अनाज नहीं माँगा और न भुखमरी से किसी की मौत ही होने दी। पिछले महीने के अंत तक, सूखे से प्रभावित राज्यों में 65 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजना रोजागार दिया जा रहा था। इस वर्ष के प्रारम्भ से शुरू किए गए सूखे से प्रभावित सख्त चट्टानी क्षेत्रों में बेधन कुओं के व्यापक कार्यक्रम के जरिए सूखे से प्रभावित अनेक गाँवों में अब पीने के पानी स्थायी स्रोत सुलभ हो गया है। पेयजल के अभाव से गम्भीर रूप से प्रभावित 50,000 गांवों में से लगभग 32,000 गाँवों को पेय जल का स्थायी स्रोत प्रदान करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही लाया जा चुका है।

12. यद्यपि हम मुसीबतों से अभी पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सके हैं, फिर भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गत कुछ महीनों के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने स्थिति को पूरी मुस्तैदी के साथ संभाला है, जो पूरी तरह नियंत्रण में है। जिस तरीके से कृषि, पीने के पानी और राहत आदि विभिन्न क्षेत्रों में सूखे से निपटा गया, उसकी सभी को प्रशंसा करनी चाहिए।

13. भाग्यवश मानसून वाले क्षेत्रों में इस वर्ष समय पर मानसून आया। पश्चिमी घाट पश्चिम बगाल, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा सूखे से प्रभावित अनेक क्षेत्रों में इस महीने के प्रारम्भ से ही सुखद वर्षा हुई है। अभी तक मानसून का रुख संतोषजनक रहा है किन्तु उस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। हमें बताया गया है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मानसून के सामान्य होने तथा देश के उत्तर-पश्चिमी भागों में सामान्य से कुछ अधिक होने की सम्भावना है। मैं यही आशा कर सकता हूँ कि हमारी उम्मीदें पूरी होगी। किन्तु हमें कठिन से कठिन स्थिति का सामना करने के लिए दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन आधार पर हमेशा तैयार रहना होगा। हम संशोधित छठी योजना बनाते समय दीर्घकालीन उपायों को ध्यान में रखेंगे, जिनसे देश के विभिन्न भागों में समय समय पर आने वाले सूखे, बाढ़ों, समुद्री तूफान आदि के प्रभावों को समाप्त किया जाएगा।

14. अन्त में मैं भारतीय कृषकों के प्रति आभारी हूँ जो बहादुरी, धैर्य और दिलेरी से सूखे का सामना कर रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि लगभग 380 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ था, खरीफ मौसम के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में 140 से 150 लाख मीटरी टन की गिरावट आई तथा रबी के उत्पादन में बहुत कम गिरावट आई। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में भरपूर पैदावार हुई और यहाँ कृषि उत्पादन पर सूखे का प्रभाव नहीं पड़ा। हमें आशा है कि भूमि तथा जल का उचित प्रबन्ध करके तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी अभिज्ञान रुख पर आधारित वैज्ञानिक सस्य प्रतिमान द्वारा सूखे का प्रभाव अधिक कारगर ढग से कम किया जा सकेगा।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : जैसाकि माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से और प्रेस समाचार से स्पष्ट है स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक और जहां तक हमें याद है, इस समय जो सूखा पड़ा है सबसे ज्यादा भयंकर है। केवल भारत में ही नहीं वरन् विश्व के अन्य भागों में यही स्थिति है; यहाँ तक कि विश्व खाद्यन्न परिषद ने भी आने वाले वर्षों में अकाल की दशा की भी सम्भावना की चेतावनी दी है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमें आगे की योजना बना लेनी होगी। और यह योजना सुनियोजित ढंग से बानानी होगी।

देश की विभिन्न भागों में तीन मोर्चों पर स्थिति बहुत गम्भीर है। उसमें एक है पेय जल कीसमस्या। अधिकतर क्षेत्रों में, विशेषतः हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश में तथा पंजाब राज्य की सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी के स्रोत जिनमें साल भर पानी उपलब्ध रहता है था और जहां से पानी मैदानों की ओर बह कर आया करता था भी सूखने लगे हैं, तथा झीलों में जल स्तर इतना कम हो गया है कि लोग वस्तुतः वहाँ से पानी नहीं ले सकते सिरमूर जिले में रेनुका नामक झील है जिसका जल स्तर पिछले सौ साल में इतना कम कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार बौद्ध मन्दिर के लिए प्रसिद्ध रेवालसर झील का जल स्तर भी इस समय कम हो गया है।

इसके अलावा हमारी परेशानी इस बात से और भी बढ़ गई है कि ये सभी बातें जिनका मन्त्री महोदय ने संकेत किया है, अर्थात् रेलगाड़ियों तथा सेना के ट्रकों आदि के द्वारा पानी ले जाया जाना हिमाचल प्रदेश के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ गाँव ऐसी स्थित जगह पर स्थित हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं। यह स्वाभाविक है कि घड़े आदि सिर पर रख कर ले जाने पड़ते हैं और लोगों की लम्बी लाइनें देखी जा सकती हैं। अतः गाँवों में पेय जल की पूर्ति के लिए शीघ्र समाधान के रूप में तुरन्त व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जाना चहिए।

मन्त्री महोदय ने हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था के बारे में वक्तव्य दिया है। उहोंने इस बात का संकेत दिया है कि इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। महोदय मानसून महीने या पन्द्रह दिन तक आ सकता है, किन्तु असली बात यह है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि इससे जल्दी घास नहीं उग सकती और पीने के लिए पानी की व्यवस्था बनाए रखनी होगी। इसलिए यह काम कल्पना से भी अधिक कठिन है; केवल मानसून के आ जाने से ही इसका समाधान नहीं हो सकता। हमें लोगों के लिये पीने के लिए पीने के पानी की पूर्ति के लिए तुरन्त सहायता की योजना बनानी होगी। वस्तुतः हुआ यह है कि जिन क्षेत्रों में पानी था भी वहां के लोग अधिकतर हिमाचल प्रदेश के लोग अपने पशुओं सहित नदियों के किनारे आ गए हैं, वे सतलुज के किनारे और अन्य क्षेत्रों में आ गए हैं, पशुओं के इस तरह आ जाने से एक और समस्या उठ खड़ी हुई है वह है, चारे की समस्या। इन स्थानों पर चारा भी शीघ्र भेजना होगा।

अन्तिम और सबसे अधिक गम्भीर समस्या है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाच की व्यवस्था। मन्त्री महोदय खाद्यन्न के नियतन का उल्लेख कर रहे हैं किन्तु मैंने विचित्र प्रतिबन्ध देखा है। योजना आयोग ने जो फार्मूला बनाया है उसके अनुसार वार्षिक नियतन का केवल 5% ही राहत कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जा सकता है। मुझे यह न्यायोचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि किसी राज्य में समस्या अधिक गम्भीर

होगी और किसी अन्य राज्य में कम इसलिए इस अनम्य फार्मूले से क्यों चिपके रहना चाहिये ? क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूँ, कि क्या वे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि यह कार्यक्रम किस प्रकार लागु किया जायेगा, क्योंकि उन्हीं के वक्तव्य से स्पष्ट है कि इससे पहले योजना आयोग ने सहायता राशि की अधिकतम सीमा 145 करोड़ रुपये निर्धारित की थी, किन्तु गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सरकार केन्द्रीय सरकार ने 145 करोड़ रुपए के अलावा 177 करोड़ रुपए की और राशि प्रदान की थी । अतः इस फार्मूले से यही पता लगता है कि अधिकतम सीमा बहुत कम है और आवश्यकता बहुत ज्यादा है इसलिए हमें इस प्रकार योजना बनानी होगी कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो ।

हिमाचल प्रदेश के मामले में, परसों हमारे मुख्य मन्त्री तथा हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित हम संसद सदस्यों ने मंत्री महोदय से भेंट की थी और उनसे निवेदन किया था कि हमारे राज्य को 10,000 टन खाद्यान्न तुरन्त दिया जाए, क्योंकि यद्यपि पूरे वर्ष के लिए 60,000 टन खाद्यान्न की आवश्यकता है, किन्तु दस से पन्द्रह हजार टन तक खाद्यान्न की तुरन्त ही आवश्यकता है । हिमाचल प्रदेश और इसी प्रकार के अन्य पर्वतीय राज्यों की समस्याएं अन्य राज्यों से भिन्न हैं क्योंकि मानसून के आने पर अन्य राज्यों की प्रायः सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, किन्तु हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा के कारण सड़कें बन्द हो जाती हैं अतः बसों और ट्रकों की आवा जाही बन्द हो जाती है, अतः उनका दूर-दराज के इलाकों में पहुँचना लगभग असम्भव हो जाता है । अतः राज्य में इस प्रकार की सुचारु व्यवस्था की जाये कि उससे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । इस मोर्चे पर हिमाचल प्रदेश सरकार बढ़िया प्रयास कर रही है, किन्तु उसके पास संसाधन बहुत सीमित हैं । हम ट्रकों से पानी पहुचा रहे हैं । राज्य सरकार ने पूरे राज्य में पेय जल के वितरण के लिए लभभग 205 स्थान निश्चति किये हैं, वहाँ और पानी ले जाया जा रहा है । किन्तु जैसा कि मैं ने पहले बताया है कि वहां पहाड़ ही पहाड़ हैं, और उन पहाडों पर लोग रहते हैं जहाँ ट्रक नहीं जा सकते और खच्चर भी नहीं जा सकते । अतः घड़ों में पानी ले जाना पड़ता है । इसके लिए हमें अधिक सहायता की जरुरत है, सूखा राहत के लिए जो फार्मूला मैदानी इलाकों पर लागू होता है वह हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा अन्य ऐसे क्षेत्रो के पहाड़ी स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं होगा इसीलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस मुद्दे को स्पष्ट करें कि राहत कार्य के लिए वार्षिक योजना व्यय में पाँच प्रतिशत की सीमा का हिमाचल प्रदेश के मामले में कडाई से पालन नहीं किया जा सकता ।

दूसरी बात यह है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सही दिशा में एक उपाय यह भी होगा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रत्येक राज्य में जल विकास बोर्डों की स्थापना की जाए । उनमें पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नियुक्त किए जाएं । यहाँ मैं 4 जून के 'हिन्दू' में प्रकाशित एक समाचार का उल्लेख करना चाहता हूँ ..

अध्यक्ष महोदय : कृपया, जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री. नारायण चन्द पाराशर : 'हिन्दू' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि बिहार आदि जिन राज्यों में जल बोर्डों की स्थापना की जा चुकी है, वे समुचित ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तकनीकी जानकारी का अभाव है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है

कि सूखा ग्रस्त क्षेत्र की स्थायी समस्या का ऐसा समाधान किया जाए ताकि दुबारा वह स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इस मुद्दे पर विचार किया जाना है कि कई सालों से हमारे देश में सूखे की स्थिति बनी हुई है, प्रति वर्ष कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत सूखा रहता है कुल आबादी का 12 प्रतिशत सूखा पीड़ित रहती है। जब ऐसी ही समस्या है, तो मैं इसके दोनों पहलुओं की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ : पहला तुरन्त समाधान; और दूसरा स्थायी समाधान···

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो. नारायण चन्द पाराशर : तुरन्त समाधान के लिए उनसे मेरा निवेदन है कि वे काम के बदले अनाज कार्यक्रम चारा और पेय जल व्यवस्था ओर तुरन्त ध्यान दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हिमाचल प्रदेश जिस गम्भीर समस्या का सामना कर रहा है उसके प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं उस दिन माननीय सदस्य प्रो. नारायण चन्द सहित अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री मुझे मिले थे। हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए हम लगभग मई के अन्त में एक केन्द्रीय दल भेज चुके हैं। उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, और हिमाचल प्रदेश की मांग को जितना हमारे लिए संभव है उतना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। गत वर्ष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए 8,000 टन खाद्यान्न दिया गया था। इस वर्ष केन्द्रीय दल जिसने राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य का दुबारा दौरा किया है की सिफारिश पर तथा मुख्य मंत्री की माँग के अनुसार हम और अधिक अनाज प्रदान करेंगे। मुझे आशा है कि रोजगार प्रदान करने तथा गरीब लोगों की तात्कालिक माँगों की पूर्ति के लिए काम के बदले-अनाज कार्यक्रम लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्रों में जीवों को पेय जल की पूर्ति में जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है। वे बिल्कुल उचित है। मैं सभा को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अपने जरूरत मंद गाँवों को पेय जल की पूर्ति पर होने वाला खर्च पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार ही वहन करेगी।

एक माननीय सदस्य : क्या सभी राज्यों में ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इस समय मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यदि अन्य राज्यों में इसी प्रकार की मांग है इसी प्रकार की कठिनाइयाँ हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा।

उन्होंने योजना आयोग द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत की अधिकतम सीमा का भी उल्लेख किया है। यदि हिमाचल प्रदेश की माँग अधिक है, तो उस पर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, हमें केन्द्रीय दल की रिपोर्ट मिल चुकी हैं। सूखे के कारण हिमाचल प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। फसल को 50 से 90 प्रतिशत हानि हुई है। सेब की फसल को भी भारी क्षति पहुँची है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा भारी धनराशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त खाद्यान्नों का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमें सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं, जैसा कि में बता चुका हूँ। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 10,000 टन की और अधिक मांग की है और मैं शाशा करता हूं कि हम उनकी पूरी माँग पूरी कर सकेंगे। हम इस बारे में आज या कल में निर्णय ले लेगें। मेरे विचार से मुझे और किसी बात का जवाब नहीं देना है।

जहां तक पूरे भारत के लिए जल मण्डल का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छा सुझाव है। जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में पहले ही बता चुका हूं कि हम इन कठिनाइयों को दीर्घावधि आधार पर दूर करने के लिए उपाय कर रहे हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : देश में सूखे की समस्या से निपटने के लिए मन्त्री महोदय ने एक बहुत अच्छी तस्वीर खींची है। वास्तव में, इस वर्ष सारे देश की जनता, खासतौर पर उड़ीसा की जनता, सूखे से बहुत अधिक पीड़ित रही है। उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है। कुल 3600 ग्राम पंचायतों में से दो तिहाई भयंकर सूखे से प्रभावित हैं, और इनमें से अधिकांश राज्य के पश्चिमी भाग में हैं। अर्थात लगभग 1400 ग्राम पंचायतें सूखे से चिरकाल से प्रभावित हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हू। कि केन्द्र के दलों ने कितनी बार उड़ीसा राज्य का दौरा किया और उनकी सिफारिशें क्या थीं और कितनी बार राज्य सरकार ने कृषि मंत्रालय और यहां तक की प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया। पीने के पानी की कमी को दूर करने मवेशियों के लिए चारा सप्लाई करने और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याओं का मुकाबला करने के बारे में मन्त्री महोदय ने बहुत अच्छी तस्वीर खींची है।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

विशेषतया उड़ीसा में स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि लोग अपना घर, परिवार छोडकर राज्य के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं और अत्याधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र से सिंचाई वाले ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहां उन्हें रोजगार प्राप्त हो रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष और इस वर्ष सरकार से कितनी मात्रा में अनाज की मांग की थी और उसे कितनी मात्रा में अनाज की आंवटन किया गया ? राज्य सरकार के अधिकारियों से मुझे ज्ञात हुआ है कि काम के बदले आज देने के कार्यक्रम में उस क्षेत्र में अनाज समय पर नहीं पहुँचा, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को बहुत यातना सहनी पड़ी। उड़ीसा के पश्चिम जिलों जैसे पदमपुर सब डिवीजन नाउपाड़ा, बानगोंमुण्डा खापराखल और चांदाहांडी में लोग अभी भी रक्तक्षीणता और प्रोटीन की कमी से होने वाली रक्तक्षीणता से त्रस्त हैं 1965 में सूखे की दशा अधिक खराब नहीं थी, और केन्द्रीय सहायता भी राज्य को बहुत अधिक मिली थी लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मन्त्री महोदय ने राज्य के पश्चिमी जिलों की जनता की आवश्यकता को नही समझा क्योंकि यदि अब भी कोई सन्सदीय समिति वहां जाए और उन क्षेत्रों का दौरा करें। जैसाकि मैंने अभी कहा तो उन्हें पता लगेगा कि वह अत्यन्त सूखाग्रस्त प्रदेश है और वहां की जतना में बेहद भुख मरी व्याप्त है और वहां के लोग रक्तक्षीणता से त्रस्त है।

जहां तक उच्च भूमि में पीने के पानी का सम्बन्ध है 50 प्रतिशत से अधिक गांवों विशेषतया पश्चिमी जिले के गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 60 प्रतिशत से अधिक गांव पीने के पानो के अभाव से ग्रस्त हैं और मवेशियों के लिए भी पानी व चारा उपलब्ध नहीं है और वे मर रहे हैं। यह सच नहीं है कि मवेशियों को आवश्यक चारा मिल गया व लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिल गयी है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा अनाज व चारे की कितनी मात्रा में मांग की गई और उसकी कितनी सप्लाई की गई थी मेरा यह कथन है कि राज्य की योजना में इतने भयंकर सूखे की स्थिति का बड़े पैमाने पर मुकबला

करने की व्यवस्था नहीं है और इसके साथ ही प्रधान मन्त्री का भी यह विचार है कि उड़ीसा में 70 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जैसा आप जानते हैं उड़ीसा हमेशा सूखा, बाढ़ या तुफान की चपेट में रहता है। इसी कारण वश मैं मंत्री महोदय से अग्रह करूंगा कि इस वर्ष उस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं गये। यद्यपि यह राज्य का विषय है, परन्तु पहले राज्यमन्त्र इस स्थिति का सामना करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने केन्द्रीय सहायता मांगी थी मेरे विचार से राज्य ने केन्द्र से 55 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी ••

सभापति महोदय : (श्री शिवराज वी० पाटिल) : माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछें।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय : वह इतना बड़ा तो नहीं हो सकता।

डा० कृपासिन्धु भोई : जब तक कि पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती तब तक मेरे विचार से मंत्री महोदय उचित रूप से उत्तर नहीं दे पायेंगे।

अब मैं स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। मैं मंत्री महोदय से अग्रह करूंगा कि उड़ीसा राज्य की ओर बिशेष ध्यान दिया जाए। क्या मंत्री महोदय मेरे सुझावों से सहमत होंगे।

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा में 1440 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से भयंकर सूखे से ग्रस्त हैं और पिछले 6 वर्षों में 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस सुझाव से सहमत होगी वित्त मंत्री ने स्पष्टत: उड़ीसा के सभी संसद सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे सुझाव रखें जिससे उस क्षेत्र के निवासियों के सभी प्रकार के ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया जाये क्योंकि अब वहां छोटे सीमान्त और माध्यम किसानों के बीच कोई अन्तर नहीं है क्योंकि सभी कष्ट सह रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह स्पष्ट शब्दों में बतायें कि राज्य सरकार के ऋणों को बट्टे खाते डालने के सम्बन्ध में वित्त संत्रालय को क्या सुझाव प्राप्त हुये थे और क्या सरकार इन भयंकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऋणों को बट्टे खाते डालने सम्बन्धी सुझावों पर विचार कर रही है। यदि उसका उत्तर सकरात्मक है, तो उसका स्वरूप क्या होगा। दूसरे काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अगामी वर्ष के लिए क्या आवंटन किया गया है। राज्य में रोजगार की दशा देखते हुए उसकी क्या अवश्यकतायं होगी••• (व्यवध्यान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य का ध्यान धारा 197 (1) की ओर दिलाता हूँ। जिसके अनुसार :—

"ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कोई कार्य सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्य पूछ सकेगा।"

डा० कृपासिंधु भोई : मैं अनेक प्रश्न पूछ चुका हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय उनका उत्तर देगें।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप

सदन को इस बात की जानकारी देगें कि श्री नारायण चंद पाराशर को कितना समय दिया गया था। कृपया सभा पटल से पता कर लें।

दोहरी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिये। केवल एक जैसी ही नीति अपनानी चाहिए।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर देना शुरू करें।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : मैं स्पष्टत: यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि राज्य सरकार द्वारा कितने ऋण को बट्टे खाते में टालने की मांग की गई है। जब वित्त मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा तो राज्य सरकार को उससे सूचित कर दिया जाएगा।

हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया है कि उड़ीसा के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सके। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पूरे जोरों पर है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सूखे के कारण कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में नहीं गया है। इसका यह कारण है कि उड़ीसा में लोगों के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था की गई है।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : मंत्री महोदय को शायद इसका कोई आभास नहीं है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : जब वर्ष 1979-80 में जब श्री बीजू पटनायक सत्ता में थे, तो पहली बार, सूखे से राहत के लिए आवंटन किया गया था। उस समय केवल 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। बाद में जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो केवल दस दिन के बाद ही, उड़ीसा सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय दल ने दो बार से राज्य का दौरा किया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सूखे के लिए राज्य को 17·39 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, असल सवाल यह है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : पूरा हो रहा है फिक्र मत कीजीए, आप विहार की फिक्र कीजिए।

श्री बीजू पटनायक : धूंक अब मानसून आने को है, क्या आप कृपया यह स्पष्ट करेंगे कि वहां क्या काम हुआ है? आप बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे है?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : वर्ष 1979-80 उड़ीसा को कुल 2·77 लाख टन अनाज का आवंटित किया गया था। उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर इन तीन महीनों के लिए हमने सामान्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 12,000 टन और विशेष काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत 70,000 टन अतिरिक्त अनाज की सप्लाई की है। इससे इस महीने के अन्त तक समस्या पर ध्यान दिया जायेगा।

मुझे आशा है कि जल्दी ही घास उग आएगी और मवेशी अब भूखे नहीं मरेंगे। भगवान की कृपा से हमारी कठिनाइयां अब समप्त हो गई हैं। मवेशी कैंपों की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथापि हम राज्य सरकार को पूरी सहायता दे रहे हैं तथा हमें चारे की कमी से मवेशियों के मरने के बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पी. के. कोडियन (अडूर) सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अपने लम्बे भाषण में

सूखे की स्थिति का मुकाबला करने की बहुत ही आशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है :—

'यद्यपि हम अभी पूरी तरह संकट से मुक्त नहीं हुए हैं, तथापि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने पिछले कुछ महीनों में स्थिति का मुकाबला पूरी निष्ठा से किया और वह अब पूरी तरह से नियंत्रण में है।'

उन्होंने यह भी कहा है कि भूख से मृत्यु के एक भी मामले का समाचार नहीं मिला और एक भी मवेशी को मरने नहीं दिया गया। जबकि अपने भाषण के एक दूसरे भाग में उन्होंने कहा :

'यह कहा जाता है कि इस समय का सूखा सबसे भयंकर है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा इलाका आया है।' अब, महोदय, वास्तविकता यह है कि लोग भूख से मरे हैं और एक राज्य में ही नहीं बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग वह इलाका छोड़ कर दूसरी जगह चले गए हैं। मैं आपको अपने अनुभव से हूं बता सकता हूँ कि मैंने स्वयं ग्रामीण गरीबों के बीच में काम किया है अतः कि वहां के गाँवों के बहुत से खेतिहर मजदूरों और अन्य ग्रामीण मजदूरों ने गांव छोड़ दिए हैं और वे शहरों में भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश से लोग पंजाब और हरियाणा में चले गए हैं और मंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं गए हैं।

महोदय, मंत्री जी के अनुसार सब कुछ सुचारु रूप से तथा सुनियोजित तरीके से हो रहा है, लेकिन मैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहली बात यह है कि क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन कुछ राज्यों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई। तथा क्या इस बारे में भी शिकायतें मिली हैं कि इस कार्यक्रम के अधीन दिए गए खाद्यान्न का पूरा उपयोग नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि क्या काम के बदले अनाज कार्यक्रम के कार्यान्वयन में काफी भ्रस्टाचार किये जाने की शिकायतें की गई थीं। क्या ऐसी किसी शिकायत की जानकारी उन्हें है और अगर उन्हें है तो क्या कोई जाँच पड़ताल करवाई गई है और उससे क्या पता चला है। सूखे से वास्तव में पीड़ित निरात्रितों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया है ?

अब महोदय, दीर्घ अवधि के लिए किए गए उपायों की बात करता हूँ।

मेरे ख्याल में मंत्री जी को यह पता ही होगा कि हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जो न केवल इस साल प्रायः हर साल, पूरी तरह से सूखे की स्थिति में रहते हैं। हाँ इस साल स्थिति वास्तव में बेमिसाल है। लेकिन यह स्थिति कुछ राज्यों को कुछ इलाकों में प्रायः हर साल रहती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं :

हर साल प्रभावित होने वाले इन राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए कौन से दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं ?

क्या सरकर ने ऐसा कुछ सोचा कि एक सूखा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाए जिससे कि सूखे से हर साल बुरी तरह प्रभावित होने वाले इन इलाकों की समस्या सुधारने के लिए कुछ किया जा सके।

महोदय, मैं यही पूछना चाहता हूँ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने इस कथन को शायद गलत समझा है कि सूखे से प्रभावित इलाकों को छोड़कर कोई भी नहीं गया है। मैं केवल उड़ीसा के माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर दे रहा था और मैंने उसी रज्य की स्थिति के बारे में कहा था। मुझे पता है कि उड़ीसा में हर रोज काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन लगभग 3·55 लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है।

कुछ राज्यों, जैसे राजस्थान में एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना आम बात है। हर साल कुछ लोग एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, सारे देश के लिए नहीं कह रहा।

श्री बीजू पटनायक : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस सूखे की अवधि में उड़ीसा से 11 लाख लोगों ने स्थानांतरण किया है ? पूरे 11 लाख ने !

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : पीने के पानी के लिए हमने ट्यूब वैल खोदने के लिए बड़ी संख्या में रिंग-बड़े और छोटे—उपलब्ध कराए हैं जिससे गाँवों में पीने के पानी की नियमित सप्लाई की जा सके। जैसा कि मैंने पहले अपने विस्तृत वक्तव्य में बताया है। 32,000 से ज्यादा गांवों को इस सुविधा के अधीन लाया जा चुका है। प्रत्येक राज्य में काफी संख्या में रिंग पहुंचाए गए हैं। हमने पहले ही यह उन्हें भेज दिए हैं।

श्री बीजू पटनायक : क्या वह काम कर रहे हैं ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : ये नल-कूप काम कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सभी काम कर रहे हैं ?

श्री बीजू पटनायक : उनमें से 75% नहीं चल रहे हैं।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : महोदय, वह पानी निकालने के लिये भेजे गए हैं न कि खाने के लिए। जहां तक निराश्रितों का सम्बन्ध है, उन्हें पोषण के लिए भोजन कार्यक्रम के अधीन काम के बदले मुफ्त भोजन दिया जाता है। इसके लिए अलग से खाद्यान्न की मात्रा उपलब्ध कराई गई है। मेरे विस्तृत वक्तव्य में भी यह बताया गया है।

महोदय, इन राज्यों में से, किसी से भी निराश्रितों की संख्या के बारे में मेरे पास निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी आती है। हम उन्हें अतिरिक्त भोजन, मखन या, दूध का पाउडर, और खाद्य तेल निराश्रितों, बूढों और दुर्बल लोगों आदि के लिए चलाए जाने वाले कैंपों में बांटने के लिये देते हैं।

श्री बीजू पटनायक : यह उनको समय से नहीं मिलता।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : सूखे के बारे में बोर्ड गठित करने की बात है, जैसा कि एक सदस्य ने कहा है, हमारे दल ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि एक राष्ट्रीय विपदा आयोग गठित किया जाएगा। महोदय, इस बारे में अभी भी विचार किया जा रहा है।

लेकिन, मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक विपदाओं, जैसे बाढ़ अथवा तूफान अथवा सूखे से ग्रसित व्यक्तियों को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिये हमारे यहां पहले ही व्यवस्था है ? अतः हमारे यहाँ इसके लिए पहले ही से व्यवस्था है, और उस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। और अगर आवश्यक होगा तो हम कुछ और भी करेंगे तथा इस बारे में जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, आपके कड़े अनुदेशों के अनुसार, मैं सीधे प्रश्न कर रही हूँ—कृपया एक मिनट के लिए अनुमति दीजिये कितनी हैरानी की बात है—कि ये मंत्री महोदय किस हद तक लोगों को भ्रान्ति का शिकार बना सकते हैं।

चुनावों के दौरान मैं इन में से कुछ राज्यों में गई थी। मेरा प्रश्न यह है। क्या उन्हें, क्या उनके मंत्रालय को यह पता नहीं है कि बिहार राज्य में काम के बदले अनाज कार्यक्रम वस्तुतः ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों द्वारा लूट का साधन बन गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्यों की सांठगाठ से हो रहा है। क्या मंत्री जी इस बात की जाँच करवाएंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान और चुनावों तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन अनाज का किस प्रकार उपयोग किया गया। क्या यह सच है कि बिहार में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की बिहार की शाखा ने भूख से हुई 12 मौतों के बारे में शिकायत की थी ?

क्या मंत्री महोदय मामले की जाँच करवा कर सच्चाई का पता लगवएंगे ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि बिहार में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की यूनिट ने आरोप लगाया है कि बिहार में 'अकाल संहिता' का पालन नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, सूखे से राहत के लिए यह अनिवार्य है। क्या वह इसकी जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि क्या यह सही है।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, बिहार के बारे में मेरा अनुभव बताता है कि जो कुछ वक्तव्व आपने दिया है वह सुनने और पढ़ने में ही सुन्दर लगता है किन्तु वहाँ के लोगों के वास्तविक जीवन में यह सब दिखाई नहीं देता। क्या मंत्री महोदय पीने को पानी मुहैया करवाने के लिए किए गए बड़े-बड़े दावों की जांच करेंगे ?

क्या, यह सच नहीं है कि चुनाव प्रचार के दिनों में ज्यादातर समाचारपत्रों द्वारा ये खबरें प्रकाशित की गई थी कि बहुत सी सरकारी परियोजनाएं केवल कागजों में ही देखी गई, जब इस सम्बन्ध में जाँच की गई तो यह पाया गया कि बहुत सी परियोजनाओं का कहीं कुछ पता नहीं था। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के एक ब्लाक के बारे में यह कहा गया था कि वहाँ के सभी तालाबों में पानी भर दिया गया है, लेकिन बहुत से समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने बताया कि सभी तालाब वास्तव में सूखे पड़े हैं। पीने के पानी की परियोजनाओं का वास्तव में क्या हुआ ?

क्या मंत्री महोदय इस बात कीं जाँच करेंगे कि सभी रिंग चले भी अथवा नहीं। मैं यह मानती हूँ कि रिंग उपलब्ध कराये थे पर वे काम तो नहीं कर रहे थे, चाहे इस का कारण बिजली की सप्लाई का न होना पेट्रोल का न होना अथवा फालतु पुर्जों का उपलब्ध न होना कुछ भी रहा हो। क्या माननीय मन्त्री इस के विभिन्न पहलुओं की जाँच करेंगे ?

मेरे अपने राज्य में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में, इस साल, काम के बदले अनाज कार्यक्रम इस प्रकार नहीं चलाया गया, जैसा कि सूखे के दिनों में होना चाहिए था। क्या मन्त्री महोदय इस के कारणों के बारे में जानते हैं। इस का कारण अनाज को उठाने के लिए रेल वैगनों का अभाव था

क्या मन्त्री महोदय, जैसा कि अनुरोध किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य के बांकुडा

पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर जिलों और बीर भूम जिले के कुछ भागों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय कोष में से कुछ धनराशि मंजूर करेंगे?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय सदस्या जब ठेकेदारों द्वारा की गई धांधली और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के चलाने में बरते गए दुराचारों की बात कर रही है तो वह शायद इस वर्ष जनवरी से पहले विद्यमान परिस्थितियों की बात सोच रही होगी··· (व्यवधान)।

जब से इस सरकार ने और बिहार में राष्ट्रपति शासन के बाद बाग-डोर संभाली है स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मैं खुद बिहार और पश्चिम बंगाल गया हूँ ··· (व्यवधान)। मैं यह निश्चित रुप से कह सकता हूँ कि जब से हमने बिहार का प्रशासन संभाला है, हमारे निर्देशों के अनुसार ठेकेदारों को इस कार्यक्रम से पूरी तरह से हटा दिया गया है। किसी की भी भूख से मृत्य नहीं हुई है, जैसा कि माननीया सदस्य ने आरोप लगया है।

श्री रामवातार शास्त्री : उदाहरणों सहित राज्यपाल को एक पत्र लिखा गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सरकार को सत्ता सम्हालने से पूर्व अकाल संहिता के बिहार में लागू न किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें थी। लेकिन इस समय इसे पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। (व्यवधान) हमने बिहार के राज्य पाल को कई बार लिखा है; और उन्होंने यह निश्चित रुप से बताया है कि बिहार में अकाल संहिता का किया जा रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जहा तक माननीया सदस्या के पश्चिम बंगाल के बारे में प्रश्न का संबन्ध है। केन्द्रीय दलों ने उस राज्य का दो बार किया। जब मैं पश्चिम बंगाल गया तो मुझे पता चला कि कुछ जिलों में पीने के पानी की समस्या है। वहां बहुत भीषण अकाल था। मैंने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से पूछा था कि उन्होंने रिंगर मंगाने के लिए अभी तक निर्णय क्यों नहीं किया; और मेरे कहने पर उन्होंने नलकूप लगाने के लिए रिंग के लिए आदेश दिया। उस कार्यक्रम को कियान्वित किया जा रहा है (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए पर्याप्त खाद्यान दिया गया था (व्यवधान) कुल दिए गए 2.45 लाख टन अनाज में से पश्चिम बंगाल ने 50 प्रतिशत के सम्बन्ध उपयोग प्रमाणपत्र नहीं दिया।

श्री रामवतार शास्त्री : अन्य राज्यों का क्या हाल है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हमने यह पता लगाने के लिए अधिकारी भेजे थे कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए नियत खाद्यान्न का किस प्रकार उपयोग किया गया। (व्यवधान) और जांच से पता चलता है कि उस कार्यक्रम के लिए नियत खाद्यान्न अर्थात जिसका उपयोग गरीब लोगों छोटे और सीमान्त किसानों और खेतिहर मदूजरों को सहायता देने के लिए किया जाना था, का उपयोग पश्चिम बंगाल में अनेक मामलों में प्राइवेट भू स्वामियों को अपने निजी तालाबों की मरम्मत करने के लिए सहायता देने के लिए किया गया है जो हमारे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विरूद्ध है और (व्यवधान) जमीन को समतल करने के लिए (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूगा कि वे व्यवधान उपस्थित न करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मन् जी, मेरे कान में दर्द हो रहा है। वह रिगों और रिंगिग के बीच गलती कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री बसु इस पकार आपके व्यवधान उपस्थित करने से आपकी पार्टीके सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर पर ही प्रभाव पड़ता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अगर कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि धन के रुप में पश्चिम बंगाल को समुचित सहायता नहीं दी गई है तो उन्हें मैं यह बताना चाहूँगा कि जब कि राज्य सरकारों के कहने पर हमने विभिन्न राज्यों में केंन्द्रीय दल भेजे हैं, परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध नहीं किया है कि वह वहाँ सूखा की स्थिति को देखने के लिए पुनः एक दल भेजे। पश्चिम बंगाल के मामले में हम काफी सचेत और उदार रहे हैं हालां कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा को जारी किये जाने की शर्तों को उन्होंने पूरा नहीं किया था गम्भीर रूप से प्रभावित जिलों में लोगों को राहत देने के लिए ही मैंने मौके पर पश्चिम बंगाल के लिए अपनी नीति के विरुद्ध 20,000 टन खाद्यान्न जारी किया क्यों कि हम नहीं चाहते कि केन्द्रीय सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों, निर्देशों का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पालन न किये जाने के कारण गरीब लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा पढ़े गए वक्तव्य से उत्पन्न प्रश्न का और पूरक प्रश्नों के दौरान दिए गये अपने वक्तव्य के बारे में आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। मेरा पहला प्रश्न यह है कि वक्तव्य में विशेष रूप से समस्या के आकार और गम्भीरता के बारे में उचित समझ की कमी का पता चलता है। सूखे से और प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के बारे में व्यापक नीति अपनाने के बजाय आग बुझाने के अभियान जैसी नीति अपनाई गई है और वर्तमान सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यापक नीति नहीं है। प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाना आवश्यक है। माननीय सभापति मेरे विचार से आप भी इस बात से सहमत होंगे कि वक्तव्य ऐसे दृष्टिकोण का पता नहीं चलता जिसकी इस समय अत्याधिक गम्भीरता से जरूरत है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सूखे के बारे में कार्यवाही करने के मामले में, जो देश के विभिन्न भागों में रह रहे बहुत से लोगों के लिए विपत्ति परेशानी और कष्ट का एक स्थायी कारण है, दृष्टिकोण को पूर्णतः परिवर्तित करने सरकार वांछनीय समझती है ? अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने आँकड़े दिये हैं। समय बचाने के लिए मैं उन्हें उतद्धृत नहीं करना चाहता। अनेक राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी गई है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों को स्वीकृत यह केन्द्रीय सहायता जो पहले ही दी जा चुकी है वह अग्रिम योजना सहायता के रूप में है अथवा सीधे अनुदान के रूप में है। प्रश्न यह है कि अगर सरकार सूखा पीड़ित लोगों को राहत और मदद देने के बारे में गम्भीर है, तो उन्हें यह राशि सीधे सहायता के रूप में देनी चाहिए, न कि अग्रिम योजना सहायता के रूप में, क्योंकि अग्रिम योजना सहायता देने से राज्य सरकारें योजना के ढाँचे के अनुसार अपने राज्यों का विकास करने के अधिकार या सम्भावना अथवा गुंजाइश से वंचित हो जाती है। इसलिए यह ऐसा मुद्दा है जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। एक अन्य प्रश्न उनकी सरकार के बहादुरी से भरे हुए कार्य निस्पादन के बारे में है, जो उन्होंने पेयजल की सप्लाई के बारे में किया है। आपकी अनुमति से 27 मई, 1980 के 'स्टेट्समैन' के सम्पादकीय से उद्धरण देना चाहूँगा। इसमें यह कहा गया है :

"वर्ष 1971-72 के एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि देश के 5,76,000 ग्रामों में से

केवल 24,000 ग्रामों में ही समुचित रूप से सुरक्षित जल सप्लाई थी। शेष गांवों में विभिन्न अंशों में अपर्याप्त या असुरक्षित पेयजल की सप्लाई थी। लगभग 1 53,000 ग्रामों में, जिन्हें समस्या ग्रस्त गाँव समझा गया था, या तो जल सुगमता से उपलब्ध नहीं था या केवल..."

"इनमें से 1,30,000 ग्रामों में अभी भी जल उपलब्ध किया जाना है।"

'स्टेट्समैन' के सम्पादकीय के अनुसार अभी भी 1,30,000 ऐसे गाँव हैं जिनमें सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की जाती है।

सभापति महोदय : इस समय ठीक एक बज रहा है और हमें मध्याह्न भोजन के लिए उठ जाना चाहिए। इसके बाद माननीय मन्त्री महोदय उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर हम मध्याह्न भोजन के लिए उठ जायेंगे। अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : मुझे मन्त्री महोदय से कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि वक्तव्य में सरकार ने उदासीनता की एक भावना व्यक्त की है। पेयजल के लिए केवल 58 करोड़ रु० का नियतन किया गया है। यह बहुत मामूली रकम है और इससे पानी के अकाल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पानी के अकाल की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को अधिक धनराशि उपलब्ध की जाय जिससे पानी के अकाल की समस्या से समुचित तरीके से निपटा जा सके।

अन्त में, माननीय मन्त्री महोदय ने पश्चिम बंगाल की सरकार के विरुद्ध कुछ आक्षेप लगाये हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार की अपेक्षा अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हुए।

सभापति महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिए। नियम इस प्रकार की बहस की अनुमति नहीं देते।

श्री चित्त बसु : क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की भर्त्सना की है, इसलिए मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। आप मंत्री महोदय को कोई ऐसी बात कहने के बाद चुपचाप नहीं छोड सकते, जो सही न हो...(व्यवधान) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार काम के बदले अनाज की कुल मात्रा 1,64,000 टन थी और 1,32,000 टन के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र दिया गया था और 32,000 टन के बारे में उपयोग, प्रमाणपत्र दिया जाना है।.....

एक माननीय सदस्य : उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ? क्या मन्त्री महोदय को अपने व्यवहार पर शर्म आ रही है ?

श्री विरेन्द्र सिंह राव : वक्तव्य माननीय सदस्य के अनुकूल नहीं है। तथ्यपूर्ण वक्तव्य में हम सदन को उन समस्याओं के बारे में ब्यौरे से बताना चाहते थे, जो इस सरकार के सामने आ रही थीं और उन उपायों की जानकारी भी देना चाहते थे, जो इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने अब तक किये हैं। पश्चिम बंगाल सम्बन्धी मेरे वक्तव्य ने उनके दर्द को चोट पहुँचाई है।

जैसाकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमने पश्चिम बंगाल को आरम्भ से ही काफी अधिक अनाज दिया है। 2.45 लाख टन और 20,000 टन के कुल नियतन में से पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें आजतक केवल 1.26 लाख टन अनाज के उपयोग प्रमाण-पत्र भेजे हैं। मुझे आशा है माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस विषय में बात-चीत करेंगे।

उन्होंने मेरे पश्चिम बंगाल के दौरे की चर्चा की है। इस सरकार के मंत्री के रूप में मेरे दौरे की सूचना बंगाल सरकार को भेजी गयी थी। कुछ अधिकारी मुझसे इसलिये मिलने आये थे

क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सूखा, पेयजल, काम के लिये अनाज कार्यक्रम तथा कुछ अन्य चीजों के बारे में बात-चीत करना चाहता हूँ।

श्री ज्योतिमय बसु : परन्तु उसके लिये एक ढंग होता है (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझे पता नहीं। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। मुझे पता नहीं कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना किस प्रकार आये। यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि मंत्रियों तथा मुख्य मंत्री को सूचित नहीं किया गया था और फिर भी सरकार के सभी अधिकारी बैठक में भाग लेने आये ? कुछ भी हो ...

श्री ज्योतिमय बसु : यह आपके प्रति उनका शिष्टाचार था, आपको भी मुख्यमंत्रिमंडल के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करना चाहिए था और उनकी अनुमति लेनी चाहिए थी।

श्री बिरेन्द्र सिंह राव : मेरे मित्र, मैं तो आपके प्रति भी शिष्ट हूँ। पश्चिम बंगाल में अन्य लोगों के प्रति भी शिष्टाचार प्रदर्शित करना मेरा कर्तव्य है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : श्री ज्योतिमय बसु तो पश्चिम बंगाल के उपमुख्यमन्त्री हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मुझसे पूछा गया था कि सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी।

योजना सहायता, अग्रिम योजना सहायता, गैर योजना सहायता का काफी बड़ा भाग सूखा राहत कार्यों के लिये दिया गया।

पश्चिम बंगाल को देश के सभी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हैं। पश्चिम बंगाल के लिए सहायता की कुल राशि 13.04 करोड़ रुपये थी जबकि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के लिए सहायता राशि 10 करोड़ रुपये थी। आपको इससे प्रसन्नता होगी। मुझे आशा है आप इसके लिये आभारी होंगे।

श्री ज्योतिमय बसु : हमें सदन में आपकी उपस्थिति से बहुत प्रसन्नता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उदार सहायता की राशि 8.94 करोड़ है। इससे आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए ऐसा कहकर मैंने कोई गल्ती नहीं की है। (व्यवधान)

पीने के पानी की सप्लाई तथा सूखा के कारण होने वाली कठिनाइयों को भविष्य में कम करने के लिए हमने दीर्घावधि उपाय किये हैं। जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम जैसी बहुत सी योजनायें आरम्भ की गई हैं। बार-बार सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के विकास के लिये अखिल भारतीय समन्वित बारानी भूमि कृषि योजना की व्यवस्था है। पीने के पानी के बारे में हम इस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि उन सभी गाँवों के जहां पीने के पानी की सप्लाई की जाये। बड़ी संख्या में रिग मशीनों की व्यवस्था की गई है, हमने इस वर्ष पेयजल के लिये केन्द्रीय योजना की नियतन राशि को 60 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ कर दिया है। यह केवल भारत के अनेकों गाँवों पेयजल की समस्या के समाधान के लिये ही किया गया है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 10 मिनट म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 10 मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूँ कि 16 जून, 1980 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा।

(1) पिछले सप्ताह की कार्य कारणी से बचे सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) वर्ष 1980-81 के लिये रेल बजट पर 17 जून, 1980 से सामान्य चर्चा।

(3) विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 को संयुक्त समिति को सौंपने पर सहमति के प्रस्ताव पर विचार।

(4) (विचार करना तथा पास करना)

(क) कम्पनी सचिव विधेयक, 1980

(ख) अधिकार (संशोधन), विधेयक, 1980.

(5) वर्ष 1980-81 के लिए सामान्य बजट पर 21 जून 1980 से सामान्य चर्चा।

जैसा कि पहले सूचित किया जा चुका है वर्ष 1980-81 का रेल बजट 16 जून 1980 को प्रश्नों के निपटाये जाने के पश्चात, और वर्ष 1980-81 का सामान्य बजट बुधवार 18 जून 1980 को मध्याह्न पश्चात 5 बजे प्रस्तुत किया जायेगा।

श्रीमती : प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, लोक सभा के अधिवेशन के ता॰ 16 से शुरू होने वाले सप्ताह के बिजनेस में मैं निम्नलिखित तीन आइटम्ब को इन्कलूड करने की प्रार्थना कर रही नागरिकों हूँ तथा संस्थानों द्वारा ध्वज संहिता का उल्लघंन इस आइटम को इस में शामिल किया जाय।

भारतीय ध्वज संहिता की धारा 4, उपधारा (4) के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को गलत ढंग से प्रदर्शित करना अपराध हैं। धारा 4 की उपधारा 4 में कहा गया है।" ध्वज को तोरण, गुलाब के आकार में मोड़कर अथवा झंडी के रुप में अथवा सजावट के लिये किसी अन्य प्रकार से प्रयोग नहीं किया जायेगा और नही अन्य रंगीन कपड़ों को इस प्रकार से कवास्थित किया जायेगा कि उनसे राष्ट्रीय ध्वज का रूप प्रदर्शित होता हो।"

ध्वज का उक्त प्रकार का प्रदर्शन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) के अनुसार भ्रष्ट प्रकिया माना गया हैं।

पिछले चुनाव में कांग्रेस (आई) की ओर से नेशनल फलैग का इस्तेमाल चुनाव के लिये किया गया। मैं एक फलैग लाई हूँ-इसके बीच में हाथ का निशान लगा है।

नियमों के अनुसार यह ध्वज संहिता का उल्लंघन है।

महिम से चुने गये श्री एफ. एम. प्रिन्टो और इस के आधार पर बम्बई में श्री एकनाथ कापरडे, दोनों ने पुलिस में कम्पलेंट की है।

सभापति महोदय :....(व्यवधान)

कृपया सुनिये। उन्हें अपनी बात कहने दीजिये ताकि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें। मंत्रीमहोदय को सुनने दें कि माननीय सदस्य क्या कह रही हैं।

श्रीमती प्रमिला दडवते : मुझे इस बारे में यह कहना है कि पूरे देश में इस तरह से

काम हुआ है। "इण्डिया टुडे" में एक फोटो छपी है, संजय गांधी के स्वागत के लिए मेरठ में एक प्रोग्राम किया, जिस में नेशनल फलैग को गेकोरेटिवपीस की तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर सतारूढ़ दल इस तरह की बात करता है तो हमारे देश की जनता फलैग के बारे में उचित बर्ताव करने में असमर्थ रहेगी। इस लिये प्रार्थना है कि होम मिनिस्टर साहब इसके बारे में स्टेटमेन्ट दें।

दूसरा आइटमम हिलाओं के जीवन की सुरक्षा आज हमें लैटर मिला है कि होम मिनिस्टर ने इस के बारे में क्या-क्या स्टेप्स लिये हैं। लेकिन इन स्टेप्स के लेने के बावजूद चण्डीगढ़ में 'मोली' नाम की 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, तीन नौजवानों ने किया। अभी कल ही जय प्रकाश नारायण अस्पताल में एक ऐसी ही लड़की के साथ बलात्कार किया गया। सरला मुद्गल नाम की हमारी एक सोशल वर्कर हैं, जो एन्टी-डावरी के काम को आगेनाइज करती हैं, उनके दफ्तर पर हमला किया गया। ये बातें बार-बार हो रही है। मुझे यह कहना है कि जो स्टेप्स आपने लिये हैं, वे काफी नहीं हैं। उस के ऊपर एक स्टेटमेंट होना चाहिए और उस पर जो सदन के माननीय सदस्यों के सुझाव होगें, उन पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। तीसरा आइटम मेरा है अतआवश्यक वस्तुओं तथा उर्वकों के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि, पिछले हफ्ते में हमारे यहाँ प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया। यह अभूतपूर्व है। 2 प्वाइन्ट प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया। इस का असर यह होगा कि वर्कर्स की तरफ से डियरनैस एलाऊन्स बढ़ाने की मांग होगी और जब वह मिलेगा तो फिर उसका असर होने वाला है। अभी सरकार ने यूरिया फर्टीलाइजर की कीमत 38 परसेन्ट बढ़ा दी। उसका भी असर होने वाला है। जनता पार्टी के राज्य में फ़र्टीलाइजर्स की कीमत 1 टन पर 100 रुपये कम की गई थी, जिस के कारण फ़र्टीलाइजर्स का इस्टेमाल 28 परसेन्ट बढ़ गया। अब आपने फ़र्टीलाइजर्स की कीमत बढ़ा दी और कीमत बढ़ने की वजह से जो 135 मिलियन टन अनाज आप पैदा करना चाहते हैं, उस पर असर पड़ेगा।

सभापति महोदय : प्रो० दंडवते।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरा भी नाम है। ···(व्यवधान)···

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : चुनाव में ऐसा हुआ है, यह पहले से ही व्यवस्थित कोई चीज नहीं है।

मेरा सुझाव है कि संसदीय कार्यमंत्री अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित मदों पर विचार करें।

आपको याद होगा कि इसी सदन में बहुत से सदस्यों ने महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों की शिकायतें और मांगों का प्रश्न उठाया था। सरकार की ओर से मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आज 'नाफेड' द्वारा खरीदी जायेगी और किसानों को घाटा उठना नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय ने भी किसानों के लिये अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी। परन्तु, इस आश्वासन का पालन नहीं किया गया क्योंकि 'नाफेड' द्वारा महाराष्ट्र में प्याज की पूरी मात्रा की खरीद नहीं की जा सकी। 31 मई को वर्धा के पश्चात पाया गया है कि लाखों रुपये के मूल्य की प्याज सड़ कर नष्ट हो गई। प्याज पूना यार्ड में पड़ी सड़ रही है। अतः इस विशेष मामले पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये, क्योंकि सभा सदन में आश्वासन दिया गया था।

दूसरे, मैं पेट्रोलियम मंत्री के वक्तव्य पर मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा उठाना चाहता था परन्तु क्योंकि एक माननीय सदस्य चर्चा उठा चुके हैं, मैं इसकी पुनरावृति नहीं चाहता।

तीसरे, संभवतया आपको पता होगा कि प्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि सरकारी क्षेत्र की उर्वरक परियोजना जो महाराष्ट्र के पिछड़े कोकण क्षेत्र में माल-वैशेट में आरम्भ की गई उसके स्थागित किये जाने की संभावना है। मैंने 9 मई को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे मैंने अनुरोध किया था कि बत मामले में हस्ताक्षेप करें। उन्होंने 21 मई को उत्तर भेजा जिसमें कहा गया है कि उन्हें उर्वरक योजना के स्थानान्तरण के ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है। परन्तु मेरे पत्र को ध्यान में रखते हुये वह मामले का पता लगायेंगी।

मुझे आशा है कि उन्होंने मामले पर विचार किया है। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो सरकार की ओर से एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के इस कारखाने से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएगा। सौभाग्य वश, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री भी कोकण के पिछड़े क्षेत्र के हैं और मुझे आशा है कि उनके ऐसे वक्तव्य से सरकार को सहायता मिलेगी और इससे यह देखा जाएगा कि इस परियोजना का स्थानान्तरित नहीं किया जाए केवल एक बात और पाँचवीं कहनी है लोक सभा में मैंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य लम्बे समय से अनिर्णीत पड़े सीमा विवाद के प्रश्न को उठाया और मैं चाहता था कि किसी भी तरह की कटुता के बिना उसका समाधान ही किया जाना चाहिए था। सभी विपक्षी नेता और सत्ताधारी दल अर्थात कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रधानमत्री को लिख कर दिया था कि मामले का हल किया जाना चाहिए। मैंने बहस की शुरुआत की थी और प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि मैं बहस किये जाने के लिए जोर ना डालूँ क्योंकि इससे तनाव पैदा हो सकता था और मैंने उनकी बात स्वीकार की और कहा कि मैं बहस के लिए जोर नहीं डालूँगी उन्होंने कहा कि आगामी लोक सभा चुनावों से पूर्व इस मामले को हल कर दिया जाएगा।

यह बात उन्होंने (प्रधान मंत्री) पांचवीं लोकसभा में कही थी। परन्तु मामला अब भी अनिर्णीत पड़ा है। जनता पार्टी की सरकार के समय तत्कालीन गृह मंत्री श्री एच. एम. पटेल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्रियों को एक बार फिर इस मामले को सदा के लिए निपटाने तथा इसका समाधान करने के लिए दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया था। दुर्भाग्य से कर्नाटक के मुख्य मन्त्री उस समय बीमार थे और परिणास्वरूप वह आ नहीं सके। इसी बीच, जनता सरकार का पतन हो गया और मामला अब भी अनिर्णीत पड़ा हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि नई सरकार ने सीमा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ बात-चीत की है। मुझे आशा है कि उन प्रयासों को जारी रखा जाएगा और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मध्य सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री रामावतार शास्त्री। आपने विषय नहीं बताया है, लिख कर दिया है। आप अपनी बात बहुत संक्षेप में कहिये।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैंने लिख कर दिया है। सभापति जी, अगले सप्ताह में सदन को किन-किन कामों का करना है, उनको हमने सुना। मैं चाहता हूँ कि अगले सप्ताह एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक सवाल पर भी विचार किया जाए। उस सवाल से सदन के सभी

सदस्य वाकिफ हैं क्योंकि सत्र के पहले और दूसरे दिन भी यह आया था। बिहार में जो विधान सभा के चुनावों में गड़बड़ी हुई, बूथ केपचरिंग हुई, वोटरों को जाने नहीं दिया गया, अभी भी मधुबनी लोक सभा क्षेत्र के हरलाखी क्षेत्र में कल चुनाव होने जा रहा है, यह उससे सम्बन्धित है। हिन्दुस्तान के लिए यह बहुत ही बड़ा सवाल है। इसकी गम्भीरता हम इसी से आंक सकते हैं कि बिहार के तमाम विरोधी दलों के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे विरोधी दलों ने—यह फैसला किया है कि वे इस सवाल के विरोधी में असेम्बली के सत्र में तीन दिनों तक उपस्थित नहीं होंगे।

यह इतना महत्व का सवाल है कि हम लोगों ने भी, सदन के बहुत सारे सदस्यों ने और विरोधी दलों के नेताओं ने भी नियम 193, नियम 184 के मुताबिक नोटिसिज दिये हैं और सम्भवत: अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। यह इतना बड़ा सवाल आज उभर कर सामने आया है। ऐसा लगता है कि क्या यह जनतन्त्र है या गुण्डातन्त्र है? (व्यवधान) इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मामले पर विचार करने के लिए मन्त्री जी अगले सप्ताह कोई दिन तय करें, घण्टे तय करें। अगर अगले सप्ताह के शरु में न हो सके तो जल्दी से जल्दी इस सवाल पर बहस हो ताकि जो लोगों में असंतोष और चिन्ता है उसका निराकरण हो सके।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : इन्होंने गुण्डातन्त्र का प्रयोग किया है।

श्री रामावतार शास्त्री : गुण्डातन्त्र अनपार्लियामेंट्री नहीं है। आपको या किसी और को नहीं कहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : एकचुअल्ली किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने वह शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : गुण्डातंत्र का जो इस्तेमाल इन्होंने किया है उसके बारे में मुझे प्वाइंट आफ आर्डर उठाना पड़ेगा।

सभापति महोदय : मैंने कह तो दिया है उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। जनरल बात उन्होंने कही है। इसमें कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : जिस तंत्र के अन्दर सभापति महोदय, आप वहां आसीन हैं क्या यह गुण्डातंत्र है? जरा सोचें मन में कितनी बुरी बात है। जिस तंत्र में आप बैठे हैं, हम बस बैठे हैं, उसको गुण्डातंत्र कहा जाए क्या यह शोभनीय लगता है?

सभापति महोदय : उन्होंने इस व्यवस्था के बारे में नहीं कहा है। एक जनरल उनका रिमार्क था।

श्री भागवत झा आजाद : इसी तंत्र में आप सभापति हैं, मैं मैम्बर हूं, ये बैठे हैं, दण्डवते जी बैठे हैं, यह गुण्डातंत्र है, क्या इसको कोई कहेगा?

सभापति महोदय : जहां तक शब्दों के इस्तेमाल का प्रश्न है मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य को उनका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का यह सबसे बड़ा मंच है और यहां शब्दों का प्रयोग करते समय सब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल न किया जाए जिससे भी तरीके से इसकी मर्यादा कम होती हो या कोई अन्यथा इसका प्रभाव पड़ता हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : कल विदेशमंत्री ने कहा था कि वह

अफगानिस्तान के सम्बन्ध में हर तरह से चर्चा करने को तैयार हैं। काफी समय से सदन अफगानिस्तान के सम्बन्ध में सरकार से एक पूर्ण बहस की जांच करता रहा है। वहाँ बहुत सी घटनाएँ घट चुकी हैं। इस समय स्थिति बहुत ही गभीर हैं। यह हमें अत्यावश्यक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए सरकार को इस बात का आश्वासन देना ही चाहिए कि अफगानिस्तान की समस्या पर सांगोपान चर्चा करने के लिए सहमत है ताकि हम यहां इस विषय पर चर्चा कर सकें।

दूसरे, विगत सत्र के दौरान यहाँ वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट को लेकर काफी शोरगुल मचा था। वास्तव में, एक प्रस्ताव लाया गया था और समयाभाव के कारन अथवा उसे अपेक्षित रूप में तैयार करने के कारण यह मैं नहीं जानता, इस पर चर्चा नहीं की जा सकी। जिन लोगों ने इस पर चर्चा के लिए संकल्प पेश किया था, उन्होंने तब बिल्कुल रुचि नहीं दिखाई। मैंने श्री फ्रैंक एन्थोनी से पूछा था कि उन्होंने फिर इस बार प्रस्ताव क्यों नहीं पेश किया। उन्होंने कहा, "मैं इसके बारे में भूल गया था।" मैं नहीं चाहता कि यह सदन वैद्यालिंगम आयोग की रिपोर्ट को भूल जाए। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि नियम 172 के अधीन सरकार वैद्यालिंगम आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए समय आवंटित करे जिससे हम ठीक ठीक जान सके कि सचाई क्या है और वास्तव में रिपोर्ट में किस बात को छोड़ दिया गया है और किसको रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। मुझे आशा है कि नियम 172 के अधीन उस विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार अगले सप्ताह समय देगी।

श्री जी. एम. बनात वाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, छठी लोकसभा में और चालू सातवीं लोकसभा में मैं भाषायी अल्पसख्यकों के लिए आयुक्त की गई रिपोर्टों पर चर्चा किए जाने के लिए बार बार मांग करता रहा हूँ। हमारे संविधान की धारा 350 (ख) के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जो सदन के सभा पटल पर रखी जाती है।

यह बड़ी चिंता की बात है कि लगभग 10 साल से इस आयोग की रिपोर्टों पर इस सदन में चर्चा नहीं हुई है। वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट पर भी इस सदन में चर्चा नहीं की गई है। उन रिपोर्टों की बात नहीं कर रहा जो उसके बाद सदन के सभा पटल पर रखी गई थी। वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 और 1973-74 की सभी रिपोर्टें सदन के सभा पटल पर रखी गई हैं। आज तक उन पर चर्चा नहीं की गई है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त की वर्ष 1974-75 के लिए और उसके बाद की रिपोर्टें अभी तक सदन के सभापटल पर भी नहीं रखी गई हैं। मैं नहीं जानता कि ये रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हो गई हैं अथवा नहीं, यदि ये रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि उनको सदन के सभा पटल पर रखे जाने में इस तरह का विलम्ब क्यों हो रहा है।

वर्ष 1974 के लिए और उसके बाद की उन रिपोर्टों के मामले में, जो प्राप्त नहीं हुई, हैं, मैं नहीं जानता कि सरकार ने इस सम्बन्ध में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के साथ यह मामला उठाया है अथवा नहीं।

अतः यह एक बहुत ही गंभीर मामला हैं कि वर्ष 1970-71 और उसके बाद की गई रिपोर्टों पर इस सदन में चर्चा नहीं की गई है। मैं एक बार पुनः सरकार पर इसके लिए दबाव

दूंगा कि संविधान की धारा 350 (ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई उन महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर चर्चा के लिए यथा शीघ्र पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर केवल तभी चर्चा की जाती है जब वे उग्र हो जाती है। अन्यथा अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टों पर भी विभिन्न कार्यालयों में रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है।

दूसरा प्रश्न जिसके लिए मैंने सरकार पर जोर देना चाहा यह है अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने बहुत पहले ही अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट पेश कर दी है— मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट 1979 के किसी महीने में प्रस्तुत कर दी थी— किन्तु यह रिपोर्ट सदन के सभा पटल पर नहीं रखी गई है। मैं नहीं जानता कि यह सरकार कोन सी चाल चल रही है। शायद घोखे की चाल से ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, नही एक कछुऐ की चाल से।

श्री जी. एम. बनात वाला : मैं सरकार से इस बात के लिए अवश्य जोर दूंगा कि अल्पसंख्यकों के आयुक्त की रिपोर्ट, जिसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, यथा शीघ्र सदन के सभा पटल पर रखी जानी चाहिए और जितना शीघ्र हो सके उस अवसर पर चर्चा की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी मुदों को कार्य मंत्रणा समिति की जानकारी में लाया जाएगा।

समितियों के लिये निर्वाचन

वाणिज्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इलायची अधिनियम 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित थे।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन इलायची बोर्ड के सदस्यों के रुप के कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि काफी अधीनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के

अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यो के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रबर अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन रबर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबर अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदेस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रबर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जियाउर्रमानह अन्सारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चाय नियम. 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च)के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें. उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक त्रिपुरा में हुए जन संहार का समाचार और अवांछित तत्वों पर अंकूश लगाने में आसूचना विभाग की असफलता

श्री ज्योतिर्मय बसु : त्रिपुरा, जो एक दुर्गम क्षेत्र है तथा जिसके कुछ क्षेत्रों में घने जंगल हैं

तथा जिसका कुछ भाग पड़ोसी देश तथा मिजोरमसे लगता है, में ब ड़ेपैमाने पर नर संहार हुआ है। जहाँ मृतकों की संख्या 315 के लगभग पहुँच गई है तथा एक लाख लोग बे घर बार हो गए हैं। हिंसा तथा आगजनी की घटनायें मर्मभेदी हैं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है। यह इस क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने की तथा सारे देश में बगावत उत्पन्न करने की विदेशी योजना का एक अ ग है। अवांछनीय विदेशी तत्वों तथा विदेशी हथियारों के आगमन पर निगरानी रखने की मूलभूत तथा समूची जिम्मेदारी सेन्ट्रल आई० बी० तथा अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, रॉ (आर० ए० डब्लू०) की है। इस मिशन का नेता तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान गया था। उसने मिजोरम का भी अनेक बार दौरा किया तथा भूमिगत संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया। आपातकाल के दौरान अपनी तैयारी कर रहे थे। 1978 में वे सामने आ गए तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेशियों के आदिवासी एजेन्टों के सहयोग से उन्होंने अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दीं। यद्यपि राज्य प्राधिकारियों ने इन आदिवासियों को अपनी परम्परा, रीति-रीवाज तथा तौर-तरीके बनाये रखने के अधिकतम अवसर देने तथा उनकी अपनी भूमि को पुनः वापिस दिलवाने के लिए जिसे मैदानी क्षेत्र के लोगों ने तो लिया था, गम्भीरता पूर्वक प्रयास किये इस आदिवासी उपजाति युवा समिति, जो सी. आई. ए. तथा कुछ पश्चिम यूरोपियन इंटेलीजेन्स एजेन्सियों से वित्त घोषित तथा प्रोत्साहित की जा रही थी तथा जिसका मुख्यतः संचालन कलकत्ता से होता था, इन मिशनरियों के माध्यम से अपनी-अपनी तैयारी करती चली गई। हिन्दू आडम्बरवासियों ने उन्हें उकसाया तथा गुमराह ईसाइयों ने अन्य ईसाई आदवासियों को भी भड़काया। जब लम्बे समय से पोषित इन आदिवासियों की भलाई के लिये, जो कुछ भी सम्भव था, राज्य प्राधिकारियों ने करना चाहा, तो ईसाईयों के भय का प्रयोग किया गया हिन्दू आदिवासियों को भी एक भिन्न तरीके से भड़काया गया।

यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिए तथा उन आसूचना अधिकारियों की जिम्मेंदारी निर्धारित की जानी चाहिए जो अपने कर्तव्यों की अवहेलना के दोषी पाये गये। सरकार को सदन में एक तथ्यात्मक विवरण देना चाहिए।

सभापति महोदय : क्या माननीय गृह मन्त्री को कुछ कहना है ?

गृह मन्त्री (श्री जैलसिंह) : सभापति जी, कल मैंने अपने स्टेटमेंट और उसके बाद आनरेबल वाजपेयीय जी के सवालों के जबाब में यह साफ किया था कि मैं नहीं चाहता कि स्टेट की सरकार को और कमजोर किया जाये। वह कमजोर सरकार है और इनडिसिजन में फँसी हुई है। मेरा ख्याल था कि श्री ज्योतिर्मय बसु जैसा पार्लियामेंटेरियन और अपनी पार्टी में एक बहुत अच्छी हैसियत रखने वाला हाउस में ऐसा स्टेटमेंट नहीं करेगा। अब उन्होंने कर दिया है, तो मुझे कुछ बाते कहनी ही पड़ेगी।

सभापति महोदय :कोई ऐसी बात न कहिए, जिससे हालत बिगड़ जाये। आप चाहते हैं कि वह न बिगड़े।

श्री जैलसिंह मैंने नेशन के इन्ट्रेस्ट में कुछ बातें पब्लिक में जाने से रोक रखी हैं। उनको रोकने का मतलब हाउस से रोकने का नहीं था। अगर कोई मेम्बर चाहता है, तो मैं वे बातें हाउस के सामने कहने के लिए तैयार था और तैयार हूं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह जो सारा वाक्तव्य हुआ है, इसका दोष आई० बी०, रा० और सैन्ट्रल इनटेलिजैंस पर है। आई०

बी० और दूसरी एजेन्सीज हर बात अपनी रयाय हमको और वहाँ को सरकार को बताती रहीं आइ. बी का काम समझने की जरूरत है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो हमारे अफसर होते हैं ये वहाँ की स्टेट की सी आई. डी. के साथ कोआर्डिशेन करके काम करते हैं और एक दूसरे को खबरें वह सप्लाई करते हैं . वहां की सी. आई. डी, को हमारी इन्टेलिजेंस ने बताया लेकिन वहाँ की सरकार इतना ना-अहल साबित हुई जिसको आप यह कह रहे हैं कि उस सरकार ने डील किया है, मैं अब आपको बताना चाहता हूं···

एक माननीय सदस्य : यह मत बताइये ।

श्री जैलसिंह : नहीं, मुझे बताना पड़ेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राज्य सरकार की आलोचना सदन में नहीं की जा सकती ।

श्री जैलसिंह इस हाउस में आपको स्टेमेंट में उसका जिक्र नहीं करना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : जाति संहार **(व्यवधान)**

श्री आर० एल० भाटिया : श्री बसु शांति से सुनिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशियों की घुपैंसट को रोकने की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय एजेन्सियों की है ।

श्री जैलसिंह : आपने फरमाया :

"इस मिशन का नेता पूर्वी पाकिस्तान गया था । उसने मिजोरम का भी अनेक बार दौरा किया तथा भूमिगत संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया । आपातकाल के दौरान वे अपनी तैयारी कर रहे थे । 1978 में वे सामने आ गये तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विदेशियों के आदिवासी एजेन्टों से मिलकर उन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू कर दीं ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : कन्खल

श्री जैलसिंह : कन्खल और उसके साथी थे कुछ **(व्यवधान)**

जो बंगला देशे से ट्रेनिंग लेकर आये थे और जिसको आपने भी कहा है, उनके साथ त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने एक पोलिटिकल डील की और उनके तमाम मुकदमे और उनके साथियों के मुकदमे वापस ले लिए। मुकदमे वापस लेते वक्त सेन्ट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताया और न बताने का नतीजा यह हुआ, हश्र यह हुआ ··**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : होम मिनिस्टर साहब, कृपा करके थोड़ा सुन लें ।

एक माननीय सदस्य : बसु साहब को बैठाइए पहले आप ।

सभापति महोदय : अब वह बैठ गए है, आप बैठिए ।

मेरा कहना यह है कि यह बात सही है कि कल जो गृह मंत्री ने यहाँ बयान दिया, इतनी कठिन परिस्थिति है हमारे देश के एक हिस्से में और उसमें पूरा सदन और पूरा देश इस बात से चिन्तित हैं जो उन्होंने कल खुद अपने बयान में बताया था और चिन्ता व्यक्त की थी कि इस परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए केन्द्र और राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करना है और वही दृष्टिकोण, वही अप्रोच सही अप्रोच है। इसलिए चूंकि ज्योतिर्मय बसु ने एक बयान दिया है उसकी वजह से कोई ऐसी बात इस सदन में नहीं होनी चाहिए जिससे कल का जो वातावरण है वह किसी तरह से खराब हो ।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने इसका लाभ उठाया और एक राजनैतिक वक्तव्य दिया है तथा इस पर सरकार को अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करनी चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। इस बात को देखना चाहिए कि कोई ऐसा बयान नहीं हो एक गृह मन्त्री की तरफ से जिससे आप जिस सम्बन्ध को बनाकर रखना चाहते हों वह न रहे। उससे प्रोवेक नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए··· (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : माननीय गृह मन्त्री इस बात को जानते हैं। ये उनकी मर्जी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : मैं खड़ा हूँ।

इसलिए मैंने कहा, यह मैं आप की दृष्टि में ला रहा हूँ। मैं कोई आप पर रोक नहीं लगा रहा हूँ, आप की दृष्टि में ला रहा हूँ। इस को ध्यान में रखते हुए आप जो बयान देना चाहें या उत्तर देना चाहें दें।

श्री भागवत झा आजाद : श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने वक्तव्य से स्थिति को पहले ही जटिल बना दिया है तथा माननीय गृह मंत्री को इस अपनी प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिए। मंत्री जी को अपनी वह बात अवश्य कहनी चाहिए जो वे कहना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वहां पर कडा श्रम विभाजन हैं वहाँ समन्वय भी है। मैं लोक लेखा समिति का समापति रहा हूँ। मैंने काफी कागजात देखें हैं। विदेशियों की घुसपैठ तथा विदेशी हथियारों की तस्करी का समाचार एक राष्ट्रीय दैनिक के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है और इसकी मूलभूत तथा सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय एजेंसी की है। इस बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता था। मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि वह और ज्यादा सावधान रहे। ·· व्यवधान

सभापति महोदय : जो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है उसका जवाब देने दीजिए मैं समझता हूँ यह बात सही नहीं है। इस देश में केन्द्रीय सरकार भी है और राज्य सरकारें भी हैं अगर किसी सबे में ऐसी खटना घटती है जहाँ बाहर से कोई तत्व आये या हथियार आयें तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है। राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। इसलिए राज्य सरकार को उस जिम्मेदारी से अलग नहीं किया सकता।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, आपकी एडवाइस बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसको ध्यान में रखूंगा और ध्यान में रखकर ही बात करुंगा। मैं यह भी जानता हूं कि एक मेम्बर कितना भी महत्वपूर्ण हो, उसके स्टेटमेन्ट की बजह से गृह मन्त्री को किसी जोश में आकार ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इस जिम्मेदारी को मैं महसूस करता हूं। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि हम जवाब देह हैं इस हाउस के समाने। यह प्रजातन्त्र है और प्रजातन्त्र में कोई चोज रिकार्ड में आ जाती है उसको अगर उसी वक्त दुरुस्त न किया जाए तो आने वाले समय में हम मुजरिम बनकर खड़े होना बिल्कुल पसन्द नहीं करते। अगर मेरे डिपार्टमेन्ट में कोई कमी रही है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हू और जिस अफसर ने कमी रखी होगी उसको सजा दे दूंगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि सी आई ए के बजाए वहाँ के सी एम का ज्यादा कुसूर है, जिसने उनको माफ

किया, उनके मुकदमे वापिस लिए और उसके बाद दोबारा वे गए, ट्राइबल एरियाज में जाकर मीटिंग्ज एड्रेस की' अपने ट्रेंड वर्कर्स को भेजा, कैंप्स लगाए, उसके बाद भी मुझे दुख है कि मैं उनकी तो रक्षा करता हूँ और वे अपनी पार्टी को आघात पहुंचाना चाहते, है तो मैं क्या कर सकता हूं ? यह मेरे वस की बात नहीं है। या तो आप इल्जाम न लगाते लेकिन आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया और हाउस की तरफ से सर्टिफिकेट देना चाहा कि वहाँ सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं ने कल उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा जिसके लिये आपको शुक्रगुजार होना चाहिए लेकिन आप हाउस को और हमको डिसक्रेडिट करते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। (व्यवधान) चेयरमैन साहब, ये मेरे दोस्त हैं और मुझे अपने दोस्त पर रहम आता है। वहाँ पर इतनी निर्दयतापूर्वक मानवता की हत्या की गई है जो आपको इतिहास में वगैगर किसी युद्ध के या कुदरती आफत के देखने को नहीं मिलेगी। सच पूछिये तो मैं जब वहाँ से वापिस हुआ तो मुझे ख्याल आया, मैं तो सोचता था यह सब बन्दे खुदा के हैं मगर सोचता हूं अगर यह बन्दे खुदा के हैं तो वह कोई अच्छा खुदा नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज मुझे बड़ी खुशी है कि वैस्टबंगाल में भी, ज्योतिर्मय बसु साहबे आपकी पार्टी की ही सरकार है। आपने त्रिपुरा की सरकार को सीर्टिपिकेट दे दिया लेकिन कलकत्ता को अपने क्वालिफाई कर दिया। आप लिखते हैं

"पश्चिम यूरोपीय इन्टेलीजेंस एजेण्टो ने मुकत: कलकत्ता से अपना कार्य किया।"

अगर कलकत्ता से विदेशी एजेंटे आपरेट करते हैं, तो वैस्ट बंगाल की सरकार क्या करती है ··· (व्यधान) — चेयरमैन साहब, अगर यहीं पर बस कर देते, समाप्त कर देते तो कोई बात नहीं थी। उन्होनें समाप्त नहीं किया और आगे जाकर कहा :

"यह एक ऐसा मामला है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए तथा इंटेलीजेंस अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए।"

प्रोब भी करो, इन्क्वायरी भी करो, लेकिन रिसपोंसीबिलिटी किस पर फेंको -इन्टेलीजेंस पर अगर फिर प्रोब होगी तो फिर आपके ऊपर भी होगी, सी. एम. के ऊपर भी होगी, सरकार के ऊपर भी होगी और मेरे ऊपर भी होगी।

मैं बड़े अदब के साथ चेयरमैन साहब आपके द्वारा उनसे दरखवास्त करता हूं कि बातें और भी हैं, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी अहसास करते हुए नहीं कहनी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वे मुनासिब समझे तो इस बात को प्रेस्टिज का सवाल न बयायें, इसको खारिज कर दें, यह स्टेटमेंट अपना वापिस ले लें तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है तथा मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी श्री ज्योतिर्मय बसु के व्यवस्था के प्रश्न की भांति ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक राज्य में, जहां हजारों लोगों की हत्या कर दी गई है तथा जैसा कि श्री वाजपेयी ने इसे 'जाति संहार' की संज्ञा दी है, इस बात पर मैं उनसे पूर्णत: सहमत भी हूँ, एक राज्य में जहां लाखों लोगों को वेघर कर दिया गया हो; एक राज्य में जहां गाँवों को तहस-नहस कर दिया गया हो, एक राज्य में जहां मुख्य मंत्री ने एक विदेशी एजेण्ट से षड्यन्त्र रचा हो, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बताया है, तथा एक राज्य में जहाँ मुख्य मंत्री ने गाँवों में

जाकर, शिविर लगायें हों, सभाओं को सम्बोधित किया, जाति संहार के लिए लोगों को उकसाया हो, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को बर्खास्त करने के लिये संविधान में इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं। ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, आप बैठिए।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां (एटा) : सभापति महोदय, हम इसके बारे में क्लीयर वर्डिक्ट चाहते हैं।···व्यवधान)

सभापति महोदय : आप हाउस नहीं चलने देना चाहते···(व्यवधान)···आपने होम मिनिस्टर के नोटिस में ला दिया है। यह क्वेश्चन-आवर नहीं है। होम मिनिस्टर को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, आश्चर्य है कि एक अन्य राज्य के मुख्य मंत्री--पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री विदेशी एजेन्टों के काम करने के सम्बन्ध में आधार दे रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मुख्य मत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि त्रिपुरा के मुख्य मत्री ने इन तत्वों के साथ राजनैतिक ढंग से निपटने का प्रयत्न किया। यदि कोई मुख्य मत्री इन तत्वों के साथ राजनैतिक ढंग से निपटने का प्रयास करता है जिससे कि वे अपने गलत रास्ते पर होने का अहसास कर सकें तो इसमें क्या नुकसान है ?

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें गोली से उड़ाने के लिए उकसाकर ? वे गांवों में गये और लोगों को भड़काया।

श्री समर मुखर्जी : नहीं। नहीं। सभापति महोदय, मामले को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिये। वे जो कह रहे हैं—यह सच है अथवा नहीं, मैं नहीं जानता, यदि इसे मान भी लिया जाए तो उन्हे गलत मार्ग से, जिस पर वे चल रहे हैं, हटाने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिये।

यह प्रारम्भिक बात है। और प्रत्येक राजनैतिक दल को यह देखना चाहिए कि जब भी कुछ लड़के गलत मार्ग अपनाएं तो उन्हें रोकने का प्रयास करें। उसमें बुराई क्या है।

सभापति महोदय : श्री मुखर्जी आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री समर मुखर्जी : इस जन संहार में मुख्य मंत्री का षड्यंत्र बताना पूर्णतया गलत है। एवं उद्देश्यपूर्ण आरोप है तथा इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। वह बात नहीं है जो मंत्री महोदय कह रहे हैं। जिस बात का उन्होंने उल्लेख किया है वह गलत है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि हमें इस मामले को भली प्रकार समझना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री मुखर्जी, कृपया आप अपने स्थान को ग्रहण करे। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां (एटा) : सभापति महोदय,...

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं—इस पर कोई स्पीच नहीं हो रही है।

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, आप मेरी बात सुन लीजिये। कलकत्ते से चीफ मिनिस्टर ने यह क्लियर स्टेटमेन्ट दिया है कि इस मामले में कांग्रेस (आई) का हाथ है। यह एक बड़ा भारी ब्लेम हमारे ऊपर लगाया गया है। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दें कि यह इल्जाम सही है या गलत।

सभापति महोदय : नियम 377 के तहत हम क्वेशचन-आन्सर अलाऊ नहीं करेंगे। अब चूंकि किसी चीज को आपने उठाया है और उस पर होम मिनिस्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं इसकी इजाजत दे दूँगा, लेकिन आगे किसी को एलाऊ नहीं करूँगा, इस पर क्वेश्चन-आन्सर नहीं होगा।

श्री जैलसिंह : चेयरमैन साहब, मैंने गर्दन घुमा कर देखा, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हुई। अब मैं आनरेबिल मेम्बर साहबान से आपकी मार्फत यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ—वह हमारी शराफत को हमारी कमजोरी न समझें और उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करें। समर मुखर्जी साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उनके जजबात के साथ सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि उनका कहना एक वाजिब कहना है, लेकिन आप को यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्टेटमेन्ट में कुछ और भी है। वह कहते हैं—जबकि राज्य के प्राधिकारियों ने आदिवासियों को उनके रीति-रिवाजों तथा तरीकों को बनाए रखने तथा उनकी उस भूमि को जिसे मैदानी लोगों ने ले लिया था वापस दिलाने के लिये पूर्ण अवसर प्रदान करने का भरसक प्रयास किया।

क्या यह उकसाहट नहीं है—उनके लिये ! क्या यह फुल अपोर्चुनिटी देने की बात है, इस तरह का सर्टिफिकेट आप देते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर को कुछ न कहूँ।

मैंने कल कुछ नहीं कहा था, तारीफ की थी। मेरी पार्टी के लोग कह रहे थे कि तारीफ क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा इस तरह से न उठाइये। मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ—ये जो मसले हैं, नेशनल मसले हैं, कौमी मसले हैं उनको पार्टी के मुफाद के ऊपर रखिये, पार्टी के मुफाद के नीचे न रखिये। जो पार्टी हिन्दुस्थान में डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना चाहती है, वह पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं बैठायेगी। जो पार्टी स्टेट के ऊपर बैठाती हैं, वह डेमोक्रेसी को जिन्दा नहीं रख सकती है।

इसलिये ज्योतिर्मय वसु साहब से मेरी दरख्वास्त है—हिन्दुस्तान में अगर कम्यूनिज्म को लाना चाहते हैं तो आपको और ढंग अपनाना होगा, पार्टी को स्टेट के ऊपर नहीं बैठाना होगा।

श्री मलिक एम. एम. ए. खाँ : मेरे सवाल का जवाब दीजिये, कांग्रेस (आई) के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री जैलसिंह : कांग्रेस (आई) का इसमें कोई हाथ है—ऐसा हमको नजर नहीं आया।

श्री समर मुखर्जी : श्रीमान् जी, मुझे गृह मंत्री महोदय से इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी।

सभापति महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। उत्तर देना उन पर निर्भर करता है। आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : कृपया शांत रहें। मैंने श्रीमती दंडवते को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी नहीं, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूँगा।

श्रीमती दंडवते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : नहीं श्रीमती दंडवते।

(दो) चन्डीगढ में एक मेहतर की पुत्री के साथ बलात्कार का समाचार

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : 11 जून 1980 के इन्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में सनसनीखेत समाचार था कि 2 जून, 1980 को एक तेरह वर्षीय सफाई करने वाली लड़की कु० भोली का तीन व्यक्तियों ने उस समय अपहरण किया जब वह चण्डीगढ़ में सक्टर-11 के रिहायशी क्षेत्र में सफाई कर रही थी और फिर साथ के जंगल तथा अन्य स्थानों पर कई बार बलात्कार किया। अपराधियों का अभी तक पता नहीं लगा है हालांकि बलात्कार की गई लड़की कह चुकी है कि वह बलात्कार करने वालों की शिनाख्त कर सकती है। चूंकि बलात्कार के ऐसे घृणित मामले प्रायः हो रहे हैं, इसलिये मैं गृह मंत्री से इस मामले पर वक्तव्य देने के लिए निवेदन करती हूँ।

सभापति महोदय : क्या गृह मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जैलसिंह : आज नहीं.

सभापति महोदय : मैं निवेदन करूँगा कि आप इस पर ध्यान दें।

श्री आर. वेंकटरमन : संबंधित मंत्री के लिये नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य पर ध्यान देना तो साधारण बात है।

सभापति महोदय : चण्डीगढ केन्द्र-शासित क्षेत्र है और यह एक तेरह वर्षीय लड़की के साथ एक बलत्कार का मामला है। मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री को तथ्यों का पता लगाना चाहिए तथा वह इस सभा को इस बारे में बतायें।

(तीन) व्यापारियों को सप्लाई की गई चीनी, चावल, गेहूं आदि की बोरियों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा तोलने से मना किये जाने का समाचार

श्री चिन्ता मणि जेना (बाला सोर) : श्रीमान जी, भारतीय खाद्य निगम दुकानदारों को अनिवार्य वस्तुओं का वितरण करते समय इस दलील के साथ वस्तुओं को तोलने की अनुमति नहीं दे रहा है कि वस्तुओं को तोलने का कोई नियम नहीं है जिसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई की गई चीनी, गेहूं, चावल आदि जैसी अनिवार्य वस्तुयें प्रत्येक बोरी में 5 से 20 कि० ग्रा० तक कम मिली जिससे केवल गरीब उपभोक्ताओं को ही नुकसान हुआ क्योंकि वस्तुओं का दर्शाई गई मात्रा के अनुसार वितरण किया गया है अथवा उपभोक्ताओं को बेचते समय उनकी दर बढ़ा दी जाती है। बहुत पहले उड़ीसा राज्य में राज्य तथा जिला स्तरीय सलाहकार समिति में विचार विमर्श किये जाने पर भी भारतीय खाद्य निगम इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है तथा कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। इसके विपरीत दुकानदारों से 2 रु० से 5 रु० तक प्रति बोरी माँगा जाता है अन्यथा उन्हें माल देने से इंकार कर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान होता है तथा दुकानदारों को अत्यधिक परेशानी होती है। जो अप्रत्यक्षरूप से गरीब उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगी।

(चार) दिल्ली में नेत्रहीनों के जलूस पर पुलिस द्वारा किये गये कथित लाठी प्रहार के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : लोक सभा के पिछले सत्र में सरकार ने दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित नेत्र हीनों

के जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये कथित लाठी चार्ज की जांच करने के अपने निर्णय की घोषणा संसद में की थी।

समाचार पत्रों के अनुसार जाँच पूरी हो चुकी है तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है।

चूँकि जांच करने के निर्णय की घोषणा ससद में की गई थी इसलिये सरकार को रिपोर्ट की एक प्रति लोक सभा पटल पर रखनी चाहिए।

(पांच) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के भंडार की कमी

श्री पी. एम. सईद (लक्षद्वीप) : श्रीमान जी, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूँ।

मैं सरकार का ध्यान अविलम्बीय लोक महत्व के गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ जो संघ शाशित क्षेत्र लक्षद्वीप में हो रहा है।

मुझे विभिन्न द्वीपों से चावल, चीनी, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं के भण्डार के खत्म होने के बारे में अनेक तार मिले हैं इसके परिणाम स्वरूप बहुत से द्वीपों में लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि कुछ समय पहले संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के ने उक्त वस्तुओं को भेजने के लिए एक मालवाहक जहाज किराये पर लिया था ताकि लोगों को मानसून शुरू होने से पूर्व समय पर पहुँच सके। मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि मुख्य भूमि की तरह यहां पर कोई खुला बाजार नहीं है जहाँ से लोग इन वस्तुओं को खरीद सकें इस लिए वस्तुओं के स्टाक समाप्त होने से यहाँ एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए यह उचित होगा यदि किराये के जहाज द्वारा की गई यात्रा उन द्वीपों की संख्या जहाँ यह जहाज गया तथा उतारे गये कुल माल की मात्रा तथा इस ठेके पर दिए गए कुल माड़े के बारे में सही सही मूल्यांकन किया जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए जहाज किराये पर लेने के बावजूद मुझे यह जानकर हैरानी है कि इस संघ शासित क्षेत्र में ऐसी गम्भीर स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि पहले तो, समुद्र में तूफान आने से पूर्व अविलम्ब इस दूरस्थ संघ शासित क्षेत्र में अनिवार्य वस्तुयें तुरन्त भेजी जाएं। दूसरे, मैं सरकार से यह अनुरोध भाड़ा मालवाहक जहाज की जांच करने का निवेदन करता हूँ किराये पर लिए गए इस मालवाहक जहाज की जांच की जाए और इस सारे मामले में यदि कोई गम्भीर चूक है तो उसका पता लगाया जाये।

(छ) हरदुआगंज बिजली घर में आग लगने का समाचार जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूँ :

दिनांक 26 अप्रैल, 1980 दिन शनिवार को प्रातः साढ़े पांच बजे अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज पावर हाउस में भयंकर अग्निकाँड हुआ जिसमें जर्मन सहयोग से बना 90 मेघावट की क्षमता वाला प्लांट लगभग पूरी तरह जल कर नष्ट हो गया। मशीनों को बचाने के लिए इस विद्युत गृह के दो कर्मचारियों ने आग में जल कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। बताया जाता है कि यह अग्निकाँड जर्मन सहयोग से बने "ए" यूनिट की मशीन के ट्रांसफारमर में अचानक

विस्फोट हो जाने से हुआ। यह कोई पहली दुर्घटना नहीं है, करीब दो वर्ष पहले भी इसी विद्युत गृह के "वी" खंड में करोड़ों रुपये की कीमत की एक टर्बाइन विस्फोट में नष्ट हो गई थी। इस अग्निकांड में आग कुछ ही मिनटों में पूरे यूनिट में फैल गई और देखते-देखते ही पैनल्स, कंट्रोलरूम केबिल्स, ट्रांसफारमर्स और गैस सिलन्डर्स आदि सभी उपकरण पूरी तरह नष्ट हो गये। इस यूनिट के नष्ट हो जाने से विद्युत गृह की कुल क्षमता का लगभग चालीस प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अग्निकांड प्रारम्भ होने के करीब एक घंटे बाद बुलन्दशहर जनपद से अग्निशमक गाड़ियों ने आकर आग बुझाने का कार्य शुरू किया किन्तु इसी विद्युतगृह में मौजूद चार अग्निशमक गाड़ियों को गैरेज से बाहर तक भी नहीं निकाला गया था। बताया जाता है कि इस अग्निकांड में शहीद हुए दोनों कर्मचारियों सर्वश्री मोहर सिंह व तोताराम ने रात्रि दो बजे अपनी ड्यूटी पर पहुँचने के बाद अधीक्षक अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताको मशीन नम्बर दो ट्रांसफार्मर में निरन्तर चिन्गारी निकलने की सूचना भी थी किन्तु उक्त दोनों अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और चैन की नींद सोते रहे। इस अग्निकांड में पचास करोड़ से अधिक रुपयों का नुकसान हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में नहीं हो सकती। ये विद्युतगृह राष्ट्रीय महत्व एवं भवभूति के प्रतीक हैं। बिजली के उत्पादन पर ही राष्ट्र की कृषि एवं उद्योग की उन्नति निर्भर करती है। अतः जहाँ कहीं भी इस तरह के कांड हों सरकार को तुरन्त जाँच करानी चाहिए। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना को हुए इतना समय बीत जाने पर इस कांड की जाँच करा ली है या नहीं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं इससे ऊर्जा मंत्री सदन को अवगत करायें।

सभापति महोदय : हम अब अगली मद पर अर्थात् बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) विधेयक पर चर्चा करेंगे। मेरे विचार से 3 घंटे इस विधेयक के लिए नियत किये गए हैं यदि आप लोग सहमत हों तो दो घंटे सामान्य चर्चा पर और एक घंटा खंड-वार विचार करने पर लगाया जाए।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटारमन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि अर्थतंत्र के शिखरों पर और नियत्रण तथा अर्थ तत्र के विकास से सम्बन्धित आवश्यकताओं की अधिकाधिक तथा और अच्छी तरह से पूर्ति तथा जनता के कल्याण की अभिवृद्धि, संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में अधिकथित तत्वों को सुनिश्चित करने हेतु. राज्य की नीति के अनुरूप, करने के लिए कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों को उनके आभार सम्पत्ति, साधन, कार्यक्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखकर, अर्जित करने तथा उनका अंतरण करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषांगिक विषयों का प्रबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि सरकार ने भारत में नियमित 14 ऐसे वाणिज्यिक बैंकों का, जिनकी जमाराशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी, 19 जुलाई 1969 से

राष्ट्रीयकरण कर लिया था ताकि राष्ट्राय और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थतंत्र के उच्च शिखर पर नियंत्रण रखा जा सके। तब यह सोचा गया था कि इन बैंकों के सरकारी स्वामित्व से बचतों को अधिक प्रभावी ढंग से तेज करने और उत्पादक प्रयोजनों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक सेवाओं में विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बैंक नहीं थे और अर्धनगरीय क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या जो जून 1969 में 6596 थी दिसम्बर 1979 के अत तक बढ़कर क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को मिलाकर 25,028 हो गई। इनमें से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 18,051 शाखाएं ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हैं इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमा राशि 3871 करोड़ रुपये से बढ़ कर 25,977 करोड़ हो गई। उपेक्षित क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए बैंक संसाधनों के उपयोग में भी उत्तरोतर वृद्धि देखी गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गये अपने कुल ऋणों में से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की प्रतिशतता जो जून 1969 में 14.9 थी बढ़कर सितम्बर 1979 में 33.5 हो गई।

सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के तेजी से क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने यह निश्चय किया है कि वे अगले पाँच वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले अपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत कर देंगे। ऐसा महसूस किया गया कि गैर राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को बैंककारी कम्पनियों जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति की है, को भी अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण दिशा दी जाए और उनका नियंत्रण किया जाए ताकि उन्हें विकास कार्यों का अभिन्न अंग बनाया जा सके।

चूंकि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था और तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता थी अतः राष्ट्रपति ने 15 अप्रैल 1980 को गैर-सरकारी क्षेत्र के छः ऐसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जिनकी प्रत्येक की 14 मार्च 1980 को जमा राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक थीं इन बैंकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. दि आंध्र बैंक लिमिटेड,
2. कारपोरेशन बैंक आफ लिमिटेड,
3. दि न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड,
4. दि ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड,
5. दि पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड, और
6. विजय बैंक लिमिटेड

14 मार्च 1980 को इन बैंकों की कुल जमा राशि तथा समयवद्ध देयताएं 2356 करोड़ रुपये थी। वर्तमान विधेयक में इस अध्यादेश के स्थान पर संसद का अधिनियम लाने की व्यवस्था है।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय जो आधर अपनाया गया था उसी आधार पर इन छः बैंकों को 18.50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जायेगा। इस राशि की अदायगी में इन बैंकों को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो तीन सलाना किस्तों में 5.5 प्रतिशत ब्याज दर के साथ नकद ले सकते हैं

अथवा 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अथवा 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 30 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में ले सकते हैं या फिर इन दोनों को मिला कर ले सकते हैं। गैर सरकारी क्षेत्र के छः सबसे बड़े बैंकों को सरकारी क्षेत्र में मिला लेने के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निक्षेप राशि का लगभग 91 प्रतिशत बैठती है।

मैं विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हुए बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक इस सभा द्वारा 1970 में पारित विद्यमान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है। जैसा कि पहले के अधिनियम में व्यवस्था है, इस विधेयक में भी यह व्यवस्था है कि प्रत्येक बैंक का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल, जिसका गठन सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद किया जायेगा, के हाथों में होगा। निदेशक मण्डलों का गठन प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों के अंतर्गत सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली राष्ट्रीयकरण योजना के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी। सरकार इन बैंकों के व्यापक प्रतिनिधित्व वाले बोर्डों, जिनमें कर्मचारियों, जमाकर्ताओं, किसानों, कारीगरों और अन्य विशेषज्ञों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, का गठन राष्ट्रीयकरण योजना तैयार होने के बाद करेगी। अर्जित बैंकों के कर्मचारी स्वतः ही अपने नये बैंक के कर्मचारी बन जायेंगे। हमें पूरी आशा है कि सरकारी क्षेत्र में इन बैंकों के शामिल हो जाने से 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन और अधिक उपयोगी और प्रभावी बन जायेगा।

महोदय, मैं विधेयक के अन्य उपबन्धों पर समाज का और समय नहीं लेना चाहता।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अर्थतंत्र के शिखरों पर और नियंत्रण तथा अर्थतंत्र के विकास से सम्बन्धित आवश्यकताओं की अधिकाधिक तथा और अच्छी तरह से पूर्ति तथा जनता के कल्याण की ओर वृद्धि, संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में अधिकथित तत्वों को सुनिश्चित करने हेतु राज्य की नीति के अनुरुप, करने के लिए कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों को उनके आकार, सम्पत्ति, साधन कार्यक्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखकर, अर्जित करने तथा उनका अन्तरण करने तथा उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंत्रिक विषयों का उपबंद्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं एक-दो स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अध्यादेश 15 अप्रैल 1980 को जारी किया गया था। जिन बैंकों की जमा राशि 14 मार्च 1980 को 200 करोड़ रुपये से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया किन्तु अध्यादेश जारी किया गया 15 अप्रैल 1980 को अर्थात् एक मास बाद। आपने गणना की तारीख 14 मार्च 1980 क्यों ली? इसके पीछे क्या तर्क है? आप यह तारीख 14 अप्रैल भी तो ले सकते थे? अध्यादेश 15 अप्रैल को जारी किया गया तो आपने तारीख पहले की अर्थात् 14 मार्च 1980 क्यों ली? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? मेरी समझ में यह बात नहीं आयी है। मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखे विवरण में इस बारे में कुछ नहीं बताया है।

दूसरी बात यह है कि 200 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित करने का आधार क्या है? बैंकों की कुल जमा राशि का 91 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में आ गया है। आपने यह सीमा पहले

की तरह 50 करोड़ रुपये क्यों नहीं रखी ? आप यह सीमा 100 करोड़ रुपये रख सकते थे ? मुश्किल से 45 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण से बच जाते और आप राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के माध्यम से अर्थतंत्र के उच्च शिखरों पर नियंत्रण रख सकते थे और इस माध्यम से सफलता पूर्वक 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यरुप दे सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने 100 करोड़ की सीमा क्यों नहीं रखी, 200 करोड़ रुपये की सीमा ही क्यों रखी ? पहले तो यह सीमा 50 करोड़ रुपये थी।

एक माननीय सदस्य : 50 करोड़ ही क्यों नहीं ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसके परिवर्तन का आधार क्या है ?

सभापति महोदय : यदि वित्त मंत्री कुछ कहना चाहते हों तो वह कह सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि वह समुचित स्पष्टीकरण देते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : यदि माननीय मत्री महोदय अब उत्तर नहीं देना चाहते तो मैं उन्हें कुछ कहने के लिए विवश नहीं कर सकता। प्रो० रुप चन्दपाल।

प्रोफेसर रुप चन्द पाल : (हुगली) : विधेयक पर विचार एवं चर्चा जारी है। कई महत्व-पूर्ण बातें कही गई हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीब जनता, तथा समाज के कमजोर वर्गों के हित में राष्ट्रीयकरण की अविलम्ब आवश्यकता थी। यदि हम 11 वर्ष पीछे की ओर दृष्टि डालें तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय भी इस सभा में ऐसी ही पुनीत घोषणायें की गयी थी। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों में भी कुछ अच्छी आशायें जगायी गयी थी कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक केन्द्रों विशेष-कर किसानों, लघु उद्योगों तथा स्वनियोजित व्यवसायिक समूहों की आवश्यकताओं को और अधिक पूरा किया जाये। लेकिन हमारा अनुभव क्या रहा है ?

जहाँ तक हमारे पिछले 11 सालों के अनुभव की बात है, उस बारे में मैं अपने कुछ समय पहले के अपने वित्त मत्री जी के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। यह वक्तव्य 29.4.1980 के दक्कन हेराल्ड में प्रकाशित हुआ था। जैसाकि हम सभी जानते हैं दक्कन हेराल्ड एक प्रतिष्ठित सप्ताहिक है। श्री बहुगुणा एक ऐसे दल के सदस्य हैं जिस पर नित्य प्रति आरोप लग रहे हैं। केवल प्रत्यारोप लगाने की दृष्टि से श्री बहुगुणा ने कहा कि बैंक शक्तिशाली व्यक्तियों और संस्थाओं के अशोध्य ऋणों को बट्टेखाते डाल देते हैं और अपनी रिपोर्टों में दिये गये अपने लेखाओं में उनका उल्लेख तक नहीं करते। यह बात मुझे अपने वित्त मत्री होने के समय पता चली। 99.9 प्रतिशत अशोध्य ऋण वही होते हैं जिन में 50,000 रुपये से अधिक की राशि अन्तर्ग्रस्त होती है। उनमें सभी अमीर होते हैं।"

राष्ट्रीयकरण के इन 11 वर्षों में अमीर व्यक्तियों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। अभी भी कई बड़ी बड़ी बातें कही गयी हैं और कही जा रही हैं परन्तु हो क्या रहा है ? हम देखते हैं कि, पश्चिम बंगाल में निरन्तर दोहरे वित पोषण की प्रथा चली आ रही है। पटसन व्यापारी कच्चा पटसन खरीदने के लिए बैंकों से ऋण ले रहे हैं। बैंको की सहायता से पटसन का स्टाक किया जा रहा है। उस स्टाक को दिखा कर वे उस के आधार पर फिर ऋण ले लेते हैं।

भूमिहीन श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है ? उन्हें इन्सान तक नहीं समझा जाता। हमारा अनुभव तो यही है। छोटे व्यापारी के साथ क्या होता है ? वे हमेशा उस लाभ से वंचित रहते हैं। इस सब में भ्रष्टाचार है। यह केवल मेरा नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के अनेक लोगों का भी यही अनुभव है। यह बात रिकार्ड पर है। जब आप बैंक ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक अधिकारी आपसे पूछते हैं क्या आपका कोई जामिन है ? बेचारा गरीब आदमी वहां ऋण के लिए जाता है, लेकिन उससे पूछा जाता है कि 'क्या तुम्हारे पास बंधक रखने के लिए कोई चीज है ? यह जमानती जुटाने की बाधा है।

निर्धन लोगों को वंचित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों का परोपजीवी वर्ग बैंकों से भारी सहायता प्राप्त कर रहा है—ताँगा वालों, रिक्शे वालों तथा रेहड़ी वालों को बैंकों से ऋण दिया जा रहा है। यह राशि समुद्र में बूंद के बराबर भी नही होती। इस ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा व्यापारी लोग ले जाते हैं। यह समाज का परोपजीवी वर्ग है। यह भूस्वामी वर्ग है, ये वे लोग हैं जिनके अपने उद्योग तथा भूमि हैं।

आपने बहुत सी अच्छी बातें कही है। यदि हम ग्रमीण क्षेत्रों की ओर दृष्टिपात करें तो हम क्या पाते हैं ? ग्रामिण क्षेत्रों में महाजन लोग पैसा देते हैं और गरीब लोगों का खून चूसते हैं। वे आज भी काम कर'रहे हैं तथा अभी तक भी बैंक गरीब लोगों को उनकी आवश्यकता नुसार न्यूनतम ऋण भी उपलब्ध नहीं करा सके हैं। ये गरीब लोग कंगाल होते जा रहे हैं। उन्हें इन महजानों के चंगुल से नहीं निकाला गया है और उन्हें निकाला नहीं जा सकता है।

बहुत समय पहले 1928 रायल कमीशन ने कृषि की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा था "भारतीय किसान ऋण में पैदा होकर, ऋण के साथ रह कर ऋण के साथ ही मर जाता है।" आज भी वही स्थिति है। गरीबों पर क्या बीत रहा है ? वे कर्ज में दबे हैं। वे इन महाजनों के हाथ अपनी जमीनें बेच रहे हैं। महाजनों ने जमीन इकट्ठी कर ली है। पिछले 33 सालों में क्या हुआ ? 40 प्रतिशत भूमि 4 प्रतिशत लोगों के पास है दरिद्रता की प्रक्रिया में लोगों अपनी जमीन से हाथ धो रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि पिछले 33 वर्षों में बैंकों की अनेक शाखायें खोली गयी हैं तथा इस दिशा में प्रगति होने का दावा किया गया है, उस सबके बावजूद आज भी स्थिति वही है। मेरे पास अधिक समय नहीं है। नहीं तो मैं और कई बातें कह सकता था। अब इन छः बैंकों का अधिग्रहण कर लिया गया है। विदेशी बैंकों के बारे में क्या यह कहा जा रहा है कि यदि हम इन विदेशी बैंकों का राष्ट्रीकरण कर देते हैं तो स्थिति है ? वे सारे देश में भारी सम्पति अर्जित कर रहे हैं। हमें उनके देश में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी लेकिन वस्तु स्थिति क्या है ? विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की केवल लगभग 123 शाखायें तथा अन्य एकाध बैंक कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में कार्य कर रहे हैं विदेशी बैंकों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ? वे भारी सम्पति बना रहे हैं वे बीजकों में हेरा फेरी कर रहे हैं वे रिजर्व बैंक से अनुमति लिये बिना ही विदेशी मुद्रा बेचने के नाम पर अधिक राशि वसूल कर रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में भारत में कार्यरत बैंक ग्रिंडलेज बैंक का उदाहरण दे सकता हूं। कुछ दिन पहले ग्रिंडलेज बैंक कर्मचारियों ने 90 दिन तक हड़ताल रखी। उनकी मांग थी कि इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाये। यह बैंक भारतीय हितों के प्रतिकूल तथा अराष्ट्रीय तरीके से कार्य कर रहा है। यह बैंक हड़ताल 90 दिन तक चली जो अधिक मंहगाई भत्ते या अधिक वेतन के लिए नहीं

की गयी। बैंक के अधिकारी मशीनें लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे देश में जहाँ पहले ही इतनी अधिक बेरोजगारी है, वे लोग मशीनें लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या आप कुछ देर और बोलना चाहते हैं ?

प्रो रुपचन्द पाल : जी हाँ श्रीमन्।

सभापति महोदय : आप सोमवार को आगे बोल सकते हैं। अब हम गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य आरम्भ करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के बिधेयकों तथा संकल्पो सम्बन्धी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री पी० पार्थसारथी (राजमपेट) सभापति महोदय मुझे यह प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाये।

"कि यह सभा; गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 11 जून 1980 को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 11 जून 1980 को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अवश्य विधेयकों के पुरः स्थापन का कार्य आरम्भ करेंगे

(एक) धर्मस्वातंत्र्य (निर्बन्धन निवारण) विधेयक :

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि धर्म की अनिबंधित स्वतंत्रता का उपबन्ध करने वाले विधेयक पुरःस्थापितक रने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धर्म अनिबंन्धित स्वतंत्रता का उपबन्ध करने वाला विधेयक पुरः स्थापित करने का अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री राम जेठ मलानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(बो) सीमा आयोग विधेयक

श्री एडुआर्डो फैलोरो (भारमागाओं) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यों के बीच और संघराज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के बीच अन्तरराज्यीय विवादों को हल करने के लिये एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राज्यों तथा राज्यों के बीच और संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय विवादों को हल करने के लिए एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं विधेयक पुर.स्थापित करता हूँ ।

(तीन) सीमावर्ती क्षेत्र (उत्तर प्रदेश पर्वतीय जिले) योजना तथा विकास विधेयक

श्री हरीश चन्द्रसिंह रावत (अल्मोड़ा) : मैं उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों से मिलकर बने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापक, गहन तथा शीघ्रतया आयोजन एवं विकास का तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों से मिलकर बने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापक, गहन तथा शीघ्रतया आयोजन एवं विकास का तथा तत्संसक्त और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना) और अनुच्छेद, आदि का संशोधन ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर.स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ ।

(पाँच) दहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक (धारा 2,3 आदि का संशोधन)

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने को अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैं विधेयक पुरः स्थापित करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा अनुपस्थित ।

(छः) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16 क, आदि का अन्तः स्थापन)

श्री के० लकप्पा (दुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुममित दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के. लकप्पा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ ।

(सात) छोटे किसान सहायता विधेयक

श्री के. लकप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि छोटे किसानों को भव्य और विभिन्न सहायकी देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि छोटे किसानों को भव्य और विभिन्न सहायकी देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुतति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के. लकप्पा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ ।

(आठ) जाति पद्धति उत्पादन विधेयक

श्री के. लकप्पा : मैं प्रस्ताव करता हुं ।

"कि जाति पद्धति के उत्पादन का और नाम के पश्चात् जाति अभिव्यक्त करने पर रोक लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि जाति पद्धति के उत्सादन का और नाम के पश्चात् जाति अभिव्यक्त करने पर रोक लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ ।

(नौ) संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 101 और 190 का संशोधन)

श्री के. लकप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के. लकप्पा : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ ।

(दस) भारतीय मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक (धारा 3, 4 आदि का संशोधन

डा० बसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० बसन्त कुमार पण्डित : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बापू साहिब परुलेकर-अनुपस्थित।

(ग्यारह) भारतीय दन्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 53 आदि का संशोधन)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रान्जेद्र प्रसाद यादव अनुपस्थित।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब 28 मार्च, 1980 को श्री चित्त बसु द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मेरे विधेयक का मुख्य प्रयोजन नेपाली भाषा को एक भारतीय भाषा के रूप में मायन्यता प्रदान करना है। ऐसा नेपाली भाषा को भारत के संविधान का आठवीं अनुसूची में शामिल करके ही किया जा सकता है।

इस समय भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 15 भाषायें शामिल हैं किन्तु नेपाली भाषा उनमें शामिल नहीं है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आठवीं अनुसूची में जो भाषा शामिल होती है उसे सामान्यता या अपने देश की एक राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। केवल इस तथ्य के कारण कि नेपाली भाषा अपने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है इसे एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई है। यद्यपि इसमें एक राष्ट्रीय भाषा बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। नेपाली भाषा एक समृद्ध भाषा है और भारतीय जनता के एक बहुत बड़े भाग द्वारा बोली जाती है। यह भाषा लगभग 60 लाख से अधिक भारत के लोगों द्वारा बोली जाती है जोकि देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर हिमालय के तथा उत्तरी क्षेत्रों के राज्यों में बिखरे हैं।

जहां तक भाषा की साहित्यिक समृद्धि का प्रश्न है, नेपाली भी अत्यन्त समृद्ध और भव्य भाषा है। मेरे विचार में, सभा को अधिकारी भानुभक्त के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए जो कि आधुनिक नेपाली भाषा के पुरोधा थे। उन्होंने तथा अन्य लोगों ने अपने-अपने ढंग से नेपाली भाषा को समृद्ध बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। नेपाली साहित्य अत्यन्त समृद्ध है,

उसके नाटक, गीत और लोकगीत भी उतने ही समृद्ध हैं। हमारी संयुक्त संस्कृति में, जिसे हम भारतीय संस्कृति और अनेकता में एकता की संस्कृति कहते हैं उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह अत्यन्त दुख की बात है कि हालांकि नेपाली भाषा भारतीय है, फिर भी अनेक लोगों ने--मैं अनेक न कहकर कुछ लोगों कहूंगा—यह शंका प्रकट की है कि नेपाली भाषा भारतीय भाषा है अथवा विदेशी भाषा है। समस्या का मूल आधार यही है। अब, इस शंका को दूर करने के लिए कि नेपाली भारतीय भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ कि सभा को नेपाली भाषा की उत्पत्ति के विषय में जानना चाहिए।

चूंकि मेरे पास बोलने के लिए समय कम है। अतः इस संक्षिप्त वाद विवाद के दौरान, मैं इस भाषा के इतिहास, उत्पत्ति अथवा विकास का विश्लेषण नहीं कर सकता। इसलिए, मैं नेपाली भाषा की उत्पत्ति के बारे में अनेक साहित्यकारों द्वारा व्यक्त कुछ विचारों का उल्लेख करूंगा। नेपाली भाषा के इतिहास से पता चलता है कि नेपाली भाषा का उद्भव इंद-मार्य है। वस्तुतः, नेपाली भाषा यूरोपीय भाषा की शतम शाखा से निकली है। प्रसिद्ध साहित्य ज्ञाता डा० पारसमणि प्रधान, के अनुसार, आधुनिक नेपाली भाषा 'खग प्राकृत' से विकसित हुई जो आगे चलकर गोरखाली कहलाई। ब्रिट्रिश शासन के दौरान नेपाली नागरिकों ने इसे 'नेपाली' नाम दिया। मेरे पास यह साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज हैं कि ब्रिट्रिश शासन के दौरान भी उन्होंने 'नेपाली भाषा' नामक भाषा को स्वीकार किया था।

मेरे पास बंगाल सरकार, नियुक्ति विभाग, अधिसूचना कलकत्ता, दिनांक 3 जुलाई, 1926 के परिपत्र 11499 ए की फोटोस्टेट प्रतिलिपि है जो इस प्रका है :

"विभागीय परीक्षा नियमों के परिशिष्ट छः में नियम 1,2,3 और 5 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।"

"इन नियमों में जहाँ भी 'नेपाली पहाड़िया' और 'नेपलीज पहाड़िया' या 'खास-कुरा' आए इसके स्थान पर नेपाली पढ़ें।"

आदेशानुसार
ह०/—ए. एन. मोबर्ले
सरकार के स्थानापन्न मुख्य सचिव

इसलिए महोदय, ब्रिट्रिश सरकार ने, उस समय नियम में संशोधन करके नेपाली को भारतीय भाषा स्वीकार कर लिया और भारत सरकार के परिपत्रों, नियमों और प्रशासमिक कार्यों में उसको स्थान मिलने लगा!

इसी प्रकार की एक अधिसूचना, दिनांक 8 जनवरी, 1927 की अधिसूचना सं० 422 है, जो इस प्रकार है :

"भारतीय देशीयकरण—अधिनियम, 1926 की धारा 3 (i) (I) के आदेश के अनुसार 'गर्वनर-इन काउन्सिल' यह उद्घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित इस प्रांत की भाषाएं होंगी :

(1) बंगाली, (2) उर्दू (3) हिन्दी और (4) नेपाली (देखिए दिनांक 13-1-27 कलकत्ता राजपत्र, भाग एक, पृष्ठ 86)

ह०/—
डब्लू. डी. आर. पैटरिक्टिका

मैं यह दिनांक 21-6-1979 की अमृत बाजार पत्रिका से उद्धत कर रहा हूँ ।

इसलिए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि ब्रिट्रिश शासन के दौरान ही नेपाली भाषा को प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए एक भारतीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हो गई थी ।

इसके अलावा इस बारे में रूचि रखने वालों की जानकारी और अध्यन के लिए मैं कुछ शोध उपबन्धों और पुस्तकों का केवल उल्लेख करूंगा क्योंकि मैं उन्हें यहां पूरा-पूरा उद्धृत नहीं कर सकता । मैं कैसिनो वैलगाट्टी की ए ट्रीट्रीस आंव नेपाली लेंगएज, श्री गोलुल सिहा की ए ट्रीट्रीस आँव नेपाली लेंगुएज और 1816 के विलियम कैरे आयोग का उल्लेख करूंगा जिसमें नेपाली को 33 भारतीय भाषाओं में से एक भाषा माना गया । प्रो० आइटन ने 1820 में नेपाली भाषा के व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी । इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध माना वैज्ञानिक डा० सुनीति चटर्जी ने अपनी पुस्तक ओरिजन एन्ड डिवेलपमेंट आंव बंबाली लेंगुयेंज में यह स्थापना की कि नेपाली एक भारतीय भाषा है, और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि नेपाली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए उसे संविधान की आठवीं अनुसूचित में शामिल कर लेना चाहिए ।

में यहां डा० सुमीति चटर्जी की एक अन्य पुस्तक लेंगुएज एन्ड लिंगुइस्टिक प्राब्लम ऑव इण्डिया का भी उल्लेख करूंगा जिसमें इन्होंने नेपाली को एक भारतीय भाषा मानकर यह सुझाव दिया है कि उसे आठवीं अनुसूचियों में शामिल करके मान्यता दी जानी चाहिए ।

वे सब बातें इस बात का प्रमाण हैं कि नेपाली एक माननीय भाषा है और यह आवश्यक है कि उसे आठवीं अनुसूचि में शामिल करके मान्यता दी जाये ।

मैं यह भी उल्लेक करना चाहूंगा कि नेपाली भाषा और उसके दर्जे को अनेक प्राधिकरणों और यहाँ तक कि इस देश की राज्य विधान मंडलों ने भी इसे स्वीकार किया है अथवा मान्यता दी है । साहित्य अकादमी नेपाली भाषा को पहले ही एक भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार कर चुकी है । सिक्किम में 77 प्रतिशत लोग नेपाली भाषा बोलते हैं यह सिक्किम की पहली राज भाषा है और अब यह सिक्किम की लोक भाषा है इसके अतिरिक्त सिक्किम की विधान सभा ने अक्टूबर, 1977 को सर्वसम्पत्ति से एक सरकारी संकल्प स्वीकार किया जिसमें भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए ।

पश्चिम बंगाल के तीन पवर्ततीय जिलों में नेपाली को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है । इस प्रकार पश्चिम बंगाल में नेपाली को सरकारी रूप से मान्यता दी गई है और इन तीनों जिलों में इस भाषा में प्रशासनिक कार्य किया जा रहा है । केवल इतना ही नहीं है; पश्चिम बंगाल सरकार ने महसूस किया कि राज्य की सीमाओं के भीतर ही नेपाली को मान्यता देना काफी नहीं है और इसलिए पश्चिम बगाल विधान सभा ने 2 जुलाई, 1977 को सर्वसम्पति से एक संकल्प पारित किया जिसमें भारत सरकार से आग्रह किया था कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये । त्रिपुरा की विधान सभा में भी 28 जून, 1978 को एक संकल्प स्वीकार किया गया । इसलिये अब सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दोनों राज्यों में नेपाली को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है । इतना ही नहीं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की विधान सभाओं में सर्वसम्मति से संकल्प स्वीकार किये गये हैं जिनमें भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये ।

मेरे विचार में सभा को याद होगा कि सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था और यह प्रसन्नता की बात है इस तरह एक अन्य भाषा यानी सिन्धी भाषा, जिसे पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी उसे आठवीं अनुसुची में शामिल करके राष्ट्रीय भाषा के रूप में कान्यता दे दी गयी। नेपाली लोग, हम लोग और विभिन्न भाषायें बोलने वाले हर समुदाय के लोगों को प्रसन्नता है कि सिन्धी भारतीय भाषाओं के परिवार की सदस्य हो गई है। सिन्धी भाषा को पूरा सम्मान देते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में सिन्धी की अपेक्षा नेपाली बोलने वाले लोग अधिक हैं। बात यह है कि आठवीं अनुसूची ऐसी चीज नहीं है जिसे न बदला जा सके। मुझे याद है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, 1959 में, इसका उल्लेख करते हुये कहा था कि यह अनुसूची अष्ठम्बर्तनीय नहीं है। वस्तुतः यदि आप मुझसे पूछें तो मैं अपने दल की ओर से कहूंगा कि आठवीं अनुसूची होनी ही नहीं चाहिए। सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानना चाहिए। किसी भी भाषा पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। वे चाहे 24, 35, या 40 हों। प्रत्येक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने समृद्ध होने और भारत की सयुक्त संस्कृति को समृद्ध करने का अधिकार है। अनेकता में एकता का यही उदाहरण है, सभी भारतीय भाषायें जिनका उत्पत्ति स्थल भारत में है, उन्हें राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिये और उन्हें भारत की संयुक्त संस्कृति को समृद्ध बनाने के लिए पूरे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इसे अनेकता में एकता' कहते हैं। मेरे विचार में आप मुझसे सहमत होंगे।

इन उदाहरणों और तथ्यों के बावजूद मुझे इसके साथ यह कहना पड़ता है कि भारत सरकार का रवैया केन्द्र में उसकी उत्तरोत्तर सरकार, मैं किसी विशेष सरकार का उल्लेख नहीं करूंगा, बराबर सहायता न करने का रहा है। यदि आप मुझे वैसा कहने की अनुमति दें तो मैं यह कहूंगा कि नेपाली भाषा के प्रति उनका रवैया कुछ हद तक विरोधी और प्रतिकूल रहा है।

अब हम समय समय पर सरकार के नेताओं द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का विश्लेषण करें इतिहास साक्षी है कि 1956 में श्री राज भाषा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन श्री वी. जे. खेर ने दुर्भाग्यवश यह टिप्पणी की थी कि नेपाली भाषा को भारतीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती क्यों कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है। मैं इस पर बाद में विचार करूंगा इससे उनका अभिप्राय था ··

प्रो० मधु दंडवते : तमिल भाषा को श्री लंका में मान्यता प्राप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय : सिंगापुर में भी।

श्री चित्त बसु : राज भाषा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन ने कहा कि चूंकि नेपाल नाम का एक देश विद्धमान है जो स्वतंत्र है और प्रभु सत्ता प्राप्त है और जहां के लोग नेपाली भाषा बोलते हैं इसलिए नेपाली भाषा को संविधान की असुम अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता इसलिए भारतीय नेपालियों को अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कराने का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए आपने अभी यह उल्लेख किया है कि तमिल भाषा को श्री लंका में मान्यता प्राप्त है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। वगला देश स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न और आजाद देश के रुप में उभर कर आया है। बंगला भाषा बंगला देश सरकार की राजभाषा है।

बंगला भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में उत्तम सम्मिलित है। यदि श्री वी. जी. खेर के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या भारत सरकार बंगला भाषा को अष्टम अनुसूची से इसलिए निकाल देगी क्यों कि बंगला भाषा बंगला देश में भी बोली जाती है जो एक स्वतंत्र है अलग देश है, प्रभुसत्ता संपन्न है और स्वतंत्र देश है ? इसलिए यह कोई तर्क नहीं है।

जब 2 अगस्त 1968 को श्री ज्योतिर्मय बसु ने सभा में वह प्रश्न उठाया कि नेपाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रुप में मान्यता न दिए जाने के तथा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं तो यह उत्तर दिया गया बड़े राष्ट्रीय हितों में सरकार आठवीं अनुसूची को बढ़ाना नहीं चाहती। सरकार राष्ट्र के व्यापक हित में अष्टम अनुसूची का आगे विस्तार नहीं करेगी राष्ट्रीय हित और अष्टम अनुसूची को कोष्ठक बद्ध किया गया है। यदि अष्टम अनुसूची का विस्तार किया गया तो राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत की एक राष्ट्रीय भाषा के प्रति सरकार का रवैया उपेक्षा पूर्ण नहीं है ? क्या सरकार भाषा समस्या का समाधान नहीं करना चाहती ? हामरा देश बहु भाषी राष्ट्र है यह बहु संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ अनेकता में एकता की संकल्पना भावना होनी चाहिए। एक पक्षीय संकल्पना नहीं होनी चाहिए। एक पक्षीय संकल्पना नहीं होनी चाहिये। संस्कृति और एकता मिश्रित प्रकृति की है। इसी लिए जब सरकार कहती है कि एक राष्ट्रीय भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने से राष्ट्रीय हित को बाधा पहुंचेगी तो यह बहुत लज्जाजनक बात है सरकार को जनसामान्य के सामने इसका उत्तर देना होगा स्पष्टीकरण देना होगा।

दिनाँक 7 अगस्त को फिर ऐसा ही एक प्रश्न उठाया गया था कि और उसका वही उत्तर दुहरा दिया गया था कि व्यापक राष्ट्रीय हितों में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था, 1959 में पंडित नेहरु ने भी कहा था कि "अष्टम अनुसूची मुख्य भारतीय भाषाओं की व्यापक अनुसूची नहीं है" सरकार पंडित नेहरु के शब्दों का पालन करती है नेहरु जी के सिद्धांतों का पालन करते हैं। किन्तु इस मामले में नेहरु जी को बड़ी आसानी से भुला दिया गया है।

इसमें कोई राष्ट्रीय हित निहित नहीं है लेकिन यदि नेपाली भाषा और अन्य भाषाएं भी अष्टम अनुसूची में शामिल कर ली जाय तो राष्ट्र का हित अधिक होगा। जब मैं नेपाली भाषा के बारे में कहता हूँ तो मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैं अन्य भाषाओं को अष्टम अनुसूची में शामिल किए जाने के विरुद्ध हूँ। आज अन्य भाषाओं को भी शामिल किए जाने के लिए डा० कर्णसिंह द्वारा एक विधेयक पेश किया जाएगा। मैं प्रसन्न हूँ। इसी लिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं संविधान की अष्टम अनुसूची में सभी भारतीय भाषाओं के शामिल किए जाने की इच्छा रखता हूँ। वस्तुतः आठवी अनुसूची की आवश्यकता नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं समान होनी चाहिए, सभी भाषाओं को समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए, सभी भषाओं को समृद्ध होने के लिए समुचित क्षेत्र और अवसर दिए जाने चाहिए। इसी लिए अष्टम अनुसूची की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आप क्या यह कह रहे हैं कि भाषा में कोई अनूसूचित जाति नहीं होगी।

श्री चित्त बसु : जी हाँ, भाषाओं में कोई अनुसचित जाति नहीं होनी चाहिए। मुझे

प्रसन्नता है कि इन्होंने मेरी महसूसियत को बेहतर ढंग से कहने में मुझे मदद की है। भाषाओं में एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

अब मैं देश की वर्तमान प्रधान मंत्री से कुछ कहना चाहूंगा।

प्रो० मधुदण्डवते : अब आप उन्हें उकसायेंगे।

श्री चित्त बसु : मुझे आशा है कि वह उत्तेजित नहीं होंगी।

श्रीमती गाँधी ने यह कहा बताया गया है कि नेपाली भाषा को अष्टम व्यापी अनुसूची में शामिल किए जाने सम्बन्धी मामले पर सुरक्षा की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। एक पत्र राष्ट्रीय हित का और दूसरा है, सुरक्षा। अब नेपाली भाषा राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच पिस गयी है। इसमें सुरक्षा की समस्या अन्तग्रीस नहीं है। इन बातों का उत्तर दिया जाना है, यह उचित नहीं है। मैं कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे विचार से कठोर शब्दों के उपयोग का कोई लाभ नहीं है।

सभापति महोदय : क्योंकि नेपाली एक मृदु भाषा है।

श्री चित्त बसु : आपने यह कल्पना कैसे करली कि इस भाषा को आठवी अनुसूची में शामिल करने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी ? क्या यह अलगाव है, क्या यह विद्रोह-पूर्ण है ? क्या यह देशद्रोह पूर्ण है ? क्या जनता द्वारा निर्वाचित होकर यहाँ आना और अपनी मातृ भाषा में शपथ ग्रहण करने के अधिकार का दावा करना विद्रोह है ? एक नेपाली को उसकी अपनी मातृ भाषा, नेपाली भाषा में शपथ लेने से रोका जाता है। वे इसे देश द्रोह मानते हैं, वे इसे राष्ट्र द्रोह मानते हैं, वे इससे सुरक्षा को खतरा मानते हैं हम क्या चाहते हैं ? हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि प्रत्येक भाषा को यह अधिकार होना चाहिए कि वह स्वय को विकसित करने के अवसर प्राप्त करे और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करे।

श्री मोरारजी देसाई ने अत्यन्त शतुत्रापूर्ण रवैया प्रदर्शित किया। उन्होंने केवल उसका विरोध ही नहीं किया··· वरन्···

उपाध्यक्ष महोदय : संभवतः श्री दंडवते भी इसका विरोध करते हैं।

श्री चित्त बसु : उन्होंने नेपाली भाषा को मान्यता देने की मांग अस्वीकृत ही नहीं की वरन् उन्होने उसे विदेशी भाषा भी कहा। उन्होंने यह भी धमकी दी, यदि आप नेपाली भाषा को मान्यता दिलाना चाहते हैं तो उसके परिणाम के लिए उन्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि मैं गोरखा रेजीमेंट को भंग कर दूंगा।' उन्होंने कहा 'यदि आप नेपाली भाषा को मान्यता दिलाने पर जोर दे तो साहित्य अकादमी उसे राष्ट्रीय साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता देना बंद कर देगी।' उन्हें धमकी भरेमोलहजे में यही कहा, उनके विरोध में प्रदर्शन हुए थे। उनका भली भाँती स्वागत किया गया और उसने भी उनका समुचित स्वागत किया···

श्री समर मुखर्जी : दार्जिलिंग में।

श्री चित्त बसु : जी हाँ, दार्जिलिंग में।

यह बिल्कुल स्पष्ट मामला है अब नेपाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता देन और इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करने का ऐसा मामला है जिसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : ऐसा बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था।

श्री चित्त बसु : जी हाँ, इसे बहुत ही पहले शामिल कर लिया जाना चाहिए था ? इस सरकार को इस प्रक्रिया में और विलंब नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे उद्धारण दूंगा कि इस मान्यता के अभाव में नेपाली भाषी लोगों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। नेपाली बोलने वाले लोगों को केवल इस लिए विदेशी समझा जाता है कि वे जो भाषा बोलते है अष्टम अनुसूची में उसका नाम नहीं है। उन्हें मतदाता नहीं माना जाता। आप उन्हें नेपाली भाषी नागरिक कहें या नेपाली भाषी भारतीय, कुछ भी कह लें, यह बात नेपाली भाषी लोगों, और नेपाली मतदाताओं की संख्या की तुलना से स्पष्ट हो जाएगी। जनगणना के प्रयोजनार्थ वे नेपाली भाषा को अपनी मातृ भाषा नहीं कह सकते हैं। संघ सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि जिला या तालुक स्तर के सरकारी कार्य के लिए अष्ठम अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से ही कोई भाषा सरकारी भाषा हो सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 347 का उलंघन है। मैं इसे पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी क्षेत्र की राजभाषा, जहाँ अधिसंख्यक लोग एक विशेष भाषा बोलते हों, राज्य की घोषित राजभाषा से अलग हो सकती है, किसी राज्य में एक से अधिक राजभाषाएं भी हो सकती हैं।

सरकार द्वारा यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि अष्टम अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाएं ही माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम होगी। इससे नेपाली-भाषी लोग माध्यमिक और उच्च कक्षाओं में अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि भाषायी अल्प संख्यकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में कुछ गारंटियाँ दी गई हैं। यदि आप चाहें तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना सकता हूँ। केवल इसी कारण कि नेपाली भाषा अष्टम अनुसूची में नहीं हैं, नेपाली भाषी लोगों को इस मूल अधिकार से या संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दी गई गारटी से वंचित किया गया है।

अतः मैं इस सभा के सभी वर्गों से सभा के सभी सदस्यों से पुरजोर अपील करता हूँ कि वे दलगत विचारधारा से ऊपर उठें और देश की नेपाली भाषी जनता की आशाओं और आकाक्षाओं को पूरा करने के लिए इस विधेयक का समर्थन करें। इससे भावनात्मक एकता, जिस की इस समय बहुत आवश्यकता है, पैदा करने में भारी सहायता मिलेगी। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः सभा के सभी सदस्यों, सभी वर्गों से अपील करता हूँ, कि वे नेपाली भाषी लोगों के लिए मेरी इस काफी समय से चली आ रही माँग का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है—प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री आनन्द पाठक :

श्री मूलचन्द डांगा : (पाली) मैंने एक संशोधन की सूचना दी है। मैं उसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री मूलचन्द डांगा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि विधेयक को, 31 अक्तूबर 1980 तक, उस पर विचार जानने के लिए पारिचालित किया जाए"। मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं। श्री आनन्द पाठक।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और संविधान को अष्टम अनुसूची में संशोधन करने संबंधी विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूं कि इस सभा के सभी वर्ग के लाखों नेपाली-भाषी भारतीय लोगों की जायज और लोकतांत्रिक मांग का समर्थन करेंगे।

सबसे पहले मैं यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि नेपाली भाषा कोई विदेशी भाषा नहीं है, जैसा कि सत्ताधारी दल के नेता समय-समय पर कहते आए हैं। मेरे विचार से श्री चित्त बसु ने नेपाली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए बहुत से कारण बताए हैं, अतः मैं इस विषय पर और कुछ नहीं कहूँगा। परन्तु मैं यह अवश्य कहूँगा कि नेपाली भाषा उतनी ही भारतीय भाषा है, जितनी कि हिन्दी, बंगाली, पंजाबी, तामिल, मलयालम या अन्य कोई भारतीय भाषा है।

भाषाओं का इतिहास देखने से स्पष्ट हो जाता है कि नेपाली भाषा का मूल भारतीय-आर्य भाषा है। आधुनिक नेपाली भाषा का उद्भव खास प्राकृत" से हुआ है, जिसे राजपूत वंश के गोरखा राजाओं के नाम पर गोरखाली कहा जाता है। संस्कृत का ज्ञान रखने वाले भारतीय ब्राह्मण नेपाल के राजपूतों' स्थानीय मंगरों, गुरंग और नेपाल की 'खास' जाति से मिल गए, जिसके परिणामस्वरूप 'गोरखाली' या पर्वतीया' भाषा का आविर्भाव हुआ।

इसे 'नेपाली' नाम भारत में रहने वाले नेपाली नागरिकों ने ब्रिटिश शासनकाल में दिया और इस बात को सही सिद्ध करने के लिए कई ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसे 'नेपाली' इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यह नेपाल में बनी है। ऐसी बात नहीं है। नेपाली नाम भारतीय नागरिकों द्वारा दिया गया था इसे प्रमाणित करने के लिए कई ऐतिहासिक दास्तावेज मौजूद हैं।

विलियम कारे की अध्यक्षता में 1816 में गठित एक आयोग द्वारा दिए गए भारतीय भाषाओं के भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार नेपाली 33 भारतीय भाषाओं में से एक है।

सन् 1820 में प्रो. आयटन ने नेपाली भाषा का व्याकरण' लिखा जो नेपाली का प्रथम व्याकरण हैं और फोर्ट विलयम कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया।

प्रो. आयटन के बाद ले. टर्नबुल ने 1887 में नेपाली का दूसरा व्याकरण लिखा जो भारत में प्रकाशित हुआ।

भारतीय भाषाओं के सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषाविद् सर जार्ज ग्रियर्सन ने 1916 में प्रकाशित अपने "लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया" में भी नेपाली को यथोचित स्थान दिया है।

डा. सुनीति कुमार चटर्जी ने भी नेपाली को भारतीय भाषाओं में से एक भाषा माना है और 1963 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर आफ इण्डिया' में नेपाली को प्रमुख भारतीय भाषाओं में से एक मानने की पुरजोर मांग की है। मैं इन ऐतिहासिक तथ्यों के विस्तार में नहीं आऊंगा क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा।

अतः 1777 से लेकर अब तक के सर्वेक्षणों से यह साबित हो गया है कि नेपाली एक भारतीय भाषा है और इसे इसका यथोचित स्थान व मान्यता मिलनी चाहिए तथा इसे भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, नेपाली के पास संबद्ध साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर है। देश के विभिन्न भागों से हजारों की तादाद में नेपाली भाषा में इतिहास, साहित्य, उपन्यास, कहानियां और अनुवाद की पुस्तकें प्रकाशित हुई है। भारतीय साहित्य एकादमी ने इसे मान्यता दे दी है और पश्चिम बंगाल की वाम-पंथी सरकार ने नेपाली भाषा के संवर्द्धन के लिये एक नेपाली साहित्य एकादमी स्थापित की है।

इसी प्रकार उत्तरी-बंगाल, कलकत्ता, पटना, वाराणसी, गोहाटी और अन्य विश्वविद्यालयों ने भी डिग्री और आनर्स पाठ्य क्रमों में नेपाली को स्थान दिया है। इसी प्रकार आकाशवाणी दिल्ली, कुर्सीयोंग, शिलांग, गोहाटी, और अन्य क्षेत्रों से नेपाली में प्रसारण करता है। वास्तविकता तो यह है कि नेपाली भाषा हिमालय प्रदेश के 2 करोड़ से भी अधिक लोगों की भाषा है। यह हिन्दी, बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं जैसी ही है।

मैं एक बार कहना चाहता हूं। अष्टम अनुसूची का क्या प्रयोजन है।

संविधान के अनुच्छेद 351, जिसके द्वारा अष्टम अनुसूची विनियमित होती है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वे भारतीय भाषाएँ जिनसे संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी अपनी समृद्धि के लिए शब्द, उनके प्रयोग और रूप यहां तक की शब्दावली, ले सकें, अष्टम अनुसूची में शामिल की जानी चाहिए। अनुसूचित भाषाएँ वही होनी चाहिए जो हिन्दी के संघ की राजभाषा बनने और इसे सम्पूर्ण गणतंत्र में इसे स्वीकार्य कराने में सहायक हो सकें।

जैसे हिन्दी देवनागरि में लिखी जाती है नेपाली भाषी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि अन्ततः हिन्दी को इस देश की राजभाषा का स्थान लेना है, तो मैं कहूंगा कि नेपाली भाषा इसमें किसी भी अन्य भारतीय भाषा से अधिक सहायक सिद्ध होगी।

रक्षा सेवाओं में भी नेपाली भाषा का प्रमुख स्थान है। कई दुर्गम स्थानों में नेपाली भाषी जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। 1955 और 1971 में जब लड़ाई चल रही थी, नेपाली लोग ही सीमा पर देश की रक्षा कर रहे थे। नेपाली भाषी लोगों के देश को स्वतंत्रता के लिए काफी बलिदान किया है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ मरने वालों में मेजर दुर्गा मुल्ला, कैप्टन दलबीर बहादुर थापा आदि बहुत से नेपाली। परन्तु स्वतंत्र भारत में इस भाषा को यथोचित स्थान नहीं दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री समर मुखर्जी, श्री रतनलाल ब्राह्मण और अनेक अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने दोनों सदनों में इस मांग को बार-बार उठाया था। श्री रतनलाल ब्राह्मण नेपाली भाषा में शपथ लेना चाहते थे परन्तु उन्हें अपनी भाषा में शपथ लेने से मना कर दिया गया क्योंकि इस भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। उस समय काफी शोर-शराबा हुआ था। विरोधी दल के 74 ससंद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया जिसमें नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। परन्तु इसके बावजूद भी नेपाली भाषा को अभी तक भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके सवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। यह बहुत ही खेदजनक है कि स्वतन्त्रता के 32 वर्ष के बाद भी उतरोत्तर केन्द्री सरकारों द्वारा इसे विदेशी भाषा बताने का प्रयास किया गया और अब भी वे ब्रिटिश सरकार की उसी नीति का पालन कर रही हैं। वे अंग्रेजों की फूट

डालों और राज करो की नीति का अनुसरण कर रही हैं। इसी कारण नेपाली भाषा को अन्य भाषाओं की तरह संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में स्थान नहीं मिल पाया। इसलिए हमें यह माँग बार-बार उठानी पड़ रही है।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की इस भाषा के साथ अब तक किए गए अन्याय को दूर करने की दृष्टि से इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए ताकि भारत के नेपाली भाषी नागरिकों में भारतीय नागरिक होने की भावना उत्पन्न हो सके तथा राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि विभिन्न भाषाओं को मान्यता न देने से लोगों में निर शा बढ़ी है और इस निराशा से अलगाव की भावना उत्पन्न होगी हाल ही में यह देखने में आया है कि लोगों में साहित्य बांटा जा रहा है जिसमें अलग गोरखा प्रदेश का प्रचार किया जा रहा है उनकी भाषा को स्वीकृत प्रदान न करने के कारण ऐसा हुआ है। सरकार की इस नीति के कारण अलगाव तथा देश को खण्डित करने की भावना पनप रही है। इस नीति को बदलने तथा अल्प संख्यकों की भाषाओं को स्वीकार करके संविधान की आठवीं अनुसूचि में शामिल करने का यह उचित समय है। मैं आशा करता हूँ की दूसरी ओर के माननीय सदस्य भी इस विधेयक को अपना समर्थन देंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री पी. एम. सुब्बा (सिक्किम) : समापति महोदय, मैं नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन करता हूँ। वास्तव में नेपाली भाषा का प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ है। यह भी भारतीय भाषाओं का अभिन्न अङ्ग है क्योंकि नेपाली में भी हम अ, आ, इ, ई, उ, ऊ कहते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से ह्रस्व इ दीर्घ इ नहीं बल्कि इ, ई कहते हैं। यह वास्तव में हिन्दी का एक भाग है। अतः हम इसे विदेशी भाषा नहीं कह सकते इसके अतिरिक्त गोरखाली का नाम राजा के नाम पर रखा गया है और वे राजा राजपूत थे जो भारत से नेपाल चले गये थे और यह नेपाली भाषा हिन्दी, संस्कत तथा अन्य स्थानीय भाषाओं का मिश्रण है। अतः इसी कारण इसे सभी मायनों में नेपाली' कहा जाता है। अन्यथा यह पहाड़िया भाषा है। पहाड़िया का मतलब है जो पहाड़ों में रहते हैं। अतः इन सब बातों से यह साबित होता है कि यह एक भारतीय भाषा है। पश्चिमी बगाल, सिक्किम, असम, देहरादून आदि में बहुत बड़ी संख्या में नेपाली बोलते हैं। अतः यदि इन भाषाओं को राजनैतिक रंग न दिया जाए तो मेरे विचार में हमारी राष्ट्रीय एकता भविष्य में और भी अधिक सुदृढ़ होगी यदि आंग्ल भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं तो हम उन्हें विदेशी नहीं कहते। नेपालियों के साथ भी ऐसी ही बात है। महोदय. यदि उन्हें अन्य भारतीयों जैसा दर्जा दिया जाए और उनकी भाषा को आठवीं अनुसूचि में शामिल कर लिया जाए वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगे सिक्किम पश्चिम बंगाल में नेपाली को सरकारी काम-काज की भाषा घोषित किया गया है तथा भारत में 10 से भी अधिक विश्व विद्यालयों ने इसे स्नातक स्तर तक मान्यता प्रदान की है। उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय ने इस भाषा को स्नांतकोत्तर स्तर तक मान्यता प्रदान की है। यह बात सही है कि इतनी अधिक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से कठिनाइयां आयेंगी परन्तु नेपाली और मैथिली (जो केवल स्थानीय बोली ही नहीं बल्कि जिनका साहित्य भी बहुत समृद्ध है) जैसी भाषाओं

के मामले पर सरकार को विशेष रूप से विचार करना चाहिए विशेष रूप से इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूँ।

उपाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही सफाई के साथ, तथ्यों के साथ और पुरजोर शब्दों में कहा है कि नेपाली भाषा भारतीय भाषाओं में एक है, इसलिए उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए और इस प्रकार उसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला है।

यह बात भी यहाँ पर बताई गई कि नेपाली भाषा का साहित्य क्या है।

श्री मूलचन्द डागा : आप नेपाली में बोलिए।

श्री रामावतार शास्त्री : केवल समझने का फर्क है।

श्री मूलचन्द डागा : आप बिहार से आ रहे हैं। क्या बिहार के अन्दर नेपाली भाषा को आपने मान लिया है ?

श्री रामावतार शास्त्री : हाँ-हाँ, मान लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : एसेम्बली में बोलते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : डागा जी, आप बैठिए। लगता है नेपाली आपकी समझ में नहीं आती।

मैं यह कह रहा था कि इसका साहित्य बहुत ही विकसित है, इसकी भूमिका हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई है। आपको मालूम नहीं है, शायद आप राष्ट्रीय आन्दोलनों के दिनों में उन लोगों के साथ काम नहीं कर सके हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन-कौन लोग उस समय थे।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि सब दृष्टिकोणों से नेपाली भाषा को सम्मानपूर्ण स्थान हमारे देश में मिलना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि श्री डागा बैठ जाएं तो आप दो मिनट के लिए नेपाली भाषा में बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : वे केवल एक ही वाक्य बोल दें। मैं यह वाक्य सुनना चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : सब मेम्बरों को सब भाषयें आयें, यह जरूरी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता था कि आप नेपाली भाषा की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप नेपाली में भी बोल सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं बहुत सी बातें नेपाली में पढ़ और लिख सकता हूँ क्योंकि नेपाली की लिपि देवनागरी लिपि है।

मैं यह कह रहा था कि हमारे संविधान में अभी तक 15 भाषाओं को शामिल किया गया है। मैं माननीय सदस्यों की याददाश्त को ठीक करने के लिए या दुरुस्त करने के लिए उनके नाम बतला दूं। असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नडी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया पंजाबी, संस्कृत, सिन्धी, तमिल, तेलगु, उर्दू इतनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया

गया है। इस समय हम लोग आप से निवेदन कर रहे हैं कि 16वें नम्बर पर आप नेपाली को शामिल कर लीजिए और उसके बाद—हमारे माननीय सदस्य चित्त बसु जी ने ठीक ही कहा है—दरवाजा बन्द मत कीजिए, दरवाजे को आगे के लिए भी खुला रखिये, क्यों हमारा जनतन्त्र अभी विकसित हो रहा है। विकसित होते हुए जनतन्त्र में...

श्री रामअवतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय सदन का कोरम पूरा नहीं है इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का कोरम पूरा है। माननीय सदस्य आगे बोलें।

श्री रामावतार शास्त्री : इन भाषाओं में नेपाली को शामिल करने के बाद भी इसका दरवाजा खुला रखिये ताकि हमारे देश में जो और भाषायें विकसित हो रही हैं, हो सकता है हमारे और आप के जाने के बाद जो दूसरे लोग यहाँ आयेंगे कुछ अन्य भाषाओं के विकसित हो जाने के बाद उनके शामिल करने की मांग करें। हमारे देश की यह शान है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषायें हैं, विभिन्न प्रकार की पोशाकें हैं विभिन्न प्रकार के आचार-विचार हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है ऐसी स्थिति में भी हम सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं। अगर हम कूपमण्डूक नीति को अपनाने की कोशिश करेंगे, इस रेखा से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तो हमारे देश का जनतन्त्र कुंठित हो जायेगा, विकसित नहीं हो सकेगा। इस लिए जब हमने इतनी भाषाओं को सम्मान पूर्वक अपनाया है तो नेपाली को भी सम्मान पूर्वक अपनाना चाहिए।

अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि दो करोड़ लोग इस भाषा के बोलने वाले हमारे देश में बसते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : यह फिगर कहाँ से लाये हैं ;

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आप को बतलाता हूँ 8 से 10 लाख लोग तो केवल पश्चिमी बंगाल में हैं। डागा साहब तो वकील हैं, तब भी इस तरह की बात कहते हैं। पश्चिमी बंगाल के अलावा असम, पूर्वांचल के जितने राज्य हैं और खुद मेरे अपने राज्य बिहार में कई लाख लोग हैं। आप लोग जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई यहाँ बैठे हैं, वे भी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी नेपाली बोलने वालों की काफी बड़ी संख्या है। पंजाब में भी काफी नेपाली लोग हैं, हिन्दुस्तान के हर सूबे में हैं, जो हाथ में डण्डा लेकर आप के तमाम सरकारी और अर्ध-सरकारी कारखानों में पहरा देते हैं। बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी तिजारियों की रक्षा करने के लिए किन से काम लेते हैं-ये सब नेपाली लोग हैं। नेपाली पूरे हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं। मैं डागा साहब से कहूँगा कि उनकी अब सरकार है और श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री हैं अब जो मरदुमशुमारी, जन-गणना होगी, उससे पता चल जाएगा कि ये लोग यहां पर एक करोड़ हैं या दो करोड़ हैं या कुछ नहीं हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इसका उन्हें पता लगाना चाहिए लेकिन जो भी उनकी संख्या हो, वे हमारे देश में रहते हैं और हमारे भाई हैं। आसाम में जो पृथकतावादी आन्दोलन चलाने वाले हैं, हम उनके समर्थक नहीं हैं। कुछ उनके समर्थक हैं जो यह कहते हैं कि गोरखाली या नेपाली विदेशी भाषा है। तो ऐसे लोगों के हथकंडों में आप न आइए। नहीं तो हमारे देश की एकता भंग हो सकती है। हमारे देश में वे बसे हुए हैं और हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में, हमारे उन दिनों के राष्ट्रीय आन्दोलन में उन लोगों ने काम किया है। डा० विश्वेश्वर प्रसाद, श्री मातृकी प्रसाद कोइराला और श्री दिल्ली रमन रेग्मी आदि लोग

थे जिन्होंने पटना में रहकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था और मेरा यह सौभाग्य है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दिनों में और समाजवादी आन्दोलन के दिनों में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी और श्री जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० सम्पूर्णानन्द, श्री श्री प्रकाशजी और श्री अशोक मेहता आदि नेता उस समय के राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल थे और जिस समय समाजवादी आन्दोलन की नींव डाली गई थी, तो वह 1934 में पटना में डाली गयी थी और उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था। उस वक्त मैं एक छोटा बच्चा था लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में, हमारे देश के समाजवादी आन्दोलन में, जैसाकि मैंने ऊपर कहा है, इन लोगों का भी योगदान रहा है। अगर इस चीज को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आपको जरूर यह लगता होगा कि नेपाली भाषा एक विदेशी भाषा है और यह हमारे देश की भाषा नहीं है और इसको हमारे संविधान में उचित स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इन तमाम बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे जो दूसरे माननीय सदस्य हैं, वे या तो पुरानी बातों को जानते नहीं हैं और अगर जानते हैं, तो उससे अनभिज्ञ बनना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों का योगदान हमारे देश के डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक और आजादी के आन्दोलन तथा समाजवादी आन्दोलन के साथ बहुत ही गहरा है और वे सारे के सारे लोग नेपाल से आकर हमारे इस आन्दोलन में भाग लेते रहे हैं। इसके साथ ही साथ नेपाल में जनतान्त्रिक प्रणाली कायम हो वहाँ पर राजतन्त्र समाप्त हो, इसके लिए जो वे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम दोनों मिलकर लड़ें। स्वातन्त्रता संग्राम की लडाई में जो उन लोगों ने हिस्सा लिया, उसकी जानकारी अगर ये हासिल करना चाहते हैं तो ये इन्डियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास को पढ़ें। तब इनको मालूम होगा कि हमारा और नेपाली भाषा जानने वाले लोगों का क्या सम्बन्ध रहा है लेकिन इस बात को भी अगर आप नहीं मानते हैं, तो यह तो मानियेगा कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हमारे देश में हैं और वे लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। हम जनतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो यह जनता की भाषा में ही फल-फूल सकता है। अंग्रेजी बोलकर हमारे देश में जनतन्त्र नहीं फल-फूल सकता। इस भाषा का कहीं भी हिन्दी में विरोध नहीं हैं। हिन्दी सारी स्वीकृत राज-भाषा है। इसलिए हमें थोड़ा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए ताकि हिन्दी एक सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो। अगर उसका कोई विरोध करे तो आप उसके बारे में अवश्य कह सकते हैं लेकिन सविधान की आठवीं शेड्यूल में जो तमाम की तमाम भाषायें हैं, उन भाषाओं के बोलने वाले लोग हिन्दी को सम्पर्क भाषा, लिंक लेंगुएज मानते हैं और हमारा जो राज-भाषा अधिनियम 1953 का है, उससे उनका विरोध नहीं है। तो फिर आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तमाम भाषाओं की एकता स्थापित कीजिए। जब आप इस देश की सारी जनता की एकता को स्थापित करेंगे तो हमारा जनतन्त्र आगे बढ़ेगा और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं शेडयूल में शामिल करने से न केवल हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि उसमें और चार चांद लग जायेंगे और लोग यह समझेंगे कि नेपाली भाषाभाषी भी हमारे पार्ट एण्ड पार्सल हैं, हमारा एक अंग हैं। रोम रोम में हम व्याप्त हैं। नेपाली बोलने वाले भी हिन्दुस्तान के ही हैं। इसलिए इस भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर किन्हीं के दिल में यह है तो उसे छोड़ देना चाहिए।

इसलिए मैं कहता हूँ कि नेपाली भाषा को भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वैसे बहुत सारे सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि इसको संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करना जनतंत्र के हित में होगा, हमारे देश की एकता के हित में होगा और आगे आने वाली पीढ़ी के हित में होगा। इसलिए नेपाली भाषा को आप आठवीं अनुसूची में शामिल करें और इस अनुसूची का दरवाजा खुला रखें ताकि हमारे देश में और जो भाषाएं विकसित हों उन्हें भी इन भाषाओं के परिवार में शामिल करने की आवश्यकता हो।

कुछ पुरानी गलती हो गई। कुछ हमारे हिन्दी मनीषियों ने भी गलती की जिसके कारण आज हमें यह भुगतना पड़ा है कि कहीं-कहीं हिन्दी के खिलाफ आवाज उठ जाती है। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ कि हिन्दी लादी जा रही है। हिन्दी लादी नहीं जा रही है, न लादी जानी चाहिए। यह तो चाहने से आगे बढ़ेगी। कहीं-कहीं हमारी आवाज उठती है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा है। नहीं, 15 हमारी राष्ट्र भाषाएं हैं। इन तमाम की तमाम 15 भाषाओं को समानता के आधार पर विकसित किया जाए। यह नहीं हो कि कोई पीछे रहे, कोई आगे रहे, कोई छोटी हो, कोई बड़ी हो। छोटे और बड़े भाई हो सकते हैं लेकिन हमारे संविधान में सब के अधिकार समान हैं। अगर हम सब का बराबर का अधिकार मान कर चलेंगे और इन तमाम को राष्ट्र भाषाएं मानेंगे तो कहीं किसी भाषा का विरोध नहीं होगा। मैं तो इस तरह की कमेटियों में काम कर रहा हूँ जो इस काम को देखती हैं। मुझे मालूम है कि दिल से लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि हम उनको ठीक से बताएं कि 1963 की राजभाषा अधिनियम क्या है। वे इसको जानते नहीं हैं। इसलिए हिन्दी वालों पर बहुत बड़ा दायित्व है। हम सबसे ज्यादा हिन्दी बोलने वाले लोग हैं। अगर हम अपने दायित्व को नहीं समझेंगे और हिन्दी, हिन्दी का नारा लगाते रहेंगे तो इससे हिन्दी का अहित होगा, हमारे देश की एकता टूटेगी और हम इस भाषा को विकसित नहीं कर पाएंगे। अगर हम भाई-भाई की तरह नहीं चलेंगे तो इस भाषा को विकसित नहीं कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के इस विधेयक को स्वीकार करें। जब हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री रतनलाल ब्राह्मण ने इस मांग को प्रस्तुत किया था तो उस पर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी दस्तखत किये थे। हम इस मांग का पूरा-पूरा समर्थन करते हैं। यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। इसको अब मान लिया जाना चाहिए। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे चित्त बसु जैसे सदस्यों को फिर से एक ऐसा बिल न लाना पड़े। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि इसको अब मान लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल चन्द डागा जी आप विधेयक पर बोलते समय अपने संशोधन के बारे में बोल सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं पहले ही यह प्रस्ताव रख चुका हूँ कि :—

"31 अक्तूबर, 1980 तक सदस्यों के विचार जानने के लिए इस विधेयक को परिचालित कर दिया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस नाजुक स्थिति से देश गुजर रहा है, उसमें हमारे माननीय सदस्य अपने गले की पूरे जोर की आवाज के साथ इस मांग को रख रहे हैं। जब हमारे अगुमेंट में दम नहीं होता है तो हम अपने गले से इतने जोर की आवाज करते हैं और इतने जोर से बोलते हैं। इस प्रकार की आवाज सदन में उस समय उठ रही है जब कि देश में महंगाई का प्रश्न है, ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है। जहां देश में इस प्रकार की बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं वहां हमारे माननीय सदस्य यह प्रस्ताव, यह बिल लाए हैं। अगर इसको मान लिया जाता है तो कल को राजस्थान के लोग खड़े होंगे कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी आठवें शेड्यूल में शामिल किया जाए। कल लोग मैथिली भाषा के लिए खड़े होंगे कि इसे भी शामिल कर लिया जाए दूसरी कोकनी के लिए भी खड़े होगे कि इस भाषा को भी शामिल कर लिया जाए। जितने भी माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है उन में किसी ने भी नेपाली भाषा का न तो अध्ययन किया है और न ही इस भाषा में वह बोला और न ही नेपाली भाषा के किसी राइटर का किसी बुक को उसने कोट किया है। पार्लिमेंट की लाइब्रेरी में भी जहां और बहुत से समाचार पत्र देखने को मिल जाते हैं नेपाली भाषा का कोई समाचारपत्र मैंने नहीं देखा है और न पार्लिमेंट के सदस्य शायद उस भाषा के समाचारपत्र को पढ़ने में रुचि रखते हैं। इस बिल के आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंज में यह कहा गया है कि दो तीन करोड़ नेपाली स्पीकिंग लोग हिन्दुस्तान में हैं। मैं आपको जनगणना के आंकड़े देना चाहता हूँ। 1950 में उनकी संख्या 4 लाख 22 हजार थी, 1961 में 10 लाख 21 हजार और 1971 में 12 लाख 87 हजार। बंगाल को ही आप लें। वहां एक प्रतिशत लोग भी नेपाली भाषा नहीं बोलते हैं। सिक्किम की दो लाख ही आबादी है। वहां केवल 1 लाख 28 हजार लोग ही इस भाषा को जानते हैं। आपने दो तीन करोड़ की बात कही है। यदि आप सैंसस फिगर्ज से मुझे यह आंकड़ा निकाल कर दिखा दें तो मैं आपकी बात को मान लूंगा।

हमारे चित्त बसु जी को नेपाली से प्रेम है। हमारे शास्त्री जी भी काफी विद्वान हैं। सभी भाषाओं के वह पारंगत हैं। अभी डा० साहब का बिल भी आएगा। मैं चाहता हूँ कि शास्त्री जी रिसर्च करें नेपाली भाषा पर और फिर किताब लिखें। आज मैं चाहता था कि कोई माननीय सदस्य नेपाली में यहां भाषण करता—

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : अभी भी मैं बोल सकता हूँ यदि सभापति महोदय मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री मूलचन्द डागा : 1950 में यह संविधान बना था और हमने हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जैसे रामावतार शास्त्री जी कह रहे थे आज भी हम लोग हिन्दी में बात करने में, हिन्दी में बोलने में उतना गौरवान्वित अपने को नहीं मानते हैं जितना अंग्रेजी में बोलने और बात करने पर मानते हैं। हम 68 करोड़ के प्रतिनिधि राष्ट्र भाषा हिन्दी में बोलने और बात करने में गौरव का अनुभव नहीं करते हैं और एक विदेशी भाषा में बोलने और बात करने में करते हैं। मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहनी पड़ गई है।

एक बार इसी सदन में यह सवाल आया था कि राजस्थानी को आठवे शैड्यूल में स्थान दिया जाए। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने इसका विरोध किया था और इसलिए किया

था कि राजस्थान में कई जगह तो मारवाड़ी बोली जाती है, कई जगह मेवाड़ी बोली जाती है और कई जगह कोई दूसरी भाषायें बोली जाती हैं । अलग-अलग भाषाएं वहां बोली जाती हैं। जब वहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे तो जो भाषाएं उनको पसन्द हुआ करती थीं उनमें वे बड़े अच्छे-अच्छे ग्रन्थ लिखवा दिया करते थे। आज राजस्थान का रहने वाला विद्यार्थी हिन्दुस्तान में न तो हिन्दी ही ठीक बोल सकता है और न अंग्रेजी पर ही उसका कमांड है। सिनेमा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हिन्दुस्तान में हिन्दी कई लोग जानते हैं। आज आप नेपाली की बात करते हैं, आप यह दावा करते हैं कि इन भाषाओं की रिसर्च हो, इन भाषाओं में नई जान फूंकी जाये ? आर्टिकल 29 और 30 इस बात पर सेफगार्ड करते हैं और आप खुद जानते हैं। आर्टिकल 29 में है कि—

भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में साफ है कि हम यह नहीं चाहते कि उस भाषा को न रखा जाये। आर्टिकल 30 कहता है कि : धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

मैं एक बात जानना चाहता था कि जो माननीय सदस्य यहाँ बड़ी हिम्मत के साथ बोल रहे थे, क्या वह अपने बच्चों को या अपने परिवार के लोगों को नेपाली स्कूलों में भेजकर नेपाली की ट्रेनिंग दिलवायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : हम भेजते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हाँ, आप एक ही हैं।

यहाँ पर इन भाषाओं का जो पैंडोराज बाक्स खोला गया है, मैं चाहता था कि केन्द्रीय सरकार को इस बात पर निर्णय ले। हमारे यहाँ मणिपुरी भाषा है, बड़ी रिच लैंगुएज है, अखबारों में निकलता है, मैं तो मणिपुरी जानता नहीं। इसी तरह से हिमाचली है।

अभी हमारे डा० कर्णसिंह जी भी एक बिल डोगरी भाषा का लेकर आए हैं। इसी तरह से कितनी ही भाषाएं हैं, मैथिली है, मगधी है, भोजपुरी है, भगवान जाने कितनी भाषाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार केन्द्रीय सरकार इस तरह का बिल लाए।

श्री रामवतार शास्त्री : केन्द्रीय यूनियन में 100 भाषाएं हैं, सब मिलकर चल रही हैं।

···(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दुस्तान की एकता और राष्ट्रीयता की दृष्टि से मैं चाहता हूं कि इन सारी भाषाओं का विकास हो, उनका अध्ययन हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन भाषाओं के जानने वाले लोग हिन्दुस्तान के अन्दर गिने-चुने ही रहें। अभी हमारे डा० कर्णसिंह साहब अपना प्रस्ताव रखेंगे, वह भी अंग्रेजी में ही रखेंगे या हिन्दी भाषा में रखेंगे क्यों रखेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें तो जनता के ऊपर यह बात कायम करनी है कि उन्होंने डोगरी भाषा के लिए अपनी बात उठाई है। आज डोगरी भाषा में अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जामिनेशन होने लगे हैं तो क्या आप समझते हैं कि उस भाषा का विकास इण्डियन नेशलन लैंगुएज हिन्दी के बराबर हो जायेगा या उन लोगों को अगर आपने स्कूलों में डिगरी भाषा की एजूकेशन देनी शुरू कर दी तो उन विद्यार्थियों में कुछ दिन के बाद डोगरी, राजस्थानी और नेपाली में बोलने

की आदत हो जायेगी, और इस कारण उनके हिन्दुस्तान के मेनस्ट्रीम, मुख्य धारा, में शामिल होने में कठिनाई होगी। माननीय सदस्य, श्री चित्त वसु, एक पैंडोराज बाक्स खोलना चाहते हैं। वह यह प्रस्ताव लाकर नेपाली-भाषी मतदाताओं को खुश करना चाहते हैं कि मैंने तो बड़े जोर से आवाज उठाई कि नेपाली को आठवें शिड्यूल में शामिल कर लिया जाये, लेकिन क्या करें, कांग्रेस सरकार ने नहीं माना। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह इस बारे में एक दफा और विचार कर लें कि हिन्दी को रिच और मजबूत बनाने के लिए देश की किन भाषाओं को आठवें शिड्यूल में रखना है। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि नेपाली एक सिस्टर लैंग्वेज है, हिन्दी तथा नेपाली की लिपि एक ही है। मेरा कहना यह है कि हिन्दी भाषा को मजबूत किया जाये। जिसने रिचर्स करनी है, साहित्य पढ़ना है, वह दूसरी भाषाओं का अध्यन करे। श्री चित्त वसु को पढ़ने का शौक है वह इस बारे में किताब लिखें, जिनको पढ़ कर लोग कहेंगे कि हिन्दुस्तान की धरती पर ऐसे स्कालर पैदा हुए हैं जो इतनी भाषाओं को जानते हैं।

आठवे शिड्यूल को बहुत लम्बा बना दिया जायेगा, तो हिन्दुस्तान जिन हालत में से गुजर रहा है, उनमें कितनी कठिनाइयाँ पैदा होंगी, आप इसका अन्दाजा लगाये। राजस्थान में एसेम्बली की भाषा हिन्दी है। वहां कोई राजस्थानी में नहीं बोलता है। लेकिन वहाँ पर अवाज उठाई जाती है कि राजस्थानी को सरकारी भाषा बनाये जाये। स्कूलों में तालीम हिन्दी में दी जाती है। राजस्थानी में कोई पुस्तक नहीं लिखी हुई है और न कोई बच्चा राजस्थानी में पढ़ता है, लेकिन वाह वाही लेने के लिए राजस्थानी भाषा का नारा लगाया जाता हैं।

नेपाली और राजस्थानी आदि भाषाओं में जो अच्छे शब्द हैं, उन्हें राष्ट्रभाषा में सम्मिलित कर दिया जाये। ये भाषायें फले फूलें, विकसित हों। संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता है। लेकिन आजादी के तीस साल के बाद भी हम उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सारे देश की एक भाषा कायम नहीं कर सके हैं। हम लोग हिन्दी को थोपना नहीं चाहते हैं। लेकिन कई राज्यों में आज भी लोग ऐलान करते हैं, चुनावों में यह प्रोग्राम बनाया जाता है कि हम हिन्दी को बर्दास्त नहीं करेंगे। देश में एकता कायम करने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। दूसरी भाषाओं का भी पूरा विकास हो। अच्छा होता कि सरकार खुद एक काम्प्रिहेंसिब बिल को लेकर आती कि किन किन भाषाओं को आठवें शिड्यूल में रखना है अर्टिकल 347 में गया है : "तद्विषयक माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उस द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि उल्लिखित करे राजकीय अविज्ञा दी जाए।"

मैं कहता हूं कौन आपको इन अर्टिकिल्स में मना करता है ? मैं आज भी देख रहा हूं, पब्लिक स्कूल्स का क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज हमारे बच्चे हिन्दी के अन्दर ठोक बोलना नहीं जानते, इंग्लिश में बोलने में अपना गौरव समझते हैं। तो जिस हालत में देश गुजर रहा है उसमें आप छोटी छोटी समस्याओं को खड़ी कर देंगे तो उस से और कठिनाई ही बढ़ेगी। हम कहते हैं कि आप केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दीजिए या एक पार्लियामेंट की कमेटी बना लीजिए, उसमें बैठकर सोच लीजिए, कि आठवें शेड्यूल में और कौन कौन सी भाषा रखी जा सकती है।

मेरी समझ में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिये एक भाषा होनी चाहिए और

दूसरी भाषाएं उसकी ऐन्सिलरी के रूप में काम करें। उन भाषाओं के अन्दर जो अच्छे अच्छे शब्द और अच्छी अच्छी बातें हैं उनको लेकर काम किया जाय। उनका भी ध्यान रखा जाय अन्यथा उन क्षेत्रों के रहने वाले लोग पीछे रह जाएंगे और हमारे भारत के स्तर पर, देश के के स्तर पर उनकी आवाज आगे नहीं आयेगी। आज भी अंग्रेजी जानने वाले सारे सेक्रेटेरिएट को डामिनेट किए हुए हैं। हिन्दी जानने वाला आदमी सैक्रेटेरिएट में डामिनेट नहीं करता। दो सवाल हैं। आप नेपाली सिखाएंगे, या और भाषा सिखाएंगे, तो उन भाषाओं को जानने वाले विद्यार्थी न हिन्दी में ठीक बोल सकेंगे या काम कर सकेंगे न अंग्रेजी में काम कर सकेंगे। केवल डोगरी भाषा में बोलना शुरू कर देंगे और वह आवाज अलग निकलेगी। जो मुख्य आवाज है, जो मुख्य धारा है जिसमें हम बहना चाहते हैं उसमें वे नहीं वह सकेंगे। उनसे हम शब्द ले लें। लेकिन यह नहीं कि अलग अलग भाषाएं और अलग अलग सब चीजें हों। मुल्क में जितनी ज्यादा भाषायें रहेंगी उसका विकास, उसकी वृद्धि कितनी मुश्किल होगी? मैंने देखा है रेलवे के अन्दर जहां अंग्रेजी में नाम लिखे हुये थे, कुछ लोगों ने वह नाम मिटा दिए। कहीं हिन्दी में लिखे हुये थे लोगों ने उन बोर्डों को काला कर दिया। आज तो देश में ये बातें चलती हैं और उसमें आप नेपाली को कह रहे हैं कि मोरार जी ने यह कह दिया, मैं कहता हूं, मोरार जी ने कुछ भी कह दिया हो, बहुत गहराई के साथ चिन्तन करने की जरुरत है। आर्टिकिल 29 और 30 मौजूद हैं और उसमें हम अपनी भाषा का विकास कर सकते हैं। हम हिन्दुस्तान के अन्दर एक भाषा को, हिन्दी को मजबूत करने के लिए सारी ताकत लगायें। और जितनी भाषायें हैं उनके शब्दों को और साहित्य को ट्रांसलेट करके ले लें। यह करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैंने इस पर जनमत जानने का प्रस्ताव रखा है जनमत जाना जाय, पूछ लिया जाय हिन्दुस्तान के 68 करोड़ लोगों से कि इन भाषाओं के लिए शेड्यूल खोला जाय या नहीं?

आज कई नेपाली लोग दिल्ली में रहते हैं, और कई जगहों में रहते हैं, वे बिलकुल ठीक हिन्दी बोलते हैं, हिन्दी भाषा में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इस तरह से नई नई बात करके कुछ अपने वोटर्स को खुश करना चाहते हैं। कुछ छोटी-मोटी प्राप्ति या उपलब्धि के लिये ऐसा कर रहे हैं। नेपाली न तो आप जानते हैं, न रामावतार शास्त्री जानते हैं, न चित्त बसु ने कभी नेपाली का अध्यन किया होगा। लेकिन बिल उसके लिए आ गया है तो उसकी रिपोर्ट करना आपका काम है। मैं केवल बात कह कर समाप्त करूंगा कि इसको जनमत पर दिया जाय। आज नेपाली में कितनी पिक्चर आपने देखी है, कितनी पिक्चर्स नेपाली की विज्ञान भवन में दिखलाई गई हैं। आप हिन्दी के अन्दर आयें और हिन्दी को मजबूत करने के लिए काम करें, यही मेरा कहना है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया): उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के एक प्रभावशाली सदस्य श्री चित्त बसु फिर एक संविधान (संशोधन) विधेयक लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत की है और जिसका समर्थन डा. कर्णसिंह ने किया है और जो स्वयं भी डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये एक ऐसा ही विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं में डाक्टर कर्णसिंह की स्थिति को अच्छी तरह समझता हूँ क्योंकि वे दो भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। महारानी साहिबा नेपाली बोलती है तथा डा. कर्णसिंह डोगरी। इस

मामले में वे पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहते। इस मामले में निष्पक्ष है। इसी वजह से उन्होंने नेपाली और डोगरी दोनों ही भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन किया है

श्री समर मुखर्जी : (हावड़ा) यह मानवोचित प्रश्न है।

श्री पी. वेंकट सुब्बैया, हाँ, यह मानवोचित है। इस मामले में डाक्टर कर्णसिंह की प्रशंसा करता हूँ।

नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता पर बल देते हुए बहुत से सदस्यों ने ओजस्वी वकतव्य दिए हैं। नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की वकालत करते हुए श्री चित्त वसु ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनके बारे में सरकार का रवैया स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात उन्होंने कही है कि देश में 67 लाख व्यक्ति नेपाली भाषा बोलते हैं। इस संख्या के बारे में मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता परन्तु इसके लिए हमें कुछ आँकड़ों पर निर्भर करना पड़ता है। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में नेपाली बोलने वालों का संख्या 12.87 लाख (व्यवधान) है जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल में ही 6.85 लाख नेपाली भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं तथा बाकी सिकिकम में है सिकिकम राज्य ने नेपाली को सरकारी काम काज की भाषा घोषित कर दिया है पश्चिम बंगाल के भी तीन जिलों में नेपाली सरकारी काम काज की भाषा है।

महोदय, संविधान के अनुच्छेद 347 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किसी विशेष भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल न करने से इसके किसी विक्षेष राज्य में, विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सरकारी काम काम-काज की भाषा के रूप में प्रयोग करने पर रोक नहीं लगती। अब प्रश्न यह है कि आठवी अनुसूची में शामिल किए बगैर ही यदि ऐसी भाषाओं को राजभाषा घोषित किये बिना ही राज भाषा के समान सुविधाएं मिल रही हैं तो सदस्य इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

महोदय, मैं देश में विभिन्न भाषाओं की सहायता के लिए उठाए गए कदमों के बारे और इन भाषाओं की सांस्कृतिक परम्परा बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि इनके स्वतंत्र तथा उन्मुक्त रूप से विकास के लिए उठाये गये कदमों के बारे में उल्लेख करूंगा।

भयायी अल्प संख्यक आयोग ने भी अपने सातवें प्रतिवेदन में कहा था :

नेपाली की शिक्षा देने वाले स्कूलों की संख्या पिछले शाल के समान 66 रही। विद्यार्थियों की संख्या 19, 351 से वढ़कर 19,411 हो गई। नेपाली को भाषा के रूप में पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 249 से बढ़कर 351 हो गई। अध्यापकों की संख्या 558 से बढ़कर 561 हो गई।

इसी प्रतिवेदन में, नेपाली भाषा के प्रयोग के बारे में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है :

"पश्चिम बंगाल की राज भाषा बंगला हैं लेकिन दार्जिलिंग जिले की तीन पर्वतीय सब डिविजनों में अर्थात दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिमपोंग सरकारी कार्यों के लिए बगला के साथ-साथ नेपाली भाषा भी प्रयोग की जाती है।"

साहित्य अकादमी ने नेपाली भाषा को देश की एक महत्वपूर्ण भाषा के रुप में मान्यता दी है तथा इस अति समृद्ध भाषा के विकास के लिए यथा संभव सहायता देने के लिए निरन्तर प्रयास किये गये हैं।

मुझे ठीक-ठीक याद है श्री चित्त बसु ने यह कहा कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया तो इससे कुछ तनाव उत्पन्न होने की संभावना है और इससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। मैं यह सीधे स्पष्ट कहना चाहूंगा वर्ष 1973 में संसद में यह प्रश्न उठाया गया था। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने नेपाली के आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रश्न उठाया था। आपकी आज्ञा से मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि उस समय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि समस्या को अधिकाधिक बढ़ने देने के बजाए इसका बैठ कर हल निकाल लिया जाए और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं, 'यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं' शब्दो पर जोर देना चाहूँगा।

'जैसा कि सभा को मालूम है कोई भी समस्या साधारण समस्या नहीं होती। इसकी हमेशा विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं और इसलिए हमें देखना यह है कि इसकी अन्य संभाव्य प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं।'

उन्होंने भी यही कहा था। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि इससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। प्रधान मंत्री अथवा भारत सरकार की कभी भी दो भाषाओं में भेदभाव बरतने की मशा नहीं रही। हमारी एक मिली-जुली संस्कृति है। कशमीर से कन्या कुमारी तक हमारे बहु-भाषी देश में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अनेकता में एकता विद्यमान है। प्रत्येक भाषा और धर्म के बारे में हमें संयुक्त संस्कृति विरासत में मिली है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा से छोटी नहीं हैं। प्रत्येक भाषा का अपना समृद्ध इतिहास और संकृति है। बहुत से कवियों और विद्वानों ने पुस्तकें लिख कर अपने साहित्य को समृद्ध बनाया है।

यहाँ, समस्या का मूल प्रश्न है—जब सिक्किम और बंगाल में इसे राज भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो फिर इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर एक कदम और आगे क्यों न बढ़ा जाए? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मेघालय, नगालैंड और मिजोरम जैसे कुछेक राज्यों में अंग्रेजी भी राज भाषा है।

मणिपुर में मणिपुरी राज भाषा है। अंग्रेजी हमारी भारतीय भाषाओं का एक अनिवार्य अंग बन गई है। लेकिन हमारे संविधान—निर्माताओं ने कहा है कि आठवीं अनुसूची में केवल भारतीय भाषाओं को ही शामिल किया जाए। लेकिन बहुत से कारणों और परिस्थितियों वश अंग्रेजी भी हमारे देश की भाषा बन गई है।

श्री रामावतार शास्त्री : हमारे देश की केवल 2% जनता अंग्रेजी जानती है।

श्री पी. वेंकटसुब्बया : यहां कितनी प्रतिशत जनता जानती है, यह संगत नहीं है। वस्तुतः सिन्धी भाषा बहुत कम लोगों द्वारा बोली जाती है। शायद, हमारे मित्र श्री राम जेठमलानी सिन्धी जानते हों, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी भावनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से सिन्धी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल की गई है।

"पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा"

—एक पंक्ति है,

हमारे राष्ट्रीय गान में गाई जाती है, यद्यपि दुर्भाग्य से सिन्ध हमारे देश में नहीं है।

जैसाकि मैंने कहा है, विभिन्न भावनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से सिन्धी को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

श्री चित्त बसु : नेपाली को क्यों नहीं ?

श्री पी. वेंकट सुब्बया : मैं इसी पर आ रहा हूँ। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। समस्या के ऊपर से हल से हम भाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में संतोषजनक सम्मति पर नहीं पहुंच सकते।

हम अपने मित्रों को अन्य भाषाओं के शामिल किए जाने सम्बन्धी मांग करने से रोक नहीं सकते, और उस समय जब कि उन्हें राज भाषा मान लिया गया हो। सबसे अच्छा समाधान, जैसा कि हमारी प्रधान मंत्री ने बताया है, यही होगा कि मामले पर बातचीत और बैठकर निर्णय किया जाए।

हमारे समाज के विभिन्न वर्गों और भाषायी समूहों को विश्वास लेकर आठवीं अनुसूची में 'कुछ और भाषाए' शामिल कर, आठवीं अनुसूची का विस्तार करने के बारे में सर्वसम्मति से विचार किया जाए।

मैं माननीय सदस्य से केवल यही अपील करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए वह विधेयक वापिस ले लें जिससे कि सरकार को इस बारे में व्यापक दृष्टि से सोच विचार करने और सर्वसम्मति जाहिर करने में सहायता मिले तथा उचित समाधान निकाला जा सके। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का मैं निस्संदेह रूप से आदर करता हूँ।

जैसा कि श्री चित्त बसु ने कहा है, नेपाली एक सार्थक भाषा है। किसी अन्य भाषा से यह किसी भी तरह से दीन नहीं है।

प्रत्येक भाषा उतनी ही धनी और सार्थक है जितनी कि कोई अन्य भाषा। अतः, मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु से एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि वर्तमान संदर्भ में वह विधेयक को वापिस ले लें जिससे कि सरकार इस मामले पर गहराई से विचार कर सके और उचित समाधान निकाल सके। धन्यवाद।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया मैं आदरणीय मंत्री श्री वेंकटसुब्बया द्वारा इस वादविवाद में दिखाए गए उत्साह का भी उतना ही आभारी हूँ। मैं यह जानकर भी खुश हूँ कि उन्होंने उस भावना को समझा है, जिससे मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया था।

सबसे पहले मैं, नेपाली-भाषी जनता के प्रति श्रीमती गाँधी के रूख के बारे में कथित टिप्पणी को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैंने आल इण्डिया नेपाली भाषा समिति, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के एक ज्ञापन में से केवल वह भाग उद्धृत किया है, जहाँ उसमें कहा गया है।

"आल-इण्डिया नेपाली भाषा समिति के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से, नई दिल्ली में 15 अप्रैल, 1972 को मिला जिससे यह जाहिर हुआ कि नेपाली के आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के बारे में, सुरक्षा की दृष्टि से जाँच की जाने की आवश्यकता है।"

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी सामग्री है, जिसके आधार पर मैंने यह टिप्पणी की। मेरा विचार बिल्कुल स्पष्ट है कि इससे न तो सुरक्षा को खतरा हो सकता है और न ही इस राष्ट्रीय हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। अपितु, इससे राष्ट्रीय एकता, अखडता, और साथ ही भावनात्मक एकता मजबूत होगी।

सबसे पहले 1973 में, श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने (श्रीमती गाँधी) बताया था कि वह इस बारे में बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं। वर्ष 1973 में यह वचन दिया गया था। अब 1980 आ गया है। केवल ढाई वर्ष तक वह सत्ता में नहीं थीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ और जैसा कि आल इण्डिया नेपाली भाषा समिति ने कहा है, वर्ष 1977, 1976, 1975 और 1974 में प्रधानमंत्री द्वारा आपस में बातचीत कर मामले पर विचार करने के लिए ईमानदारी और गम्भीरता पूर्वक प्रयास नहीं किया गया।

मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि इससे सरकार तथा प्रधान मत्री का इस बारे में रूख प्रकट होता है। अगर माननीय मंत्री सभा को यह आश्वासन दें कि वह एक निश्चित अवधि के भीतर सभी दलों के नेताओं तथा आल इण्डिया नेपाली भाषा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करने और मामले पर आपस में बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं तथा नेपाली को भारतीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारे देश की नेपाली-भाषी जनता की मांग को मान्यता देने के औचित्य को सिद्धांत रूप में स्वीकार को तैयार हैं तो इस बारे में फिर से विचार किए जाने की संभावना रहेगी।

मेरी इच्छा उद्देश्य आशाओं पर पानी फिरने का नहीं है। ऐसा कुछ करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जिससे नेपाली बोलने लोगों के हृदय में कोई ऐसी भावना पैदा हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भी वही जनता की बहुत दृढ़ भावना है और दृढ़ आंदोलन चल रहा है। जैसा कि मेरे साथी श्री पाठक ने कहा, कि आज भी, दार्जिलिंग में व अन्य स्थानों में सभाएं आयोजित की जा रही हैं कि नेपाली को भारत की राष्ट्र भाषा मान लिया जाए, और संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली को शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार यह ऐसा प्रश्न नहीं है जो मैंने उठाया है बड़ी संख्या में भारतीय जनता काफी समय से यह प्रश्न उठा रही है। वह अब भी शांतिपूर्ण व लोकतंत्रीय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय जहाँ तक मैं समझ पाया हूं जनता के आग्रह व आकांक्षाओं के प्रति कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं है आल इंडिया नेपाली भाषा समिति द्वारा चलाए गए आंदोलन के पक्ष में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसलिए प्रश्न यह है : सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपयोगी कदम उठाने का विचार है ? यदि वह इस पर बात नहीं करना चाहते तो मुझे वही पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा। परन्तु यदि वह वास्तव में यह महसूस करते हैं कि इस पर एक साथ बैठ कर परस्पर विचार विमर्श किया जा सकता है और वह इस विषय में सच्चे व गंभीर हैं, तो वह सब दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे और आल इंडिया नेपाली भाषा समिति के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और मैं सोचता हूं कि सदन मंत्री महोदय की प्रार्थना पर गौर करेगा।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि नेपाली और हिन्दी में बहुत अधिक अन्तर नहीं है हिन्दी को समृद्ध बनाने का सांवैधानिक उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। इसलिए श्री डागा का यह विचार

गलत है कि नेपाली को आठवीं अनुसूची में भाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त हो जाने पर हिन्दी भाषा के हितों का नुकसान होगा। मेरे विचार से उन्होंने गलत धारणा बना रखी है।

मैं अनुच्छेद 351 का जिक्र करूंगा जिसके अनुसार :

"हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना उस का विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रुप शैली और पदावली के आत्मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत संस्कृत से तथा गौणत अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा। इसलिए इसमें भेदभाव का ही पुट है कि हिन्दी भाषा को केवल आठवीं अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली भाषाओं से शब्द अभिव्यक्तियाँ आदिले कर समृद्ध नेपाली होना चाहिए। व नेपाली राजस्थानी, भोजपुरी व मनीपुरी उसमें नहीं है। मेरे विचार से मेरे दल का व अन्य दलों का भी यही विचार है कि आठवीं अनुसूची में बहुत लम्बी सूची नहीं होनी चाहिए दरअसल जैसा कि मैंनें पहले ही कहा आठवीं अनुसूची की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी भारतीय भाषायें समान हैं; सभी भारतीय भाषाओं को एक समान प्रोसाहन मिलना चाहिये भाषाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भांति भेदभाव नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार यह राष्ट्रीय हित की भावना के अनुसार है और यह भावात्मक अखंडता और एकता लाने की भावना के तहत है। मैं यह देख कर हैरान हूँ कि श्री डागा भारतीय एकता के मूल तत्व को ही नहीं समझ पाये। भारतीय एकता का मूलभूत तत्व सिर्फ हिन्दी भाषायी जनता की एकता नहीं है। भारतीय एकता का मूलभूत तत्व सभी भाषा समूहों प्रत्येक संस्कृति के सभी लोगों की एकता में निहित है। मुझे खेद है कि एकाधिकारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सम्पूर्ण भारतीय एकता के मूल पर प्रहार करेगा।

इस प्रकार इन सब बातों को देखते हुए यदि माननीय मंत्री, सरकार की ओर से हमें यह आश्वासन दें कि तुरन्त सभी दलों के नेताओं और आल इंडिया नेपाली भाषा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने के लिए विशेष कदम उठाये जाएंगे तो हमारा दल भी इस पूरे मामले पर पुर्नविचार करेगा।

श्री पी. वेकट सुब्बया : मैं जो कुछ कहना चहता था, वह मैं बहुत अपने शब्दों में कह चुका हूँ। मैं दोबारा माननेय सदस्य से प्रार्थना करुंगा···

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) उन्होंने प्रधान मंत्री के आश्वासनों को उद्घत किया है कि आपस में विचार विमर्श करके इसका निर्णय किया जायेगा परन्तु 1973 से कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया है कम से कम आप यह तो कहे कि विचार विमर्श किया जायेगा।

श्री पी. वेकट सुब्बया : स्थिति का जायजा लेने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए। प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा वह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

श्री समर मुखर्जी : इस मांग के पीछे बहुत बड़ा आंदोलन है। आप उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह प्रश्न बहुत आवश्यक हो गया है और इसे उठाया भी जा रहा है। हम जानते है कि मतदान कराने पर यह अस्वीकृत हो जायेगा।

श्री पी वेकट सुब्बया : हम सभा में इस बात पर क्यों विभाजन करायें प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा उसका आज भी उतना ही महत्व है।

श्री समर मुखर्जी : हम कुछ आश्वासन चाहते हैं ताकि हम नेपाली भाषा बोलने वाली जनता को यह कह सकें कि इस विवाद के उपरान्त सरकार ने हमें यह आश्वसन दिया है। हम यही चाहते हैं। हमारा इसके स्वीकृत या अस्वीकृत होने में कोई रुचि नहीं हैं। हम केवल चाहते हैं कि कुछ ऐसा आश्वासज दिया जाए जो नेपाली भाषा बोलने वाली जनता तक पहुँच सके क्योंकि वे कई वर्षों से इस मांग को उठा रहें हैं। अब बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद बंध आयोजित होंगे और फिर आन्दोलन के अन्य तरीके अपनाए जाएंगे। समग्र वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको इस पर विचार करना चाहिए : ये भावात्मक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी लिए हम आश्वासन चाहते हैं इस पर मिल बैठ कर विचार किया जाये और सम्बन्धित लोगों को विचार विमर्श के लिये बुलाया जाये। यह कार्य तीन महीने या छः महिने के भीतर किया जा सकता है। परन्तु आप, इसे स्वीकार करें। जब आप इस बात को कहेंगे तभी हम वह बात उन तक पहुँचाएंगे, और वे छः महिने तक इन्तजार करेंगे।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाएं मैं प्रधानमंत्री तक पहुँचा दूँगा। मैं फिर यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है अभी भी वही महत्व है। मैं फिर अपने मित्र श्री चित्त बसु से अनुरोध करूँगा कि वह सभा को इस भावनात्मक प्रश्न पर न विभाजित करायें।

श्री चित्ता बसु : भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार की घोषित नीति को देखते हुए और प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए मैं अपने विधेयक पर मतदान के लिए जोर नहीं दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि ससदीय कार्य मंत्री तथा गृह मन्त्री, प्रधान मन्त्री तक यह बात पहुँचा देंगे ? कि उनके आश्वासन के कारण मैंने अपने विधेयक पर मतदान के लिए जोर नहीं दिया। याद रहे कि यह बहुत बड़ा आन्दोलन है। और इस आश्वासन से उनकी भावनाएं शान्त हो जाएंगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकेगी जिससे देश की एकता व अखंडता और दृढ़ हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा का संशोधन···

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री चित्त बसु को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

श्री चित्त बसु : महोदय मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी महान् सभ्यताओं में भाषा को देवी उपहार माना गया है, अर्थात् शब्द ब्रह्म अथवा देवी शब्द पिछले 10000 वर्ष

की सभ्यता के दौरान मानव द्वारा रचित महान् ग्रंथों में भाषा को विशिष्ट स्थान दिय गया है, क्योंकि भाषा ही वह तत्त्व है जो हमें इस संसार में विद्यमान लाखों प्रकार के जीव जन्तुओं से अलगाता है। मनुष्य का विकास भाषा के कारण ही हुआ। गत 10,000 वर्षों में सभ्यता का जो भव्य रूप बना है उसका उत्स भाषा के विकास में निहित है और इसी के आधार पर वह रूप बना रह सका। यही कारण है कि भाषा मानव-आत्मा को गहराई तक छूती है। यह वोट लेने का मामला मात्र नहीं है, जैसा कि मेरे मित्र श्री मूलचन्द डागा ने कहीं। बात इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों को अपनी भाषा के पूर्ण प्रयोग से वंचित कर दिया जाता है, उनमें एक प्रकार की शिकायत की भावना रहती है और यह भावना रहती है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।

भारतीय सभ्यता के निवास में बहुत सी भाषाओं ने योगदान किया है। सिंधु घाटी लिपि के उत्स का अभी तक हमें पता नहीं लग सका है, मुझे यकीन है कि हमें इस बात का पता लगेगा कि मोहन जोदड़ो और हड़प्पा में प्रयुक्त भाषा बहुत ही उच्च कोटि की और सम्पन्न भाषा थी।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी भाषा, तमिल से काफी मिलती है।

डा० कर्ण सिंह : हो सकता है, यह आपकी भाषा से मिलती हो। देव वाणी संस्कृत बहुत सी भारतीय भाषाओं का स्रोत है। तमिल तथा दूसरी महत्वपूर्ण भाषाओं ने भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

अब मैं विशेष रूप से हिन्दी के विषय में एक बात कहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने मित्र श्री मूलचन्द डागा से बड़ी विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हिन्दी के प्रचार करने का सौभाग्य केवल इस देश में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी मुझे मिला है। आपको स्मरण होगा द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मारीशस में हुआ था, और उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और वहां हमने कुछ महत्वपूर्ण निश्चय और निर्णय किये जिससे हिन्दी को केवल भारत की भाषा ही नहीं बल्कि एक विश्व भाषा के रूप में हम आगे ले जायें।

मैं बड़े विनम्र रूप से डागा जी से प्रार्थना करता हूँ कि हिन्दी प्रचार और प्रसार में और डोगर या नेपाली को अपना उचित स्थान देने में कोई प्रतिरोध और विरोध नहीं होना चाहिए। यदि हमारे सदन में बहुत सारे सदस्य मराठी बोलते हैं और हिन्दी भी बोलते हैं, या बहुत सारे सदस्य गुजराती बोलते हैं और हिन्दी भी बोलते हैं। तो क्या कारण है कि यदि हम नेपाली और डोगरी बोलें तो उसमें हिन्दी को किसी प्रकार की क्षति पहुँचेगी ? मेरा अनुरोध है कि यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। हिन्दी राष्ट्रभाषा है, हम राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का आदर करते हैं, लेकिन भारतवासियों की जो मातृभाषा है, उसका एक अपना स्थान होता है।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसकी सांस्कृतिक व्यक्तित्व में मातृभाषा का विशिष्ट स्थान होता है। आज भारत में और साथ ही इस सदन में नागरिकों की दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की है जो इस सभा में अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकते हैं और यह भाषा

हमारे संविधान में स्वीकृत है संविधान कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, वह करोड़ों भारतवासियों की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है और विश्व के महानतम राष्ट्रीय आन्दोलन की देन है। इस संविधान में संसद के अधिकांश सदस्यों की मातृभाषा को स्थान दिया गया है लेकिन संसद में एक छोटा वर्ग उन सदस्यों का है जिनकी मातृभाषा को संविधान में स्थान नहीं दिया गया है और जो अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले सकते। मेरे मित्र श्री कोचक जी जब इस सभा के लिए निर्वाचित हुए, तो उन्होंने कश्मीरी में शपथ ली। पंजाब से निर्वाचित हमारे साथी पंजाबी में शपथ ले सकते हैं, लेकिन डोगरी भाषी क्षेत्र से आने वाले हमारे साथी अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले सकते हैं। नेपाली-भाषी संसद-सदस्यों की भी यही स्थिति है, चाहे वे शिलांग से आये हों, अथवा सिक्किम से अथवा राज्य सभा की सूची में...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप अपने भाषण को डोगरी तक ही सीमित रखें, नेपाली के विषय में माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

डा० कर्ण सिंह : महोदय, नेपाली के बारे में भी मुझे कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि विधेयक में दोनों भषाओं को लिया गया है। पिछली संसद में हमने लोकसभा और राज्य सभा दोनों में अरुणाचल प्रदेश आदि से आने वाले नेपाली भाषी 10 या 12 व्यक्तियों की सूची बनायी थी। मैंने जो विधेयक पुर स्थापित किया है उसमें एक असामानता और जो संविधान में अभी भी विद्यमान एक अन्याय पूर्ण स्थिति को दूर करने का आग्रह किया है इसलिए मैंने डोगरी और नेपाली भाषा को एक साथ लिया है। मेरे साथी श्री वेंकट सुब्बया ने कहा है कि हो सकता कि मैंने कुछ घरेलू आग्रहों के कारण नेपाली और डोरी भाषा को एक साथ लिया हो। इस कथन को एक साथ लिया हो। इस कथन को मैं पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि इन भाषाओं में कुछ समान बातें हैं जिन पर इस सभा के माननीय सदस्य विचार करें।

महोदय इन दोनों में से प्रत्येक भाषा लग20-20 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है 1971 की जनगणना में नेपाली भाषी लोगों की संख्या लगभग 13 लाख थी डोगरी भाषी लोगों जन-संख्या भी इतनी ही थी पिछले दस वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई है और 1980-81 की जनगणना में डोगरी तथा नेपाली भाषी लोगों की जन संख्या लगभग 20-20 लाख होगी। भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में यह संख्या बहुत अधिक नहीं लगती, लेकिन फिर भी यह संख्या नगण्य नहीं है के। संयुक्त राष्ट्र में ऐसे बहुत से राष्ट्र है जिनमें से प्रत्येक की कुल जनसंख्या 20 लाख से कम है। हमारे यहाँ 20 लाख डोगरी भाषी और 20 लाख नेपाली भाषी लोग हैं।

मेरी दूसरी बात यह कि जैसा कि श्री चित्त बसु तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ समय पहले बोलते हुए कहा, इन दोनों भाषाओं को कुछ राज्यों में मान्यता प्राप्त है। नेपाली को पश्चिम बंगाल में मान्यता प्राप्त है। नेपाली सिक्किम की क्षेत्रीय भाषा है और कुछ अन्य राज्यों में भी बोली जाती है। इसी प्रकार जम्मू तथा कश्मीर के संविधान में डोगरी भाषा को मान्यता दी गई है। अतः ऐसा नहीं है कि इन भाषाओं को बिलकुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारा निवेदन केवल यही है कि मान्यता का यह दायरा बढ़ाया जाये और इन्हें क्षेत्रीय मान्यता के स्थान पर राष्ट्रीय मान्यता दी जाये। साहित्य एकादमी ने इन दोनों को स्वतन्त्र आधुनिक

हमारे संविधान में स्वीकृत है संविधान कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, वह करोड़ों भारतवासियों की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है और विश्व के महानतम राष्ट्रीय आन्दोलन की देन है। इस संविधान में संसद के अधिकांश सदस्यों की मातृभाषा को स्थान दिया गया है लेकिन संसद में एक छोटा वर्ग उन सदस्यों का है जिनकी मातृभाषा को संविधान में स्थान नहीं दिया गया है और जो अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले सकते। मेरे मित्र श्री कोचक जी जब इस सभा के लिए निर्वाचित हुए, तो उन्होंने कश्मीरी में शपथ ली। पंजाब से निर्वाचित हमारे साथी पंजाबी में शपथ ले सकते हैं, लेकिन डोगरी भाषी क्षेत्र से आने वाले हमारे साथी अपनी मातृभाषा में शपथ नहीं ले सकते हैं। नेपाली-भाषी संसद-सदस्यों की भी यही स्थिति है, चाहे वे शिलांग से आये हों, अथवा सिक्किम से अथवा राज्य सभा की सूची में...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप अपने भाषण को डोगरी तक ही सीमित रखें, नेपाली के विषय में माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

डा० कर्ण सिंह : महोदय, नेपाली के बारे में भी मुझे कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि विधेयक में दोनों भषाओं को लिया गया है। पिछली संसद में हमने लोकसभा और राज्य सभा दोनों में अरुणाचल प्रदेश आदि से आने वाले नेपाली भाषी 10 या 12 व्यक्तियों की सूची बनायी थी। मैंने जो विधेयक पुर स्थापित किया है उसमें एक असामानता और जो संविधान में अभी भी विद्यमान एक अन्याय पूर्ण स्थिति को दूर करने का आग्रह किया है इसलिए मैंने डोगरी और नेपाली भाषा को एक साथ लिया है। मेरे साथी श्री वेंकट सुब्बया ने कहा है कि हो सकता कि मैंने कुछ घरेलू आग्रहों के कारण नेपाली और डोरी भाषा को एक साथ लिया हो। इस कथन को एक साथ लिया हो। इस कथन को मैं पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि इन भाषाओं में कुछ समान बातें हैं जिन पर इस सभा के माननीय सदस्य विचार करें।

महोदय इन दोनों में से प्रत्येक भाषा लग20-20 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है 1971 की जनगणना में नेपाली भाषी लोगों की संख्या लगभग 13 लाख थी डोगरी भाषी लोगों जन-संख्या भी इतनी ही थी पिछले दस वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि हुई है और 1980-81 की जनगणना में डोगरी तथा नेपाली भाषी लोगों की जन संख्या लगभग 20-20 लाख होगी। भारत की कुल जनसंख्या की तुलना में यह संख्या बहुत अधिक नहीं लगती, लेकिन फिर भी यह संख्या नगण्य नहीं है के। संयुक्त राष्ट्र में ऐसे बहुत से राष्ट्र है जिनमें से प्रत्येक की कुल जनसंख्या 20 लाख से कम है। हमारे यहाँ 20 लाख डोगरी भाषी और 20 लाख नेपाली भाषी लोग हैं।

मेरी दूसरी बात यह कि जैसा कि श्री चित्त बसु तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ समय पहले बोलते हुए कहा, इन दोनों भाषाओं को कुछ राज्यों में मान्यता प्राप्त है। नेपाली को पश्चिम बंगाल में मान्यता प्राप्त है। नेपाली सिक्किम की क्षेत्रीय भाषा है और कुछ अन्य राज्यों में भी बोली जाती है। इसी प्रकार जम्मू तथा कश्मीर के संविधान में डोगरी भाषा को मान्यता दी गई है। अतः ऐसा नहीं है कि इन भाषाओं को बिलकुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है। हमारा निवेदन केवल यही है कि मान्यता का यह दायरा बढ़ाया जाये और इन्हें क्षेत्रीय मान्यता के स्थान पर राष्ट्रीय मान्यता दी जाये। साहित्य एकादमी ने इन दोनों को स्वतन्त्र आधुनिक

भारतीय भाषा के रुप में मान्यता दे रखी है और इनमें बहुत से नाटक, गद्य, कवितायें आदि लिखी गई हैं। इस प्रकार इन भाषाओं की समृद्ध परम्परा और संस्कृति रही है। साथ ही इन भाषाओं की लोक परम्परा रही है। महोदय, मेरा निवेदन है कि ये भाषाएं राष्ट्र के नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों द्वारा बोली जाती हैं जैसाकि आप जानते हैं, हिमालय क भारतीय संस्कृतिक के प्रादुर्भाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको स्मरण होगा कि महाकवि कालीदास ने कुमार सम्भव के पहले श्लोक में यह कहा है :

अस्त्युत्तस्यां दिशि देवात्मा,
हिमालयो नाम नगाधिराज:
पूर्वापरो तोमनिधिऽवगाह्य,
स्थित: पृथ्व्या इव मानदण्ड ॥

यह महानं हिमालय पृथ्वी का मानदन्ड है। हिमालय पर डोगरी भाषी और नेपाली भाषी लोग रहते है। हमें इस बात पर गर्व है। इस राष्ट्र की एकता और अखन्डता की रक्षा के लिए हमने शताब्दियों तक अपना जीवन न्योछावर भारत पर जब कभी भी हमला हुआ, हम लोग ही सबसे पहले इससे प्रभावित हुए।

यह सही है कि सेना में सभी समुदायों के व्यक्ति हैं और यह राष्ट्रीय सेना है। हमें उस पर गर्व है, आप डोगरा रेजीमेंट को देखे, जाट रेजीमेंट को देखें, गोरखा रेजीमेंट को देखें ग्रेनेडियर्स को देखें। जैसा कि श्री वेंकट सुब्बया ने ठीक ही कहा इसमें हमारे लोगों की प्रति शतता अधिक है। लेकिन यह केवल प्रतिशता का प्रश्न नहीं है। हमने इस देश के लिए अपना खून बहाया है ताकि भारतीय सीमा मध्य एशिया तक पहुँच जाये।

महोदय, मैं आप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : जब भारतीय गोरखाओं और डोगराओं ने इस देश की सेवा और सुरक्षा के लिए अपना खून बहाया है, तो क्या यह समा उनके लिए सहानुभूति भी नहीं रख सकती ताकि उनकी भाषा को मान्यता मिल सके। पाकिस्तान के हथियारों की फायरिंग रेन्ज में रहने वाले गोरखाओं और विदेशियों के शस्त्रों के खतरे को झेलने वाले नेपालियों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है ?

महोदय, मैं एक दलील दे रहा हूं। मैं भाषा की इस समस्या पर विचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भाषायें और भी हैं। भारत में लगभग 20, 22 या 23 ऐसी भाषायें हैं जिनकी हजारों सैकड़ों बोलियां बन गयी हैं। लेकिन ये दो भाषायें निश्चय ही विकास की एक अवस्था तक पहुँच गयी हैं इन्हें साहित्य अकादमी ने मान्यता दे रखी है और उन्हें वहां की राज्य सरकारों ने भी मान्यता दे रखी है।

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना यह है कि यह राष्ट्र का सर्वोच्च मंच है। हमारा यह सदन वह सर्वोच्च मंच है जहां छोटे अल्प संख्यक समुदाय भी अपने विचार, आकांक्षायें तथा मनोभाव अभिव्यक्ता कर सकते हैं हम इस राष्ट्र को एक महान इकाई बनाना चाहते हैं। आप आपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में शिकायत का भाव क्यों पैदा करना चाहते हैं कि उनकी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाता। श्रीमान्, बंगला भाषा बंगलादेश में बोली जाती है। श्रीलंका में तमिल बोली जाती है। सिंगापुर में इसको मान्यता प्राप्त है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषाओ में से एक पंजाबी भी है। हमारे यहां भारतीय पंजाबी तथा पाकिस्तानी पंजाबी है। हमारे यहां भारतीय तमिलभाषी हैं तथा श्रीलंका के तमिलभाषी है। यह विचित्र तर्क, जो कि पहलेप्रतिपादि त

किया गया था, अब और अधिक संगत नहीं हैं। नेपाली लोग, जोकि अपने लिए भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहें हैं तथा डोगरी लोग जोकि अपनी भाषा को इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में स्थान दिलवाना चाहते हैं, वे भी सब दृष्टि से भारतीय नागरिक हैं।

मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको आठवीं अनुसूची में रखने से क्या लाभ है। जब राज्य द्वारा इसको मान्यता दी गई है, वही रहने दो, क्या लाभ है ? मेरा यह कहना है कि तीन बड़े मुद्दे है। पहला मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक मुद्दा है। मैं भावुकता के के कारण नहीं अपितु सविनय निवेदन करता हूं कि भारतीय नागरिकों के भावों तथा विचारों को, जबकि वे निष्कपट हों, जब वे सच्चे दिल से व्यक्त किए जायें तथा जब उनका किसी अन्य हित से टकराव न हो, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उनकी बात को नकारा नहीं जाना चाहिए, भले ही उनकी संख्या 40 लाख ही क्यों न हो।

दूसरे, श्रीमान्, कुछ समय के लिए मैं शिक्षा मंत्रालय का प्रभारी मंत्री था तथा अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं जानता हूँ कि शिक्षा मत्रालय में ऐसी कई योजनायें हैं जो कि आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं के विकास से सम्बन्धित है। अतः इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है तो वह भाषा अक्षम है। मैं निवेदन करूंगा, तथा मेरे मित्र श्री वैंकट सुब्बया अपने साथी शिक्षा मंत्री से इसकी जांच कर सकते हैं, कि शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय मेंइस प्रकार की गई परियोजनायें हैं जो कि विशेष रूप से आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के विकास से सम्बन्धित हैं। इसका अर्थ यह है श्रीमान् कि 40 लाख भारतीयों की भाषा अथवा मातृभाषा को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

श्रीमान् अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम बहु भाषा प्रणाली की ओर बढ़ रहें हैं। संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न भाषाओं में परीक्षायें आयोजित करनी प्रारम्भ कर सकता है। यह भेदभाव क्यों है कि नेपाली तथा डोगरा लोग, जो कि सेना में चयन के समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इनको सार्वजनिक सेवाओं में चयन के अवसरों से वंचित किया जा रहा है जब संघ सेवा आयोग तथा यह सदन अपनी बुद्धिमता से यह निर्णय लेता है कि क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम चुना जा सकता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि डोगरा लोगों तथा भारतीय नेपालियों को इससे वंचित रखा जायगा। मुझे विश्वास है कि यह महान सदन इस विषय में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह गलत राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित अथवा पुनः निर्वाचित होने का प्रश्न नहीं है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे लिए सभी भाषायें सम्मानीय है, चाहे वह संस्कृत हो, हिन्दी अथवा उर्दू अथवा चाहे वह मातृ भाषा डोगरी अथवा मेरी पत्नी की मातृ भाषा नेपाली ही क्यों न हो। ये समस्त भाषायें सम्मानीय हैं। यहां वाद-विवाद अथवा दलगत विचारधारा को लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि यह एक वास्तविक समस्या है। मेरे मित्र श्री चित्त बसु द्वारा विधेयक पर प्रारम्भ द्वारा वाद-विवाद का उत्तर देने में श्री वेंकट सुब्बया ने जिस प्रकार का रुख अपना, उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ। मैं इससे सहमत हूं कि इसके लिए राष्ट्रीय सहमति आवश्यक है, मैं इससे सहमत हूँ कि प्रधान मंत्री को इस विषय पर गोल मेज सम्मेलन में संबंधित लोगों को बुलाने के लिए पहल करनी चाहिये। प्रधान मंत्री विभिन्न लोगों से बात चीत करें।

तथा इस बात को महसूस करने की कोशिश करें—मुझे विश्वास है कि वे इस बात को महसूस करती हैं।—कि यह मांग केवल किसी व्यक्तिगत अथवा पक्षपातपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं है अपितु यह उन कई लाख देशभक्त भारतीय नागरिकों की वास्तविक मांग है, जो हमारे इस मिश्रित बहु आयामी, भव्य राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान देना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक समुदाय की महत्ता है। भले ही वह समुदाय कितना ही अल्प संख्यक क्यों न हो। यह एक अद्भुत चित्रपट के समान है जिसमें प्रत्येक रंग इसकी सुन्दरता को बढ़ाता है। यह एक खूबसूरत वाटिका के समान है जिसमें विभिन्न पुष्प अपनी सुन्दरता से भारतीय सम्पूर्णता को सुशोभित करते हैं। हमने भारत के इसी स्वरूप का साक्षात्कार किया है। भारत के इसी स्वरूप के सम्पूर्ण में मैं अपने विधेयक को इस माननीय सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री डागा को इसके लिए एक संशोधन प्रस्तुत करना है।

श्री मूल चन्द डागा : (पाली) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ जो कि मेरे नाम से है। मैं प्रस्तुत करता हूँ :

'विधेयक के बारे में राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाय जिसे भेजने की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर, 1980 हो।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तथा संशोधन, सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

अब, श्री सत्यगोपाल मिश्र,

* **श्री सत्यगोपाल मिश्र** (तामलुक) : उपाध्यक्ष महोदय, डोगरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी विधेयक का सिद्धांत रूप में समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। श्रीमान्, आज भारत में अनेक समुदाय सम्मिलित हैं तथा हमें अपने देश के बारे में सोचते समय प्रत्येक समुदाय के अस्तित्व को स्वीकार करना है। प्रत्येक समुदाय का अस्तित्व उसकी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य पर निर्भर करता है। अपने देश की भावनात्मक तथा राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में ये घटक इतने अनिवार्य हैं कि इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति मे हमारा काम नहीं चल सकता। हमको इस पर अनेकता में एकता के इस सिद्धांत की दृष्टि से विचार करना है जो कि हमारे देश के अनेक समुदायों के माध्यम से स्पष्ट है तथा यदि हम देश की एकता में इन समुदायों के योगदानों तथा इन प्रत्येक समुदायों के पृथक् अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयास करते हैं तो यह हमारी अपरिपक्वता का परिचायक होगा। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन के विकास के बारे में जानना अत्यन्त प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। मनुष्य के विकास में उसकी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसकी भाषा के माध्यम से ही उसकी बुद्धिमत्ता, विचार शक्ति, दृष्टिकोण आदि विकसित होता है तथा वस्तुत:

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उसके अस्तित्व का विकास उसकी भाषा के माध्यम से ही होता है। परन्तु यह विकास उसी अवस्था में उत्कृष्ट हो सकता है जब मनुष्य को उसकी अपनी ही भाषा में बोलने तथा सोचने की अनुमति हो। कोई अन्य भाषा उसके ऊपर थोप देने से उसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रगति उसे केवल उसकी भाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करने से ही प्राप्त हो सकती है। यहाँ एक अन्य प्रश्न भी है जिस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अनेक भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय हैं तथा हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना है कि क्या भाषाई बहुसंख्यक समुदायकी भाषा को भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जबरदस्ती लादना उचित होगा। मेरे विचार से, श्रीमान्, इससे देश में एक अत्यन्त गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा यदि हमने इसको किसी भी रूप में लागू करने का प्रयास किया क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को बहुत क्षति पहुंचेगी। दुर्भाग्यवश कुछ लोग यह मानते हैं कि हमारे देश में केवल कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं ही होनी चाहिएं तथा उन्हें दूसरों पर जबरदस्ती थोपा जाना चाहिए। प्रत्येक भाषा का विकास अपने ढंग से होता है। हमारे देश में डोगरी तथा नेपाली भाषाओं सहित अन्य भाषाओं का भी विकास हो रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी कोई बात न हो जिससे इनके विकास में बाधा उत्पन्न हो। हमने पहले भी यही बात कही है तथा भविष्य में भी इसी बात पर दृढ़ रहेंगे। यदि इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाएगी तो हमारे देश की भावनात्मक तथा राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ जाएगी। अत: हमें डोगरी तथा नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर विचार करना है। श्रीमान्, संविधान की आठवीं अनुसूची में किसी भी स्थान पर यह उल्लिखित नहीं है कि उसमें गिनाई गई भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। संविधान-निर्माताओं द्वारा अनुसूचि में कुछ भाषाओं को सम्मिलित करने का अर्थ यह नहीं है कि इसमें अन्य भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है तो हम उन तथ्यों पर विचार कर सकते हैं जिनके आधार पर कोई भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की पात्र होगी। मेरी राय में उनमें से कुछ तथ्य यह हैं ? अर्थात् क्या उस भाषा विशेष ने विकास का वह स्तर प्राप्त कर लिया जहाँ वह 8वीं अनुसूची में पहले ही सम्मिलित राष्ट्रीय भाषाओं के साथ रखे जाने के योग्य हो गई हो। क्या उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या काफी है। क्या उस भाषा की अपनी लिपि है और उसके साहित्य का भडार विशाल है। अन्तत: हमको यह देखना होगा कि क्या उस भाषा ने उस भाषा विशेष के बोलने वाले समुदाय के सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। अब हमें यह देखना होगा कि क्या डोगरी और नेपाली दोनों भाषाएं इन शर्तों को पूरा करती हैं अथवा नहीं। महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, डोगरी और नेपाली दोनों ही भाषायें काफी सारे लोगों द्वारा बोली जाती हैं। दोनों की अपनी लिपि है और दोनों भषाओं का साहित्य भडार विशाल है। यह भाषाएं साहित्यिक भाषाएं हैं। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि साहित्य अकादमी ने इन भाषाओं को पहले ही मान्यता प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं, सरकारी स्तर पर भी कुछ राज्य सरकारों द्वारा इन भाषाओं को मान्यता प्रदान की है।

जब हम राज्यों द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की बात कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यह तो वोट प्राप्त करने के हथकंडे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जहां कहीं जो कोई भी यह बात कहता है यह केवल उसकी संकीर्ण विचार धारा ही दर्शाती है।

हम बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारे कार्य सर्वथा उन मान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होते जिनका कि हम प्रचार करते फिरते हैं। डा० कर्णसिंह वर्तमान विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ और इन दो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का जोरदार आग्रह कर रहे हैं और सिद्धांततः मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। परन्तु क्या इस बात को भूल सकते हैं कि पहले जब इसी तरह का अनुरोध किया गया था तो सरकार ने जिसमें कि वह स्वयं थे, उसे ठुकरा दिया। उस समय वह कहां गये थे ? अतः जो हम कहते हैं उसमें हमें ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। महोदय जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमने जो भी कहा है उसे करके दिखाया है। उसमें फर्क नहीं किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेपाली को मान्यता ही नहीं दी है अपितु उसने सन्थाली को जो राज्य में रहने वाले जनजातीय अल्प संख्यक समुदाय की भाषा को मान्यता दी है। और जैसा कि उन्होंने कहा है, वे इन दोनों भाषाओं के विकास के लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं। इस प्रकार यदि हम अपने कहे पर चलें तो लोग हम पर विश्वास तो करेंगे ही साथ-साथ इससे देश का भी बड़ा भला होगा। अभी कुछ समय पहले सरकारी पक्ष के सदस्यों ने नेपाली भाषा के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। परन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है खाली बातों से काम नहीं चलेगा। तत्कालीन मंत्री ने जो बात कही थी उसके अनुसार कार्य भी करना होगा और आने वाला समय ही इस बात का साक्षी होगा कि सरकार ने कहां तक अपनी बात पूरी की। एक और बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। सभी लोग यह जानते हैं कि हमारे वर्ग प्रधान समाज में, सत्तारूढ़ वर्ग ने समाज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने तथा उसको स्थायी बनाने के लिए हमेशा से ही कई तरीके अपनाता आया है ताकि वह समाज का शोषण करता रहे और उसके अछायों को उस पर स्थायी अधिकार प्राप्त हो जाये। शोषक वर्ग हमेशा ही दूसरों पर, विशेषकर भाषायी अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय स्तर पर कई भाषा थोपने का प्रयास करेगा चूंकि उससे उनका उल्लू सीधा होता है। वह कभी भी इस बात को पसन्द नहीं करेगा कि किसी भाषायी अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी ही भाषाओं के माध्यम से उन्नति प्राप्त करें। वह इस बात को नहीं बता सकता कि इन समुदायों के लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ही भाषाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति का कि हम भी कुछ हैं, आभास करायें। यह तो उनकी शोषण की स्कीम के ही विरुद्ध आता है और यह उनको कभी भी पसन्द नहीं आयेगा भले ही इस प्रकार के भाषायी अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कितनी ही लच्छेदार बातें क्यों न करें। परन्तु क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करना तथा उन सभी भाषाओं का विधिसम्मत विकास करना असंभव है जोकि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। सोवियत ने संघ अनेक भाषाएं होने के बावजूद अपनी समस्यायें कैसे हल करीं ? क्या हम भी भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के हल करने के लिए कोई ऐसा ही रास्ता नहीं अपना सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मिश्र जी, आप अपना भाषण अगली बैठक में जारी रख सकते हैं।

मध्याह्न पश्चात् 6·00 बजे म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 16 जून, 1980/26 ज्येष्ठ, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6